राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड 5] चतुर्थ विधान सभा के पंचम सत्र का तीसरा दिवस [संख्या 3

बुधवार,

दिनांक अगस्त 13, 1969.

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.3 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, विद्युत्, खनिज, विधि, स्वायत्त शासन, गृह, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण, मुद्रण एवं लेखन, समाज कल्याण विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री हंसराज आर्य।

अकाल के कारण भू-राजस्व की माफी

28. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के किन-किन जिलों में अकाल के कारण भू-राजस्व माफ किया जा रहा है ?

(2) माफ होने वाले भू-राजस्व की कुल कितनी मात्रा होगी ? जिले-वाइज सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उप-राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) किसी एक वर्ष में अकाल की स्थिति होने पर भू-राजस्व माफ करने के नियम नहीं हैं भू-राजस्व की माफी आज्ञा दिनांक 18-11-67 (परिशिष्ट 1) के द्वारा किए जाने को जारी की गई है।

(2) उक्त आज्ञा के तहत अभी भू-राजस्व माफी की आज्ञा नहीं दी गई है। स्थगित की हुई भू-राजस्व की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के इलाकों में तीन साल से भी अधिक समय से अकाल पड़ चुका है ?

श्री गंगाराम चौधरी : उनमें कई गांव ऐसे हैं जिनमें लगातार तीन साल से अकाल है।

Page No 2

श्री हंसराज आर्य : आज तक यह नियम लागू क्यों नहीं किया कि जब तीन साल तक अकाल पड़ जाय तब एक साल का लगान माफ करें। सदन में बार बार जिक्र आया है कि बाड़मेर ऐसा जिला है जहां 8 साल के बच्चों को मालूम नहीं कि बरसात क्या होती है। अभी तीन साल पूरे नहीं हुए ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या यह सही है कि इस बारे में रूल्स न होने की वजह से रेमिशन देने में असमर्थ हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : टेनेन्सी एक्ट की धारा 126 के तहत नियम बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने जैसा, मैंने निवेदन किया, सरक्यूलर 1967 में जारी किया, उसमें था कि लगातार जैसे तीन साल से अकाल है तो वहां वसूली इस तरह होगी कि पहले साल का लगान अपने आप माफ समझा जायगा। इस पर अभी वित्त विभाग विचार कर रहा है और नियमों में आवश्यक संशोधन के पश्चात् उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री हंसराज आर्य : क्या यह मान लिया जाय कि जहां 6 साल से अकाल पड़ रहा है वहां 2 साल का लगान माफ हो चुका है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अब तक रेमिशन नहीं हुआ लेकिन इस पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गंभीर है। राजस्थान में ऐसा अकाल पड़ा है जैसा संसार में इतना बड़ा अकाल कहीं नहीं पड़ा। सरकार जानती है, हर सरकार मानती है, जनता मानती है लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। इतने भयंकर अकाल में भी वहां के किसानों की लगान माफ न की जाय यह सरकार की भूल है, गल्ती है।

श्री गंगाराम चौधरी : वसूलियां तो वैसे ही स्थगित हैं, माफी का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री हंसराज आर्य : क्या सरकार शीघ्र ही आदेश देने वाली है कि जहां तीन साल से अकाल पड़ा है, वहां एक साल की लगान माफ, जहां 6 साल से अकाल पड़ रहा है, वहां दो साल की लगान माफ, जहां 9 साल से अकाल पड़ रहा है वहां तीन साल की लगान माफ होगी ? यदि हां, तो कब ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जहां अकाल है वहां वसूली स्थगित कर रखी है। मैंने निवेदन किया कि रेमिशन के संबंध में सरक्यूलर जारी किया जा चुका है लेकिन नियमों में आवश्यक संशोधन करने के पश्चात् रेमिशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री हंसराज आर्य: अभी तक नियमों में संशोधन नहीं किया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) **:** जहां-जहां अकाल है वहां पहले ही सस्पेंडेड है। जैसलमेर की बात कही, वहां सस्पेंडेड है। दूसरी रेमिशन वाली बात है। हमारे सामने प्रोपोजल है कि सरटेन कन्डीशन्स में आटोमेटिक रेमिशन हो जाय, ऐसा प्रोपोजल

(श्री राम किशोर व्यास)

विचाराधीन है। एक साल के अकाल में कितना नुकसान हुआ, दो साल के अकाल में कितना नुकसान हुआ, 12 आना हुआ या 14 आना हुआ, यह कैबीनेट के विचाराधीन है।

श्री हंसराज आर्य : आदेश कब जारी करेंगे ?

श्री राम किशोर व्यास : जैसे ही कैबीनेट में फैसला हो जायगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : (नोहर): क्या यह सही है कि अकाल पीड़ित क्षेत्र में सिवा भू-राजस्व के समस्त वसूलियां आज भी जनता से हो रही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अलग से प्रश्न नहीं है। अकाल पीड़ित जनता से इस तरह से वसूली करना, माफी देना तो दूर रहा, जो अकाल पीड़ित काश्तकार हैं, उनसे वसूली की जाय और दूसरी वसलियां जितनी भी हैं सिवाय भू-राजस्व के शक्ति से वसूल की जा रही हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

जिला जालोर में कृषि कार्य के लिए बिजली

29. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सत्य है कि जालोर, भीनमाल व सांचोर में अभी तक नियमित रूप से उप-भोक्ताओं को बिजली प्राप्त नहीं होती ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ? इन स्थानों पर नियमित रूप से बिजली कब तक प्राप्त होने लगेगी ?

(2) क्या यह सत्य है कि कृषि सिंचाई कुओं पर जिला जालोर में बहुत ज्यादा स्कोप होते हुए भी अभी तक पावर सप्लाई नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) जिला जालोर में कृषि सिंचाई कुओं पर एवं नलकूपों पर पर्याप्त मात्रा में कब तक बिजली सप्लाई कर दी जावेगी ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

उप विद्युत-मंत्री (श्री खेतसिंह) :

(1) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): कैसे प्रश्न नहीं उठता। राजस्थान सरकार ने इतना रुपया खर्च किया, जितनी वसूलियां की हैं, सारी काश्तकारों से की जा रही हैं। क्या कारण हैं ? राजस्व मंत्री उत्तर दें।

श्री खेतसिंह : वैसे तो अब भी नियमित रूप से विद्युत् दी जाती है किन्तु फालना पर 66/33 के० वी० का सब-स्टेशन बन जाने पर और पाली-फालना लाइन को 66 के०वी० पर चार्ज कर देने पर जालोर ..

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है, वह कहते हैं कि प्रश्न नहीं उठता है, क्यों नहीं उठता है ?

श्री अध्यक्ष : आरंभ रखिए।

श्री खेतसिंह: ... की स्थिति में और भी सुधार हो जायेगा। भीनमाल और सांचोर में अलग 2 डीजल स्टेशन हैं। कस्बों की स्थिति में सुधार लाने का विषय विचाराधीन है।

(2) हां, यह सत्य है कि जालोर में कृषि सिंचाई कुओं पर काफी स्कोप है लेकिन

(श्री खेतसिंह)

फालना एवं जालोर पावर हाउस में लगे एंजिनों की क्षमता को देखते हुए दिनांक 12-4-69 तक अधिक कनेक्शन नहीं दिए जा सके। अब फालना विद्युत् गृह को चम्बल विद्युत् मिल जाने के कारण पूर्वपेक्षा अधिक कनेक्शन दिए जा रहे हैं फिर भी अधिक मात्रा में कनेक्शन देना तब तक संभव नहीं है जब तक कि पाली से फालना 66 के०वी० लाइन को 66 के०वी० पर चार्ज नहीं किया जावे जो कि वर्तमान म 11 के० वी० पर चार्ज की जा रही है जिसके कारण अधिक लोड होने पर वोल्टेज कम हो जाते हैं।

(3) जिला जालोर में कृषि सिंचाई कुओं पर एवं नलकूपों पर प्रर्याप्त मात्रा में विद्युत् प्रदान करना तभी संभव होगा जब कि पाली-फालना 66 के० वी० लाइन को 66 के० वी० लाइन पर चार्ज की जावे जो कि वर्तमान में 11 पर चार्ज की जा रही है। फालना में बने रहे 66 के० वी० ग्रिड सब-स्टेशन के पूर्ण होने पर ही 66 के० वी० पर विद्युत् सप्लाई किए जाने की संभावना बन सकेगी? इसके 7-8 माह में पूर्ण होने की आशा है। इसको जल्द पूर्ण करवाने का हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है। फिलहाल जो 11 के० वी० सप्लाई मिलती है इसकी फालना से 750 के० वी० ए० 11/33 के० वी० स्टेप अप करके जालोर फीडर को बिजली सप्लाई की जाती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपने पहले जवाब दिया कि नियमित रूप से बिजली सप्लाई की जा रही है। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हफ्ते में तीन दिन बिजली का ब्रेक डाउन होता है और बराबर नहीं चल रही है। आप बता सकते हैं कि ब्रेक डाउन नहीं होता है और नियमित रूप से चल रही है?

श्री खेतसिंह : यह मैं कब कहता हूं कि ब्रेक डाउन नहीं होता है। ब्रेक डाउन भी होता है। जालोर को जितनी बिजली मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पायी है। ग्रिड से जुड़ जाने पर मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भविष्य आपका उज्जवल है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : संभावनाओं से काम नहीं चलता। ग्रिड से जुड़ने पर कितने कनेक्शन्स दिये?

श्री खेतसिंह : चौथे महीने तक कनेक्शन नहीं दे पाये। ग्रिड से जोड़ दिया है। अब कह दिया है कि कनेक्शन देने शुरू कर दीजिये। लाइन शुरू हो जायेगी काफी बिजली हो जायेगी और जिनको चाहिये उनको दे सकेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सांचोर में 250 कि० वा० का डिज़ल इन्जिन लगाने का था उसका क्या हुआ?

श्री खेतसिंह : 250 के० वी० नहीं था। सांचोर में सुधार लाने के लिये एक इन्जिन भेजने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री बिरदाराम फूलवानिया (जालोर सु०): जालोर में कितने कनेक्शन दिये गये?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री फूलचन्द बाफना।

श्री फूलचन्द बाफना : प्रश्न संख्या 30।

श्री बिरदाराम फूलवानिया : कितने कनेक्शन दिये गये?

श्री अध्यक्ष : ओर्डर प्लीज । स्थान ग्रहण करें ।

नदियों की रेती के ठेके

30. **फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में नदियों की रेती के ठेके देना कभी राजस्थान सरकार ने प्रारम्भ किया और ये ठेके देना वापस बन्द कर दिया था ? यदि हां, तो किस आज्ञा से कब ये ठेके देना प्रारम्भ किया गया था और किस आज्ञा से कब ये ठेके देना वापस बन्द कर दिया गया था ? ये ठेके बन्द किये गये उस आज्ञा की प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जावे ।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान के कोने कोने में ऐसे ठेके देने के विरुद्ध जनता हो गई थी और प्रबल जन विरोध के फलस्वरूप सरकार ने यह ठेके देने बन्द किये थे ?

(3) क्या यह सही है कि अब बाली जिला पाली म फिर से य ठेके नीलाम हुए हैं और ठेकेदार नाना भांति से जनता को परेशान करने लगे हैं ?

(4) बाली की नदी की रेती का ठेका किसे व कितने रुपयों में दिया गया है यह ठेका अकेले बाली नदी का दिया गया है अथवा किसी बड़े ठेके के अन्तर्गत बाली नदी का ठेका है ? किसी बड़े ठेके में शामिल ही बाली नदी की रेती का ठेका है, तो वह पूरा ठेका कितने क्षेत्रफल का है ?

(5) रेती के ठेके अब पुनः क्यों प्रारम्भ किये गये हैं ?

(6) क्या इन ठेकों को सरकार बन्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री भीमसेन) : (1) नदियों की रेत के ठेके पहले दिये जाते थे लेकिन राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक 7-10-64, 24-9-65 व 17-7-68 द्वारा बन्द कर दिये गये ।

ऐसे ठेके देने की प्रथा राजस्थान बनने से पहले से चली आ रही थी और उपरोक्त आज्ञाओं द्वारा इनको बन्द किये गये । आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) कुछ प्रार्थना-पत्र अवश्य आये थे । राज्य सरकार ने बन्द करने का निर्णय किया अतः वैसे आदेश दिये गये ।

(3) अभी कोई स्वीकृति नहीं दी गई है ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

(5) प्रश्न नहीं उठता ।

(6) पुनः ठेके दिये जायें या नहीं यह विचाराधीन है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री फूलचन्द बाफना । अध्यक्ष महोदय, बाली से मेरे पास यह पत्र है । दो हजार में ठेके दिये हैं । पत्र पर विश्वास किया जाय या नहीं लेकिन मेरे पास ठेकेदार की रसीदें हैं । दो नमूने उसके मैं पेश करता हूं । ऐसे कई शहरों में ठेके दिये गये हैं । आप जांच पड़ताल करके उचित कार्यवाही करें ।

Page No 6

श्री भीमसेन : कब दिये गये ?

श्री फूलचन्द बाफना : 4-2-69 और 4-12-68 की रसीदें हैं मेरे पास।

खनिज मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : ऐसा भी हो सकता है कि पुराने ठेके दिये हों और उनकी मयाद खत्म नहीं हुई हो। इन आदेशों के अनुसार नये ठेके नहीं दिये जाते हैं। पांच साल का ठेका चल रहा है तो कानून के अनुसार उसको बन्द नहीं कर सकते। मयाद खत्म होगी तो वे समाप्त हो जावेंगे।

श्री फूलचन्द बाफना : मैंने दो रसीदें पेश की हैं। कानूनी हैं तो मुझे ऐतराज नहीं है और यदि गैर कानूनी है तो दूसरी बात है।

श्री हरिदेव जोशी : वाजिब है। आप इनको मुझे दे दीजिये। मैं इनकी जांच कराऊंगा

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री नथमल चौहला।

तहसील लक्ष्मणगढ़ एवं फतेहपुर में भूमि का अलॉटमेन्ट

31. **श्री नथमल चौहला** (लक्ष्मणगढ़ सु०) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिला अन्तर्गत तहसील लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर में काबिल अलॉट जमीन कितनी बीघा थी जिसमें से कितनी बीघा अलॉट हुई और शेष कितनी बची ?

(2) पंचायतवाइज किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी भूमि अलॉट हुई है और उसमें से हरिजनों को कितनी व अन्य लोगों को कितनी ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों तहसीलों में नाकाबिल अलॉट भूमि किस्म जमीन बंजड़ जोहड़ भी अलॉट की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार किस्म जमीन बंजड़ जोहड़ जो नाकाबिल अलाट थी और जिसको सम्बन्धित तहसीलदारों ने फर्जी रिपोर्ट बनवा कर अलॉट की है, उसकी जांच करवाकर अलॉटमेन्ट रद्द करने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) सीकर जिले की तहसील फतहपुर में अप्रेल, सन् 1967 में 1661 बीघा 8 बिस्वा भूमि काबिल अलॉटमेन्ट थी जिसमें से 585 बीघा 12 बिस्वा भूमि अलॉट हुई। शेष भूमि 1,075 बीघा 16 बिस्वा रही। तहसील लक्ष्मणगढ़ में सन् 1964 में काबिल अलॉटमेन्ट भूमि 2,493 बीघा 7 बिस्वा थी जिसमें से 1,747 बीघा 14 बिस्वा भूमि अलॉट की गई व 745 बीघा 13 बिस्वा भूमि शेष रही।

(2) तहसील फतहपुर में कुल 585 बीघा 12 बिस्वा भूमि अलॉट हुई इस में से 139 बीघा 10 बिस्वा भूमि हरिजनों को दी गई व शेष 446 बीघा राजस्व भूमि अन्य व्यक्तियों को अलॉट की गई। तहसील लक्ष्मणगढ़ में कुल आवंटित भूमि 1,747 बीघा 14 बिस्वा में से 267 बीघा 13 बिस्वा हरिजनों को व शेष 1,480 बीघा

(श्री गंगाराम चौधरी)

भूमि अन्य व्यक्तियों को अलॉट हुई । सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) तहसील फतहपुर में सन् 1963 में जो 258 बीघा 16 बिस्वा भूमि अलॉट की गई थी वह बंजड़ जोहड़ थी । सन् 1967 व 68 में जो भूमि अलॉट की गई थी उसकी किस्म तब्दील की जा चुकी थी तहसील लक्ष्मणगढ़ में 403 बीघा 4 बिस्वा भूमि बंजड़ जोहड़ अलॉट की गई । बंजड़ जोहड़ अलॉट करने का कारण यह था कि यह भूमि काश्त किये जाने काबिल थी ।

(4) तहसीलदारों ने फर्जी रिपोर्ट बनाकर अर्थात् फर्जी किस्म बतला कर अलाटमेन्ट नहीं किया है । बंजड़ जोहड़ बतलाकर व मानकर ही अलॉटमेन्ट किया गया है ।

(5) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नथमल चौहला : क्या यह सही है कि जो हरिजनों को दी गयी जमीन है उसमें से एक बीघा पर भी काश्त नहीं कर रहे हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस बात की सूचना है कि उनको जमीन अलॉट कर दी गई और उनको कब्जा दे दिया गया ।

श्री नथमल चौहला : जांच करने का आश्वासन देंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : ऐसी रिपोर्ट पेश नहीं हुई है कि काश्त नहीं कर रहे हैं ।

श्री नथमल चौहला : रिपोर्ट मैं दूंगा ।

श्री गंगाराम चौधरी : जांच करवा ली जावेगी ।

श्री नथमल चौहला : क्या यह सही है कि अन्य लोगों को जमीन दी गयी है वे भूमिहीन नहीं हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस प्रश्न की सूचना नहीं है । जो भूमि पाने के अधिकारी थे उनको दी गई है ।

श्री नथमल चौहला : एक भी भूमिहीन को नहीं दी गयी है । नाबालिगों को दे दी गई है । बीस-बीस हजार रुपये का गबन हुआ है ।

श्री गंगाराम चौधरी : 64 से आवंटन हुआ है । न तो अपील दायर हुई और न ही रिवीजन हुआ ।

श्री नथमल चौहला : अपील भी है । 425 बीघा की ।

श्री अध्यक्ष : ओर्डर, ओर्डर । नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या 32

श्री दुर्गालाल बाड़दार

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बालसिंह सोढ़ा ।

नगरपालिका, जसलमेर

33. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जैसलमेर की नगरपालिका किस श्रेणी की नगरपालिका है ?

(श्री बालसिंह सोढा)

(2) क्या यह सही नहीं है कि जो श्रेणी अभी है वह श्रेणी नगरपालिका का स्तर देखते हुए नीची आंकी गई है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ? जब कि अपग्रेड करने की सब शर्तें जैसलमेर नगरपालिका पूरी करती हैं तो उसको ऊंची श्रेणी में परिवर्तित क्यों नहीं किया गया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भीखाभाई) : (1) चतुर्थ श्रेणी में है।

(2) नगरपालिकाओं का श्रेणियों में वर्गीकरण 1963 में किया गया था। उस समय की नीति के अनुसार जैसलमेर को जो श्रेणी दी गई थी ठीक दी गई थी। अन्य नगरपालिकाओं के साथ जैसलमेर की श्रेणी का पुनः वर्गीकरण से संबंधित मामला विचाराधीन है और जल्दी ही फैसला किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री वृद्धिचन्द जैन।

गोचर भूमि पर काश्त करने वालों की फसल की कुर्की।

34. **श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गोचर भूमि में काश्त करने वालों की फसल को तहसीलदार द्वारा कुर्क करने व मवेशी चराने के आदेश सरकार द्वारा जारी हुए थे ?

(2) उक्त आदेश की बाड़मेर जिले में किन-किन स्थानों पर अनुपालना की गई और किन-किन में नहीं की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त आदेश की जिन स्थानों में अनुपालना नहीं की गई उसके क्या कारण थे ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां।

(2) इस आदेश की बाड़मेर जिले के ग्राम सिणधारी के अलावा पूर्ण पालना की गई है।

(3) केवल ग्राम सिणधारी, तहसील बाड़मेर में गोचर भूमि काश्त करने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है जिसके लिये स्थगन आदेश भी हैं। सम्वत् 2025 में अकाल की स्थिति के कारण कार्यवाही का प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अब प्रश्न यह है कि उक्त आदेश के अनुपालन के लिये राज्य सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया है सब जगह पालना हुई है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : क्या इनको नीलाम करके पालना हुई है ?

श्री गंगाराम चौधरी : सरक्युलर की जैसी मंशा है, हुई है। इस वक्त विस्तृत विवरण नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : प्रश्न यह है कि किस प्रकार अनुपालना हुई है। किस प्रकार से ? क्या केसेज चलाये गये ?

श्री गंगाराम चौधरी : राज्य सरकार के ऐसे आदेश थे कि चरागाह में जो काश्त नाजायज तौर से कर ले उसकी फसल कुर्क कर ली जाय। इस मंशा के अनुसार पालना हुई है ?

श्री नाथूराम करौल (जमवा रामगढ़) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो इस साल चरागाहों में काश्त कर रहे हैं उनके लिये भी ये आदेश जारी रहेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी : इस वर्ष के लिय कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी इस पर विचार नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सुमेरपुर पावर हाउस

35. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सुमेरपुर पावर हाउस को बिजली कहां-कहां से उपलब्ध की जाती है?

(2) इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत् की पूरी मात्रा नहीं मिलने सम्बन्धी विभाग के पास कोई शिकायत है क्या? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) क्या यह सही है कि सुमेरपुर पावर हाउस के इंजिन काफी समय से बंद पड़े हुए हैं? यदि हां, तो इन्हें चालू करके विद्युत की कमी की शिकायत को मिटाया जा सकता है या नहीं?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह): (1) सुमेरपुर पावर हाउस बन्द है अस्तु समेरपुर पावर हाउस को विद्युत् उपलब्ध कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जहां तक सुमेरपुर क्षेत्र का सम्बन्ध हैं अधिकतर फालना विद्युत् गृह से विद्युत् उपलब्ध कराई जाती है। कभी कभी चम्बल विद्युत् भी उपलब्ध की जाती है।

(2) जहां तक उपभोक्ताओं को पूरी मात्रा में विद्युत् देने का प्रश्न है इस प्रकार की कोई शिकायत दृष्टि में नहीं है। कभी-कभी लाइनों में खराबी होने के कारण विद्युत् बन्द हो जाती है और इन्टरप्शन होती है। इन शिकायतों को दूर करने के लिये लाइनों पर पेट्रोलिंग किया जाता है। जहां-जहां नई लाईनें निकलती हैं वहां जी० ओ० स्विच लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(3) जी हां, सुमेरपुर पावर हाउस बन्द है। प्रथम तो फालना पावर हाउस के इंजिन क्षेत्र सुमेरपुर क्षेत्र का लोड उठाने में सक्षम हैं। साथ ही पाली से फालना को चम्बल विद्युत् सप्लाई की जा रही और इस विद्युत् को जालोर एवं रानी फीडर में दिया जा रहा है। इस कारण भी सुमेरपुर क्षेत्र में फालना पावर हाउस के एंजिन से आवश्यकतानुसार पूरी मात्रा में विद्युत् दी जाना सम्भव है इसलिये सुमेरपुर पावर हाउस को चालू करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री पृथ्वीसिंह : मन्त्री महोदय ने यह नहीं बताया कि सरकार के पास ऐसी शिकायतें उपलब्ध नहीं हैं। क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछूं कि वहां के कृषि समाज के अध्यक्ष ने सन् 63 से लगाकर 1968 तक सैंकड़ों रुपयों के तार, टेलीग्राम और रजिस्टर्ड लेटर और तरह-तरह की शिकायतें लिख कर उन्होंने भेजी हैं और उनके ऊपर आपने क्या इन्क्वायरी की हैं और उनका क्या कर रहे हैं?

श्री खेतसिंह : मैंने जैसा कि जबाब दिया है उसको आप ठीक तरह से सुनते तो यह प्रश्न करने की कष्ट नहीं करना पड़ता। मेरे मत में एसी कोई शिकायत नहीं है कि

(श्री खेतसिंह)

किसी ने 5 एच० पी० का कनेक्शन मांगा हो और वह नहीं दिया गया हो । यह शिकायत जरूर है कि इन्ट्रप्शन होता है, कभी-कभी ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे उनकी मोटरें जल जाती हैं । इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि किसी ने इस मात्रा में कनेक्शन मांगा हो या 10 एच० पी० का कनेक्शन मांगा हो और हमने उसे 5 एच० पी० का कनेक्शन दिया हो ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): मोटरें क्यों जलती हैं ?

श्री पृथ्वीसिंह: शिकायतें दूर करने के लिये क्या व्यवस्था की है ?

श्री खेतसिंह: वोल्टेज कम होने की वजह से ऐसा होता है । चूंकि पावर हाउस पर लोड ज्यादा ह और मांग भी ज्यादा है, इसलिये ऐसा होता है । भविष्य में चूंकि चम्बल की विद्युत आ गई है तो मैं समझता हूं कि इस तरह की शिकायतें हमें नहीं मिलेंगी ।

श्री पृथ्वीसिंह: चम्बल का करेन्ट परमानेन्टली फ्लो नहीं कर रहा है । फालना में इंजिन नहीं है और सफीशियेन्ट मात्रा में बिजली देने में अक्षम है । इसके लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री खेतसिंह: मैंने तो यह कहा है कि फालना में जो इंजिन हैं वह सुमेरपुर क्षेत्र में बिजली देने में सक्षम है ।

श्री पृथ्वीसिंह: अध्यक्ष महोदय, ब्रेक डाउन होता है, करन्ट का फ्लो रेगुलर नहीं है । लोगों की फसल, मोटरें जल जाती हैं । तरह-तरह की शिकायतें हैं । उनको दूर करने के लिये क्या व्यवस्था की है ?

श्री खेतसिंह: जैसा कि आपने कहा है कि ये शिकायतें पुरानी हैं । जब से चम्बल की विद्युत आ गई है शिकायतें दूर हुई हैं और 66 के० वी० लाइन पर चार्ज होने के बाद यह शिकायत बिल्कुल नहीं रहेगी ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट । राजस्व मंत्री महोदय ।

श्री पृथ्वीसिंह: अध्यक्ष महोदय, तीन इंजिन बेकार पड़े हुए हैं, उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है । सरकार का इस बारे में कोई निर्देश नहीं है और वे बेकार पड़े 2 जंक खा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट ।

तहसील दूदू में खातेदारी की जमीन का भू-राजस्व

36. **श्री मुन्नालाल चौधरी (दूदू):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या हनुमानप्रसाद पारीक, सरपंच, पंचायत बिचून के ग्राम बिचून व सीतारामपुरा, तहसील दूदू में खातेदारी की जमीन है ? अगर है, तो कितनी भूमि है और इनका क्रम से सालाना क्या लगान है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने इनसे व इनके भाईयों, चचा से लगातार 10 साल का दोनों ग्रामों का भू-राजस्व नहीं लिया है ? अगर हां, तो इनमें कुल कितना लगान बाकी है ?

(श्री मुन्नालाल चौधरी)

(3) क्या यह भी सही है कि इन्होंने तहसील डूंडू, पंचायत समिति डूंडू व ग्राम सेवा सहकारी समिति, बिचून से तकावी ली है और वह भी आज तक जमा नहीं करायी ? अगर जमा करायी है तो कितने रुपये जमा हुए और कितने बाकी हैं ?

(4) इनसे सरकारी रुपया किस वजह से नहीं लिया गया है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) श्री हनुमान प्रसाद पारीक, सरपंच, पंचायत बिचून के खातेदारी में ग्राम बिचून में कोई जमीन खातेदारी की नहीं है बल्कि ग्राम सीतारामपुरा में इन्हीं सरपंच व बालुराम पुत्र सांवलराम ब्राह्मण के खातेदारी में 75) ।। बीघा जमीन है इसका लगान 56.66 पैसे व पंचायत कर 3.83 कुल 60.49 है।

(2) यह सही नहीं है कि तहसील में इनके भाइयों व चाचा से लगान वसूल करने की कार्यवाही न की हो परन्तु इनके द्वारा लगान की राशि जमा नहीं कराने की अवस्था में श्री हनुमान प्रसाद के चचा श्री नारायण पुत्र रामनाथ के जिम्मे सम्वत् 2018 से 24 तक 447.99 तथा श्री शिवदयाल शर्मा के जिम्मे सम्वत् 2019 से 24 तक 82.08 बकाया है . बाकी निकल रहे हैं। श्री हनुमान प्रसाद व बालुराम, ग्राम सीतारामपुरा के जिम्मे सम्वत् 2015 से 2025 तक 608.65 लगान के बाकी हैं। इस प्रकार कुल लगान जो बाकी है वह 1,138.72 पैसे हैं।

(3) इन्होंने तहसील डूंडू से कोई तकावी नहीं ली है। पंचायत समिति से 1,000) रुपये तकावी के प्राप्त किये हैं। अभी तक किस्तों का पैसा जमा नहीं कराया है। ग्राम सेवा सहकारी समिति, बिचून से तकावी ली अथवा नहीं इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है।

(4) सम्वत् 2022 व 2023 में अकाल की स्थिति रहने के कारण वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी गई थी। सम्वत् 2024 में बकाया राशि वसूल करने हेतु नोटिस दिये गये थे तथा नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मुन्नालाल चौधरी: जो बकाया है उस सम्बन्ध में क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि तहसील डूंडू में कौन-कौन से सम्वत् में वहां अकाल पड़ा है ?

श्री गंगाराम चौधरी: यह भूमि माफी की थी और माफीदार, जागीरदारों से लगान की वसूली तब की जायगी जब तक की मुआवजा की पहली किस्त न मिल चुकी हो वे अपना लगान जमा नहीं करायेंगे। इसके बाद राज्य सरकार ने ये आर्डर विदड्रा कर लिये। सम्वत् 2025 में नोटिस निकला था परन्तु अकाल आ गया। संवत् 2024 अच्छा वर्ष था इसमें वसूली का नोटिस निकाला गया। इसको तामील भी कराया परन्तु 2025 में फिर अकाल घोषित कर दिया गया इसलिये वसूलियां न हो सकीं। अब यह सैशन का पीरियड समाप्त हो जायेगा, वसूली की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री मुन्नालाल चौधरी: तकावी की किस्त अभी तक जमा नहीं करायी है, इसका क्या कारण है ?

श्री गंगाराम चौधरी : तकावी का संबंध पंचायत समिति से है। राजस्व विभाग के पास व तकावी की वसूली का जो हिसाब आता है वह पंचायत समिति से आता है और तब ही वसूली की कार्यवाही की जा सकती है।

श्री सुआलाल चौधरी : आपने जवाब में यह बताया कि यह जागीर की जमीन थी। यह सही नहीं है। यह जागीर नहीं थी, खालसा का गांव था और खालसा की जमीन है और इसका 10 साल से लगान बकाया है। इसका एक ही कारण है कि वे मण्डल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इसी लिय दस साल से लगान नहीं लिया जा रहा है। यह सही बात है और मैं इसको चैलेन्ज के साथ कहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सरदार शहर की चुंगी चौकी में गबन

37. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका सरदार शहर की स्टेशन वाली चुंगी चौकी में काफी बड़ी रकम के गबन का मामला पकड़ा गया है ?

(2) यदि हां, तो कितनी रकम का, किस प्रकार किस-किस ने कब से कब तक गबन किया है ?

(3) यह मामला कब पकड़ा गया और उसके बाद क्या कार्यवाही की गई ? क्या केस पुलिस को दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या जिन वर्षों में गबन किया गया है उन वर्षों का और गबन करने वालों के कार्य-काल के हिसाब का विशेष विस्तृत ऑडिट करवा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या यह सही है कि इस चुंगी चौकी में बोर्ड के भूतपूर्व श्री मोहनलाल वकील रतनगढ़ से सरदारशहर आते हैं तब प्रायः ठहरा करते हैं ? क्या इस चुंगी चौकी के नाकेदार रेल्वे दलाली का काम भी करते हैं और पालिका के राजस्व अधिकारी और टैक्स इन्सपेक्टर ने निरीक्षण में इसकी आपत्ति की है ?

(6) क्या यह सही है कि नगरपालिका प्रशासन ने चुंगी चौकी के नाकेदार को गबन पकड़ा जाने से पूर्व अनुचित और असमाजिक तत्वों की चुंगी चौकी में ठहराने के लिये कोई नोटिस दिया था ? यदि हां, तो क्यों ? उसकी प्रति सदन की मेज पर रखी जाय। यह भी बतलाया जाये उस नोटिस देने का क्या आधार था ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री भीखा भाई) : (1) जी हां।

(2) वर्ष 65-66 से दिसम्बर, 1968 तक 7,612.50 पैसे का चुंगी नाकेदार सर्व श्री अकबर अली, महावीर प्रसाद व फुसराज द्वारा चुंगी दर व वजन कम दिखाकर गबन किया गया बताया जाता है।

(3) दिनांक 30-11-68 को। जिलाधीश की मार्फत जांच करवाई गई। मामला पुलिस में देने हेतु आदेश दे दिये गये हैं।

(4) विशेष ऑडिट के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(श्री भीखाभाई)

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री दौलतराम सारण : आपने भाग चार और पांच के उत्तर में जी नहीं कहा है। क्या यह सही है कि भूतपूर्व चेयरमेन वहीं ठहरते हैं, ठहरते रहे हैं ? क्या उन्होंने यह नोटिस दिया था और उस नोटिस को फाड़ कर फेंक दिया था ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया है जो विभाग से उत्तर प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर मैंने जानकारी दी। विशेष तथ्य आप बता सकते हैं तो उसके अनुसार जांच करवायेंगे।

श्री दौलतराम सारण: इतना लम्बा समय होने के बाद भी अब तक मामला पुलिस को नहीं दिया गया इसका क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : आदेश दे दिये गये हैं। पुलिस ने प्रशासन से कुछ क्लेरिफिकेशन सॉट किया था वह क्लेरिफिकेशन दे दिया गया और फिर आदेश दे दिया गया कि मुकदमा जल्दी से जल्दी चालान कर दिया जाय। मैं इस बात को देखूंगा कि उनका जल्दी से जल्दी चालान हो जाय।

श्री दौलतराम सारण : आपने गबन कितने का बताया ?

श्री भीखाभाई : 7,612 रु० 50 पैसे का।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि वह पैसा जमा करा दिया गया है ?

श्री भीखाभाई: जी हां।

श्री दौलतराम सारण : यह जो पैसा जमा करा दिया गया वह तो उतने पीरियड का गबन है। उसके आगे के पीरियड में जो उनकी नियुक्ति उसी नाके पर हुई उसमें और भी गबन की संभावना बतायी गई है ?

श्री भीखाभाई : मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया है इसके बारे में स्पेशल नोटिस 25-4-69 को जारी कर दिया गया। अभी तक स्पेशल ऑडिट पार्टी नहीं पहुंची। एक दो दिन में पहुंच जायगी।

श्री दौलतराम सारण : इस गबन का मालूम हुए दस महीने का समय हो गया तब से लेकर अब तक आडिट पार्टी नहीं गयी आपके आदेश देने के बावजूद। आपने मामला पुलिस को नहीं दिया। आपने गबन करीब सात हजार रुपये का बताया जब कि मेरी जानकारी के अनुसार 60 हजार रुपये का गबन है। दो तीन आइटम म्युनिसिपैलिटी के हैं जैसे लकड़ी वालों की चुंगी, इसके अलावा तमाखू, वेजीटेबल्स, मिर्ची आदि के हजारों रुपये का गबन हो रहा है। 176 रुपय की रसीद काटी गई उसमें नीचे की कापी में जो म्युनिसिपैलिटी के पास रहती है 1.76 पैसा बताया गया और 176 रुपये की रसीद मालिकों को दी गई। ये व्यापारियों के दलाल हैं, दलाली भी करते है और चुंगी चौकी के नाकेदार भी वे ही हैं, व्यापारियों की दलाली भी वे ही करते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है कि वे दलाली करते हैं ?

श्री भीखाभाई : मैंने जवाब दिया है उसमें उनका नाम भी बताया है। इस बात का निवेदन करते हुए भी मैं इसकी जांच कराऊंगा। साथ साथ लकड़ी आदि की चोरी

Page No 14

(श्री भीखाभाई)

और अन्य वस्तुओं की चोरी के बारे में भी जांच करवाऊंगा इसीलिये उस चौकी चुंगी के हिसाब-किताब की जांच के लिये स्पेशल ऑडिट पार्टी भेजने के आदेश दिये हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह गबन किस प्रकार से प्रकट हुआ है और यह किस प्रकार का गबन है? क्या 176 रुपये के स्थान पर 1.76 पैसे लिखे गये। 250 रुपयों की जगह 2.50 पैसे लिखे गये या अन्य किसी तरह का गबन था?

श्री भीखाभाई : प्रशासक के ध्यान में 30-11-68 को यह बात आयी उसकी जांच इन्टरनल ऑडिट पार्टी ने की 66, 67, 68 तक के हिसाबात की जांच की उनके देखने के बाद यह गबन पाया गया।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि उसने दरख्वास्त दी कि गबन का पैसा जमा कर लिया जाय, और इसको दबा दिया जाय?

श्री भीखाभाई : पैसा जमा हुआ है यह सही है।

प्रश्न संख्या 38

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री प्रेमसिंह सिंघवी

(अनुपस्थित, कृपया देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

कोटा में राजस्व भूमि पर कारखाना

39. **श्रीकृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर म जे० एन० मार्शल एण्ड कम्पनी व हाइडर इण्डिया लि० का माल गोदाम रोड पर कारखाना है? अगर हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कारखाना राजस्व भमि पर है? अगर हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि सरकार को हस्तान्तरित नहीं हुई है? अगर हां, तो क्यों?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन) : (1) जी हां, जे० एन० मार्शल एण्ड कम्पनी द्वारा 1-3-57 तथा हाइडर इण्डिया कम्पनी द्वारा 1-7-58 को उद्योग स्थापित किया गया है।

(2) जी हां, उनको बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) यह सही है। कम्पनी ने राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 2-2-61 के तहत कोई लीज डीड नहीं भरा है। फर्म के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सन् 57-58 के अन्दर यह उद्योग स्थापित हो गया उसके बाद में बेदखल करने के संबन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की?

उद्योग मन्त्री (श्रीहरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बेदखली की कार्यवाही का सवाल है वह जमीन जिस डिपार्टमेन्ट की है जैसे फोरेस्ट की होती है तो फोरेस्ट वाले, रेवेन्यू की होती है तो रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट वाले कार्यवाही करते हैं। यह जमीन रेवेन्यू विभाग की है उसने क्या कार्यवाही की इसके डिटेल्स मेरे पास में नहीं हैं, डिपार्टमेन्ट ही बेदखली की कार्यवाही करता है। लेकिन इसके साथ साथ में एक बात और

(श्री हरिदेव जोशी)

निवेदन कर दूं इस प्रकार की जो इण्डस्ट्रीज कायम हुई हैं उनके लिये राजस्व विभाग को एतराज नहीं है उस भूमि को इण्डस्ट्री के लिये कनवर्ट करने की कार्यवाही हो रही है और यह प्रयत्न चल रहा है कि उनको बेदखल न करके उनको ही वहां रहने दिया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नियमानुसार उद्योग विभाग को जिस जमीन पर कारखाना चलाना होता है वह जमीन इण्डस्ट्री विभाग को ट्रान्सफर करते हैं और उसके बाद इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट लीज पर देता है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह सही है। जो आदमी उद्योग लगाना चाहता है, उसको इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट से इण्डस्ट्रियल एरिया में जमीन लेनी चाहिये आम तौर पर लेकिन यह जरुरी नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी जमीन पर अपनी इण्डस्ट्री स्टार्ट करता है और वह जमीन प्राइवेट आदमी से लेता है या एग्रीकल्चर लैण्ड पर करता है या रेवेन्यू विभाग की भूमि पर या फोरेस्ट की भूमि पर स्टार्ट करता है तो उसको इण्डस्ट्री के लिये कनवर्ट करा सकता हूँ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या किसी उद्योग को स्थापित करने से पहले उद्योग विभाग को यह बताना आवश्यक होता है कि वह कारखाना कहां लगाता चाहता है ?

श्री हरदेव जोशी : आवश्यक है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो फिर इस उद्योग ने अपना उद्योग स्थापित करने से पहले उद्योग विभाग की सहमति से एग्रीकल्चर लैण्ड पर कारखाना लगाया ? क्या इसकी इजाजत उद्योग विभाग ने दी ?

श्री हरिदेव जोशी : हम इस तरह की पाबन्दी नहीं लगा सकते इण्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिये इण्डस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन जरूरी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आज के समय की आवश्यकता को देखते हुए क्या आप यह जरूरी समझते हैं कि कारखाना किसी भी भूमि पर लगा दिया जाय उसको सरकार मान ले और उसको आबादी में कनवर्ट कर दे जैसा कि दूसरी स्टेट्स में है ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी जहां तक जानकारी है दूसरी स्टेट्स में कनवर्ट करने के तरीके ज्यादा लिबरल हैं बनिस्पत हमारे यहां के। मैं भी इस राय का हूं हमारे यहां भी नियम लिबरल होने चाहिये और इस बारे में हमें लिबरल रहना चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या राज्य सरकार इस संबन्ध में शीघ्र ही निर्णय लेने वाली है किसी भी भूमि पर उद्योग स्थापित कर लिये जांय उस भूमि को आबादी में कनवर्ट कर दिया जायगा ?

श्री हरिदेव जोशी : इण्डस्ट्री की फीस देने के बाद में अपने आप हो जायगी।

श्री दौलतराम सारण : तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी उद्योगपति कहीं भी उद्योग स्थापित कर ले किसी भी जमीन पर कर ले उसको मान लिया जायगा ?

श्री हरिदेव जोशी : हेफहेजर्ड वे में कर ले यह ठीक नहीं है। लेकिन इण्डस्ट्रियेलाइजेशन जरूरी है इसलिये लिनियेन्सी बरती

Page No 16

(श्री हरिदेव जोशी)

जाय, लोगों को उद्योग लगाने के लिये सुविधा दी जाय अगर हम बहुत लम्बे प्रोसेस में जाते हैं तो इसमें देरी होती है और इससे शिकायतें रहती हैं कि राजस्थान के अन्दर उद्योगों के लिये सुविधा नहीं दी जाती इसलिये लिनियेन्सी बरतना जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण तानीवाल ।

भवानी मंडी-डगचौमहला सड़क

40. **श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग सु०) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:— क्या भवानी मंडी से डग तक व डग से चौमहला तक की सड़कों पर अब भी किन्हीं ठेकेदारों द्वारा कार्य होना शेष है ? अगर हां, तो कितना व किन किन का तथा वह कब तक पूरा हो जायगा ? उनको ठेका कब दिया गया था और कार्य अब तक भी क्यों नहीं पूरा हुआ ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : जी हां। केवल शम्भूदान ठेकेदार द्वारा ऊनुवा ब्रिज माइल 39/6 के एप्रोचेज का कार्य होना शेष है यह कार्य प्रगति पर है और 31-10-69 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

इस काय का ठेका दिनांक 1-10-63 को दिया गया था । देरी का मुख्य कारण कम धनराशि का उपलब्ध होना है ।

श्री लक्ष्मण तानीवाल : माननीय मंत्री महोदय यह बतला सकते हैं । मैं सन् 64 से बराबर इस प्रश्न को पूछ रहा हूं । पहले यह कहा गया था कि यह कार्य 68 तक पूरा हो जायगा । लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हुआ । मंत्री महोदय स्वयं दौरा करके आये थे उन्होंने विभाग को भी लिखा कि यह सड़क जल्दी से जल्दी पूरी कर दी जाय ।

श्री माधोसिंह : सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री अध्यक्ष : सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री लक्ष्मण तानीवाल : तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सन् 64 में काम पूरा नहीं हुआ, 65 में जिनके पूरा होने की गारन्टी थी, पर 65 में नहीं हुए पूरे, 66 में पूरे नहीं हुए । 67 में ध्यान आकर्षित कराया फिर भी पूरे नहीं हुए, 68 में पूरे नहीं हुए । 69 में फिर प्रश्न पूछा कि यह अभी तक पूरे नहीं हुए हैं । आज आठ माह पश्चात् भी काम पूरा नहीं हुआ । यह काम करने की पद्धति है । इसका क्या कारण है ? क्यों नहीं पूरे हुए ? इसमें स्पष्टीकरण करें ।

श्री माधोसिंह : ब्रिज का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ । सड़क का काम पूरा हो चुका है । स्पेशल रिपेयर टुकड़ों में हो रही है । अलग अलग ठेके दिये हुए हैं । काम चालू है ।

श्री भरोंसिंह : ठेकेदार ने एग्रीमेन्ट के अनुसार काम किया है ?

श्री माधोसिंह : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एग्रीमेन्ट में कितने दिनों में काम पूरा हो जाना चाहिये था ?

श्री माधोसिंह : इस सड़क का काम पूरा हो चुका है । दूसरी तीसरी प्लान में 3.1 मील और होना था वह भी पूरा हो चुका है ।

श्री भैरोंसिंह : कितने वर्ष में ठेकों का काम कम्पलीट होना चाहिये था और वास्तव कितने दिनों में पूरा हुआ।

श्री माधोसिंह : इसके लिये देख कर बता दूंगा ?

श्री भैरोंसिंह : फिर किस हालत में आप यह कहते हैं कि ठेकेदारों ने कोई एग्रीमेन्ट के रूल्स का वायोलेशन नहीं किया ?

श्री माधोसिंह : हमारे पास जो सूचना है वह अर्ज कर दी।

श्री भैरोंसिंह : आप के पास जो सूचना है, जो सूचना आपको मिली है वह अधिकृत है या उसमें फिर कोई हेर फेर करने की आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष : इस मामले में सूचना ही नहीं मिली है।

श्री माधोसिंह : इसकी फिर से जांच करा ली जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

ग्राम उदयरामसर में भूतपूर्व जागीरदारों द्वारा भूमि पर कब्जे

41. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा सु०): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर में बहुत सारी जमीन भूतपूर्व जागीरदारों के कब्जे में ग़ैर कानूनी है यदि हां, तो ऐसी भूमि कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम उदयरामसर के भूतपूर्व जागीरदारों को जागीर का उचित मुआवजा देने के पश्चात भी सरकार ने जागीर की भूमि भूमिहीन कृषकों को एवं हरिजनों को आवंटित नहीं की ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उदयरामसर की उक्त भूमि पर से भूतपूर्व जागीरदारों का नाजायज कब्जा हटवाकर उसे भूमिहीन कृषकों को आवंटित करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम उदयरामसर में बहुत सी ऐसी भूमि बेकार अथवा बिना काश्त पड़ी है जिसे गोचर अथवा जोड़ बीड़ करार दिया गया है ? अगर हां, तो कितनी भूमि है ? उसे भूमिहीन काश्तकारों को नियमानुसार गोचर के लिए छोड़कर कब आवंटित की जाएगी ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) :

(1) जी नहीं।

(2) ऐसी भूमि का मुआवजा जागीरदार की हैसियत से सब जागीरदारान को दे दिया गया है। उक्त भूमि को अब तक अलॉट नहीं किया गया क्योंकि इस रकबे को लेने को दरख्वास्त ही पेश नहीं हुई है।

(3) भूतपूर्व जागीरदारान का कब्जा हटा दिया गया है व भूमिहीन व्यक्तियों को उनके आवेदन पत्र पेश करने पर अलॉट की जावेगी।

(4) ग्राम उदयरामसर में 5,251) 1 धाबी भूमि और न गुसांईजी महाराज के नाम से छोड़ी हुई है जिसमें पशु चरते हैं। यह भूमि अलॉट करने योग्य नहीं है तथा कागजात पटवार में और न भूमि दर्ज है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, यह जो भूमि कब्जे से ली ह जागीरदारों से उसका क्षेत्रफल क्या था, प्रश्न एक के उत्तर में जो आपने बताया था?

श्री गंगाराम चौधरी : 5,561 बीघा 13 बिस्वा भूमि।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कितने अरसे से कब्जे में थी?

श्री गंगाराम चौध री : 62 में लिया था जागीरदार से। तब से गैर कब्जे में थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 12 वर्ष तक 51 में यह रिज्यूम हुई तब से इतने वर्षों तक इसके कब्जे से नहीं लेने का क्या कारण हैं?

श्री गंगाराम चौधरी : 51 में रिज्यूम नहीं हुई है। यह 56 में रिज्यूम हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो सात साल भी क्यों रही गैर कानूनी कब्जे में? 5।। हजार बीघा जमीन जब कि भूमिहीन एक एक बीघा को तरसते हैं?

श्री गंगाराम चौधरी : रिकार्ड में मकबूल जागीर दर्ज थी उसके सम्बन्ध में कुछ शंका थी जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने बाद में आदेश दिया कि मकबूजा जागीर मकबूजा सरकार समझी जावे।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

विशाखापट्टम में जस्ता संयंत्र का प्रस्ताव

42. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार जयपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विशाखापट्टम में केन्द्रीय सरकार द्वारा जस्ता संयंत्र (जिन्क स्मेल्टर) स्थापित करने के प्रस्ताव का राज्य सरकार द्वारा बहुत कड़ा विरोध किया गया? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि राज्य के मुख्य मंत्री महोदय ने केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में पत्र लिखकर जो मांग की थी उसको केन्द्रीय सरकार ने ठुकरा दिया?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन): (1) जी हां। (2) जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विशाखापटटम में संयत्र लगाने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने विरोध प्रकट किया था इसके सम्बन्ध में प्रश्न के भाग 2 में कहा कि आपकी मांग को स्वीकार कर लिया गया है क्या तो आपने उत्तर दिया 'नहीं'। तो आपने क्या भारत सरकार के इस रुख का विरोध किया या नहीं?

श्री हरिदेव जोशी : विरोध करने न करने का सवाल नहीं है। राजस्थान में जिक और लैड का काफी बड़ा डिपोजिट है इसलिए राजस्थान की यह मांग रही है कि जब तक उनका पूरा उपयोग नहीं हो जाता है तब तक और कहीं दूसरा कारखाना नहीं लगाया जाना चाहिये। इस विषय में जब भारत सरकार को लिखा तो यह बतलाया गया कि अभी भी प्रेजेन्ट स्मेल्टर है वह 18 हजार टन की कपेसिटी का है, फोर्थ

Page No 19

(श्री हरिदेव जोशी)

फाइव ईयर प्लान में उसे डबल किया जा रहा है और भी आगे इसको और बढ़ाया जावेगा। इसके बावजूद भी कन्ट्री की नैसेसिटी कई गुना ज्यादा है इसलिये हम एक वर्ष, दो वर्ष, चार वर्ष नहीं, बल्कि आगे आनेवाले वर्षों में निरन्तर कुछ कन्सेंट्रेट इम्पोर्ट करते रहना होगा। ऐसी सूरत में इन इम्पोर्टेड कन्सेन्ट्रेट के लिये कारखाना ऐसी जगह पर होना चाहिये जो कि समुद्र के किनारे पर हो। इस लिहाज से जहां तक राजस्थान के अन्दर जो और है उसको यूज करने का प्रश्न है वह तो फुल्ली यहां पर ही यूज किया जावे और इसके लिये एफर्ट्स चलते ही रहे हैं और आगे भी चलते ही रहेंगे। दूसरी तरफ देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये इम्पोर्टेड कन्सेन्ट्रेट के लिये दूसरा कारखाना चाहे विजखापट्टम में हो उसे पूरा करने के लिये एक स्मेल्टर और बनाया जावे। यह भारत सरकार का सोचना है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि भारत सरकार ने जो स्थिति बताई उसे राजस्थान सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं समझा नहीं।

श्री भैरोंसिंह : भारत सरकार ने आप की मांग पर इस प्रकार की स्थिति बताई क्या उस स्थिति से आपने सन्तोष कर लिया है ?

श्री हरिदेव जोशी : सन्तोष असन्तोष का प्रश्न नहीं है। यह तो फेक्ट का प्रश्न है। हम यह चाहते हैं कि जो कन्सेन्ट्रेट की कैपेसिटी हमारी माइन्स की है, जो हमारे डिपोजिट्स हैं उनमें......

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन सीधा सा है। सदन का समय जा रहा है, मैं आपसे कोई लम्बा एक्सप्लेनेशन नहीं चाह रहा हूं। इतना पूछ रहा हूं कि जो कन्टेन्शन भारत सरकार का था उसके सम्बन्ध में आपका क्या रिएक्शन है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं रिएक्शन ही बता रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि भारत सरकार से हमारा आग्रह यह है कि हमारे यहां जो डिपोजिट्स हैं उनको फुल्ली एक्सप्लोइट किया जाना चाहिये। हमारा यह भी कहना है कि अब तक जो डिपोजिट्स यहां पर हैं उसको फुल्ली एक्स्प्लोइट नहीं किया गया है इसलिये पहले यह किया जाना चाहिए। भारत सरकार का कहना है कि इसको पूरी तरह से डवलप करने में पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। पर कन्ट्री की नीड भी इसके साथ-साथ 72/74 में 140 हजार टन की हो जावेगी। इसको पूरा करने के लिये कोई न कोई एफर्ट्स फिर किये जाने चाहिये। इसके लिये हमें अगले आने वाले कई वर्षों तक इम्पोर्टेड कन्सेन्ट्रेट पर निर्भर रहना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न तो फिर बाकी रह गया। मैं यह उत्तर चाहता हूं कि जो कुछ भी भारत सरकार ने कहा उससे राजस्थान की सरकार सन्तुष्ट है या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान सरकार ने यह कहा कि जो एफर्ट्स किये जा रहे हैं वे काफी नहीं हैं। उनको एक्सपीडाइट किया जाना चाहिये। इसे डबल करने की

Page No 20

(श्री हरिदेव जोशी)

. . . . . .

जरूरत हो तो डबल किया जावे, ट्रिबल करने की जरूरत हो तो वह किया जाना चाहिये और अगर और भी ज्यादा स्मेल्टर लगाने की जरूरत हो तो यहां पर लगाया जाना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि विशाखापट्टम में जो संयन्त्र लगाया जा रहा है उससे राजस्थान की कोई हानि नहीं होने वाली है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह हानि और लाभ का प्रश्न नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : चीफ मिनिस्टर ने लेटर लिखा है, प्रेस स्टेटमेन्ट दिया है कि इससे राजस्थान का नुकसान होगा ।

श्री हरिदेव जोशी: यह लिख कर चीफ मिनिस्टर ने कोई बुरा नहीं किया है । राजस्थान में हम इण्डस्ट्रियेलाइजेशन के लिये मांग करते हैं तो उसे किसी तरह अनजस्टिफाइड नहीं मानते । और मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्य भी इसे अन्जस्टिफाइड नहीं मानेंगे । अब मैंने गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया की जो आर्गूमेन्ट्स थीं, वे आपके सामने रख दीं ।

श्री भैरोंसिंह : यही तो मैं कहता हूं कि क्या ये आर्गुमेन्टस राजस्थान सरकार को मंजूर हैं ?

श्री हरिदेव जोशी: मैंने कहा उनका भी यह कन्टेंशन है कि इस वर्तमान संयन्त्र को डबल करना पड़े तो डबल किया जावे, त्रिपल करना पड़े तो त्रिपल किया जावे, माइनिंग की कैपेसिटी बढ़ाना जरूरी हो तो वह बढ़ाई जावे, जितनी जल्दी हो सके, बढ़ाई जावे और राजस्थान में ही इसका सारा ओर काम में लिया जावे चाहे उसके लिये दुगुनी तिगुनी कैपेसिटी संयन्त्र की करनी पड़े ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन है । राजस्थान सरकार ने विशाखापट्टम में इस प्रकार का कारखाना खोले जाने का विरोध किया था तो क्या राजस्थान सरकार अपनी उसी पोजीशन पर स्टेन्ड करती है या उससे बैक आउट किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : बैक आउट करने का क्या कारण है ? हम तो अपनी माइन्स की कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज करने की बात को प्रेस कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि हम भी यही चाह रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान का इस पर क्या रिएक्शन है ?

श्री हरिदेव जोशी : अगर यहां से राजस्थान से ओर ले जाकर वहां पर संयन्त्र खोला जाता है तो यह गलत है । उन्होंने कहा कि यहां से ओर वहां लेजाकर नहीं करना चाहते । वहां तो इम्पोर्टेड कन्सेन्ट्रेट के आधार पर खोलना चाहते हैं ताकि देश की आवश्यकता को पूरी किया जा सके । यहां के ओर से एक वर्ष तक नहीं, अगले कई वर्षों तक निरन्तर प्रयास करने पर भी देश की नीड पूरी नहीं कर सकते । ऐसी हालत में एक वर्ष नहीं, अगले कई वर्षों तक निरन्तर इम्पोर्टेड कन्सेन्ट्रेट पर निर्भर करते रहना पड़ेगा और इसलिये इसके लिये कहीं समुन्द्र के किनारे पर ही संयन्त्र खोलना पड़ेगा ताकि कॉस्ट कम आवे ।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार ने जो कहा उससे आपने एग्री किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया कि हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि राजस्थान का जो यहां पर और है, राजस्थान में ही उसको फुल्ली यूटिलाइज करने के लिये एक्सपीडिशसली काम किया जाना चाहिये। पर हम यह नहीं कर सकते हैं कि इम्पोर्टेड कन्सेन्ट्रेट की अगर केन्द्रीय सरकार बात करती है तो नहीं लगाया जावे। हमने यह भी कहा है और मैं समझता हूं कि दोनों लगे रहें। इम्पोर्टेड कन्सेन्ट्रेट का भी लगे ताकि देश की नीड पूरी की जा सके। पर राजस्थान में जो राजस्थान का अपना कन्सेन्ट्रेट और है उसको पूरा का पूरा राजस्थान में ही यूटिलाइज करने का पूरा प्रयत्न किया जावे और इसके लिए यहां संयन्त्र की पूरी कैपेसिटी बढ़ाई जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या राजस्थान सरकार का विरोध केवल इसी आधार पर था कि राजस्थान का और ले जाकर विशाखापट्टम में संयन्त्र नहीं लगाया जावे।

श्री हरिदेव जोशी : उस स तक यह सूचना नहीं थी कि विशाख ्टम में जो जस्ता संयन्त्र लगाया जा रहा है वह इम्पोर्टेड के आधार पर है। हमारी डिपोजिट्स यही थी। यही अन्दाज था कि एक यहां है और एक वहां लगाना चाहिये। रा मेटिरियल यहां पर है इसलिए ज्यादा खर्चीला पड़ता है। कन्ट्री में 18 हजार की कैपेसिटि थी फोर्थ फाईव ईयर प्लान में 54 हजार की होगी कुल कन्ट्री की नैसेसिटि 1·40 लाख की होगी। हम बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट करने लगेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार को उस समय मालूम नहीं था कि इम्पोर्ट करने के बाद विशाखापट्टम में लगाना है और लगाया जा रहा है। राजस्थान की सरकार इस भरोसे में थी कि राजस्थान म इम्पोर्ट करके बाहर से लायेंगे। आपका यह वक्तव्य गलत है। मैं आपका ध्यान मुख्य मंत्रीजी के स्टेटमेन्ट की ओर दिलाना चाहता हूं—मुख्य मंत्री, मोहन लाल सुखाड़िया ने प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी, उप-प्रधान मंत्री, मोरारजी देसाई, आयोजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री डी० आर० गाडगिल तथा केन्द्रीय खनिज मंत्री को एक पत्र लिख कर कहा है कि विशाखापट्टम, जहां पर कच्चा माल उपलब्ध नहीं है तथा आयातित जस्ते के आधार पर संयन्त्र को चलाना पड़ेगा वहां पर उसे स्थापित करना नितान्त गलत होगा। सुखाड़ियाजी ने कहा बताते हैं कि हमारा यह मुख्य ध्येय होना चाहिये कि जहां से भी विदेशी मुद्रा बच सके बचाई जाय। पता चला है कि विशाखापट्टम में जस्ता संयन्त्र लगाने की घोषणा हाल ही में केन्द्रीय राज्य मंत्री, पी० सी० सेठी ने खनिज मंत्रालय की एक स्थाई समिति की बैठक में की थी। मुख्य मंत्री ने अपने पत्र में केन्द्र का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया है कि राजस्थान में देश की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में जस्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में उदयपुर के जस्ता संयन्त्र का विस्तार न कर अन्य स्थान पर दूसरा संयन्त्र स्थापित करना गलत है। श्री सुखाड़िया ने कहा कि राजस्थान विकास की दृष्टि से भी यह आवश्यक है, क्यों कि यह प्रान्त देश के अन्य राज्यों की तुलना में भी पिछड़ा हुआ है। इसके विपरीत इस राज्य में खनिज पदार्थों का अपार भंडार उपलब्ध है, उस स्थिति में बाहर से कच्चा माल मंगाना इस राज्य को काफी धक्का पहुंचाना है। इसलिये यह कहना बिल्कुल गलत है,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राजस्थान सरकार को इसकी जानकारी थी। विशाखापट्टम में यह कारखाना लगाया जा रहा है। राजस्थान में इसका पर्याप्त भंडार है। इम्पोर्ट करने की उसको आवश्यक्ता नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने पहले सुना होगा मैंने स्पष्ट कर दिया है कि हम इस राय के हैं कि राजस्थान के जितने डिपोजिट्स हैं उनको फुल्ली एक्सप्लाईट करना चाहिये। गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने कहा टाइम लगेगा--3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे तब तक कन्ट्री की आवश्यक्ता को मीट करने के लिये कान्स्टीटयूट करना चाहिए। उसको रोक नहीं सकते चाह इम्पोर्ट से मंगाये तभी यह स्मेल्टर लगना चाहिये। भविष्य में इम्पोर्ट करना बंद करदें तब वहां न भेजना पड़े।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : राजस्थान सरकार की जानकारी के मुताबिक अगर जितने डिपोजिटस यहां है और जितनी आवश्यक्ता देश को है। उन दोनों के अनुपात में राजस्थान के दृष्टिकोण से केन्द्रीय सरकार मान ले तो कितने अर्से में यह जरूरत यहां पूरी की जा सकती है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह इस बात पर निर्भर है कि माईन्स का डेवलपमेंट किस रफ्तार से होता है। 36 हजार टन का जो डबल करना चाहिये था उससे तीन साल और इन्तजार करना पड़ता। माननीय सदस्य को अभी सूचना दी कि 18 हजार की जो कैपेसिटी है इसको भी फुली यूटिलाईज करने की हमारे यहां पूरी शक्ति नहीं रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विशाखापट्टम में अगर जो संयत्र लगाया जा रहा है उसमें भारत सरकार और राजस्थान सरकार का कोई मतभेद नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया कि राजस्थान सरकार निश्चित रूप से चाहती है कि राजस्थान के अन्दर लगाये और इम्पोर्टेड कन्सेन्ट्रेट के आधार पर हो तब भी राजस्थान में लगना चाहिये क्यों कि माईन्स डेवलेप करनी है। बाद में इम्पोर्ट बन्द कर दें। यह तो जैसे 5 साल के लिए समझ लीजिये, 10 साल के लिये समझ लीजिये किन्तु राजस्थान इसके बाद फोर ईयर्स टू कम 25-50 साल लगेंगे। 5-7 साल के मुकाबले इम्पोर्ट करने के आधार पर जो लगाया जाय तो वह आगे चलने वाला है। उसमें टाईम का बहुत बड़ा सवाल रहेगा इसलिये राजस्थान में ही लगाया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं० 43। श्री रामानन्द अग्रवाल।

सहायक अधीक्षक के विरुद्ध शिकायतें

43. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) क्या यह सही है कि श्री लालचन्द जैन, सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, अलवर रतलाम में किसी केस में जाने के लिये समय-समय पर छुट्टी लेते रहे हैं ? यदि हां, तो श्री लालचन्द जैन ने इस प्रकार की छुट्टियां अलवर में या इससे पूर्व कब-कब और कितने-कितने दिनों की लीं ?

(2) क्या राज्य सरकार को मालूम है कि श्री लालचन्द जैन स्वयं पर सेशन कोर्ट

Page No 23

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रतलाम में एक केस चला हुआ है जिसमें वे ललित कुमार जैन अभियुक्त के नाम से पेश होते हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार को मालूम है कि श्री लालचन्द जैन जोधपुर से प्रकाशित होने वाले एक पत्र 'तरुण जैन' में ललित कुमार जैन के नाम से लेख लिखते हैं और इन्हीं लेखों से सम्बन्धित मुकद्दमे में ही रतलाम में सैशन कोर्ट में उन पर केस चल रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि मई, 1968 में श्री लालचन्द जैन राजकीय मुद्रणालय में कार्य करते रहे और ललित कुमार जैन के नाम से झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश कर दिया ?

(5) क्या राज्य सरकार ने श्री लालचन्द जैन के विरुद्ध इन आरोपों की जांच कराई है ?

उप-मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री (श्री शिवचरण सिंह) : (1) जी हां। उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार श्री लालचन्द जैन ने दो बार क्रमश: दिनांक 5 व 6 जुलाई, 1965 तथा 17 व 18 मई, 1968 को दो-दो दिन का आकस्मिक अवकाश, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जोधपुर से रतलाम के तथा कथित केस के सम्बन्ध में स्वीकृत कराया।

(2) इसके बाबत जानकारी की जा रही है।

(3) राज्य सरकार के पास एक शिकायती पत्र प्राप्त होने पर की गई जांच से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उनका उप-नाम (ऐलियास) ललित कुमार जैन है। शेष बात के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(4) जानकारी की जा रही है।

(5) जांच जारी है

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो प्रश्न संख्या दो के उत्तर में कहा जानकारी प्राप्त की जा रही है इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं पहली बात ?

श्री शिवचरण सिंह : जब राज्य सरकार को इसके बारे में जानकारी मालुम हुई तब डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी शुरू कर दी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कब ?

श्री शिवचरण सिंह : एग्जेक्ट डेट मालूम नहीं है लेकिन एन्क्वायरी चालू है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल से यह प्रश्न भेज रहा हूं। इस सत्र में यह आ पाया है तो सरकार इसके बारे में अभी तक भी जानकारी कर रही है। डेढ़ साल से रतलाम की सैशन कोर्ट से सूचना नहीं आई कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकद्दमा चल रहा है। कई अखबारों में यह मामला आ चुका है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की सूचना अभी तक क्यों नहीं आई ?

श्री शिवचरण सिंह : डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी प्राप्त हुई है। रतलाम के सैशन कोर्ट से जानकारी की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह (जयपुर) : क्या यह श्री ललित कुमार जैन अपने स्टेटमेंट में यह स्वीकार करते हैं कि उनके विरुद्ध रतलाम के सैशन कोर्ट में मुकद्दमा चल रहा है।

श्री शिवचरण सिंह : उन्होंने यह स्वीकार किया है। उन्होंने अपने बयान में

(श्री शिवचरण सिंह)

यह स्वीकार किया है कि विटनेस के रूप में रतलाम के सैशन कोर्ट में अपीयर होते हैं।

श्री भैरोंसिंह: उनके विरुद्ध सैशन कोर्ट में मुकद्दमा चल रहा है क्या यह सही है, उस जानकारी के उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि मेरे खिलाफ एक मुकद्दमा चल रहा है।

श्री शिवचरण सिंह : इसकी जानकारी की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : किस बात की जानकारी करना चाहते हैं वह खुद कह रहे है। इस स्टेटमेंट की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी जाय।

श्री अध्यक्ष : उनका स्टेटमेन्ट है क्या आपके पास ?

श्री शिवचरण सिंह : अभी तो नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उस आदमी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा इस बात की जानकारी तो हो। इस प्रश्न को श्री रामानन्दजी डेढ़ वर्ष से पूछ रहे हैं। डेढ़ वर्ष का समय बीत गया है लेकिन अभी तक कोई जानकारी उनसे प्राप्त नहीं की गई यह अध्यक्ष महोदय, कहां तक उचित है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक जिम्मेदार सरकार इस छोटे से प्रश्न पर दो साल का समय ले। इतना सीरियस एक्ट वह कर रहा है और गवर्नमेन्ट इस तरह से उस पर से ढिलाई बरत रही है इससे साफ जाहिर होता है कि सारे मामले ... और छिपाने की कोशिश की जा रही है वरना जैसे ही आपके नोटिस में आया-क्रिमिनल ओफेंस किया है उसको अभी तक सर्विस में रख रहे हैं निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सदस्य, राज्य सरकार को जानकारी हुई तभी से यह एन्क्वायरी चल रही है। उस समय ही स्टेटमेंट लिया था। प्रिलिमिनरी-स्टेटमेन्ट वह भी चालू था। माननीय सदस्य ने कहा रतलाम की कोर्ट में केस चल रहा है लेकिन सदन को जानकारी देना मुश्किल है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने इस बात की जानकारी स्वयं ललित कुमार से की है ?

श्री शिव चरण सिंह : मैंने सुना नहीं।

श्री भैरोंसिंह : ललित कुमार से आपने इस बात की जानकारी की है ?

श्री शिवचरण सिंह : जी हां, स्वयं ललित कमार से जानकारी की है उन्होंने बताया है कि मैं विटनेस के रूप में रतलाम सैशन कोर्ट में पेश होता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह तो आपने कह दिया है।

श्री शिवचरण सिंह : उसकी जानकारी कोर्ट से की जा रही है।

(12 मध्यान्ह)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद): उनका स्टेटमेंट आया हुआ है वह पेश कर दिया जायेगा। जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है उसके मुताबिक डाइरेक्टर ने सैशन्स कोर्ट को लिखा था कि आया वह उनके खिलाफ मुकद्दमा है या वह विटनेस है। यह जानकारी मालूम की है और उसका उत्तर आया नहीं है। इसलिए खास तौर पर एक

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

आदमी भी भेजा जा रहा है कि वह जानकारी करके आये।

श्री रोशनलाल शर्मा : यह जानकारी कब की ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह आपको अभी बता देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री राम प्रसाद बोहरा।

ग्राम मानपुरा में डकैती का मामला

44. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ता० 13/14-2-67 को रात्रि में गुलाब चन्द कुलमी, ग्राम मानपुरा, थाना असनावर, जिला झालावाड़ के यहां कंजरों द्वारा डकैती हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि दो कंजर जिसमें एक कंजर घायल अवस्था में था मौके पर माल सहित पकड़े गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि पकड़े हुए कंजरों में एक कंजर मर चुका व दूसरा चन्दनिया को पुलिस में रखा गया ?

(4) क्या पकड़े हुए कंजर ने दूसरे कंजर जो मौके से भाग गये थे उनके नाम बताये ? यदि हां, तो उन्हें आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया और क्या सभी मुलजिमों को आजाद कर दिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि अभी तक केस का चालान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) :

(1) गुलाबचन्द कुलमी, ग्राम मानपुरा थाना असनावर, जिला झालावाड़ के घर कन्जरों द्वारा डकैती की गई थी। यह दिनांक 14-1-67 की रात्रि को की गई थी न कि दिनांक 13/14-2-67 की रात्रि को।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां, तीन अन्य कन्जरों के नाम बताये थे उनमें से 2 और गिरफ्तार किये गये, केवल एक मुलजिमान फरार है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी भी अपराधी को आजाद नहीं किया गया है।

(5) चालान दिनांक 3-10-67 को एम० एम० कोर्ट, झालावाड़ में पेश हो चुका है जो जेर तजवीज अदालत है। फरार मुलजिम के विरुद्ध धारा 512 सी० आर० पी० सी० की कार्यवाही की गई है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि डकैती के वक्त में मुलजिमान को पकड़ने के बाद बकाया जितने मुलजिम थे वह भाग गए और जब इन्क्वायरी हुई तो उन मुलजिमान ने जो बचे हुए हैं उन्होंने बताया कि और भी आदमी थे उनको थानेदार ने नहीं पकड़ा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि 5 के नाम आये थे और वह मौके पर गिरफ्तार किये गये। एक आदमी मर गया। उनके नाम बताये थे उनमें से दो गिरफ्तार हो चुके हैं और एक कन्जर फरार है उसके खिलाफ 512 की कार्यवाही की जा रही है।

Page No 26

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि यह थानेदार जो इस केस में था उसको अभी सस्पैन्ड किया गया और थोड़े ही दिनों में उसको बहाल कर दिया गया था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कौन थानेदार था और कब सस्पैन्ड हुआ और कब बहाल हुआ यह जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है थानेदार से संबंधित।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या इसी केस से संबंधित जिसको सस्पैन्ड किया गया था उसको री-इन्सटेट कर दिया गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सवाल इससे संबंधित नहीं है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या इस केस मे इन्क्वायरी करने वाले पहले थानेदार को सस्पैन्ड किया गया था किन्हीं आरोपों में ?

श्री हीरालाल देवपुरा : किन्हीं आरोपों में सस्पैन्ड किया गया था या नहीं यह जानकारी अभी नहीं है और न इससे संबंधित है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि गत वर्ष राजस्थान की पुलिस ने सवाई माधोपुर में ऐसे तत्वों को पकड़ा है जिनके पास डाकुओं ने पाकिस्तानी हथियार सप्लाई करने के संबंध में जो हथियार पकड़े गये······

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।
प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह जाता है और 2।। साल से बराबर पेश कर रहा हूं और यहां आकर खतम हो जाता है। प्रश्न संख्या 45 में आपसे संरक्षण चाहता हूं। इस प्रश्न का जवाब दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न स्थगित किया गया।

(शेष तारांकित 4 प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

दौसा में मुन्सिफ की नियुक्ति

32. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा महल, जयपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या दौसा में अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सन् 1968 से किसी भी मुन्सिफ की नियुक्ति नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

(2) न्यायालय में कितने मुकदमें हैं तथा उनकी सुनवाई की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान न्यायिक सेवा में अधिकारियों के अभाव के कारण उक्त न्यायालय में किसी मुन्सिफ की नियुक्ति नहीं की जा सकी।

(2) अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में गत वर्ष 400 फौजदारी मुकदमें थे, जिनकी सुनवाई मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, दौसा, द्वारा करने की व्यवस्था कर दी गई।

मूर्तियों की चोरी के मामले

38. **श्री प्रेम सिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या गृह मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को विदित है कि छीपाबड़ोद व हरनावदा थाने के अन्तर्गत

(श्री प्रेम सिंह सिंघवी)

आने वाले क्षेत्र में मूर्तियों की चोरियां हुई है ? अगर हां, तो कितनी और कौन से स्थानों से ?

(2) इस सम्बन्ध में मूर्ति चोरी करने वाले मुलजिमान को पकड़ने में पुलिस कहां तक सफल हुई है ? अगर नहीं हुई, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सत्य है कि आरक्षी केन्द्र छीपाबड़ोद के क्षेत्र में मूर्तियों की चोरियां हुई हैं लेकिन आरक्षी केन्द्र हरनावदा के क्षेत्र में मूर्ति चोरी का कोई अभियोग पंजीबद्ध नहीं हुआ । कुल चार अभियोग आरक्षी केन्द्र, छीपाबड़ोद में पंजीबद्ध हुए । ग्राम गोवर्धनपुरा के 2, कर नाल का 1 व 1 ग्राम साही का है ।

(2) उपरोक्त पंजीबद्ध हुए चारों अभियोगों में से दो में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई । अपराधीगणों को बन्दी बनाया गया व माल भी बरामद किया गया । अपराधी निसार व बद्री अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सकें जिनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही जारी है । बाकी दो अभियोगों में एफ० आर० दी गई है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि योग्य भूमि

37. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितनी भूमि ऐसी है जो वास्तव में कृषि योग्य है परन्तु चारागाह में निकाल दी गई है ?

(2) क्या ऐसी भूमि को जो वास्तव में कृषि योग्य भूमि है चारागाह से हटा कर सिवाय चक बनाने का विचार सरकार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राज्य में करीबन 13, 12, 722 एकड़ भूमि कृषि योग्य है जिसको चरागाह में निकाल दी गई है ।

(2) जी नहीं । साधारण तया नहीं, किन्तु विशेष परिस्थितियों में सम्बन्धित नियमों के अन्तगत पशु संख्या को ध्यान में रखते हुए चरागाह से भूमि कृषियोग्य में परिवर्तित की जाती है ।

छीपाबड़ोद व छबड़ा तहसील की कृषि-योग्य भूमि

38. श्री प्रेम सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कोटा जिले की छीपाबड़ोद व छबड़ा तहसील में 1 जुलाई, 1969 के बाद कितनी कृषि योग्य भूमि एलोटमेन्ट के लिये रह गई है ? दोनों तहसीलों के पटवार सर्किल में जो भूमि काबिल एलोटमेन्ट शेष बची है उसके नम्बरान की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(स्थागित किया गया)

गंगानगर जिले में कब्जा काश्त भूमि के खातेदारी हकक

39. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या राजस्व मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गंगानगर जिले के उन सभी बारानी गांवों में रहने वाले खिदमतगार

(श्री हंसराज आर्य)

नाई-कोतवाल और बेगारियों को उनकी कुल कब्जा काश्त भूमि पर जो कि 1955 के पहले कब्जा काश्त थी खातेदारी हकूक दे दिये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो कुल कितने खिदमतकारों को, हकूक खातेदारी दिये गये हैं ? नोहर व भादरा तहसीलों की गांववार सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का विचार रखती है कि भविष्य में उनसे किसी भी प्रकार की बेगार नहीं ली जावेगी और उनकी भूमि का लगान वसूल करना शुरू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्पेशल फण्ड फॉर रिकन्सट्रक्सन एण्ड रीहेबिलिटेशन ऑफ एक्स सर्विसमेन में जमा धनराशि

40. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) स्पेशल फण्ड फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एण्ड रीहेबिलिटेशन ऑफ एक्स सर्विसमेन में किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी राशि कब से जमा है ?

(ख) इस फण्ड के वितरण के लिए बनाई गई समिति का गठन कब हुआ था ? उसकी अब तक कब-कब बैठक हुई ?

(ग) इस समिति ने इस राशि के वितरण के सम्बन्ध में नियम कब बनाये ? यह नियम राज्य सरकार द्वारा कब स्वीकृत किये गये ?

(घ) अब तक किन-किन व्यक्तियों को कब-कब कितनी कितनी राशि दी जा चुकी है और शेष कितने आवेदन-पत्र कब से विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(क) इस फंड में एक ही प्रकार की राशि निम्न प्रकार से जमा है ।

दिनांक	रकम
19-3-67	रु० 26,14,900/-
31-3-67	रु० 4,44,600/-
31-3-67	रु० 4,44,600/-
26-3-68	रु० 4,44,600/-
31-3-69	रु० 4,44,600/-
योग	रु० 43,93,300/-

(ख) इस फंड के संचालन हेतु राज्य स्तरीय (स्टेट मैनेजमेंट कमेटी) समिति का गठन दिनांक 19-4-68 को किया गया था। समिति की एक ही बैठक हुई है जो दिनांक 22-7-68 को हुई थी ।

(ग) समिति द्वारा इस फंड के बायलॉज का अनुमोदन दिनांक 22-7-68 को किया था । ये नियम राज्य सरकार द्वारा 10-4-69 को स्वीकृत किये गये हैं।

(घ) किसी भी व्यक्ति को कोई राशि अब तक नहीं दी गई है। 138 भूतपूर्व सैनिकों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिन में से 98 प्रार्थना पत्रों पर उप-समिति

(राजस्व मंत्री)

द्वारा विचार कर लिया गया है। 40 प्रार्थना-पत्र जुलाई, 69 से विचाराधीन हैं।

तहसील नोहर में काश्तकारों पर तावान

41. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील नोहर, जिला श्रीगंगानगर में कितने काश्तकारों पर तावान लगा है? और सन् 1967 तक कौन से सन् में कितना तावान लगा है?

(2) क्या यह सही है कि तावान लगाने के पहले काश्तकारों को नोटिस नहीं दिया जाता है?

(3) यदि हां, तो क्यों? कौन से सन् में बगैर नोटिस दिये पटवारी तावान लगा दिया करते थे और नोटिस देने का नियम कौनसे सन् में लागू हुआ है?

(4) क्या यह सही है कि पटवारी द्वारा जो तावान लगाया जाता था उसकी सूचना काश्तकार को एक दो साल बाद में ही मिलती थी?

(5) क्या यह सही है कि तहसील नोहर में सन् 1955 से 64 तक इस प्रकार के तावान बहुत तादाद में लगे थे?

(6) यदि हां, तो कुल कितने काश्तकारों पर कुल कितना तावान लगा था?

(7) क्या यह सही है कि उस समय का लगा हुआ तावान आज तक भी बाकी है? यदि हां, तो कितना बाकी है?

(8) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में काश्तकार बार बार सरकार को दरख्वास्त देता आया है? यदि हां, तो कितनों के हक में फैसला हुआ और कितनों की जांच चल रही है?

(9) क्या यह सही है कि कई काश्तकारों के पास 50 बीघा भूमि है और बराबर अलौट होती रहती है लेकिन खसरा नम्बर की गलती होने के कारण तावान लगता रहा है? यदि हां, तो इस प्रकार के कुल कितने काश्तकार हैं जिनसे तावान वसूल हुआ है?

(10) क्या सरकार इस प्रकार से लगे हुए तावान को काश्तकारों को लौटाने का इरादा रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(11) क्या यह सही है कि जितनी भूमि पर तावान लगा है उतने बीघा का माल बराबर सरकार वसूल करती रही है?

उत्तर

(1) कुल 6982 काश्तकारों पर रुपये 5,06,155 तावान लगाया गया है, वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। सन् 1956 से पूर्व पटवारी बिना नोटिस दिये तावान दर्ज करते थे, किन्तु उसके पश्चात् नोटिस दिया जाता है।

(3) सन् 1956 से पूर्व। कानून सन् 1956 में बनाये गये और उसी वर्ष लागू हुये।

(राजस्व मन्त्री)

(4) जी नहीं। सूचना वसूली के साथ दे दी जाती थी।

(5) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखी है।

(6) सूची में बता दिया गया है।

(7) जी हां। तावान में से 2,42,570) रुपये वसूल से बाकी हैं।

(8) तहसीलदार के पास ऐसे कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नही हुए हैं जिससे नाजायज तौर पर से तावान कायम कर दिया गया है।

(9) जी नहीं। जिन काश्तकारों को भूमि अलॉट की जाती है उन पर तावान लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता केवल ऐसे कुल 6 काश्तकार है जिन पर भी तावान गलत कब्जे के कारण नियमानुसार नोटिस देकर वसूल किया गया है।

(10) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(11) जिस भूमि पर लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत तावान लगता है उस पर मालगुजारी नहीं ली जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

ग्राम बड़ा जावठी की भूमि पर काबिज काश्तकार

42. **श्री केशर सिंह** (हिंडोली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम बड़ी जावठी, तहसील बून्दी के कांकड़ की आराजी, राताबड़ी को वहां के काश्तकारान ने कितने सालों से ट्रेसपास कर रखा था ?

(2) क्या यह सत्य है कि इस आराजी को मार्च, 1968 के आसपास श्री मनमोहन वल्द लक्ष्मीनारायण, साकिन बांगड़, जिला झुन्झुनू को बेचान कर दिया है ?

(3) उक्त बिक्री से सरकार को कितनी रकम प्राप्त हुई ?

(4) सरकार की नीति के अनुसार जब ग्राम बड़ी जावठी में छोटे छोटे काश्तकार और भूमिहीन उस पर बरसों से काबिज हैं उनको राज्य की आज्ञा संख्या एफ० 7 (51) सिंचाई 62-11, दिनांक 24 अप्रेल, 1968 के अनुसार क्यों नहीं खाते बांधी गई ?

(5) क्या यह सही है कि यह बेचान भूतपूर्व राजस्व मंत्री के आदेशों से हुआ है ?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट (अ) संलग्न के अनुसार वहीं के काश्तकारान ने ट्रेसपास कर रखा था।

(2) जी हां, सूची सलग्न है परिशिष्ट (ब)।

(3) इस बिक्री से राज्य सरकार को 51,105) रुपये की आय हुई।

(4) बड़ी जावठी के काश्तकारान जिन्होंने भूमि पर कब्जा कर रखा था वे राज्य सरकार की आज्ञा सं० एफ 7 (51) सिंचाई 62-11, दिनांक 24-4-68 के अनुसार नियमन नहीं किये जा सक

(राजस्व मन्त्री)

थे। इस कारण यह आराजी उनके खाते नहीं बांधी गई।

(5) जी, नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

तहसील बामनवास में नियम विरुद्ध भूमि का आवंटन

43. **श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)**: क्या राजस्व मंत्री यही बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर के तहसीलदार, के विरूद्ध भूमि आवन्टन नियमों के विरूद्ध खातेदार व्यक्तियों के नाबालिग बच्चों के नाम उन्हें भूमिहीन मानकर भूमि अलॉट करने की शिकायतें हुई है? यदि हां, तो कब कब? उन पर क्या कार्यवाही की?

(2) क्या यह सही है कि तहसीलदार ने रामनगर ढोसी की नदी में एक साला आवंटन अपने रिश्तेदारों व परिवार वालों की औरतों के नाम किया है? यदि हां, तो कितनी भूमि कितने ऐसे नामों से आवंटित की गई है? क्या यह भी सही है कि 68 भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र होते हुए भी उन्हें भूमि नहीं दी गई?

(3) क्या ग्राम समेल, सीतों, गंडाल, अमावरा, भादरा, भावड, गढ़ी, गोपालपुरा, जीवद, फोलेता, शफीपुरा आदि ग्रामों में तहसीलदार, बामनवास पर अवध आवन्टन करने की शिकायतें हुई हैं? इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या बेनामी कुओं के आवन्टन में भ्रष्टाचार होने की भी शिकायतें हैं? कितने बेनामी कुए अभी तक आवन्टित नहीं किये गये? और क्यों?

(5) क्या यह तहसीलदार इसी क्षेत्र का निवासी है और प्रतिदिन हैड क्वार्टर छोड़कर अपने घर चला जाता है? और स्थानीय दलबन्दी में पड़ता है और अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करता है? इसे वहां रखने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि तहसील बामनवास के मौजूदा तहसीलदार श्री भौंरीलाल शर्मा के विरुद्ध भूमि आवंटन नियमों के विरुद्ध खातेदार व्यक्तियों और नाबालिग बच्चों के नाम भूमि आवंटन करने की एक शिकायत ग्राम जाखोलास के कुछ व्यक्तियों की पेश होने पर जिलाधीश द्वारा जांच कराई जा रही है।

(2) यह भी सही है कि तहसीलदार श्री भौंरीलाल द्वारा रामनगर ढोसी की नदी में एक साला आवंटन गत वर्ष 29 व्यक्तियों को किया गया था जिसमें 9 व्यक्ति बाहर के रहने वाले थे और इनमें 3 औरतें भी हैं कुल दरखास्तें 36 प्राप्त हुई थी जिनमें से 29 को भूमि आवंटन किया गया और 7 व्यक्ति भूमिहीन की तारीफ में नहीं आने से उनके प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये गये। उन 36 आवेदकों की सूची संलग्न है और जिस जिस को जितनी जितनी भूमि आवंटन की गई वह प्रत्येक के सामने अंकित है। तहसीलदार बामनवास ने जिन 29 व्यक्तियों को भूमि आवंटन किया है उनमें से कोई भी उनके परिवार का सदस्य एवं रिश्तेदार नहीं

(राजस्व मन्त्री)

है। अलॉट मेंट के समय तक कुल 36 प्रार्थना-पत्र ही प्राप्त हुए थे न कि 68। उक्त मामले में जिलाधीश द्वारा जांच कराई जा रही है।

(3) जी हां, यह भी सत्य है कि ग्राम समेल, सीतों, गंडाल, अमाबरा, गडीगोपालपुरा, जीबद, कोलेता आदि ग्राम अवैध आवंटन करने बाबत तहसीलदार, बामनवास के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मामले की पूर्ण जांच कराई जा रही है। दोषी तहसीलदार एवं पटवारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है जिन अलाटीज को गलत अलाटमेंट करना पाया गया है उनका अलाटमेंट केन्सिल करने के लिए उनको नोटिस भी जारी किये जा रहे हैं।

(4) बेनामी कुओं के आवंटन में तहसीलदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया जाता। 51 बेनामी कुओं में से सिर्फ 7 ऐसे बिलानामी कुए आवंटन करने शेष रहते हैं जिनके आवंटन करने के लिये आपत्ति-पत्र प्रस्तुत होने पर विधिवत कार्यवाही जारी है।

(5) हां यह भी सही है कि तहसीलदार श्री भौंरीलाल शर्मा इसी क्षेत्र का निवासी है और हैडक्वार्टर छोड़कर गंगापुर आने जाने की शिकायत की दरखास्त उप-खंड अधिकारी, गंगापुर के यहां पहुंची है जिसकी वे जांच कर रहे हैं। तहसीलदार के स्थानीय दलबन्दी में भाग लेने और अधिकारों का दुरुपयोग करने बाबत कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। श्री भौंरीलाल तहसीलदार को बामनवास में रखने का कोई खास कारण नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

दी रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चर इन्डेटेडनैस एक्ट

44. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दी रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चर इन्डेटेडनैस एक्ट के अन्तर्गत कितने मामले सुलझाये गए और कितने परिवारों को लाभ हुआ? यह कानून कब से लागू है?

(2) राजस्थान में कुल कितने ऐसे कर्जदार हैं जो उपरोक्त कानून के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं?

(3) इस कानून से लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकें इसके लिये राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

(4) क्या इस कानून के अन्तर्गत बनने वाले नियम बन चुके हैं? यदि हां, तो कब, उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

तहसील बाली में भूमि अतिक्रमण के मामले

45. **श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा** (बाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाली तहसील में किन किन गावों म गोचर एवं प्रस्तावित गोचर की भूमियों पर अतिक्रमण किया गया है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? और इनको हटाने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है?

(श्री पृथ्वीसिंह देवडा)

(3) ऐसे अतिक्रमणों की रोक हेतु क्या सरकार कोई विशेष व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार कर रही है? यदि हाँ, तो क्या ?

उत्तर

(1) बाली तहसील के ग्राम बिसलपुर, भालारी, बलवना, बीजापुरा, चानोद व बामनेरा ग्रामों को घोषितशुदा व प्रस्तावित गोचर भूमियों पर नाजायज अतिक्रमण किये गये हैं।

सूची तैयार कराई जा रही है।

(2) इन अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट, 1956 के अन्तर्गत मुकद्दमें चलाये जाकर बेदखल का आदेश दिया गया है।

(3) ऐसे अतिक्रमणों को नियमित करने एवं भविष्य में ऐसे अतिक्रमणों को रोकने के लिये राज्य सरकार द्वारा परिपत्र संख्या एफ—3 (50) राजे। ख, 64, दिनांक 5-10-67 को जारी किया जा चुका है।

स्वर्णकारों के लिए जिला स्तर पर कमेटियों का गठन

46. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर): क्या स्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि स्वर्णकारों सम्बन्धी जिला स्तर पर जो कमेटी बनी हुई है उसकी बैठकें वित्तीय वर्ष 64-65, 66-67 एवं 67-68 में कतई नहीं हुई ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) इन बैठकों को बुलाने व कार्य संचालन के क्या नियम हैं ? नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जाय।

(3) जिला स्तर की इन कमेटियों के क्या अधिकार हैं ?

(4) क्या इन कमेटियों को जो आवेदन-पत्र दिये जाते हैं उनके लिये कोई निर्धारित प्रपत्र हैं ? यदि हां, तो कृपया उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला स्तर पर गठित समिति की बैठक समय समय पर जिलाधीश द्वारा आमन्त्रित की जाती रही है।

(2) राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ० 9 (1) रा० (ग-ग्रुप) 1/64, दिनांक 4 मार्च, 64 के अनुसार समिति का गठन किया गया जिसकी प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) इन कमेटी को राज्य सरकार के नियमानुसार स्वर्णकारों के पुर्नस्थापन्न हेतु उन्हें ऋण स्वीकृति हेतु सिफारिश करना एवं पुनस्थापन्न संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु राज्य सरकार के निर्धारित नीति को कार्यान्वित करने में जिलाधीश को राय देना है। राजस्थान स्वर्णकार विस्थापित ऋण नियम, 1964 के नियम 6 के अन्तर्गत 1,000/- रु० से अधिक एवं 5,000/- रु० तक की ऋण राशि के स्वीकार करने हेतु जिलाधीश को सिफारिश करना। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(4) हां, निर्धारित प्रपत्र है, राजस्थान स्वणकार पुर्नस्थापन्न (ऋण) अधिनियम, 1964

Page No 34

(राजस्व मन्त्री)

के नियम 4 के अनुसार प्रपत्र संख्या 1 आवेदन किया जाता है। प्रपत्र की प्रति संलग्न हैं। प्रति सदन की मेज पर रखदी गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)

बन्ध पेटे की जमीन पर खतेदारी हक

47. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बन्ध पेटे की जमीन को उन किसानों को जिनका इस जमीन पर काश्त करने का लगातार कब्जा चला आ रहा है, सरकार खातेदारी हक देने की सोचती है ?

(2) अगर हां तो क्या खातेदारी मुस्तकिल या गैर खातेदारी दी जावेगी ? और इसका लगान किस तरह से लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) दिनांक 13-1-58 जिन व्यक्तियों को खातेदारी अथवा गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं वह स्थिति कायम है। इस तिथि के बाद राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम, 1955 की धारा 16 (ii) के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार तालाब के पेटे की भूमि में प्राप्त नहीं हो सकते।

(2) लगान स्वीकृत लगान की दरों के अनुसार ही वसूल किया जावेगा। शेष प्रश्न का उत्तर प्रश्न के भाग 1 के उत्तर में अंकित है।

बन्दोबस्त में कृषि कुओं को सिवाय चक घोषित करने के आधार

48. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बन्दोबस्त में कृषि कुओं को सिवाय चक घोषित करने के क्या आधार है ?

(2) क्या यह सही है कि अलवर जिले में जहां जहां नया बन्दोबस्त हुआ है वहां पर बहुत बड़ी तादाद में राजस्थान के एकीकरण होने से पूर्व के बने हुए कुओं को सिवाय चक घोषित कर दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि बन्दोबस्त विभाग ने कुओं को उससे सिंचित जमीन से अलग सम्पत्ति माना है और सिंचित जमीन में खातेदार को स्वतः ही कुंए का खातेदार स्वीकार नहीं किया है ?

(4) क्या यह सही है कि अलवर जिले में एकीकरण के समय बिस्वेदारी या जागीरदारी, माफीदारी भूमि व्यवस्था थी अतः इस भूमि पर कुए बिस्वेदारों, जमीदारों, जागीरदारों या भूमि पर कब्जा वाले किसानों द्वारा निर्मित किए गए थे और तत्कालीन सरकार द्वारा उसका निर्माण करने का प्रश्न ही नहीं उठता था ? यदि हां, तो इस जिले में सिंचाई के कुओं को सिवाय चक क्यों घोषित किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सिवाय चक कुओं को सम्बन्धित जमीन के सिंचाई के खातेदारों को देने के लिए 25) रु० की फीस मुकरर की है ?

Page No 35

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(6) क्या सरकार महसूस करती है कि किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से 25)रु० जमा करके खातेदारी हकूक लेने से रुपया जमा कराने और पट्टा लेने में बहुत परेशानी और भ्रष्टाचार का शिकार बनना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रुपये को पटवारी द्वारा लगान के साथ वसूल करने के आदेश जारी करेगी ताकि किसान इन परेशानियों और भ्रष्टाचार से बच सके ?

उत्तर

(1) बन्दोबस्त विभाग म रेवेन्य रिकार्ड के आधार पर ही इन्द्राज किया जाता है इसलिये रेवेन्यू रिकार्ड में जिन जिन कुओं पर मकबूजा मालकाना अंकित थी उनको सिवाय चक दर्ज कर दिया गया ऐसा दर्ज करने का कारण यह था कि जागीर और विस्वेदारी उन्मूलन से पूर्व जागीरदार या विस्वेदार ही भोक्ता थे और उन्मूलन के पश्चात् उनके स्थान पर राजस्थान सरकार भोक्ता (मालिक) बन गई । इसलिये मकबूजा मालकाना की सम्पत्ति सिवाय चक राजकीय दर्ज किया गया ।

(2) यह सही है कि अलवर जिले की तहसील अलवर, राजगढ़, बहरोड और बानसूर में ही प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के आधार पर सिवाय चक घोषित किया गया है । परन्तु यह सही नहीं है कि अलवर जिले की सभी तहसीलों म ऐसा अमल हुवा है । तहसील थानागाजी, लक्षमनगढ़, तिजारा, किशनगढ़ और मुन्डावर में कुओं पर बाद जांच सही इन्द्राज करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) यह सही नहीं है कि बन्दोबस्त विभाग में कुओं को उससे सिंचित जमीन से अलग सम्पत्ति माना है जैसा कि पैरा 2 में अंकित है । तहसील थानागाजी, लक्ष्मणगढ़ तिजारा, किशनगढ़ व मुन्डावर के बाद जांच नियमानुसार इन्द्राज की कार्यवाही की जा रही है ।

(4) यह सही है कि अलवर जिले में एकीकरण के समय विस्वेदारी, जागीरदारी, माफीदारी भूमि व्यवस्था थी । यह भी सही है कि इस भूमि पर कुछ विस्वेदारों, जमीदारों, जागीरदारों, माफीदारों अथवा कृषकों द्वारा कुओं का निर्माण हुआ था । तत्कालीन सरकार द्वारा कुए निर्मित नहीं हुए थ । प्रश्न के भाग (1) के उत्तर के अनसार मकबूजा मालकान रेवेन्यू रिकार्ड में अंकित होने के कारण ही सिवाय चक दर्ज किया गया ।

(5) जी हां, राज्य सरकार ने आदेशानुसार सिवाय चक के कुओं पर खातेदार बनाने के लिये तहसीलदार द्वारा 25) रुपये वसूल किये जाकर खातेदार बनाया जाता है ।

(6) इस परेशानी को दूर करने के लिये सरकार विचार करेगी ।

पुलिस थाना डीडवाना में चोरी का दर्ज मामला

49. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री हनुमानमल मेढ कोलिया ने दिनांक 23-9-67 को दिन के 4 बज कर 50 मिनिट पर पुलिस थाना डीडवाना में एक चोरी की

(श्री हरजीराम बुरड़क)

रिपोर्ट की थी ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(2) उक्त रिपोर्ट थाना डीडवाना के रजिस्टर में किस नम्बर पर दर्ज की गई।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) कोई रिपोर्ट थाना में प्राप्त नहीं हुई।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले

50. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कितने मुकद्दमे पुलिस में दर्ज किये गये, कितने मुकद्दमें न्यायालयों में चालान किये गये, कितनों में सजा दी गई, कितनों में मुल्जिम छोड़ दिये गये, कितनों में समझौते किये गय और कितने अनिर्णित हैं ? उनकी सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

थाना छीपाबड़ोद में बलात्कार का मामला

51. **श्री प्रेमसिंह सिघवी** (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि छीपाबड़ौद थाने के अन्तर्गत सबीर खां शहना द्वारा एक नाबालिग लड़की से बलात्कार किया गया था, जिसका केस पुलिस में दर्ज है लेकिन मुलजिम आज तक नहीं पकड़ा गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

जी हां। इस अपराध पर अभियोग संख्या 51 दिनांक, 10-4-69 धारा 376 भा० द० सं० थाना छीपाबडोद पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

अभियुक्त सबीर खां शहना अपराध करने के पश्चात् से ही फरार है तथा उसके विरुद्ध धारा 87-88 व 52 जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

कोटा जिले के अन्तर्गत थानों में दर्ज बलात्कार के मामले

52. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृप करेंगे-

1 जनवरी, सन् 68 से 31 जुलाई, 69 तक कोटा जिले के अन्तर्गत आने वाले थानों में कितने कितने बलात्कार के केसेज दर्ज हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

ग्राम पंचायत सुमेरपुर के सरपंच के विरुद्ध गबन आदि के मामले

53. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सुमेरपुर, जिला पाली के सरपंच के विरुद्ध

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

पंचायत के धन का दुरुपयोग व गबन इत्यादि की शिकायतें हैं ?

(2) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोध विभाग ने उक्त सरपंच के विरुद्ध धारा 409 420 एवं 477 आई० पी० सी० के अन्तर्गत मुकद्दमा चलाने की राज्य सरकार से स्वीकृति मांगी है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा 7-1-69 को सरपंच के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे दी है ?

(4) यदि हां, तो उक्त सरपंच के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही करने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) राज्य सरकार द्वारा जो अभियोजन स्वीकृति, उक्त सरपंच के विरुद्ध प्रदान की गई, बाद में उसमें खामी होना पाया गया है। अतः पुनः अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई है। न्यायालय में श्री सुखराज जैन, सरपंच ग्राम पंचायत, सुमेरपुर, जिला पाली के विरुद्ध चालान शीघ्र पेश किया जावेगा।

पुलिस कर्मचारियों की संख्या

54. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में पुलिस कर्मचारियों की कुल क्या तादाद है ? सिपाही कितने हैं, हैड कांस्टेबल कितने हैं, थानेदार व इन्सपेक्टर, डी० एस० पी०, एस० पी०, डी० आई० जी०, कुल कितने हैं, पुलिस के थाने कितने हैं और चौकियां कुल कितनी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि आर० ए० सी० के सूबेदारों का थानेदार की पोस्ट पर तबादला किया जाता है ? यदि हां, तो इस प्रकार के कुल कितने व्यक्ति हैं जिन्हें आर० ए० सी० से पुलिस में तबदील किया गया है तथा वे व्यक्ति कहां के हैं ?

(3) क्या यह सही है कि मंत्रियों व कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदार, आर० ए० सी० से पुलिस में ऊंची पोस्ट्स पर तब्दील किये जाते रहे हैं ? यदि हां, तो यह तबादले किस नियम के तहत हुए हैं ?

उत्तर

(1) कर्मचारियों की तादाद इस प्रकार है:—

1.	आरक्षक	25,495
2.	मुख्य आरक्षक	4,262
3.	उप-निरीक्षक	1,506
4.	सहायक पु० उप-निरीक्षक	622
5.	पुलिस निरीक्षक	248
6.	पुलिस उप-अधीक्षक	141
7.	अपर पुलिस अधीक्षक	47
8.	पुलिस अधीक्षक	34
9.	स्टेट रेडियो ऑफिसर	1
10.	पुलिस उप-महानिरीक्षक	8
11.	अपर महानिरीक्षक, पुलिस	1
12.	पुलिस महानिरीक्षक	1
	योग	32,366

(गृह मंत्री)

पुलिस थाने 489 व पुलिस चौकियां 754 हैं।

(2) जी नहीं। सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स लागू होने के पूर्व तबादले आर० ए० सी० से पुलिस की आर्मड विंग में किये गये थे। ऐसे कुल 8 केसेज हुए हैं।

(3) यह सही नहीं है।

ग्राम करमशाना में कत्ल का मामला

55. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नोहर के गांव करमशाना में कत्ल की वारदात हुई थी? यदि हां, तो कब और कितनी कत्ल हुई?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस मुल्जिमों को नहीं पकड़ रही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि इस कत्ल के बाद कई थानेदार व सी० आई०, थाना नोहर से बदल गये हैं? यदि हां, तो कितने?

(4) उक्त कत्ल के मामले की जांच किसने की थी?

उत्तर

(1) जी हां, यह सत्य है कि तहसील नोहर के गांव करमशाना में कत्ल की एक वारदात ता० 25-8-64 को हुई थी।

(2) जी नहीं। सत्य यह है कि मुल्जिमान फरार व रू पोश हो गए हैं। व अब तक नहीं पकड़े गए हैं।

(3) जी हां, इस कत्ल के वारदात से लेकर अब तक सात थानेदार तथा पांच सी० आई०, नोहर के बदले हैं।

(4) इस कत्ल की तफतीश सर्व प्रथम श्री मनफूल सिंह, थानेदार ने की थी जो कि उस समय थाना नोहर पर तैनात थे और उनका तबादला होने के बाद श्री मोहम्मद सद्दीक, थानेदार ने इस केस की तफतीश पूर्ण कर चालान पेश अदालत किया था।

केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल से सम्बन्धित कर्मचारियों का चालान

56. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 19 सितम्बर, 68 को केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल से सम्बन्धित कितने कर्मचारियों पर कहां कहां राजस्थान में किस-किस जुर्म में मुकद्दमें चालान हुए हैं? ये मुकद्दमे किस स्टेज पर हैं?

(2) क्या राज्य सरकार इन मुकद्दमों को वापिस लेने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(3) क्या राज्य सरकार को ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि जिला प्रशासन और पुलिस ने अनेक कर्मचारियों को निराधार ढंग से मुकद्दमों में फंसाया है?

उत्तर

(1) 19-9-68 को केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में करीब 1,846 केन्द्रीय कर्मचारी एसेन्शियल सर्विसेज मेन्टिनेन्स ओर्डिनेन्स के तहत गिरफ्तार हुए

(गृह मन्त्री)

और यह मामले करीब करीब सब तय हो चुके हैं। बिना तय हुए मामलों में करीब 18 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंजन से आग गिराकर चलती ट्रेन को रोकने की कोशिश की।

जिलेवार सूची संलग्न है।

इसके अलावा बीकानेर रेल्वे यार्ड में ट्रेन रोकने, जन सम्पदा नष्ट करने एवं राज्य कर्मचारियों पर आक्रमण आदि करने के सम्बन्ध में 63 व्यक्तियों के खिलाफ धारा 307/353/332/436/147/148/149, आई० पी० सी० के तहत मुकद्दमा दर्ज हुआ है।

जोधपुर रेल्वे वर्कशोप में राज्य कर्मचारियों पर आक्रमण के आरोप में करीब 31 व्यक्तियों पर धारा 307/353/332/452/147/148, आई० पी० सी० के अन्तर्गत मुकद्दमा दर्ज हुआ है।

(2) मुकद्दमे कानून के अनुसार चल रहे हैं। इसमें हस्तक्षेप का कोई विचार नहीं है।

(3) कुछ शिकायतें आई परन्तु इसका निर्णय तो अदालत ही कर सकती है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

शराब न पीने के सम्बन्ध में उठाये गये विशेष कदम

57. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पुलिस विभाग के कर्मचारी और अधिकारी शराब न पियें इसके लिये सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है?

उत्तर

शराब पीना खास तौर से उस समय जब कोई अधिकारी ड्यूटी पर है, राज्य कर्मचारी आचरण संहिता (Govt. Servants and Pensioners Conduct Rules) के अनुसार आपत्तिजनक है। आचरण संहिता के नियम 15 (सी) के अनुसार इस तरह की कार्यवाही पर पूर्ण नियंत्रण है और नियम की अवहेलना करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपराधों के मामले

58. श्री बेंजीदत्त गाड़िया (बारां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में अप्रेल, 1967 से लेकर अब तक कुल कितनी डकैतियां, चोरियां, आत्म हत्याएं एवं हत्याओं के के मामले किस किस तारीख को हुए? सूची सदन की मेज पर जिलावाईज रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में कई राजनैतिक कार्यकर्ताओं की हत्यायें भी हुई हैं? यदि हां, तो किस किस जिले में किस किस पार्टी के किस कार्यकर्ता की किन किन कारणों को लेकर हत्या हुई और उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में एवं पुलिस

Page No 40

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

की हिरासत में गिरफ्तार अपराधियों की हत्यायें एवं आत्महत्या की घटनायें हुई हैं ? यदि हां, तो किस किस जिले के किस किस स्थान पर ऐसी घटनायें हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या सरकार ने भिन्न भिन्न स्थानों पर घटित डकैती, चोरी, हत्या एवं आत्महत्याओं की घटनाओं की जांच करवाई है ? यदि हां, तो जांच के आधार पर क्या क्या कारण थे और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

नगर सुधार न्यास, जयपुर के अध्यक्षों को सुविधायें

59. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या नगर सुधार न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर सुधार न्यास, जयपुर की स्थापना कब हुई और उसमें अब तक कौन कौन अध्यक्ष कब से कब तक रहे ?

(2) क्या नगर सुधार न्यास, की ओर से अध्यक्षों को कोई सुविधायें न्यास के खर्चे पर दी गई ? यदि हां, तो क्या क्या सुविधाएं दी गई और किस किस अध्यक्ष की कौन कौनसी सुविधाओं पर अब तक कितना कितना रुपया खर्च हुआ ?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास, जयपुर की स्थापना दिनांक 27-12-1960 को हुई और उसमें निम्न अध्यक्ष उनके नाम के सामने अंकित अवधि तक रहें ।

1. श्री देवीशंकर तिवाड़ी-27-12-60 से 19-7-62 तक ।

2. श्री जे० एम० लालवानी, जिलाधीश, जयपुर-20-7-62 से 9-1-63 तक ।

3. श्री गोकुल लाल मेहता, जिलाधीश, जयपुर-10-1-63 से 12-1-64 तक ।

4. श्री रामकिशोर व्यास-13-1-64 से 5-1-67 तक ।

5. श्री सरदारमल सिंघी—6-1-67 से अब तक ।

2. नगर सुधार न्यास, जयपुर के गैर सरकारी अध्यक्षों को 500·00 रुपये प्रति माह का मानदेय भत्ता (ओनरेरियम) दिया जाता है तथा सरकारी अधिकारी यदि अध्यक्ष होता है तो उन्हें 200.00 रुपये प्रति माह दिये जाने की स्वीकृती राज्य सरकार द्वारा अलग से नामजद प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त जब कभी गर सरकारी अध्यक्ष तथा सदस्य न्यास के कार्य हेतु अन्य जगहों पर दौरे पर जाते हैं तो उन्हें राजस्थान विधान सभा के सदस्यों की भांति यात्रा तथा अन्य भत्ते देय होता है । न्यास कार्य हेतु अध्यक्ष को टेलीफोन तथा न्यास की गाड़ी प्रयोग करने की सुविधा दी जाती है । खर्चे की सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

योजना सहायक के पद पर नियुक्ति

60. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में इस विभाग के अन्तर्गत एक योजना सहायक (प्लानिंग असिस्टेन्ट) का नया पद बनाया गया था ? यदि हां, तो इस पद पर इतने दिनों तक नियुक्ति क्यों नहीं की ?

(2) इस पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन किस तारीख को और किस अखबार में निकाला गया ? और किस तारीख को साक्षात्कार किया गया ? और किस तारीख को चयन किया गया व कितने दिन के लिये किया गया ?

(3) इस पद के लिये क्या योग्यता निर्धारित की गई थी, और क्या उस योग्यता का व्यक्ति राजस्थान के किसी कालेज से आजकल निकल सकता है ?

उत्तर

(1) जी हां। पद की स्वीकृति दिनांक 14 मई, 1969 को दी है तथा पद को भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

(2) नियुक्ति हेतु विज्ञापन 9 जुलाई, 1969 को जयपुर में दैनिक पत्र एवं दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी के पत्रों में प्रकाशित करने के लिए निदेशक, जन-सम्पर्क विभाग को भेजा गया । विज्ञापन राष्ट्रदूत जयपुर में दिनांक 13-7-69, एवं नवभारत टाइम्स, इन्डियन एक्सप्रेस नई दिल्ली में 16-7-69 को प्रकाशित हुआ। इस पद हेतु अर्जियां प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 28-7-69 है । अभी चयन करने का प्रश्न नहीं उठता तथा चयन होने पर अधिकारीगण 28-2-70 तक कार्य करेंगे ।

(3) इस पद के लिये नीचे लिखी योग्यतायें है :—

डिग्री या डिप्लोमा सिटी, टाउन या रीजिनल प्लानिंग में

या

इन्टरमिजिएट इन आर्टीटेक्चर तथा दो वर्ष का टाऊन प्लानिंग आर्टीटेक्चर आफिस में अनुभव

या

दस वर्ष का ड्राईंग कार्य का नगर नियोजन आर्टीटेक्चर कार्यालय का अनुभव ।

राजस्थान में टाउन प्लानिंग व आर्टीटेक्चर कोर्स का कोई कालेज नहीं है परन्तु तीसरी निर्धारित योग्यता वाले बहुत से व्यक्ति राजस्थान में मिल सकते हैं ।

जयपुर नगर की आवास समस्या के समाधान के लिए अवाप्त भूमि

61. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर की बढ़ती हुई आवास की समस्या के समाधान हेतु कुल कितनी कृषि एवम् आबादी भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही नगर सुधार न्यास के कार्यालय में चल रही है ? अलग अलग भूमियों का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

क्षेत्रफल, उनके मालिकों के नाम मय पूर्ण पतों के तथा भूमि का स्थान अवाप्ति के लिये जारी किये गये नोटिस की तारीख और इस समय कार्यवाही किस स्तर पर है इसका पूर्ण विवरण देते हुए सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नगर सुधार न्यास के गठन से लेकर अब तक कौन कौनसी ऐसी भूमियां है जिनकी अवाप्ति की कार्यवाही की गई थी और बाद में समाप्त कर दी गई ? उन सभी भूमियों का क्षेत्रफल, उनका पता, उनके मालिक के नाम मय पूर्ण विवरण के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें, जिसमें अवाप्ति की कार्यवाही समाप्त किये जाने के कारणों तथा अवाप्ति के नोटिस की तारीख और उसको समाप्त करने की तारीख का भी उल्लेख हो।

(स्थगित किया गया)

जयपुर नगर का मास्टर प्लान

62. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर का जो मास्टर प्लान बनाया गया था, उसके सन्दर्भ में क्या क्या योजनायें हाथ में ले ली गई हैं और उन पर कितने खर्चे का प्रावधान किया गया है ? इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) मास्टर प्लान के अनुसार नगर का योजनाबद्ध विकास हो सके, इस दृष्टि से क्या क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास एवंम् नगर परिषद से अनुमति प्राप्त किये बिना हो नई बस्तियों का निजी तौर पर निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है ? यदि हां, तो अनाधिकृत निर्माण के कितने मामले नगर सुधार न्यास ने अब तक पंजीबद्ध किये और उनमें से कितने मामलों को कम्पाउन्ड कर लिया ? ऐसे सभी मामलों की एक तालिका मय पूर्ण विवरण के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) शहर की चारदीवारी के बाहर नगर सुधार न्यास के अधिकार क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण कार्यों की बाबत कितने मामले नगर परिषद द्वारा पंजीबद्ध किये गये और उनमें से कौन कौन से मामले कम्पाउन्ड कर दिये गये ? इनकी एक सूची मय पूर्ण विवरण के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) अनाधिकृत निर्माण के मामलों को कम्पाउन्ड करने का अधिकार नगर सुधार न्यास को है या जयपुर नगर परिषद् को है ? अनाधिकृत निर्माण कार्य को तुड़वाने का अधिकार किसको है ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर का ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। नगर सुधार अधिनियम, 1959 तथा इसके तहत बने नियमों के अनुसार इसे जनता की राय हेतु प्रकाशित किया जायेगा। जनता की राय एवं एतराज प्राप्त होने के पश्चात् इसे अन्तिम रूप दिया जा सकेगा और इसके अनुसार योजनाएं तैयार करने की दिशा में कार्यवाही की जा सकेगी। जनता की राय एवं एतराज प्राप्त करने हेतु ड्राफ्ट मास्टर

(नगर आयोजन मंत्री)

प्लान को प्रकाशित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) न्यास की योजनाएँ ड्राफ्ट मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए ही स्वीकृत की जाती हैं।

(3) जी हां। कुछ अनाधिकृत निर्माण हुए है। न्यास द्वारा अनाधिकृत निर्माण के 1830 मामले पंजीबद्ध किये गये।

(4) अनाधिकृत अतिक्रमण करन वालों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। 176 मामलों का न्यास द्वारा कम्पाउन्ड किया गया है व 70 मामलों का नगर परिषद् द्वारा कम्पाउन्ड किया गया है। 2,092 अनाधिकृत निर्माण कार्य के मामले पंजीबद्ध किये गय तथा इनमें से 70 मामले कम्पाउन्ड कर लिये गये जिनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। 104 मामले नोटिस के अनुसार तामिल किये जाने पर समाप्त किये गये।

(5) अनाधिकृत निर्माण के मामलों को कम्पाउन्ड करने का अधिकार नगर परिषद् व न्यास की निगरानी में न्यास के अध्यक्ष को है। अनाधिकृत निर्माण तुड़वाने का अधिकार नगर परिषद् को व योजना क्षेत्र में नगर सुधार न्यास को है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

नगर परिषदों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान

63. श्री गंगा सहाय (कठूमर—सु०): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान में नगरपरिषदों द्वारा कितनी पाठशालाएं चलाई जा रही हैं? कितनी शालाओं को सरकार ने अपने हाथ में लेकर नगर परिषदों को शालाओं को चलाने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है?

(2) क्या नगर परिषदों द्वारा संचालित शालाओं के अध्यापकों को वही समस्त सुविधाएं मिलती हैं जो सरकार द्वारा संचालित शालाओं के अध्यापकों को मिलती हैं?

उत्तर

(1) राजस्थान में नगर परिषदों/पालिकाओं द्वारा निम्न प्रकार स्कूल चलाई जा रही है।

प्राईमरी	मिडिल	मोन्टेसरी
61	5	1

राजस्थान सरकार ने किसी भी स्कूल को अपने हाथ में नहीं लिया है।

(2) जी नहीं।

नगरपालिका अध्यक्ष, चूरू द्वारा बेची गई जमीन

64. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कलेक्टर, चूरू को भू०पू० अध्यक्ष, श्री जीवराज डागा द्वारा बेची गई जमीनों को अवैध मानते हुए कब्जा हटाने के लिए दीवानी दावे प्रस्तुत करने की आज्ञा संख्या 951 (53) एल० एस० जी० 9150134257, दिनांक 6-7-67 को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भेजी थी?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) क्या यह सही है कि कलेक्टर, चूरू ने आज तक एक भी दावा प्रस्तुत नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या आदेश की अवहेलना करने के सम्बन्ध में सरकार सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखती है और क्या सरकार अब अपने आदेश पर अमल करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

डीडवाना में बलदेव मिर्धा पार्क की भूमि

65. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कस्बा डीडवाना में एस०डी० ओ० कोर्ट के सामने कोई जमीन बलदेव मिर्धा पार्क के नाम से है ? यदि हां, तो कब से कितने वर्ग गज जमीन है तथा उस पर किस का कब्जा है और उक्त जमीन के पड़ौस में किन-किन की जमीन हैं ? सूची सदन की मेज पर मय नक्शा के पेश करने की कृपा करें।

(2) उक्त जमीन की देख-रेख कौन करता है और उसमें कोई बिल्डिंग या चार-दीवारी आदि बनी हुई है या खाली पड़ी हुई है और यह किस कार्य में आती है ?

(3) नगरपालिका की ओर से या नगरपालिका के कार्यालय में इस जमीन बाबत कोई कार्यवाही चली हो तो तत् सम्बन्धी जानकारी देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 3-12-60 से। भूमि 9 बीघा 9 बिस्वा है। श्री बलदेव राम मिर्धा मैमोरियल सोसायटी, डीडवाना का कब्जा है। नक्शे में सूचना दिखाकर प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) श्री बलदेवराम मिर्धा सोसायटी डीडवाना देख-रेख करती है। भूमि खाली है व बच्चे खेलते हैं।

(3) भूमि में भवन निर्माण करने की अवधि दिनांक 31-3-70 तक बढ़ा दी गई है।

(सूची नक्शे की होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)

जैसलमेर नगरपालिका द्वारा स्कूल निर्माण करने का प्रस्ताव

66. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जैसलमेर नगर-पालिका एक प्रस्ताव द्वारा यह निर्णय ले चुकी है कि नगरपालिका की आय से जैसलमेर के स्कूल निर्माण में रुपया देगी ? अगर हां, तो सरकार द्वारा इस निर्णय की स्वीकृति को क्यों रोका गया है और किस आधार पर विभाग नगरपालिका के प्रस्ताव को रोक सकता है ?

उत्तर

स्वीकृत बजट में इस व्यय का प्रावधान न होने से स्वीकृति नहीं दी गई।

ग्राम पांडूसर का वाटर वर्क्स

67. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नोहर के गांव पांडूसर में वाटर वर्क्स लगा

(श्री रामचन्द्र आर्य)

हुआ है? यदि हां, तो वह कब लगा था और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई?

(2) क्या यह सही है कि यह वाटर वर्क्स चालू नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों? यह कब चला था और आइन्दा कब चलेगा?

(3) क्या यह सही है कि गांव पांडूसर के आस-पास के काफी ग्रामों में पानी खारा है और उनको पीने का पानी इस वाटर वर्क्स से दिया जा सकता है? यदि हां, तो इसको चलाने में देरी का क्या कारण है?

(4) क्या यह सही है कि तहसील नोहर के अधिकतर ग्रामों में पानी खारा है? यदि हां, तो सरकार ने इन ग्रामों को किस जगह से पानी देने की योजना बनाई हैं? और यदि नहीं बनाई है, तो क्यों?

उत्तर

जी हां, यह सही है। वाटर वर्क्सका कार्य सन् 1963-64 में पूर्ण किया गया था इस पर लगभग 1 लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई।

(2) यह सही है कि यह वाटर वर्क्स चालू नहीं है यह वाटर वर्क्स जलदाय विभाग द्वारा वर्ष 63-64 में पंचायत के लिए परीक्षण के तौर पर चलाया गया था। तत्पश्चात् पंचायत के शर्तनामे प्रस्ताव के अनुसार पंचायत को इस वाटर वर्क्स के चलाने का खर्चा देने व वाटर वर्क्स पंचायत द्वारा सम्भालने को कहा गया। पंचायत ने न तो वाटर वर्क्स के चलाने का खर्चा जमा करवाया और न ही जिम्मेदारी वहन करने को तैयार हुई, पंचायत जब भी चाहे या तो इस वाटर वर्क्स को अपने चार्ज म लेकर चला ले या आवश्यकतानुसार पैसा जमा करवाकर नियमानुसार चालू करवा सकती है।

(3) जी हां आस-पास के गांवों में पानी खारा है। पांडूसर वाटर वर्क्स केवल पांडूसर ग्राम की जनसंख्या की आवश्यकता को मद्दे नजर रखते हुए बनाया है इस वाटर वर्क्स से अन्य ग्रामों को पानी देना वित्तीय एवं तकनीकी कठिनाईयों से संभव नहीं है जैसा कि प्रश्न (क) भाग (2) के उत्तर में स्पष्ट किया जा चुका है इस वाटर वर्क्स को चलाना व वैसे ही बन्द रखना पंचायत पर निर्भर है।

(4) जी हां, नोहर तहसील में ऐसे 74 ग्राम हैं जिनका पानी खारा है इन ग्रामों के लिये 9 रीजनल स्कीमों द्वारा पानी वितरण करने का आवश्यक प्रावधान मास्टर प्लान में लिया गया है जिनको निम्नलिखित 8 ग्रामों से मीठा पानी उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव मास्टर प्लान में है।

1. पल्लू	2. नोहर	3. बरकली
4. सोनरी	5. पाण्डूसर	6. मेगाना
7. भांवलदेसर	8. मोटोर	9. परलिका

मास्टर प्लान भारत सरकार में विचाराधीन है। मास्टर प्लान की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धि पर आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

बाड़मेर में पीने के पानी की समस्या

68. **श्री केशरी सिंह हाडा (हिण्डौली):** क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर में वर्षों से पीने के पानी की जो समस्या चली आ रही है उसके लिये क्या सरकार ने गत 20 वर्षों में कोई योजना बनाई है?

Page No 46

(श्री केशरीसिंह हाडा)

(2) क्या यह सत्य है कि बाड़मेर के जिलाधीश ने पत्रकारों को यह आश्वासन दिया था कि साल, 1968 में गर्मियों में पीने के पानी की कमी दूर कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रथम बार एक योजना सन् 1964-65 में पूर्ण की गई थी और अब इस योजना का पुनरुत्थान कार्य सन् 67-68 में हाथ में लिया गया, तथा कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

(2) जी नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया था ।

वक्फ सम्पत्ति का मूल्यांकन

69. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में वक्फ सम्पत्ति का कुल मूल्यांकन कितना है और इससे प्रति वर्ष कितनी आमदनी होती है ?

(2) इन सम्पत्तियों की देखभाल पर प्रति वर्ष कितना खर्चा होता है ?

(3) सबसे कम और सबसे ज्यादा आमदनी किस जायदाद से होती है ?

(4) इन संपत्तियों को किराये पर देने अथवा बेचने की बाबत क्या कोई नियम बनाये गय हैं ? यदि हां, तो नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) राजस्थान में सर्वे के अनुसार वक्फ सम्पत्तियां करीब 20 करोड़ रुपये की कीमत की हैं । लेकिन इन जायदादों में अधिकतर संपत्तियां मकबरे तथा कब्रिस्तान है जो न बेची जा सकती हैं और न किराये पर दी जा सकती हैं अतः इनकी बाजारू कीमत या रेंटल वेल्यू कुछ नहीं हो सकती ।

वक्फ जायदादों की प्रति वर्ष आमदनी का तखमीना करीब 33,16,549) रु० है लेकिन मुतवल्लियान की उजरदारियों की वजह से वक्फ संपत्तियों की इतनी आमदनी नहीं हो पाती है जैसे कि सर्वे में लगाई गई है । आज तक हुई सालाना आमदनी की सूची संलग्न है ।

(2) वक्फ संपत्तियों वक्फ बोर्ड के डाईरेक्ट मनेजमेन्ट में नहीं हैं । मुतवल्लियान खुद वक्फ जायदादों का प्रबन्ध करते हैं ऐसी हालत में वक्फ संपत्तियों की देखभाल के खर्चे का तखमीना नहीं लगाया जा सकता ।

(3) सबसे ज्यादा आमदनी जामा मस्जिद, भरतपुर से होती है जिसकी आमदनी करीब 17,124) रु० प्रति वर्ष होती है । कुछ जायदादों की सालाना आमद सौ रुपये से भी कम है और कुछ की एक पैसा भी नहीं है ।

(4) वक्फ जायदादें आम तौर से बेची नहीं जातीं तथा किराये पर देने के कोई नियम नहीं हैं । हां कहीं 2 पर नाजायज कब्जों से बचाने के कारण बोर्ड या मुतवल्ली खाली जमीनें किराये पर दे दिया करते हैं ।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

मकराना में बिजली के पैसे जमा कराने की सुविधा

70. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मकराना में बिजली के पैसे जमा करने के लिये सांभर से केशियर केवल दो रोज के लिये ही आते हैं ? और उसको कम माना जाकर और अधिक दिन भेजने के प्रश्न पर विचार करने का आश्वासन दिनांक 29-3-68 को दिया गया था ? यदि हां, तो इस संबंध म क्या निर्णय लिया गया है ?

(2) मकराना में 33 के० वी० की लाइन कब तक आ जायगी व वहां बड़ा ट्रांसफोर्मर कब तक लग जायगा ?

(3) क्या मकराना स्थित विजली विभाग के दफ्तर में टेलीफोन की अत्यन्त आवश्यकता है ? यदि हां, तो कब तक लगा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) मास अगस्त, 1968 से केशियर सांभर से मकराना तीन दिन के लिये प्रति मास जाता है।

(2) कुचामन और मकराना के लिय ट्रान्सफोर्मर व आयल सर्कट ब्रेकर प्राप्त होने के पश्चात् दो-तीन महीने में मकराना की लाइन को 33 के० वी० पर चालू कर दी जावेगी।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

लाडनूं क्षेत्र के गांवों में बिजली

71. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निर्वाचन क्षेत्र, लाडनूं, जिला नागौर में अब तक कितने गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है ?

(2) अगले वित्तीय वर्ष में उक्त क्षेत्र में किन-किन गांवों में बिजली दी जावेगी ?

(3) ऐसे कौन-कौन से गांव हैं जहां पर बिजली की लाइन पंहुंची हुई है परन्तु कनेक्शन नहीं दिया गया ?

(4) इस क्षेत्र में इस समय कितने माइल बिजली की लाइन बिछी हुई है ?

उत्तर

(1) 5 गांवों में।

(2) अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

(3) एक भी नहीं।

(4) 18 मील 33 के० वी०, 38 मील 11 के० वी० और 20 मील एल० टी० लाइन बिछी हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

बाली तहसील के गांवों में बिजली

72. **श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा** (बाली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बाली तहसील के कौन-कौन से गांवों का विद्युत्तीकरण किस-किस तारीख को किया गया ?

Page No 48

(श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा)

(2) विद्युतिकृत हर गांव में पहला पावर कनेक्शन किस तारीख को दिया गया ?

(3) आज दिन तक हर गांव में कुल कितने-कितने कनेक्शन दिये गये और गांव वार कितने-कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्युतिकृत गांवों की सूची जिसमें उनके विद्युत्तिकरण की तारीख दिये गये कनेक्शनों को एवं विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों की संख्या दिखायी गई है, संलग्न है।

(2) सूचना एकत्रित नहीं है व उसको एकत्रित करने में भी काफी समय लगेगा ।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

नापासर में बिजली के कनेक्शन के शिफ्टिंग चार्ज के पैसे

73. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा सु०): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नापासर (तहसील बीकानेर) के बिजली कनेक्शन नं० 1-1-196 का थ्री फेस का मीटर बिना शिफ्टिंग चार्ज लिए ही जे० ई० एन०, नापासर द्वारा शिफ्ट कर दिया गया ?

(2) उस शिफ्टिंग में 40 फीट पाइप इक इंच साइंज का व 160 फीट बी० आई० तार 7/22 का बचा जिसकी कीमत 150) रु० से अधिक होती है, कहां गया ?

(3) मीटर शिफ्टिंग चार्ज 20) रु० जो नियमानुसार अग्रिम जमा करवाया जाता है, क्यों नहीं करवाया गया ?

(4) क्या उपरोक्त पाइप व तार विद्युत् बोर्ड के स्टोर में जमा करवाया गया ? यदि हां, तो स्टोर के स्टॉक रजिस्टर के पेज व दिनांक बताइये ?

(5) उपरोक्त नम्बर का कनेक्शन किस के नाम है ?

(6) उपरोक्त गैर कानूनी कार्य करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस तरह मीटर शिफ्टिंग करने से 114 मीटर कन्ड्यूट पाइप एक इंच का व 136 फीट तार 3/22 साईज का उतारा गया जिसकी कीमत करीब 40 रुपये होती है और सामान सब-स्टेशन, नापासर के स्टॉक रजिस्टरों में जमा कर लिया गया । जिसका इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में पेज नं० 130, क्रम सं० नं० 2 व पेज नं० 32, क्रम सं० 2 पर क्रमशः है। यह सामान महकमे के स्टोर में मौजूद है।

(3) मीटर शिफ्टिंग चार्जेज की फीस के 20) रु० जूनियर इंजिनीयर, नापासर की गलती से पहले जमा नहीं करवाये गये बाद में वसूल कर लिये गये।

(श्री विद्युत् मंत्री)

(4) हां, जो सामान उतारा गया वह स्टॉक रजिस्टर के पेज नं० 130, क्रम सं० नं० 2 तथा पेज नं० 32, क्रम सं० 2 पर दर्ज है। उपरोक्त नं० का कनेक्शन श्री पन्नालाल मूंदड़ा का है।

(5) इस तरह की गैर वाजिब कार्यवाही का पता लगने पर सम्बन्धित उपभोक्ता से मीटर शिफ्टिंग चार्जेज के 20) रु० कायदे अनुसार वसूल करके रसीद नं० 6/399, दिनांक 12-1-68 को जारी कर दी गई है और जूनियर इंजीनियर की इस गैर वाजिब कार्यवाही के सम्बन्ध में जांच की गई

(6) और केवल Procedural गल्ती पाई जाने के कारण किसी विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई।

अलवर में पब्लिक नोटरी

74. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर के जिलाधीश, श्री आर० आर० जैन ने नवम्बर या दिसम्बर, 1966 में राज्य सरकार को यह सिफारिश की थी कि यहां पर एक दूसरा नोटरी पब्लिक मुकर्रर होना चाहिये क्योंकि काम अधिक होने के कारण एक ही नोटरी होने से जनता को परेशानी होती है? यदि हां, तो कृपया कलेक्टर का तत्सम्बन्धी पत्र सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने जिलाधीश की सिफारिश पर विचार किया है और कोई निर्णय लिया है?

(3) क्या यह सही है कि विधि सचिव ने अपने पत्र दिनांक 1-10-66 द्वारा जिलाधीश, अलवर से दूसरे नोटरी की आवश्यकता के सम्बन्ध में जानकारी मांगी थी?

उत्तर

(1) जी हां।

जिलाधीश के तत्सम्बन्धी पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

राज्य सरकार ने अतिरिक्त नोटरी पब्लिक नियुक्त करना उचित नहीं समझा।

(3) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

बोंली-जस्टाना सड़क की मरम्मत

75. **श्री राम प्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बोंली-जस्टाना पक्की सड़क बेहद खराब हालत में है?

(2) इस सड़क पर मरम्मत हुये कितना अर्सा हुआ? तथा इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई जा रही?

(3) सड़क मरम्मत का कार्य कब चालू होगा?

उत्तर

(1) सड़क की हालत साधारण है।

(2) सड़क की मरम्मत प्रति वर्ष विभागीय गैंग द्वारा कराई जाती है। वार्षिक मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

जवाई बांध स्टेशन से बाली सड़क पर डामर कार्य

76. **श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा** (बाली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जवाई बांध स्टेशन से बाली के मार्ग पर 1935 से पहले से ही बस सर्विस उपलब्ध है ?

(2) यदि हां, तो इस मार्ग पर मेटल रोड बनाने का सरकार का प्लान है ?

(3) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

(4) क्या इस मार्ग को सरकार पक्का बनाने को महत्वपूर्ण नहीं मानती है बल्कि दूसरे मार्ग जिन पर आवागमन कम है और जिन पर बस सर्विस भी नहीं चलती उन पर कार्य करना चालू कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस विभाग को एसी जानकारी नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) राज्य सरकार प्रत्येक नगर व गांव को अच्छी सड़क द्वारा जोड़ने की इच्छा रखती है धनाभाव के कारण जितना काम निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार हाथ में लिया जा सकता है लिया जाता है।

कातर-लालगढ़ सड़क पर डामर कार्य

77. **श्री रावतराम** (छापर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम कातर, जिला चूरू से लालगढ़ सड़क पर डामर बिछाने का कार्य कब प्रारम्भ किया जायगा ?

(2) चालू वित्तीय वर्ष म उक्त सड़क के लिये कितनी धनराशि स्वीकार की गई है ?

(3) क्या चालू साल में सड़क को पूरा कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जब उपयुक्त धनराशि उपलब्ध होगी।

(2) कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

बकाया रॉयल्टी की वसूली

78. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किस-किस जिले में खनिज विभाग की रॉयल्टी की कितनी-कितनी राशि किस-किस में कब-कब से वसूली योग्य बकाया है ?

(2) बकाया राशि की वसूली के लिये सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

(3) वसूली समय पर न होने के मुख्य-मुख्य कारण क्या हैं और इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1) दिनांक 31-3-69 को जिन-जिन मामलों में खनिज विभाग की रकम वसूली

(श्री खनिज मंत्री)

के लिए वकाया थी, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) बकाया रकम को वसूल करने हेतु सर्व खण्ड एवं उप खण्ड अधिकारियों को निर्देशन दिये गये हैं कि वसूली के मामलों में व्यक्तिगत ध्यान देकर वसूल करें। राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली शीघ्र करने हेतु इस विभाग में अतिरिक्त तहसीलदार नियुक्त कराये गये हैं। उनको अचल सम्पति कुर्क करने के अधिकार भी दिलाये गये हैं। अतिरक्ति इसके जो पट्टाधारी समय पर बकाया जमा नहीं कराते हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार या तो पनालटी लगाई जाती है या पट्टे खण्डित किये जाते हैं। बकाया का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा होता है जिसको पार्टी दूसरे महीने में जमा करवाती है, किन्तु पिछले महीने के अन्त में रकम वकाया में बतानी पड़ती है। बकाया वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने में समय अवश्य लगता है। और कुछ मामलों में पट्टाधारी सरकार से या न्यायालय से स्थगन के आदेश प्राप्त कर लेते हैं जिससे निर्णय तक यह रकम बकाया चलती रहती है।

(3) तमाम खण्ड एवं उप-खण्ड अधिकारियों एवं अतिरिक्त तहसीलदारों (माईन्स) का उत्तरदायित्व इसलिये नहीं ठहराया जा सकता, किन्तु यह अवश्य देख लिया जाता है कि वसूली की कार्यवाही समय पर की जाती रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

हिन्डौन खादी उत्पादक सहकारी समिति लि० में गबन के मामले

79. श्री श्रवण लाल (हिन्डौन): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि हिन्डौन खादी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, हिन्डौन में वर्ष 1966-67 व 1967-68 में गबन के मामले हुए हैं?

(2) यदि हां, तो इसका ऑडिट कब-कब हुआ है और उसमें क्या-क्या आरोप हैं? तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सहकारी विभाग के ऑडिटर्स द्वारा 66-67 को 15-4-68 से 30-4-68 आडिट व 67-68 का 5 अगस्त से 23 अगस्त की अवधि में किया गया। सहायक पंजीयक ने अप्रेल, 69 में राजस्थान सहकारी अधिनियम की 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत सहकारी प्रसार अधिकारी (पंचायत समिति) को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हुई है। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर मुख्य अनियमितताओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा ऊन का बेचान

80. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 65-66 में राजस्थान लघु उद्योग निगम ने बीकानेर

(श्री हरजीराम बुरड़क)

के ऊन उत्पादन केन्द्र में वस्ट्रेड ऊन बेची ? यदि हां, तो कितनी ऊन कितने रुपयों में बेची गई ?

(2) उपरोक्त ऊन बेचने के लिये टेन्डर मांगे गये थे या उसकी नीलामी की गई थी ?

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त वस्ट्रेड ऊन के नाम से अच्छी ऊन भी बेची गई ? यदि हां, तो इससे निगम को कितना नुकसान हुआ ?

(4) उपरोक्त समय वह ऊन किस अधिकारी द्वारा बेची गई थी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जाति के लिए बनाई गई बस्ती

81. **श्री रामप्रसाद बोहरा** -(झालरापाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम भरेल चौकी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ में कोई कॉलोनी अनुसूचित जाति के परिवार आबाद करने हेतु बनाई गई थी ?

(2) यदि हां, तो कब ? इस कॉलोनी में कितने परिवार कौन-कौन बसाय गये ? इनको अनुदान में कितनी-कितनी रकम दी गई ? एवं कर्जा कितना-कितना दिया गया ? कर्जा कितना-कितना किन-किन में बकाया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सही है कि इन परिवारों की रकम वसूली के लिए तहसील झालरापाटन द्वारा कुर्की के आदेश दिये गये हैं ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

हरिजनों को मकान बनाने के लिये अनुदान

82. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यही सही है कि कस्बा नोहर में हरिजनों की काफी तादाद है ? यदि हां, तो कस्बा नोहर व तहसील नोहर में हरिजनों की कुल संख्या कितनी है और सन् 1962 के बाद 1969 तक मकान बनाने के लिए कितना अनुदान कितने व्यक्तियों को दिया गया है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि नोहर के 41 बाल्मिकी हरिजनों द्वारा समाज कल्याण विभाग को सन 1965 से बराबर प्रार्थना-पत्र दिए जाते रहने पर भी मकान बनाने के लिए अनुदान की राशि नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार इस प्रकार की देरी करने का पता लगा कर दोषी अधिकारियों का जवाब तलब करने के लिए तैयार

(श्री रामचन्द्र आर्य)

है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, कस्बा नोहर व तहसील नोहर में अनुसूचित जातियों की संख्या सन् 1961 की जनगणना के अनुसार क्रमशः 1,035 तथा 27,208 है। कस्बा नोहर व तहसील नोहर में हरिजनों को मकान सहायता को कोई अनुदान नहीं दिया गया।

(2) वर्ष 1965-66 में नोहर के 38 बाल्मिकी परिवारों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे उनमें कुछ कमियां थी जिनकी पूर्ति हेतु उन्हें वापस भेजा गया था। वे पूर्तियों हो कर अन्तिम रूप से दिनांक 21-3-69 को 33 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये उस समय तक वर्ष का प्रावधान समाप्त हो चुका था। इस कारण स्वीकृति नहीं दी जा सकी।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(12.5 म० प०)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री रामप्रसाद लड्ढा (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित पत्र सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) गृह ख-1 विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (1) (3) परिवहन/69, दिनांक 17 जून, 1969।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन 1968।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री यशवन्तसिंह नाहर (सभापति, विशेषाधिकार समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति के 9वें और 10वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं दी है जिनके संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिये जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथा शीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनका संबंध (1) 15 वर्षों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों पर असंतुलित तरीके से खर्च की गयी धनराशि, (2) जोधपुर नगर की सड़कों एवं गलियों की मरम्मत तथा सफाई की समुचित व्यवस्था के संबंध में जोधपुर नगर में श्री गुमानमल लोढ़ा तथा अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा (3) राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार न करने से उत्पन्न स्थिति से है।

एक और स्थगन प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जिसकी सूचना श्री जयनारायण सालोदिया से प्राप्त हुई है। इस प्रस्ताव में श्री सालोदिया द्वारा दिनांक 12-6-69 को ग्राम दिलवाड़ी, पंचायत समिति श्रीनगर, जिला अजमेर में मुर्दा मवेशी न उठाने पर गांव

(श्री अध्यक्ष)

के सवर्ण लोगों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर देना बतलाया गया है। इस पर भी जानकारी मिलने पर निर्णय लिया जाकर मैं सदन को सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त निम्नांकित और स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं :–

(1) श्री हरलालसिंह खर्रा, श्री गंगासहाय व श्री आलम अली खां ने ग्राम रींगस में गोचर भूमि के अभाव के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री हीराभाई व श्री विट्ठल भाई, सदस्य विधान सभा ने बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले के अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य बन्द करने के आदेश के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री केशरीसिंह हाडा ने बूंदी जिले के ग्राम करवर में एक सार्वजनिक नसियां को एक व्यक्ति द्वारा ताला लगा कर बन्द कर देने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) मांडलगढ़ क्षेत्र में कृषि भूमि पर नाजायज़ कब्जे व अलॉटमेन्ट में अनियमितताओं के बारे में श्री मनोहर सिंह मेहता ने एक स्थगन स्ताव की सूचना दी है।

(5) एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री विजयसिंह मकराना से प्राप्त हुई है जिसमें पश्चिमी राजस्थान के साथ भेदभाव बरतने आदि का उल्लेख किया गया है।

दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं श्री सुवालाल चौधरी, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है। इनमें से एक का संबंध तहसील दूदू में बिजली न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति से है और दूसरे में दूदू क्षेत्र में पशुओं द्वारा फसल को क्षति पहुंचाने का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के अतिरिक्त 9 स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं एक साथ श्री जयनारायण सालोदिया, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जो संक्षिप्त में इस प्रकार है :–

(1) जयपुर में तीर्थ स्थान गलता में स्नान करने वालों की सुरक्षा का प्रबंध।

(2) शराबबन्दी की घोषित नीति के बावजूद सवाई माधोपुर व भूपालसागर में शराब बनाने के कारखाने खोलना।

(3) कृषि सहकारी समिति, कूकस, तहसील जमुवारामगढ़ को अलॉट की गई भूमि में से अन्य व्यक्ति को भूमि अलॉट किये जाने से उत्पन्न स्थिति।

(4) श्री भूपालसिंह, रेवेन्यु अपील अधिकारी, बीकानेर के विरुद्ध शिकायत।

(5) निवाई पंचायत समिति क्षेत्र में वितरित शंकर बाजरे के संबंध में शिकायत।

(6) जयपुर शहर में बिजली, तार टेलीफोन के खम्भों से यातायात में असुविधा संबंधी शिकायत।

(7) सिटी पैलेस, जयपुर के पुराने बहुमूल्य चित्रों की चोरी के संबंध में शिकायत।

(8) राज्य के कई जिलों में पुलिस की ज्यादतियों से उत्पन्न स्थिति।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री बालचन्द सेन, स्वतंत्र पार्टी के कार्यकर्त्ता, जोधपुर को दिनांक 8 अगस्त, 1969 को कुछ लोगों द्वारा घायल कर देने से संबंधित।

उपरोक्त सभी मामले इतने अविलंबनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर आज इन पर विचार किया जाये। अतः मैं इनसब स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री हरलाल सिंह खर्रा: अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वह गोचर भूमि के अभाव का नहीं है बल्कि उसके अलॉटमेन्ट का है। यह अकेले श्री माधोपुर का ही सवाल नहीं है। अगर इस तरह से गोचर भूमि को राज्य सरकार अपने निर्णय के खिलाफ कार्यवाही करती रही तो जो पैसे वाले लोग हैं वह उस भूमि पर अनधिकृत कब्जा करेंगे व भूमिहीन लोग जो गरीब हैं उनको जमीन नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री हरलाल सिंह खर्रा: अध्यक्ष महोदय, इसमें........

श्री मदन सिंह (दांता रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, गोचर भूमि के लिये राजस्थान सरकार के नियमों में ऐसा है, और वहां पर कानून के खिलाफ आचरण हुआ है। इसका सम्बन्ध न सिर्फ श्रीमाधोपुर से ही है बल्कि सारे राजस्थान से है। गोचर भूमि पर किसी के द्वारा काश्त नहीं हो सकती है। गोचर भूमि में एडीशन हो सकता है। वह काश्त के लिए नहीं दी जा सकती है। केवल आबादी के लिए दी जा सकती है। इन नियमों के विरुद्ध बहुत बड़ी कार्यवाही हुई है। इसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को आदेश दें कि वे इस बारे में वक्तव्य दें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। आज से पाली मिल के तीन हजार मजदूर हड़ताल पर हैं।

श्री अध्यक्ष: अभी आगे क्या सुना है।

श्री हरलाल सिंह खर्रा: अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने गोचर भूमि को ऐसा रखा है तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, मंत्री महोदय से कम से कम इसका स्पष्टीकरण तो करवायें।

श्री मदन सिंह: मंत्री महोदय से......

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने उसे अस्वीकार तो कर दिया है, पर मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे आपको बुलाकर स्पष्टिकरण कर देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे नम्र निवेदन यह है कि मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था कि आज से 10 दिन पूर्व अन्ता के मोटर स्टेण्ड पर से 45 दुकानदारों को वहां के एस० डी० एम०, उपजिलाधीश ने बर्बरतापूर्वक कानून की अवहेलना करके बरसात की मौसम में हटा दिया......

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। यह तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। अभी तो स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न ही चल रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अभी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं.........

श्री अध्यक्ष : अभी वह स्टेज ही नहीं आई है और निवेदन आप पहले करने जा रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं निवेदन करना चाहता हूं......

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) **:** अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में 15 अगस्त से अकाल के काम बन्द करने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है.......

श्री अध्यक्ष : वह अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री हीराभाई : आपको लोगों को जिन्दा रखना है कि नहीं, लेकिन आपने नहीं माना तो क्या रिलीफ के काम बन्द नहीं होने से.........

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हीराभाई : आदमी ज्यादा तादाद में मरेंगे तो आप मानोगे। आपने मना कर दिया तो मंत्री महोदय से वक्तव्य तो दिला दें। हजारों की तादाद में मजदूर अकाल-पीड़ित हैं और लाखों की तादाद में मजदूर 15 अगस्त से रोजी-रोटी से अलग कर दिये जायेंगे तो क्या गवर्नमेंट उसके बारे में व्यवस्था करने को तैयार है? गवर्नमेंट को वहां पर अकाल राहत को चालू रखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है, स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : अकाल का प्रश्न ऐसा है कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में सलाहकार समितियों ने अकाल के कार्य को चालू रखने के लिए स्वीकृति दी है। अगर ऐसी पालिसी है तो मंत्री महोदय कह सकते हैं और 15-20 रोज के लिए और स्वीकृति हो सकती है.....

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य। आर्डर प्लीज।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष.....

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं कि उसके लिए स्वीकृति हो सकती है।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट)**:** काम जब रिलीफ का 5-6 महीने चला तो एक-डेढ़ महीने की और जरूरत है। अगर काम नहीं चलेगा तो लोग भूखे मर जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अकाल पर वाद-विवाद हो रहा है उस पर कहें।

श्री हीराभाई : वह 15 से हो रहा है तो लोग वहां पर क्या खायेंगे?

श्री अध्यक्ष : बहुत नजदीक से हो रहा है।

श्री रामकिशन : यह दोनों सवाल अलग-अलग हैं। वाद-विवाद हो रहा है वह दूसरी बात है। राज्य सरकार ने आदेश दे दिया है कि 5 तारीख से काम बन्द कर दिया जाय और वाद-विवाद होगा 22 को। पता नहीं राज्य सरकार की क्या नीति है। बरसात तो हुई है लेकिन बाजरे की बरसात तो नहीं हुई है, मक्का नहीं आई है। जब तक

(श्री रामकिशन)

अनाज नहीं आये तब तक तो अकाल-राहत कार्य चालू रहने चाहिए । जो नहीं करना चाहें वह न करें । मैं नहीं समझता हूं कि बरसात का अभी का अकाल कैसे मिट जायगा जब तक कि नई फसल नहीं आयेगी । इसलिये वक्तव्य दिलवायें कि सरकार की क्या नीति है ।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर एक सुविधा का प्रबन्ध कर रहा हूं कि अकाल-राहत मंत्री माननीय सदस्यों को बुलाकर इस प्रश्न पर चर्चा करलें । अभी तो मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है इसलिए नहीं ले सकता ।

श्री रामकिशन (वैर) **:** ठीक है यह कर दें ।

श्री हीराभाई : अगर मंत्रीजी ने बिल्कुल मना कर दिया तो क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अभी आप देखिये कि मनाही होती है कि नहीं ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) **:** अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक पत्र अभी मेरे क्षत्र से यह आया है कि वहां पर बिल्कुल बरसात नहीं हुई और काम बन्द कर दिये ।

श्री अध्यक्ष : इस पर भी चर्चा होगी। मुरलीधर व्यास और उनके साथियों के पीटने के बारे में गृह मंत्रीजी का वक्तव्य ।

श्री विजयसिंह (मकराना) **:** सवाल यह इस राजस्थान का है, अध्यक्ष महोदय, सवाल इस महान राजस्थान का है । इस महान राजस्थान के अन्दर ऐसा है कि जिन्होंने इस राजस्थान.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वक्तव्य आ गया है । किसी चीज की सीमा रखिये ।

श्री विजयसिंह : कृपया मेरी बात सुनने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं । दूसरा ले लिया है बिजनस । माननीय गृह मंत्रीजी खड़े हो गये हैं ।

श्री विजयसिंह : आपने स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी है तो एक-दो मिनिट हमारी बात तो सुनिये ।

श्री अध्यक्ष : मने दूसरा बिजनेस ले लिया है ।

श्री विजयसिंह : आप तो हमेशा दूसरे बिजनेस लेते रहेंगे । अध्यक्ष महोदय, आपको भेद-भाव नहीं करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । इसमें कहीं भेद-भाव का प्रश्न उठता नहीं है । मैंने काफी लेटीट्यूड दिया है । सभी माननीय सदस्यों ने कहा है । स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाने के बाद कोई भाषण नहीं होता है, फिर भी मैंने लैटीट्यूड दिया है। अब मैंने दूसरा बिजनेस ले लिया है और माननीय सदस्य इस प्रश्न को एजीटेट करते लगे ।

श्री विजयसिंह : बहुत सारे माननीय सदस्य बोल रहे थे तो कैसे बोलता बीच में?

श्री अध्यक्ष : आप बोलते तो हैं, यह बात तो नहीं हैं । यही अपवाद रहा है ।

श्री विजयसिंह : यह....

श्री अध्यक्ष : पाईंट ऑफ आर्डर है ।

Page No 58

श्री मूलचन्द डागा (पाली)**:** अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हमारी विधान सभा के कुछ माननीय सदस्य अनुशासन भंग करने पर तुले हुए हैं। कई बार आपका निर्णय हो चुका है कि एक दफा एडजोर्नमेंट मोशन पर आप निर्णय दे देते हैं और निणय होने के बाद सदस्यगण बोलते जाते हैं। इससे ऐसा होता कि अनुशासन भंग तो होता ही है बिजनस भी नहीं हो पाता है और सभी काम ठप्प पड़ जाते हैं। इस प्रकार से जो बार-बार अनुशासन भंग करतें हैं, मैं, अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि उनके साथ सख्त कदम उठाये जायं।

श्री हीराभाई : आप अकाल से आते हैं

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनलें।

श्री अध्यक्ष : सहुलियत का प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, कृपा करके सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : यह बहुत ही ऊंचा शब्द काम में लिया है।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल राजस्थान का है। हम नहीं चाहते हैं कि इस राजस्थान के दो टुकड़े हों—पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, सरकार पूर्वी राजस्थान के साथ भेद-भाव कर रही है और पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जगह-जगह लोग असन्तुष्ट हो रहे हैं। उनके मैसेजेज मेरे पास आ रहे हैं। वे आन्दोलन करना चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर आन्दोलन हो। लेकिन यह जरूरी है अगर पश्चिमी राजस्थान बना तो इस राजस्थान से तो पाकिस्तान पर कब्जा नहीं हो रहा है लेकिन पश्चिमी राजस्थान के लोग कब्जा करके बता सकते हैं......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। पर्याप्त है।

माननीय गृह मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा)**:** माननीय अध्यक्ष, दिनांक 5-8-69 को बीकानेर शहर में प्रजा सोशियलिस्ट पार्टी द्वारा एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई जिसमें अकाल-रहात कार्य के विषय में राजकीय नीति तथा खाद्य पदार्थों को जिले से बाहर निर्यात करने पर असन्तोष व्यक्त किया गया। खुले आम भाषण दिया कि दिनांक 7 अगस्त, 1969 को मुख्य मंत्रीजी के बीकानेर आगमन के समय काले झण्डों का प्रदर्शन किया जाय और मुख्य मंत्रीजी का सर्किट हाउस में घेराव किया जाय। आपके जनसंघ द्वारा सभा में यह योजना बनाई गई कि मुख्य मंत्री महोदय के सामने काले झण्डों के साथ प्रदर्शन किया जाये। इस योजना को देखते हुए कानन और व्यवस्था की रक्षा के लिये सर्किट हाउस, बीकानेर में दिनांक 7-8-69 को पुलिस का आवश्यक प्रबन्ध किया गया। मुख्य मंत्रीजी दिनांक 7-8-69 को कोलयत-कोडमदेसर होते हुए सीधे नागौर के लिये रवाना हो गये और बीकानेर नहीं आये। राजस्व मंत्रीजी तथा सावजनिक निर्माण मंत्रीजी, सर्किट हाउस, बीकानेर में शाम को 6 बजे पहुंचे। दिनांक 7-8-69 को जनसंघ द्वारा आयोजित एक जुलस काले झण्डे लिये हुए और नारे लगाता हुआ सर्किट हाउस पहुंचा। इस जुलूस ने सर्किट हाउस के

(श्री हीरालाल देवपुरा)

बाहर काले झण्डों का प्रदर्शन किया और नारे लगाये। जलूस को सर्किट हाउस में प्रवेश नहीं करने दिया गया और जलूस ने भी बलपूर्वक सर्किट हाउस में प्रवेश करने की चेष्टा नहीं की और कुछ प्रदर्शन करने के बाद यह जलूस चला गया। इसी प्रकार कांग्रेस वालों का जलूस भी आया किन्तु उसे भी सर्किट हाउस की सीमा में अन्दर प्रवेश नहीं करने दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ता है कि क्या बोल रहे हैं। क्या नहीं बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : विषय तो समझ गये ?

श्री भैरोंसिंह : विषय भी नहीं समझे हैं। कुछ पता नहीं है कि डी० पी० आर० के बारे में बोल रहे हैं या बीकानेर के बारे में।

श्री हरिदेव जोशी : वाह, वाह।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय,......

श्री अध्यक्ष : फिर गड़बड़ हो जायेगी। माइक की तरफ मुंह कीजिए।

श्री रामकिशन : असल में, मन्त्री बनाने से पहले डेढ़ महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : लगभग सवा सात बजे शाम प्रजासोशयेलिस्ट पार्टी का जुलूस श्री मुरलीधर व्यास के नेतृत्व में ...

श्री अध्यक्ष : नहीं समझ में आ रहा है ?

श्री भैरोंसिंह : नहीं।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, दो माइक लगा दिये जायें। तीन माइक लगा दिये जायें। आप आगे आ जाइये। फिर पढ़ दीजिये।

श्री रामकिशन : माइक कुछ नीचा कीजिए।

श्री दामोदर लाल व्यास : भैरोंसिंहजी के कानों में कुछ गड़बड़ है।

श्री भैरोंसिंह : पीछे माइक लगा है, उसका मुंह भी इधर कर दीजिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : दिनांक 5-8-69 को बीकानेर शहर में प्रजासोशयेलिस्ट पार्टी द्वारा एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई जिसमें अकाल राहत कार्यों के विषय में राजकीय नीति और दूध तथा ग्वार आदि पदार्थों के जिले से बाहर निर्यात पर असन्तोष व्यक्त किया गया। वक्ताओं ने खुले आम इस मजमून के भाषण भी दिये कि तारीख 7 अगस्त, 1969 को मुख्य मन्त्री महोदय के बीकानेर आगमन के समय काले झण्डों का प्रदर्शन किया जावे और मुख्य मन्त्री जी का सर्किट हाउस पर घेराव किया जावे।

भारतीय जनसंघ द्वारा भी एक गुप्त सभा में यह योजना बनाई गई कि मुख्यमन्त्रीजी के सामने काले झण्डों के साथ प्रदर्शन किया जावे। इन योजनाओं को देखते हुए कानून और व्यवस्था की रक्षा के लिए सर्किट हाउस, बीकानेर पर तारीख 7-8-69 को पुलिस का आवश्यक प्रबन्ध किया गया।

मुख्य मन्त्रीजी तारीख 7-8 69 को दोपहर बाद कोलायत से कोडमदेसर होते हुए सीधे ही नागौर के लिय रवाना हो गये

(श्री हीरालाल देवपुरा)

यानी बीकानेर नहीं आये। खाद्य मन्त्री जी व सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीजी सर्किट हाउस, बीकानेर पर शाम को 6 बजे पहुंचे।

तारीख 7-8-69 को अपरान्ह में जनसंघ द्वारा आयोजित एक जुलूस काले झण्डे लिये हुए व नारे लगाते हुए सर्किट हाउस पहुंचा। इस जुलूस ने खड़े होकर काले झण्डों का प्रदर्शन किया और नारे भी लगाये। जुलूस को सर्किट हाउस में प्रवेश नहीं करने दिया गया और जुलूस ने भी बलपूर्वक सर्किट हाउस में प्रवेश करने की चेष्टा नहीं की और कुछ प्रदर्शन करने के बाद यह जुलूस चला गया। इसी प्रकार कांग्रेस वालों का जुलूस भी आया था....

श्री जयनारायण सालोदिया : झण्डे कैसे थे?

श्री हीरालाल देवपुरा : किन्तु उसे भी सर्किट हाउस की सीमा में अन्दर प्रवेश नहीं करने दिया गया था।

लगभग सवा सात बजे शाम प्रजा सोशयेलिस्ट पार्टी का जुलूस श्री मुरलीधर व्यास के नेतृत्व में सर्किट हाउस के गेट पर पहुंचा। जुलूस में 2 तांगे भी थे जिनमें लाउड स्पीकर लगे हुए थे। सर्किट हाउस के फाटक को बन्द देखकर और पुलिस कार्डन लगा हुआ देखकर श्री मुरलीधर व्यास ने प्रदर्शन कारियों से जोश के साथ इस बात का आदेश दिया कि वे बलपूर्वक पुलिस का कोर्डन तोड़कर सर्किट हाउस के अन्दर प्रविष्ट हो जावें। मौके पर उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री मुरलीधर व्यास और उनके साथी प्रदर्शनकारियों को समझाया कि यदि वे मन्त्री जी से मिलना चाहते हैं तो एक छोटे डेपुटेशन को अन्दर जाने की इजाजत दी जा सकती है किन्तु जुलूस और उसके नेता इसके लिये सहमत नहीं हुए। जुलूस के नेताओं में से श्री रंगा तांगे में से कूद कर पुलिस कोर्डन तोड़ने के लिये आगे बढ़े। उनके साथ ही श्री आशाराम व श्री मुरलीधर व्यास भी कोर्डन तोड़ने के लिये आगे बढ़े। साथ ही जुलूस ने भी बलपूर्वक अन्दर घुसने के लिए पुलिस से धक्काधूम शुरू की। जुलूस के सदस्यों के पास बड़ी संख्या में लम्बे डण्डे थे जिन पर उन्होंने पार्टी के झण्डे फहरा रखे थे। उन झण्डों के डण्डों से प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर प्रहार शुरू किया और जुलूस के पिछले भाग के लोगों ने पुलिस पर पथराव प्रारम्भ किया। जिससे कानून और व्यवस्था की रक्षा के लिये तैनात पुलिस कर्मचारियों के चोटें लगने लगी और इस बात की तत्काल आशंका पैदा हो गई कि कहीं पुलिस के कोर्डन को अस्त-व्यस्त करके और सर्किट हाउस के फाटक को ठेलकर या तोड़कर यह उग्र जलूस सर्किट हाउस में दाखिल न हो जावे और अन्दर मौजूद मन्त्रिगण के साथ उग्रता का व्यवहार करे। अतः मौके पर तैनात पुलिस ने यह तय किया कि इस जुलूस के नेताओं और हिंसा पर उतारू भीड़ के अधिक उग्र सदस्यों को गिरफ्तार करे। गिरफ्तारी की इस कोशिश के खिलाफ भीड़ के लोगों ने पुलिस से मारपीट की और पुलिस ने भी गिरफ्तारी अमल में लाने और भीड़ के हमले से रक्षा के लिए डण्डों का उपयोग किया जिससे श्री रंगा, श्री मुरलीधर व्यास व उनके चन्द साथियों इस प्रकार कुल 6 व्यक्तियों को चोटें आई जिनको चिकित्सा के लिये तत्काल अस्पताल भेजने का प्रबन्ध किया गया। इस धूमधाम में 6 पुलिस मैन को भी चोटें आई।

Page No 61

(श्री हीरालाल देवपुरा) :

श्री मुरलीधर व्यास, श्री नारायण रंगा व 4 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। बीकानेर के सरकारी अस्पताल के प्रधान चिकित्सक ने श्री मुरलीधर व्यास और उनके साथियों सर्व श्री रंगा, आशाराम, विष्णुदत्त, देवरत्न व बिशनपाल की चोटों का मुआयना किया और इन चोटों को सिम्पल इंजरीज करार दिया।

उपरोक्त निवेदन से विदित होगा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा सर्किट हाउस पर उग्र प्रदर्शन और बल प्रयोग का जो रवैया अख्तियार किया गया, उसका निश्चय उक्त पार्टी ने सार्वजनिक सभा में तारीख 5-8-69 को ही मुश्तहक कर दिया था। यानी कि योजना बद्ध हिंसात्मक प्रदर्शन की पूर्व सूचना हो जाने पर सर्किट हाउस पर पुलिस का उचित इन्तजाम किया जाना आवश्यक था, जो किया गया। यह बात तो खेद जनक है कि श्री मुरलीधर व्यास व श्री रंगा आदि को चोटें पहुंची लेकिन ये चोटें उनको जान-बूझ कर नहीं पहुंचाई गई। जुलूस ने पुलिस के कोर्डन पर जो आक्रमण किया और बलपूर्वक व अनाधिकार प्रवेश की जो चेष्टा की उसकी रोकटोक बलपूर्वक करना आवश्यक हो गया और इस कारण जो स्थिति बनी उसमें श्री व्यास और अन्य चन्द लोगों को चोटें पहुंची।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो अभी कहा है वह सत्य कितना है, यह तो वही जानते हैं। मैं यह पूछना चाहूंगा कि जुलूस में कितने आदमी थे ? पहले मुझे यह बतला देते कि जुलूस में आदमी कितने थे तो सचाई अपने आप सामने आ जाती। अध्यक्ष महोदय, जनसंघ वाले और कांग्रेस वाले जुलूस को छोड़कर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के आदमी जुलूस लेकर गये थे। 23-24 आदमी से ज्यादा नहीं थे कुछ बच्चे थे और कुछ औरतें थीं। वह जुलूस नहीं, वह एक प्रतिनिधि मण्डल था जो सरकार से, अकाल राहत कार्य चालू रखें जायें, यह कहने के लिये सरकिट हाउस गये थे। सरकार इस सम्बन्ध में जो कहना चाहे वह कहे। चाहे वह दूध वाला सवाल हो या ग्वार का। मैं यह कहना चाहूंगा कि इतने छोटे जुलूस पर लाठी प्रहार करने की क्या जरूरत पड़ गयी थी ? आप खुद इस बात को जानते हैं और सारा सदन जानता है कि मुरलीधर व्यास इस सदन के सदस्य रहे हैं। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि वह भीतर चले जाते तो उग्र प्रदर्शन करते या क्या वह वहां जाकर मारपीट करते ? गाली गलोच करते ? हो सकता है वह अपनी बात समझा देते और चले आते। आप जानते हैं, लोग दरख्वास्त देते हैं। यहां विधान सभा में समस्याएं आती हैं। उन पर क्या होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि लोकतन्त्र में कौनसी और प्रक्रिया अपनाई जाये। जब मिनिस्टर आये तो समस्या को उनके सामने रखा जाये। इसके अतिरिक्त और कौनसी प्रक्रिया हो सकती है। आप तो यह बतायें कि जुलूस में लोगों की संख्या कितनी थी ?

दूसरी बात, आखिर मुख्य मंत्रीजी वहां गये किस लिए थे ? अगर वहां गये थे अकाल के मामले में, जैसा कि ऐलान किया गया था तब तो मुख्य मंत्री को अकाल से सम्बन्धित मामले रखने वालों से मिलना चाहिए था। जैसा कि मंत्रीजी ने कहा कि सभा हुई, सभा होने की सूचना दे दी गई,

(श्री रामकिशन)

उसके बाद जो मंत्रीजी वहां ठहरे थे, वह अकाल के काम से वहां नहीं गये थे। जहां एक ओर अकाल पड़ रहा है वहां दूसरी ओर वर्षगांठ के नाम पर अकाल पीड़ित लोगों से, मज़दूरों से 53 हजार रुपया इकट्ठा किया गया, यह धन ओवरसियरों के द्वारा इकट्ठा किया गया, सी० डी० ओ० जो है उनके द्वारा यह रुपया इकट्ठा किया गया। मेरे पास में, जो चन्दा इकट्ठा किया गया, उसकी गांववार लिस्ट है। तो मुख्य मंत्रीजी की वर्षगांठ पर थैली देने के लिए ओवरसियरों के द्वारा पैसा इकट्ठा किया गया, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? मुख्य मंत्रीजी ने अकाल के नाम पर अपना दौरा दिखाया लेकिन उनके जाने का उद्देश्य वर्षगांठ के समारोह को बताया है। वह 53 साल के हों या 103 साल के हों, मैं समझता हूं कि उनकी अधिक से अधिक लम्बी उम्र होनी चाहिए—इसमें किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन अकाल के दिनों में इस प्रकार का प्रदर्शन किया जाय, और जहां पर यह आयोजन किया जाय वहां पर सरकारी झण्डे लगाये जायं, वहां पर तिरंगे झण्डे का नाम नहीं, वहां पर सरकारी झण्डे थे और सरकारी झण्डे के नीचे सरकारी एजेंसी के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा धन इकट्ठा किया गया, हर मजदूर की मजदूरी से पैसा काट कर इकट्ठा किया गया ....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर): गलत है।

श्री रामकिशन: कौन बोल रहे हैं?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: मैं बोल रहा हूं। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं।

श्री रामकिशन: माननीय गोकुलप्रसादजी को ऐसा बोलना चाहिए। मुझे पता नहीं है कि हरिश्चन्द्रजी उठकर यहां आ गये हैं और मैं कलयुग का पुरुष बोल रहा हूं। मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि किस-किस ने कितना-कितना धन दिया है, कितना कितना धन सी० डी० ओ० के द्वारा इकट्ठा किया गया है यह हमें मालूम है। बीकानेर के अन्दर तीन हजार रुपया अनाज के व्यापारियों से इकट्ठा किया गया, वह अकाल के काम के लिए नहीं दिया। अगर मेरी बात को वह चुनौती देना चाहते हैं तो दें.........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: अनाज के व्यापारियों ने खुद लाकर दिया है, उनके पास चन्दा लेने कोई नहीं गया। कोई सरकारी अधिकारी नहीं गया।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): यह बिल्कुल गलत कह रहे हैं।

श्री रामकिशन: आपका इसलिए ही तनख्वाह और भत्ता बढ़ाया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: यह पैसा सरकारी अधिकारियों द्वारा इकट्ठा नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज! माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री रामकिशन: अध्यक्ष महोदय, अगर यह इस तरह करेंगे तो इसका हमारे पास भी जवाब है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: आप इस प्रकार सदन के अन्दर गलत बात कह कर प्रभाव न डालें।

Page No 63

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, आप इनको रोकें, यह इस प्रकार उत्तेजित न करें ।

श्री अध्यक्ष : व्यवधान न करें ।

श्री रामकिशन : आप मेरी बात शांति से सुनें । अगर मेरी बात गलत हो तो आप उसका जवाब दे दें । आप कम से कम आसन को तो सम्मान दें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप गलत बात क्यों कहते हैं ?

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, रामकिशनजी सत्य कह रहे हैं । नागौर में भी सी० डी० ओ० ने इसी तरह से जाकर रुपया इकट्ठा किया है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत !

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामकिशन : सात हजार रुपये गंगाशहर से इकट्ठे किये गये, 11 हजार कोलायत से इकट्ठे किये गये । कोलायत क्षेत्र के अन्दर जो अनाज के व्यापारी ह, जो सरकारी अनाज बेचते हैं उनसे, प्रत्येक दुकानदार से रुपये ओवरसियरों द्वारा इकट्ठे किये गये हैं । इसी प्रकार से बरसिंहपुरा से 3,100 रुपय वहां के ओवरसियर ने मजदूरों की मजदूरी में से काट-काट कर इकट्ठे किये····

श्री गिरधारीलाल व्यास : बिल्कुल गलत !

श्री रामकिशन : मैं कहना चाहता हूं, इसी प्रकार माथुर साहब कुछ दिन पहले गये थे तो माथुर साहब ने पैसा इकटठा किया है ।

तो अंत में मैं एक बात जानना चाहूंगा । मुरलीधरजी व्यास के मामले में जो रुख आपने लिया, वह लिया लेकिन कम से कम किसी भी सरकार के लिए कोई बेहयाई की सीमा तो होनी चाहिए, कोई सीमा तो होनी चाहिए, ऐसी स्थिति में वहां पैसा इकट्ठा किया जाय जहां कि मजदूर भूखों मर रहे हैं, लोग अकाल के कारण कराह रहे हैं । वहां ओवरसियरों के द्वारा दबाव डाल कर पैसा इकट्ठा किया गया । मुख्य मंत्रीजी को माला पहनने के लिए समय था । लेकिन अकाल की बात जो करने आये थे, अगर उनको वह पांच मिनिट का समय दे देते तो यह सारी स्थिति टाली जा सकती थी । आपने कहा कि वह कोडमदेसर गये थे । मैं आपको बताऊं कि कोडमदेसर को सड़क सर्किट हाउस की बगल से होकर जाती है । लेकिन उनको पता था कि यह सारी बातें वहां पर उठेंगी, जो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, यह बात भी उठेगी । सरकारी कर्मचारियों के द्वारा धन इकट्ठा करने की जानकारी उन्हें थी इसलिए वह उस जगह को छोड़ कर भाग गये ।

तो मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मामले में कि जिन पुलिस के कर्मचारियों ने मुरलीधरजी के सिर पर डण्डे मारे हैं, उनको आप मोअत्तिल करें, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें । इसके अलावा आप इस प्रकार के प्रदर्शनों के बारे में कोई सरकारी नीति बनायें । आप भले ही यह तय कर दीजिये कि किसी को भी मंत्रियों से मिलने की जरूरत नहीं है, तो मंत्रियों से नहीं मिलेंगे, आखिर मंत्री से मिलने से कोई कल्याण नहीं हो जाता है । तो इस सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण साफ होना चाहिए । इन शब्दों के साथ में मैं

(श्री रामकिशन)

आपसे भीड़ के बारे में पूछना चाहता हूं कि वहां पर कितनी संख्या में लोग थे जिनके कारण कि शांति व्यवस्था को खतरा हो गया था ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो घटना मारपीट की श्री मुरलीधरजी व्यास और प्रजा सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं के साथ 7 तारीख को हुई, मैं उसके बाद अचानक 8 तारीख को बीकानेर में मौजूद था । इस सारी घटना से सम्बन्धित सारी बातों की व्यक्तिगत तौरपर सरकारी, गैर सरकारी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और जर्नलिस्टों से जानकारी प्राप्त करने की मैंने कोशिश की । मेरी जानकारी के अनुसार, और इस बात को खुद स्टेटमेंट में आपने स्वीकार किया है कि पुलिस की फोर्स वहां पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थी, करीब दो सौ सिपाही वहां पर मौजूद थे । एस० पी० साहब ने मुझे बतलाया कि दो सौ सिपाही वहां पर थे, चूंकि इस तरह का इनका प्लान था इसलिए पुलिस का पूरी तरह से इन्तजाम किया था । उसके मुकाबले में जो भी जुलूस पहले जनसंघ का निकला, उसको आगे नहीं जाने दिया । इस जुलस को भी सर्किट हाउस के गेट के करीब दो गज बाहर कोर्डन बना कर रोक लिया । यह स्टेटमेंट में भी कहा गया है कि कोई भी अन्दर नहीं जा सका । तो इतनी ज्यादा ओवर पावरिंग वहां पर पुलिस की फोर्स थी । अगर कोई चाहता भी तो भी वह वहां जा नहीं सकता था । जो गवर्नमेंट की विज्ञप्ति उस रोज वहां पर जारी हुई उसको भी मैंने पढ़ा था । उसमें न कहीं पत्थर मारने का जिक्र था न किसी के द्वारा लाठी चलाने का जिक्र था । अध्यक्ष महोदय, जो पुलिस के छः आदमियों के जख्मी होने का जिक्र किया गया है, मैंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट देखी है । दो आदमियों को वहां पर जबर्दस्ती एडमिट किया हुआ था । उनके जो चोटें थीं, एक आदमी के सिर के अन्दर मामूली सजन थी, एक के घुटने के ऊपर रगड़ थी । घुटने के ऊपर रगड़ थी, तो मैंने पूछा कि इनको आप एडमीशन के लायक समझते हैं ? क्या इनका एक्स-रे हो गया है ? तो वहां पर कुछ नहीं था । बाकी के चार और आदमी थे, उनके किसी किस्म की और चोटें नहीं थीं । यह बता रहे थे डाक्टर कि टिन्चर लगाया है, आपस में रगड़ा-रगड़ी हो गई है । इस तरह की बात थी । तो खुद गवर्नमेंट के बयान के मुताबिक केवल छः आदमियों के चोट लगना बताते हैं, उनमें जो गम्भीर से गम्भीर चोट थी, वह एक आदमी के सिर के अन्दर मामूली सी सूजन थी, जिसके बारे में यह नहीं कह सकते कि किसकी चोट थी, वह पत्थर की चोट थी, या कोई लकड़ी की चोट थी । इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के और कोई चोट नहीं थी । जो मेडिकल सर्टीफिकेट्स दिये हैं, वह मैंने खुद अपनी आखों से देखे हैं, उनमें कोई किस्म की चोट नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता था कि मुरलीधरजी उस जुलूस को लीड कर रहे थे, मुरलीधरजी और रंगा थ, वहां उनसे डिप्टी एस० पी० ने बात की थी । उनको समझाते हैं कि आप अन्दर मिलने चले जायं । इसका मतलब है कि वह आगे ही आगे थे और वह पत्थर मारने वाले नहीं थ, उन्होंने लाठी चलाई नहीं, फिर क्या वजह थी, जब कि वहां इतनी जबर्दस्त पुलिस फोर्स थी और इतनी जबर्दस्त

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

घटना नहीं हुई, फिर लाठी से मुरलीधरजी और रंगा को मारते हैं। कम से कम उन लोगों ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया, न किसी को चोट लगाई। जितने भी वहां पर जुलूस के लोग थे, अगर आप उनको आगे नहीं जाने देना चाहते थे, तो आपके पास में फोर्स थी। उन्होंने यह ऐलान किया था कि घेराव करेंगे, वह करेंगे, तो अगर वह कोई गैर कानूनी कार्यवाही करते तो भी आपको पीटने का अधिकार नहीं है, आपकी पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। अगर आप यह भी समझते थे कि इस तरीके से यह अन्दर जाकर कुछ गड़बड़ी करेंगे, यह आशंका थी तो आप उनको 107 में, 151 में गिरफ्तार कर सकते थे; लेकिन आप वह कार्यवाही नहीं करते थे। अव्वल तो किसी चीज की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपका कोर्डन था, आपकी पुलिस वहां इतनी बड़ी तादाद में थी, न कोई अन्दर घुसा और न जा सकता था। पहले दो जुलूस नहीं गये आगे, उन दोनों को अगर आप कमजोर जुलूस भी समझें, उसके बाद अगर तीसरा जुलूस लड़ाकू जुलूस था तो भी वह जा नहीं सकता था क्योंकि इतनी बड़ी संख्या पुलिस की वहां थी। मैं खुद मुरलीधरजी से मिला हूं दूसरे दिन सवेरे आठ बजे, वह लगभग सेमीकांसस पोजीशन में थे, बोल नहीं सकते थे, उनके सिर के ऊपर चोट थी, दो इंच लम्बी, डाक्टरी सर्टीफिकेट था उसके मुताबिक दो इंच लम्बी और सवा इंच, आधा इंच चौड़ी, गहरी, कपाल तक गहरी गई थी, उसके आगे और ज्यादा चोट लग जाती तो वह फैटल हो सकती थी। मुझे इसके आगे जो मालूम हुआ वह और भी घृणित है, मुरलीधर व्यास को सब-इन्सपेक्टर ने सबसे पहले टार्जेट बनाया, उनके सिर पर लाठी मारी, वह गिर पड़े, तो जमीन पर पड़े हुए के भी चोट मारी। इस तरह वह हार करके पड़े हुए थे तो वह उनके ऊपर गिरा तब रंगा के ऊपर चोट लगाई, वरना मुरलीधरजी के एक बहुत ही फैटल चोट होती जिसका नतीजा बहुत ही भयंकर होता।

जो भी फैक्ट्स उनके सामने हैं, जो भी फोर्स जुलूस की और पुलिस की थी, जितनी घटनाएं थीं उसमें लाठी चार्ज या इस तरह का मारना अनावश्यक और अन्वारन्टेड था। पुलिस की इतनी फोर्स थी कि उनको रोक लेते तो जुलूस नहीं जा सकता था, फिर उनका ऐलान मुख्य मंत्री के बारे में था। मुख्य मंत्री वहां से पहले खिसक गए, वह पहुंचे नहीं। यह बुनियादी बात है कि अगर कोई क्राइम करने की संभावना हो तो प्रिवेन्टिव एक्शन ले सकते हैं लेकिन प्रिवेन्टिव एक्शन किसी का सर फोड़कर, किसी का माथा फोड़कर नहीं लिया जाता। जब आपके सामने इस प्रकार का खतरा था, आम तौर पर इस प्रकार के जो लीडर्स वगैरह हैं जुलूस के तो उनको जुलूस से तो अलग करते, लेकिन बात यही नहीं कही कि लाठी चार्ज किया क्योंकि आपकी विज्ञप्ति में नहीं कहा गया कि लाठी चार्ज किया गया है। आपने बयान में नहीं कहा लाठी चार्ज का। इसका मतलब कोई अनलाफुल असेम्बली डिक्लेयर नहीं की, अनलाफुल असेम्बली नहीं थी। इसलिए लाठी चार्ज या अनलाफुल असेम्बली डिक्लेयर करने से पहले पुलिस को यह अधिकार नहीं था। अगर सेल्फ-डिफेंस की थ्योरी कहें तो भी जो आपके पुलिस वाले हैं उनमें किसी प्रकार से चोट लगी है तो वह सिर्फ चांदसिंह को सबसे सीरियस चोट है जो सब-इन्सपेक्टर है, उसको कोई जख्म नहीं,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मामूली सूजन थी जिसके बारे में डाक्टर निश्चित तौर से नहीं कह सकते कि किस प्रकार की चोट है। इसमें एक और विशेष बात है। इससे पहले जनसंघ ने जुलूस निकाला उस पर किसी प्रकार का प्रहार वगैरह नहीं किया गया लेकिन चूंकि मुरलीधरजी व्यास वहां से इलेक्शन जीतकर आय थे और वहां पर मख्य पोलिटिकल ओपोनेन्ट के रूप में थे इसलिए उनको फिजीकली एन्हाइलेट किया जाय, इसलिए योजनाबद्ध कार्यवाही मालूम पड़ती है। इसलिए तमाम परिस्थितियां इस सस्पीशन को लीड करती हैं जैसे कि प्री-प्लान्ड हो, श्री मुरलीधर को सबक सिखाने के लिए की गई हों।

इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि सारे तथ्यों की न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जहां तक दूसरा मामला है 53,000 के नोटों का जो मुख्य मंत्री ने लिए हैं, उसका मैं अन्य समय में जिक्र करूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, इस घटना के बारे में मैंने सुना और दो माननीय सदस्यों जो विरोधी पक्ष के हैं उनका भी विवरण मैंने ध्यानपूर्वक सुना। मुझे निश्चित ही दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि सरकार द्वारा सख्ती का प्रयोग अनुचित रूप से और आवश्यकता से अधिक किया गया है। जब सर्किट हाउस में कोई मन्त्री जाता है तो यह स्पष्ट बात है कि उनको जनता के साथ संपर्क करना चाहिए उनको डरकर सर्किट हाउस में बैठे रहना नहीं चाहिए। मेरे समझ में नहीं आता कि जब कांग्रेस का दल वहां पर पहुंचा, जनसंघ का दल पहुंचा तो उनके लिए कोई रुकावट पैदा नहीं की गई और जब पी० एस० पी० दल वहां पहुंचा तो....

श्री दामोदरलाल व्यास: उन दोनों दलों को भी रोक दिया सर्किट हाउस के बाहर।

श्री रामकिशन: कांग्रेस वाले घुस गए थे भीतर।

श्री विजयसिंह: कांग्रेस के लोगों को तो तब रोका जब उन्होंने पुलिस वालों को पकड़ 2 कर घसीटा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: यह उचित नहीं है। दो तीन व्यक्तियों को जाने देना और मंत्रियों से मिलने से उनको रोका गया तो यह जनतंत्र सरकार है, यह फैसिस्ट सरकार नहीं है। जब मुरलीधर व्यास वहां पर गए तो रामकिशनजी के बयान के अनुसार उनके साथ महिला थी। उनको सभ्यता से कह देना चाहिए था कि यहां पर कांग्रेस दल भी आया, जनसंघ दल आया लेकिन मंत्री महोदय मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन किसी कारणवश क्यों मुरलीधरजी के सर में इतना बुरी तरह से आघात पहुंचाया गया? मेरी निश्चित आशंका है कि यह कोई बदले की भावना है और इसके पीछे योजनाबद्ध षडयंत्र है अगर इसके अन्दर षडयन्त्र है तो मंत्री महोदय से, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बरीयत के लिए शोभनीय है कि वह जांच करवाए। मैं जांच का समर्थन करता हूं और वह जांच भी निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। मैं बीकानेर की स्थिति से वाकिफ नहीं हूं लेकिन मुरलीधरजी को अच्छी तरह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

से जानता हूं और उनके प्रति मेरी आदर भावना है, वह एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं और वह विरोधी पक्ष के एक प्रभावशाली सज्जन हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि शासनारूढ़ दल द्वारा पता नहीं आज वह किस निम्नस्तर के हथकंडों को अपना सकता है मुरलीधरजी को बदले की भावना से पीटा गया हो और यह सख्ती प्रयोग की है, यह मेरे ख्याल में निरंकुश रूप से है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं।

मैं यह भी कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की हम सब लोग इज्जत करते हैं। लेकिन वह जनतांत्रिक पद्धति के अन्तर्गत हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री हैं। वह कोई डिक्टेटर या सुपर महाराजा नहीं हैं यह जनतंत्र के लिए मेरे ख्याल में सारा अशोभनीय है कि वर्षगांठ के उत्सव या महोत्सव मनाये जायें और इस भद्दी तौर से मनाए जायं कि रुपए इकट्ठे किए जायं और जब लोग दाने-दाने के लिए तरस रहे हैं तो उनको 53 वर्ष पूरे करने पर 53 हजार इकट्ठे करके मिले, चाहे वह अपने किसी लोकप्रिय कार्य के अन्दर यह रुपया लगायें लेकिन यह सर्वथा अनावश्यक है। मैं मुख्य मन्त्रीजी से कहूंगा, वह समझदार व्यक्ति हैं....

श्री रामकिशन : कोलायत के चुनाव के लिए दिया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्य मंत्री को बड़े होटलों में दावतें दीं हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह जनतान्त्रिक परम्परा नहीं है। उन जैसे अनुभवी स्टेटसमैन के लिए यह सर्वथा अशोभनीय है, इसका मैं विरोध करूंगा। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि उनको भविष्य में ऐसा नहीं करना चाहिए। घर के अन्दर सोने में अपने को लदायें या तुलायें या जवाहरात में तुलें, मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन public exhibition is disgraceful and disgusting. तो मेरा निवेदन करना है कि जो विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने मांग की है, मैं आशा करता हूं गृह मंत्री महोदय उस सम्बन्ध में गंभीरतापूर्वक न्याय के नुक्ते को ध्यान में रखते हुए विचार करेंगे और दोनों माननीय सदस्यों की मांग का मैं समर्थन करता हूं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मुरलीधरजी का जो मसला है, उस मामले में स्थिति स्पष्ट है। वहां कोई अशांति की स्थिति नहीं थी। जुलूस में कोई उग्रता या भीड़ नहीं थी, शांति भंग होने का खतरा नहीं था।

एक माननीय सदस्य : आप थे क्या वहां ?

श्री दौलतराम सारण : आपका स्टेटमेंट कह रहा है। आपसे ज्यादा जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। अगर आप गृह मंत्री की तरफ से बोलें तो मैं बैठ जाऊंगा, यह क्या बदतमीजी है बीच में बोलने की ? मुझे अध्यक्ष महोदय सख्त ऐतराज है।

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, हमें ऐतराज है......

श्री दौलतराम सारण : इनको 1125) मिलते हैं। कम से कम संसदीय शिष्टाचार को.....

श्री गिरधारीलाल व्यास : विधान सभा में ऐसे शब्दों का उपयोग न किया जाय, नहीं तो दूसरे माननीय सदस्य भी कह सकते हैं बदतमीजी है। यह शोभनीय नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : मुझे अफसोस है कि विपक्षी दल की नीति है कि वह घेराव का समर्थन करते हैं।

श्री रामकिशन : घेराव कहां है ?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, अपने अन्याय को अपनी ज्यादतियों को छिपाने के लिए, ऐसा करते हैं। अगर राज्य सरकार नैतिकता रखती है तो इस मामले में निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए। मुरलीधरजी को एक तो पुलिस ने रिपोर्ट में गिरफ्तार दिखाया है कई संगीन जुर्म लगा कर और दूसरी तरफ गिरफ्तारी की स्थिति में उनको पीटा गया है लाठियों से। मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उनको पुलिस ने एरेस्ट किया और एरेस्ट की स्थिति में उनको पीटा गया ? उनको एरेस्ट कर लिया तो उन्होंने किस प्रकार से शांति भंग करने की चेष्टा की ? किस प्रकार से पुलिस के कोर्डन को तोड़ने की चेस्टा की ? 200 पुलिसमैन के कोर्डन को चालीस पचास आदमियों का जलूस तोड़ने लग जाय और मंत्री महोदय को खतरा उत्पन्न हो जाय। मंत्री महोदय को खतरा था तो उसको रोका तो एस० पी० को पता नहीं, उच्चाधिकारियों को पता नहीं। कुछ पुलिस के कान्स्टेबल्स ने किसी षडयन्त्र के आधार पर मुरलीधरजी को पीट दिया। और काले झण्डे और विरोध प्रदर्शन का सुनकर तो बीकानेर में ही नहीं घुसे और कोडमदेसर से ही भाग गये। अकाल में इकट्ठा किये गए पैसों की थैलियां भेंट की जायं मुख्य मंत्री को और सो सो रुपये के नोट उन पर वार कर उनका स्वागत किया जाय लेकिन मुरलीधर जी अकाल के सम्बंध में मांग-पत्र लेकर मुख्य मंत्रीजी के पास जायं तो उनका साहस ही नहीं हुआ और वे वहां से भाग गए। दो मंत्रियों को भी साहस नहीं हुआ कि आने वाले जुलूस के मुख्य लोगों से मिलते और उनकी बात को सुनते। आखिर क्या माजरा है ? क्यों आये हो ? क्या उनकी शिकायतें हैं, क्या प्रतिनिधि मंडल है ? लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह बात तो दूर रही इन्दिराजी का प्रधान मंत्री की हैसियत से पधारना हुआ तो मुरलीधरजी को टाइम देकर भी उन लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। मुख्य मंत्री से मिलने आये तो उनको पीटा गया। पीटा इसलिए गया कि शांति भंग होन का खतरा था। शांति भंग होने का खतरा होता तो आपकी पुलिस सामने नहीं आती। लेकिन शांति भंग होने का खतरा नहीं था। पीटने वाले कौन हैं ? एक एस० एच० ओ० का नाम लिया है। मैं नहीं जानता नाम। बाड़मेर से सम्बन्धित बतलाते हैं। पहले उनकी हिस्ट्री बुरी बतलाते हैं। सी० आई० डी० की इन्क्वायरियां चल रही हैं। उनके कुछ दूसरे सिपाही यह षडयन्त्र और काण्ड करने में शामिल हैं ऐसी आम अफवाह बीकानेर के जनजीवन में सुनन में आ रही है। मंत्रीजी काले झंडे अन्दर बैठे 2 देखते रहे। लाठियों से मारा मुरलीधरजी को और वे आज अस्पताल में सिसक रहे ह। उनके साथियों ने उनको बचाने की कोशिश की तो उनके ऊपर भी लाठियां बरसायीं गयीं बेरहमी के साथ उन लोगों पर लाठियां बरसाई गई। पुलिस एस० पी० प्राईवेट में तो अफसोस जाहिर

(श्री दौलतराम सारण)

करते हैं कि यह अचानक कैसे हो गया। आत्मरक्षा के लिये अब डिफेंस किया जा रहा है। क्यों उन पर लाठियां बरसायीं जबकि वे शांतिपूर्ण थे ? एस० पी० और सीनियर अधिकारियों ने आदेश नहीं दिया तो उन पर क्यों डंडे बरसाये गये और क्यों लाठियां बरसायीं गयीं ? स्पष्टीकरण करें अपने उत्तर में गृह मंत्रीजी। पुलिस का कौन नेतृत्व कर रहा था यह भी साफ बतायें। किस के हुक्म से लाठियां चलायीं ? किसने डंडे बरसाने का आदेश दिया ? पुलिस कोर्डन था और जब आक्रमण किया गया तो मुरलीधरजी और रंगा ने किया और दो आदमियों के आक्रमण पर ही आपने लाठी चार्ज कर दिया ? इतनी अशान्ति की सूचना थी तो क्या पहले से मजिस्ट्रेट को डेप्युट कर रखा था ? और यदि डेप्युट कर रखा था तो मजिस्ट्रेट महोदय ने लाठी चार्ज से पहले कोई चेतावनी दी थी, या कोई अश्रु गैस छोड़ी थी ? वहां कोई व्यवस्था नहीं की। केवल लाठियां बरसायीं कानूनी एतिहात बरतने के जो तौर तरीके होने चाहिये वह नहीं बात करके सीधी लाठियां मारीं और मारी मुख्य नेताओं पर। आम आदमियों पर नहीं। 9 आदमी घायल हुए। कहते हैं कि पत्थर मारे। यदि पत्थर मारे और कोई अशांति होती तो पुलिस वाले भी घायल होते। माननीय रामानन्दजी जो बीकानेर होकर आये हैं वे मिल कर आये हैं। पुलिस के आदमी के कोई साधारण चोट भी नहीं है। एक आदमी के सिर में सूजन है। हो सकता है पुलिस वालों के सिर आपस में भिड़ गये हों तो सूजन हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात हो सकती है। यह सार्वजनिक व्यवस्था और लोकतन्त्रीय परम्पराओं के लिये खतरा था यह बात मंत्री महोदय कह दें कि पत्र लेकर और मांग लेकर हमारे पास (मंत्रियों के पास) कोई न आये यदि मांग लेकर आते हैं तो उन पर अशांति समझकर लाठियां बरसायीं जायेंगी। वे राजस्थान के मंत्री हैं, जनता के पैसे लेते हैं, पब्लिक एक्सचेकर से पैसा लेते हैं, टैक्स पेयर से पैसा लेते हैं इसलिये कोई मंत्री से जवाब तलब करे और उनसे मांग करे तो कहां अशांति पैदा होने का सवाल है। लेकिन मंत्री इस तरह की मांग का भी सामना नहीं कर पाते हैं और वे भाग खड़े होते हैं। और लोगों को पुलिस के डंडे के बल पर आतंकित करना चाहते हैं। अकाल में रुपया इकट्ठा करो, थैलियां और मालायें ले ली जायें और किसी की बात को सुनने के लिये इस हुकूमत में साहस ही नहीं है। मैं मानता हूं कि यह कानूनी मसला है, संवैधानिक मसला है, लोकतान्त्रिक परम्पराओं का मसला है। इसका स्पष्टीकरण किया जाय और जांच की जाय। जांच आयोग के द्वारा इसकी जांच करायी जाय और इस रूप में कि पुलिस के कुछ लोगों, ने मुरलीधरजी पर हमला किया और इसके लिये साजिश की इसका यह बैकग्राउन्ड रखा जाय। मने जो प्रश्न उठायें हैं मंत्री महोदय अपने जवाब में उनका स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसमें एक बात का उल्लेख नहीं था।

(श्री भैरोंसिंह)

बीकानेर से मुझे कुछ व्यक्तियों ने सूचना दी है कि जैसे ही जूलूस सर्किट हाउस के सामने पहुंचा तो सर्किट हाउस में बैठे हुए सार्वजनिक निर्माण मंत्री बहुत ज्यादा घबरा गये। उनको बहुत पसीना आया। यह दौड़ कर पुलिस के पास पहुंचे और कहने लगे कि मुझे बचाओ 'मुरलीधर व्यास आ रहा है मुझे खा जायगा"।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुदीन अहमद) : 21 वर्ष से सुनते आये हैं।

श्री अध्यक्ष : बाद में बतला दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यदि मैंने गलत कहा तो वे कहें।

(1 म० प०)

उन्होंने मेरी बात की ताईद की है। यह स्थिति बनी थी और इस स्थिति के आधार पर राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की यह हालत हो जाये....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उन्हें पसीना आया तब आप पास में थे ?

श्री भैरोंसिंह : मैं पास नहीं था। आप पसीना पोंछ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा इस वक्तव्य में कहा गया है कि उन्होंने पहले दिन रात्रि को एक आम सभा की और उसमें तीन बातों का निर्णय किया कि मुख्य मन्त्री से मिला जाय, मुख्य मंत्री का घेराव किया जाय और मुख्य मन्त्री के विरुद्ध काले झण्डों का प्रदर्शन किया जाय। इन बातों की जानकारी पुलिस अधिकारियों और अधिकारियों को थी। वे इससे इस स्थिति पर पहुंचे कि इससे निश्चित रूप से शांति भंग होगी और शांति भंग न हो इसके लिये पर्याप्त व्यवस्था की जाय। अब रात को किसी भाषण से अधिकारियों को यह पता लग जाय कि शांति भंग होगी तो इसकी व्यवस्था करने के लिये वे पर्याप्त साधन जुटा सकते हैं। सिर्फ यह नहीं कि सर्किट हाउस में लोगों को घुसने न दिया जाये। इससे शान्ति और व्यवस्था बनी रहेगी उस सीमा तक पुलिस अधिकारियों ने परवाह नहीं की। अब अधिकारी रात की सभा के बाद ऐसा समझे कि जुलूस आने के बाद सर्किट हाउस में घुसने की चेष्टा करेगा और इससे शान्ति व्यवस्था भंग होगी। तो मैं गृह मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि लोगों को सर्किट हाउस में ही क्यों घुसने दिया गया। क्यों नहीं धारा 144 वहां लागू कर दी गई। क्यों नहीं धारा 144 का वाइलेशन करने के प्रीवेन्टिव मेजर्स में लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप स्वयं यह महसूस करते थे कि लोग आयेंगे, प्रदर्शन करेंगे और काले झण्डे दिखाकर वापिस चले जायेंगे। घेराव करने की कोई बात नहीं है। मुख्य मन्त्रीजी का घेराव लोग करेंगे यह बात तो समझ में आ सकती है किन्तु सार्वजनिक निर्माण मंत्री का कौन घेराव करेगा। किसी राजनतिक कार्यकर्ता को आप 100 रुपये की फीस दें तब भी वह ऐसे मन्त्री के सामने नहीं आयेगा। ऐसे लोगों का घेराव करने के लिये राजनैतिक कार्यकर्ता नहीं हैं। उनकी अपनी इम्पारटेंस सार्वजनिक निर्माण मन्त्री का घेराव करने में नहीं है। सब लोग जानते थे कि घेराव होने वाला है और काले झण्डों का प्रदर्शन होने वाला है। मैं गृह मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि प्रदर्शन मात्र से आपको इस बात का भास हो गया कि शान्ति

(श्री भैरोंसिंह)

भंग होगी। लोग अपने ग्रीवेन्सेज के रिप्रिजेन्टेशन लेकर मन्त्री के पास जा रहे हैं, तो केवल इस बात से आभास हो गया कि कोई शान्ति और व्यवस्था भंग होगी। यह प्रश्न नहीं है। कांग्रेस के लोग आपने कहा वहां नहीं थे। मन्त्री स्तर के लोग इस सीमा तक असत्य बात कहें और जो इस हाउस में आते हैं, उनके लिय शर्म की बात है। कांग्रस के लोग सर्किट हाउस में थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस खड़े थे। दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। अध्यक्ष महोदय, न तो सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस न आदेश दिया और न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दिया। यह साजिस सब-इन्स्पैक्टर्स की थी। उसने लाठी चार्ज कराया। उसकी मुरलीधर व्यास से पुरानी वैमनस्यता थी और उसको अपनी वैमनस्यता निकालने का और अवसर नहीं मिल सकता था। मैं गृह मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह लाठी चार्ज थानेदार ने अपनी मर्जी से करवाया या पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के आदेश से करवाया? तो पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट मुरलीधर व्यास को जब सिपाही मार रहे थे बचाने क्यों गये? यदि उनका आदेश होता तो यह स्थिति नहीं आती। अगर वे मुरलीधर व्यास को बचाने नहीं जाते तो यह स्थिति आती कि पुलिस के सिपाही मुरलीधर व्यास को जान से मार देते और हमारे देखते देखते उनकी लाश हमें नजर आती। अध्यक्ष महोदय, यह खेद का विषय है। पुलिस का लाठी चार्ज ऐसे व्यक्ति पर, जो इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं, हो यह खेद का विषय है। सत्यवादी हरिश्चन्द्र आप बन कर आये हों ऐसी बात नहीं हैं और हम झूठ बोलने का ठेका लेकर विधान सभा में आये हों, यह मानना भी गलत होगा। जनता अपनी मांग पर प्रदर्शन करेगी, काले झण्डे दिखायेगी परन्तु इससे शान्ति भंग की कोई स्थिति बनती है तो वह आप लोगों के द्वारा निर्मित की गई होगी। आप लोगों के द्वारा लाठी चार्ज की स्थिति निर्माण की गई तो उसका जवाब भी लाठी से देने को वह तत्पर होगी। वहां पर मुरलीधरजी ने कोई पत्थर नहीं फेंका, किसी सिपाही के चांटा नहीं मारा, किसी के ऊपर लाठी नहीं चलायी और किसी की पिटाई भी नहीं की। आप कह रहे हैं कि पत्थर फेंके। पत्थर कौन फेंकता है इसके बारे में बैरी कमीशन ने साफ बता दिया है। हिन्दुस्तान में इस पुलिस के बारे में और भी कई बातें मशहूर हैं और पहली तो यह है कि यहां की पुलिस विशेषकर राजस्थान की पुलिस पत्थर का निशाना साधने में अचूक है, गोली के निशाने में जितनी अचूक नहीं है। पुलिस सादे कपड़े पहनकर जनता में घुसकर पत्थर फेंकती है। जितने भी कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, उन सबने कहा है कि पुलिस इस प्रकार की स्थिति पैदा करती है। सबने इस पर टिप्पणी की है। आप पुलिस का जबरन पक्ष न लें। हमारे किसी कार्यकर्ता ने गलती की है तो हम स्वीकार करेंगे लेकिन आप यह ठेकेदारी लेकर न चलें कि जो कुछ पुलिस ने कर दिया है, वह पुलिस ने वाजिब किया है। बीकानेर में पुलिस की जो ज्यादती हुई है उसको आप संरक्षण न दें। आप कहेंगे कि संरक्षण न मिलने पर पुलिस का इनिशियेटिव खत्म हो जायेगा, पुलिस में डिमोरेलाइजेशन आ जायगा। इस आधार पर आप करते रहें तो यहां भी बंगाल जैसी स्थिति पैदा हो जायेगी। इसलिये इसका ध्यान रख कर चलें। हिन्दुस्तान में किस

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है उसका ध्यान रख कर चलें। आप लोगों को मालूम है कि लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पुलिस के माध्यम से इसको न निपटें। राजस्थान में पुलिस के दमन को हमने स्वीकार कर लिया किन्तु दूसरे प्रान्तों में देखिये आज वहां विरोधी दलों की सरकारें हैं। अगर सरकार पुलिस के लाठी चार्ज का समर्थन करती जायेगी तो मैं समझता हूं कि वह पुलिस का शिकार हो जायेगी। गृह मन्त्रीजी कल कह रहे थे कि मैं तैयार नहीं हूं और आज वे एकदम तैयार हो गये। केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिन्टेन्डेन्ट की रिपोर्ट के आधार पर ही। डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनमें पार्टी हैं। वे पार्टी नहीं होते तो पुलिस के सिपाहियों को सस्पेन्ड कर देते और इन्क्वायरी शुरू करना देते। मुरलीधरजी के साथ, मैं समझता हूं कि ज्यादती हुई है। उनके साथ वे महिलाएं थीं जिनको कई दिनों तक अकाल राहत कैम्पों में काम करने के बावजूद पेमेन्ट नहीं मिला था, वे लोग थे जिनसे जबरन चन्दा वसूल किया गया था। वे यह कहने वाले थे कि हमारे गांव में बरसात नहीं आयी है फिर भी अकाल राहत का काम बन्द कर दिया गया है। हम लोग आपको चिट्ठियां लिखें, रजिस्टर्ड लेटर भेजें उस पर आप नहीं सुनें और, अध्यक्ष महोदय, किन्हीं किन्हीं मंत्रियों में इतनी भी कर्टसी नहीं है कि जो हमने पत्र भेजे हैं उनकी कम से कम रसीद भेज दें। डिमान्स्ट्रेशन लेकर जाते हैं तो लाठी चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में क्या होगा? लोगों की ग्रिवेन्सेज हल नहीं होंगी और उन पर लाठी चार्ज होगा तो वे भी लाठी का रास्ता अख्तियार करेंगे। उनको मजबूरी से गोली का जवाब गोली से देने के लिये तैयार होना पड़ेगा। इसलिये पब्लिक की ग्रिवेन्सेज को मीट करने के लिये आपको साहस दिखाना पड़ेगा। उनके सामने आकर उनकी तकलीफ को सुनना पड़ेगा। ऐसे निकम्मे मन्त्री जो सर्किट हाउस में बैठ रहें, दावतों में घूमते रहें और लाठी चार्ज हो तो देखते रहें, ऐसे मन्त्री लोकतंत्री मन्त्री नहीं हैं, वे कृपा-पात्र मन्त्री हैं, लोकप्रिय मन्त्री नहीं कहला सकते। उस समय नवाब साहब को सर्किट हाउस से निकल कर मुरलीधरजी से, जिन पर कि लाठियां पड़ी थीं, उनके पास कम से कम जाकर के तो पूछते। यह मानवता का तकाजा था। एक भूतपूर्व विधायक, जो इस हाउस में रहा है, आप सबका साथी रहा है, उससे मिलने के लिये आपने अस्पताल में जाने की आवश्यकता भी नहीं समझी। घर जाकर पूछने की भी आवश्यकता नहीं रखी। क्या यही आपकी मानवता है? क्या आपका राजनीति के क्षेत्र में काम करने का यही दृष्टिकोण है। मानवता के तकाजे के लिये हम आपस में एक दूसरे के दुःख दर्द में पूछते हैं। आप नवाब हैं। भूतपूर्व रियासत के आप नवाब हैं। आपमें उसी प्रकार के संस्कार हैं आप नये संस्कारों से प्राप्त नहीं हुए हैं। आप ऐसे समय में ठेकेदारों से दावतें लेते रहें और उनकी दावतों में शमिल हुए। पुलिस के सिपाही आपके सामने मुरलीधरजी के कोड़े मारते रहे और आपने उनकी हालत तक नहीं पूछी। यह मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, इंसानियत के नाम पर कलंक है, धब्बा है। मंत्रिपरिषद के स्तर के एक व्यक्ति के लिये यह उचित नहीं होगा।

Page No 73

(श्री भैरोंसिंह)

मैं चाहता हूं अन्त में सरकार से कि वह अपने तरीके को बदले। हर पुलिस के तरीके को डिफेन्ड करना सरकार के लिये उचित नहीं है। पुलिस गलती ही नहीं कर सकती यह जो राज्य सरकार का ख्याल है, निश्चित-रूप से गलत है। इसी ख्याल से अगर राज्य सरकार चलेगी तो निश्चितरूप से खराबी होगी। जो तथ्य सरकार के सामने आये हैं उसके अनुसार राज्य सरकार जांच कराये और उस जांच रिपोर्ट को विधान सभा में प्रस्तुत करे। उसके बाद उन तथ्यों पर हमें फिर से विचार करने का अधिकार हो।

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुल प्रसाद।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, यह बीकानेर का मामला है और मैं वहां का सदस्य हूं मुझे इस वाके की काफी जानकारी है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री के आने के दो-तीन रोज पहले तक जनसंघ की और पी० एस० पी० वालों की मीटिंग होती रही और उन सभाओं में यह तय किया गया कि सुखाड़ियाजी के यहां आने पर उनके सामने प्रदर्शन किया जायगा, उनका घेराव किया जायेगा, काले झन्डों से स्वागत करेंगे। और यहां तक भी कहा गया कि अण्डे फेंकेंगे, टमाटर फेंकेंगे—यह भी उन सभाओं में एलान किया गया।

एक माननीय सदस्य : तो क्या हो गया ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : पुलिस द्वारा जहां तक इन्तजाम करना था, वह इन्तजाम किया गया। अपने नेता का स्वागत करने के लिए हम लोग भी पहुंचे। दिन में दो बजे आने का इनका वक्त था। दो बजे तक लोग काफी तादाद में सड़क के एक किनारे आकर खड़े हो गये। जनसंघ वाले भी विरोधी प्रदर्शन करने के लिए वहां आकर खड़े हो गये जिनके पन्द्रह बीस आदमी थे वे भी नारे लगाते रहे और हम भी उनके खिलाफ नारे लगाते रहे। 4। बजे तक वहीं पर हम सब लोग खड़े रहे।

एक माननीय सदस्य : आप के हाथ में लाठी भी थी या नहीं ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं तो वहां पर नहीं था लेकिन हमारे साथी कांग्रेसी वहां पर थे। न मेरे हाथ में लाठी थी और न हमारे किसी दल के व्यक्ति के हाथ में। हमारे हाथ में झण्डे जरूर थे।

एक माननीय सदस्य : काले झण्डे भी होंगे ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : यह मुझे पता नहीं। दो बजे से लेकर 6। बजे तक हम लोग वहां खड़े रहे। फिर यह सूचना मिली कि मुख्य मंत्री महोदय सीधे नागौर चले गये हैं। यह सुनकर वहां पर जो लोग उनके स्वागत के लिए और प्रदर्शन के लिये आये थे वे सब अपने अपने घर चले गये। मैं जनसंघ के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जनसंघ वालों ने वहां पर किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं की। साढ़े छः बजे तक जो लोग वहां एकत्र हुए थे वे सब घर चले गये।

उस समय मेरे मित्र नवाब साहब और खाद्य मंत्री महोदय और तीसरे श्री भीमसेन-जी, उप-मंत्री वहां पर थे जो सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे। जो कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। उधर से मुरलीधर-जी का जुलूस आ रहा था जिसमें बहुत कम

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

आदमी थे-13 तो औरतें थीं, पन्द्रह बीस बच्चे थे-इस तरह से करीब 23-24 आदमी थे। औरतें तांगे में बैठी हुई थीं और इस तरह का जुलूस लेकर मुरलीधरजी सर्किट हाउस तक आ गये और गालियां देते रहे, बहुत बुरी गालियां दी जा रही थीं। यह मैं कह सकता हूं कि जनसंघ वालों ने एक भी गाली नहीं दी। मैं यह जानता हूं कि बीकानेर के जनसंघ वाले ऐसे ओछे नहीं हैं जो कि गाली दें। जो औरतें वे लेकर आये वे बीकानेर की नहीं थीं। मैं यह भी कह सकता हूं कि मुरलीधरजी बीकानेर के होते हुए भी वे भी इस प्रकार से गालियां देने वालों का नेतृत्व नहीं करते। वे जैसलमेर के हैं। जब उनको पता लगा कि सुखाड़ियाजी नहीं है फिर भी उन्होंने कहा हम तांगे सहित सर्किट हाउस में जायेंगे और जो भी मन्त्रिगण हैं उनसे मिलेंगे। पुलिस वालों के कहने के बावजूद भी वे अड़े रहे-हम जो भी मंत्री हैं उनको देख लेगें, उनकी शक्ल देखेंगे....

एक माननीय सदस्य : गोरे चट्टे हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : इस तरह से उन्होने तांगे सहित सर्किट हाउस में जाने की कोशिश की। उनके साथ एक आशाराम नाम का कार्यकर्ता था, जो मगरा तहसील का पी० एस० पी० का सेक्रेटरी था, जो आपके लिये अच्छा आदमी हो सकता है लेकिन बीकानेर रियासत के समय से उसका नाम हिस्ट्री शीटर में चला आ रहा था और अब भी वह हिस्ट्री शीटर रहा है। ऐसे व्यक्ति ही इनकी पार्टी को अच्छे लगते हैं बरसों तक हिस्ट्री शीटर रहे हों....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : हर राजनैतिक कार्यकर्त्ता हिस्ट्री शीटर रहा है।......

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : यह ऐसा व्यक्ति रहा है जो किसी का सिर फोड़ देता, किसी के मुक्के मार देता। इस तरह के कार्यों के कारण यह पचासों दफा गिरफ्तार हुआ है। ऐसे व्यक्ति इनकी पार्टी के कार्यकर्त्ता हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : शेम शेम।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पहली दफा पता लगा है कि सवा ग्यारह सौ रुपये कैसे बोलते हैं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : दूसरे एक व्यक्ति और थे जिनके खिलाफ सरकारी खजाने से चालीस हजार रुपये के गबन का मामला चला और जो चार साल की सजा काट कर आये वे भी मौजूद थे। उन्होंने पुलिस वाले का गला पकड़ा, उस पर किसी पुलिस वाले को गुस्सा आ गया उसने लाठी चला दी। आखिर वह कोई जुलूस वगैरह तो था नहीं। 13 औरतें थीं। जो न मालूम कहां से कितने रुपये देकर लायी गईं पता नहीं....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय सदस्य, औरतों के बारे में इस प्रकार न कहें कि किराये पर औरतों को लाया गया।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : किराये पर औरतों को लाया गया। वे औरतें वे भी नहीं थीं जिन्होंने अकाल में कहीं पर कार्य किया हो....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: औरतों को किराये पर लाया गया। यह इलजाम औरतों पर लगाया जाता है यह उचित नहीं है। यह गलत इल्जाम है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : वे औरतें ऐसी नहीं थीं कि उनमें से किसी ने अकाल क्षेत्र में काम किया हो और न बीकानेर की ही थीं वे तो कहीं से लायी गई थीं जिन्होंने एक दिन भी अकाल में काम नहीं किया।

मेरा निवेदन है कि ऐसा जुलूस जिसमें 23 आदमी कुल मिलाकर थे धवकमपेल शुरू हुई उसमें किसी पुलिस वाले ने लाठी चला दी यद्यपि लाठी चलाकर जुलूस कन्ट्रोल करना कोई बुरी बात नहीं लेकिन आखिर आदमी ही कितने थे। मेरा यह निश्चित मत है कि जो थानेदार था वह जुलूस वालों से मिला हुआ था, जिसने मारने का षड़यन्त्र कर रखा था। इस बारे में एक पार्टी के लीडर को दो दिन पहले वहां आये थे विरोधी ग्रुप को इससे सहारा मिला। जो बी० के० डी० के लीडर थे वे पुलिस वालों से मिले और उनका यह षड़यन्त्र था इसकी जांच होनी चाहिये और जो इस प्रकार के काम करने वाले पुलिस के कर्मचारी हैं उनको सजा मिले। जो नेता अपनी दुकान जमाना चाहते थे, जिनके साथ कोई आदमी नहीं, केवल 20-25 आदमियों का जो जुलूस था। उसमें पुलिस वाले मिल जांय......

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : यह जो माननीय सदस्य गैर जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं उसका मुझ सख्त एतराज है। भारतीय क्रान्ति दल का कोई कार्यकर्ता नहीं था। भारतीय क्रान्ति दल के लोग ऐसे गये गुजरे मंत्रियों के सामने रिप्रेजेन्टेशन ले जाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं हम केवल जनता के सामने जाने में विश्वास रखते हैं। जनता ऐसे XXX मंत्रियों के पास जाना भी नहीं चाहती।

श्री अध्यक्ष : एक्सपन्ज।

श्री दौलतराम सारण : ऐसे XXX के पास नहीं आयेंगे।

श्री अध्यक्ष : शब्द एक्सपन्ज।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं इस बारे में जांच की जाय। ये भारतीय क्रान्ति दल वाले दूसरों के कन्धों पर बन्दूक रखवाकर चलना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, आपने XXX शब्द को एक्सपन्ज करने के आदेश दिये हैं तो क्या ये इसलिये आदेश दिये हैं कि ये XXX नहीं है या फिर XXX की जगह कौन से शब्द काम में लाये जायं ?

श्री दुर्गालाल बादृदार (हवामहल, जयपुर) : XXX शब्द का कई जगह पर प्रयोग हुआ है। मैं उदाहरण बता सकता हूं। यह असंसदीय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : XXX शब्द का कई प्रकार से अर्थ हो सकता है डिक्शनरी में इस शब्द के कई अर्थ हैं लेकिन जिस सन्दर्भ में और जिस जोशखरोश के साथ इसका प्रयोग किया गया उसका मतलब साफ है। इसलिये उसको एक्सपन्ज का आदेश दिया।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मैंने

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाला गया।

(श्री दौलतराम सारण)

साफ कहा है कि अकाल के पैसे की चोरी से माला पहनने वाला ×××। अकाल के पैसे की चोरियां की गई हैं। अकाल में भयंकर घोटाले हुए हैं पैसों के। तो ऐसों को कहना यथार्थ है।

श्री अध्यक्ष : वह शब्द फिर एक्सपन्ज किया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कार्यवाही में से एक्सपन्ज किया है या मन्त्रिमण्डल में से एक्सपन्ज किया है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो जनमत के हाथ में है। मेरे हाथ में नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस आदत को एक्सपन्ज कीजिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ××× शब्द तो बिलकुल पार्लियामेन्टरी है। आपकी व्यवस्था और निर्णय तो सुप्रीम है इस हाउस में। पर केवल इस ××× शब्द में क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष : यह बार-बार आपत्तिजनक हो जाता है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : ××× की दाढी में तिनका क्यों ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : इसके बाद आई माला पहनने की बात। अब मुरलीधरजी की जहां तक बात है, साफ है। इसके पीछे षड्यन्त्र रहा है।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाला गया।

श्री भैरोंसिंह : मैं जानकारी करना चाहूंगा ? इस षड्यन्त्र में कौन-कौन से पुलिस के अधिकारी थे जो शामिल थे ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : जांच करावें। मैं भी जांच चाहता हूं जसी आप चाहते हैं। कोई फर्क नहीं है। आप अपनी तरह से जांच करवाना चाहते हैं, मैं अपनी तरह से जांच करवाना चाहता हूं। जांच दोनों चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपकी जानकारी में है क्या कि कौन-कौन से पुलिस अधिकारी इस षड्यन्त्र में शामिल हैं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैंने कहा षड्यन्त्र में सब हैं।

श्री विजयसिंह : आप भी शामिल थे कि नहीं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जहां तक मालाओं का सम्बन्ध है सब अपने-अपने संगठनों के लिये पैसा इकट्ठा करते हैं। कौन नहीं करता ? लोगों ने अपने मन्त्री को बुलाया और पसा दिया। अब मुझे यह बताया जावे कि किस अकाल पीड़ित से पसा लिया ? कांग्रेसमेन को पैसा दिया लोगों ने, लोगों की कांग्रेस के प्रति श्रद्धा रही इसलिये दिया। कांग्रेस के नाम पर पसा लिया गया। अकाल के फण्ड में दिया है, 'चीफ मिनिस्टर के अकाल सहायता फण्ड में भी पैसा दिया है। बिना नाम से माला पहनाई गई, ऐसा नहीं है। साफ कहा गया; कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि हम कांग्रेस संगठन के लिये यह पसा देते हैं। यह विरोधी सदस्य चुन्नीलालजी, हर जगह साथ थे। तीन दिन तक बराबर साथ रहे और जहां पर यह कह कर दिया गया कि यह पैसा अकाल सहायता फण्ड में दिया जाता है वहां वह पसा सीधा

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

कलेक्टर को दे दिया गया। जहां यह कहा गया कि कांग्रेस को दिया गया वहां कांग्रेस को दे दिया गया और ये बीच में थे माला पहनाने वालों में। उनके गांव में वे आये हैं साथ में। विरोधी सदस्य की कान्स्टीट्यूएन्सी में गए। गांव-गांव में लोगों ने उनका स्वागत किया। इसमें हमारा क्या कसूर है और मथुरादासजी माथुर का इसमें क्या कसूर है? भैरोंसिंहजी जावें, जनसंघ के संगठन के लिये चन्दा लें, माला पहनें हमें ऐतराज नहीं होता। फिर कांग्रेस संगठन के लिये अगर कुछ होता है तो आप नाम क्यों लेते हैं? अगर सारी पार्टी तै कर ले कि संगठन के लिये सहायता देंगे, संगठन के लिये कार्यकर्त्ता गांवों से स्वागत के रूप में पैसा लावेंगे और आप उसके लिये भी कहें कि अस्वीकार किया जावे तो फिर उनसे भी अस्वीकार करा लिया जावे।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अकाल सहायता का पैसा सरकारी खजाने में आना चाहिये।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

आर्डर प्लीज।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: अध्यक्ष महोदय, लोग उन गांवों के कहते हैं कि बरसों से राजा राज्य कर रहे थे, पर कांग्रेस ने अपने राज्य में हमारे इलाके में वह किया जो राजा नहीं कर सके, कांग्रेस के राज्य में आज पहले पहल जाह-जगह ट्यूब वैल खुदवाये गये ह और जहां लोग पहले दस-दस, बीस-बीस मील दूर चलकर पानी लाते थे, वहां आज उसके घरों में टूंटियों से पानी आ गया है तो लोगों में इससे एक हर्ष की लहर दौड़ गई है। इस हर्ष में लोगों ने इकट्ठे पैसा दिया। और 53 हजार रुपया दिया। संगठन के लिये पैसा देते हैं। क्या फर्क पड़ता है। लूणकरण-सर तहसील में लोगों ने चन्दे दिये हैं, काफी दिये हैं। लोगों में उत्साह था। लोगों ने पीढ़ियों से, सदियों से पानी देखा नहीं अपने घरों में। एक-एक घड़े के लिये दस-दस और बीस-बीस मील पैदल चल कर लाते थे उस इलाके में अगर घर-घर में पानी पहुंच जाता है और इस खुशी में उनके जन्म दिन पर वे संगठन के नाम से चन्दा देते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है। आप भी तो अपने संगठनों के लिये चन्दे की तैयारी करते हो।

श्री विजयसिंह : घर का पैसा था क्या?

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसादजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बान्सूर) : अध्यक्ष महोदय, पी०एस०पी० के कार्यकर्त्ता मुरलीधर व्यास पर इस तरह से पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया वह वाकई में प्रजातन्त्र के इतिहास में एक नई बात है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि मिनिस्टर लोग सर्किट हाउस में बैठे रहें और एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता जो उच्च कोटि का तथा हुआ जनसेवक रहा है और इस सदन का भी एक माननीय सदस्य रहा है उस पर लाठी चार्ज होता रहा और ये नवाब साहब, अन्दर बैठे हुए खुशियां मनाते रहे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। यह उनका क्या स्टेण्डर्ड रह गया कि जनता का नुमाइन्दा बाहर खड़ा-खड़ा पुलिस की लाठियों से पिटता रहा और ये बाहर जाकर

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कुछ बात करने का खतरा तक लेना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, इस तरह का एक प्रसंग मझ याद आ गया है। एक बार बीकानेर में जब कि मैं वहां गया था मुख्य मन्त्रीजी मेरे साथ थे। कुम्भारामजी भी मेरे साथ थे। एक जुलूस था। बहुत से लोग उसमें थे। दुनियां निकट खड़ी थी। वे हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष : आप मन्त्री थे तब की बात है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई बाहर आकर उनको समझाना नहीं चाहता था। मैंने मुख्य मन्त्रीजी से कहा कि ये लाउड स्पीकर से डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप कहें तो मैं उनसे बात कर आऊं। और साथी लोग नहीं चाहते थे कि यह रिस्क लिया जाय, पुलिस ने भी मना किया कि आप मत जाइये। वे झगड़ालू लोग हैं। पर मैं बाहर गया और मैंने जाकर उनसे बात की। वे कहने लगे हम केवल आपके सामने रिप्रेजेन्टेशन देने आये हैं। पी०एस० पी० के कार्यकर्त्ता थे। मेरी उन से जानकारी नहीं थी। फिर भी मैंने बात की। बात से उनको सन्तोष हुआ और थोड़ी देर में लाउड स्पीकर से जो डिस्टर्बेन्स कर रहे थे, वह समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष : साहस का प्रश्न था।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : जो मिनिस्टर अन्दर बैठे थे, वे डरपोक थे, कायर थे। जनता की नुमाइन्दगी नहीं कर सकते थे। इससे ज्यादा दुःख की और कोई बात नहीं है। जैसा गोकुलप्रसादजी ने कहा। माननीय सदस्य बहुत ऊंचे स्टण्डर्ड के थे। उनके मुकाबले के लोग बहुत कम नजर आवेंगे। एक जमाना था जब वे कांग्रेस के भी अच्छे कार्यकर्त्ता थे। स्वतन्त्रता संग्राम के वे एक वीर सेनानी रहे हैं। देश की आजादी के लिये कुर्बानी करने वालों में से वे भी एक थ। उनके ऊपर इस तरह के हमले की निन्दा की जानी चाहिये। इसकी जूडीशियल एन्क्वायरी होनी चाहिये। निष्पक्ष जांच होनी आवश्यक है।

(1.28 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता। अधिक लम्बा भाषण नहीं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की मार्फत दो शब्द कहना चाहता हूं। मुरलीधरजी हमारे ही एक पुराने साथी हैं। आज चाहे वे अलग खेमे में हों। पर उन का सारा जीवन रचनात्मक कामों में बीता है, राजनैतिक कामों में बीता है। आजादी की उनमें भी उतनी ही तड़प थी जितनी हम में से किसी में हो सकती है। उन्होंने आजादी के लिये उस जमाने में जितना काम किया उतना सदन के माननीय सदस्यों में से बहुत कम ने किया होगा? वे आज पिटें, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिये निष्पक्ष रूप से। यह वाजिब मांग है। हमारे ही परिवार का एक सदस्य पिटा गया है। गृह मन्त्रीजी आश्वासन दें कि वे इसकी निष्पक्ष जांच करा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह दांता।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह जो मांग की गई है किसी भी सरकार

(श्री मदनसिंह)

को इसे मानने में संकोच नहीं करना चाहिये। पुलिस हमेशा से ऐसी हरकतें नहीं करती रही है, राजस्थान में आज भी पुलिस के कार्यकर्ता ऐसी ही हरकतें कर रहे हैं। इसके लिये मिनिस्टर दोषी हैं या राजनैतिक लीडर जिनमें हिम्मत नहीं है इन हरकतों को दबाने की। ऐसी घटनाएं बीकानेर में ही नहीं और जगहों पर भी होती रहती है। प्रजातन्त्र में कोई भी अपनी आवाज उठा सकता है। कोई भी अपना भाषण या प्रदर्शन कर सकता है तो उसका रूप जब तक भयंकर न हो, तब तक संयम से काम करना चाहिये, पर ऐसी हरकतें पहले ही प्रीजम्पशन में कर लेते हैं तो यह अच्छी परम्परा नहीं है। मुरलीधरजी व्यास एक अच्छे नेता हैं। एक साधारण आदमी हैं। जहां तक मुझे मालूम है 9 आदमी और 400 उधर आदमी ऐसी हरकत कर सकते थे यह कभी सम्भव ही नहीं था और 9 आदमियों में महिलायें थीं। मैं समझता हूं मंत्रियों की गाड़ी सर्किट हाउस में जा सकती थी तो उसमें क्या था। दरअसल में राजस्थान की पुलिस में कई ऐसे आदमी हैं कि जो नेताओं को खुश करने के लिये ऐसी हरकतें करते हैं। बी०के०डी० वालों का नाम लगाया जा रहा है, यह निश्चित है कि कांग्रेस के लोग हैं वे लोग रात को मिले होंगे इसलिये यह जांच दोनों चीज की होनी चाहिये। मैं समझता हूं मंत्री महोदय को अफसोस जाहिर करना चाहिये कि कार्यकर्त्ताओं के लिये काम करने की आड़ लगा दी है। हो सकता है कुछ लोग बहादुर हो सकते हैं लेकिन श्री मुरलीधरजी व्यास सामान्य नागरिक की हैसियत से वहां गये थे।

मुझे अफसोस है, चाहे नवाब साह हों, वे बाहर आकर पुलिस को समझा सकते थे। ऐसी घटनाओं को होम मिनिस्टर साहब से कहते। मैं तो कहता हूं कि अगर मुरलीधरजी के बजाय मदनसिंह होता तो सिर फोड़ दिया जाता। यह ठीक है उनकी पार्टी सहन कर सकती है पर आप याद रखिये कलकत्ता वाली हालत राजस्थान में शुरू हो गई हैं, ये घटनायें हमारे ऐरिया में हुई हैं। ऐसे पुलिस के बदमाश लोग हैं जो नीचे स्तर के हैं, जो मंत्री को खुश करने के लिये सब कुछ कर सकते हैं। वहां कोई न कोई घटना हुई है और ऐसे कांग्रेस के आदमी मिलेंगे। मैं इसलिये कहता हूं कि सीकर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कार्यकर्त्ता हैं। उन्होंने ऐसा रवैया ले रखा है कि विरोधी दल से कम से कम ऐसी हरकतें करा दें ताकि उनके आगे का जो कार्य है वह खतम हो जाय। जनसंघ का आन्दोलन हुआ, हो सकता है उनको दर्द नहीं हुआ होगा। मुरलीधरजी जो निश्चित चीज ले जाना चाहते थे 9 आदमियों पर ऐसी हरकतें करना, राजस्थान के नागरिक के लिये—इस जनतन्त्र में बहुत बुरी बात है और इसके लिये कोई भी तैयार नहीं होगा। मैं खुद समझता हूं यहां होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए ह वे इसको स्वीकार करेंगे और जांच को स्वीकार करेंगे। डिप्टी होम मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं। वे बीकानेर पधारें और मुरलीधरजी व्यास हैं उनको विश्वास दिलायें तबतो ठीक है नहीं तो अराजकता है और आप मौका देते हैं कि जनता अपने आप के बचाव के लिये जहां पुलिस जायगी उसका पीछा करेगी। इसलिये एसी रोक-थाम कर और भविष्य में आप को सतर्क रहना चाहिये। यह पार्टी बाजी है। बी० के० डी० में मेरे जैसे आदमी नहीं हैं इसलिये इसको ठन्डा घूंट जाता है तो ठीक नहीं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : अभी काफी बिजनिस बाकी है इसलिए मैं समझता हूं गृह मंत्रीजी को उत्तर देने दें।

(पुनः एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

आप बाद में बोल लें अन्य किसी विवाद पर।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मुरलीधरजी पर आरोप लगाया है गोकुलप्रसादजी ने इसलिये स्पष्टीकरण करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं होगा, संक्षेप में कह दें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : मैंने 7 तारीख की घटना को – श्री मुरलीधरजी की जिस तरह पिटाई की गई है उसको मैंने स्वयं ने देखा है....

श्री उपाध्यक्ष : यह स्पष्टीकरण कहां हुआ ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैंने खुद ने देखा है चाहे कितनी ही असलियत को छिपाने की कोशिश करें माननीय सदस्य ने जो कहा है वह झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलने वाले हैं उनको मर जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, असली बाप के बेटे हैं तो इनको मर जाना चाहिये बिल्कुल झूठ बोलते हैं....

श्री मदन सिंह : यह शब्द 'असली बाप के बेटे' – एक्सपन्ज हो जाना चाहिये यहां तो सभी असली बाप के अवतार बैठे हैं, वे असली बाप के नहीं मिलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसको आप एक्सपन्ज करा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर निर्णय बाद में लिया जायगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, जनसंघ का जुलूस आया उनके पास काले झण्डे थे, कुछ कांग्रेस के लोग आये। वे स्वागत की भावना से गये होंगे लेकिन जुलूस वापिस चला गया और बिल्कुल शांति रही और किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई। जब मुरलीधरजी व्यास तांगे पर आये और कुछ उनके साथ महिलायें थीं – ज्यादा से ज्यादा 24-25 आदमी थे। जिले के सरपंच वहां थे, अकाल सहायता मंत्रीजी वहां थे। एक मीटिंग कर रहे थे कमरे में। पुलिस के आदमी बहुत अधिक थे। चारों तरफ सर्किट हाउस को घेर रखा था जैसे पुलिस वालों को बहुत बड़े डकतों का मुकाबला करना है, वे हथियारों से लैस थे। जब मुरलीधरजी व्यास आये उस समय मुख्य मंत्रीजी नागौर चले गये थे तो उन्होंने कहा अकाल सहायता मंत्रीजी हैं उनसे मिल लेने दो लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया। मुरलीधरजी ने कहा हम दो साथी जाकर अपनी मांग रख देंगे। पुलिस के लोगों ने कह दिया भीतर किसी हालत में नहीं जा सकते हैं, मुरलीधरजी व्यास ने पूछा क्यों नहीं जा सकते हैं – दो आदमी जायेंगे लेकिन पुलिस वालों ने नहीं जाने दिया। उपाध्यक्ष महोदय, उस घटना को देखकर बहुत दुख होता है। मुरलीधरजी व्यास पर पुलिस वाले इस कदर मारपीट करने लगे जैसे एक जानी दुश्मन करता है उनके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी – सिर फट गया, घुटनों के बहुत बुरी चोट लगी। पुलिस वाले जानी दुश्मन की तरह उनके सिर पर डंडा मारने लग जिससे उनका सिर फट गया। वे बेहोश हो गये और गिर पड़े। उनके तीन चार

(श्री चुन्नीलाल इन्दालिया)

साथी भी थे वे भी गिर पड़े। दो-चार पुलिस के आदमी उनके नीचे की तरफ चोटें मारने लगे। उन जानी दुश्मनों ने मर्डर करने की दृष्टि से यह सब कुछ किया है। सर्किट हाउस में मंत्रीजी बैठे थे लेकिन कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनके पास नहीं आया सब सर्किट हाउस में ही बैठे रहे। पुलिस वालों ने जीप में मुरलीधरजी को इस तरह उठाया जैसे मरे हुए आदमी को उठा कर जीप में रखते हैं और श्री मुरलीधरजी को पीछे की तरफ से डालकर अस्पताल ले गये। मुझे पता लगा, मैं भी अस्पताल गया वहां देखा तो मुरलीधरजी का माथा फटा हुआ था, नीचे की तरफ पसलियों में चोटें आई हुई थीं। दो-तीन साथी गये थे। उपाध्यक्ष महोदय, कलेक्टर का जो मकान था उसके दो सौ पावंड़े दूर तांगे थे वहां कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मुरलीधरजी की जान लेने में पुलिस का हाथ है। इसकी ईमानदारी और बफादारी से जांच होनी चाहिये।

दूसरा गोकुलप्रसाद जी ने जो कहा है कि बी० के० डी० के नेता श्री चौधरी कुम्भारामजी 5 तारीख को आये थे, यह फालतू आरोप लगाया है, निराधार है। अगर बी० के० डी० के नेता आये हों तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज तक बीकानेर जिले में बी० के० डी० के नेता जिन्होंने जो ऐसी कठिन स्थिति में कहीं काले झण्डों से विरोध किया हो और बी० के० डी० ने प्रदर्शन किया हो या धरना दिया हो। हमने अकाल में राजस्थान का साथ दिया है। जब देश कठिन परिस्थितियों में घिरा हुआ हो तो हर इन्सान का फर्ज है कि वह उसकी हर प्रकार से रक्षा करें, देश की आजादी की सुरक्षा करे और राज्य सरकार के मंत्री ऐसे इन्सानों की हत्या करें और ऐसी नीच हरकतें करें, ऐसा नहीं होना चाहिये। जहां तक सवाल है नवाब साहब का, उनको हमने जाकर कहा तो उनकी आंखों में पानी आने लगा। उन्होंने कहा मैं साथ चलूं लेकिन मुझे विश्वास नहीं क्या हो सकता है ?

श्री मदनसिंह : मैदान में आदमी नहीं थे ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जो बात है वह कहूंगा। नवाब साहब बहुत दुखी थे। भीमसेनजी से मैं दूसरे दिन मिला। उस समय तक मरलीधरजी बेहोश थे, 24 घंटे तक वे बेहोश रहे। फिर बी० के० डी० के—...

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दी है बी० के० डी० वाली बात। दोहराइये मत।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभी माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं कि इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिये। राज्य सरकार की चाहे न्यायिक जांच हो या कोई और तरह की जांच हो मुझे उसमें विश्वास नहीं है। किन्तु बार-बार इनकी न्यायिक जांच हो, अन्यायिक जांच हो तो जो अंधा है उसके सामने कोई कूके तो मैं तो कहता हूं कि कूकने वाला बेवकूफ है। कोई इसकी न्यायिक जांच होने वाली नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि न्यायिक जांच हो लेकिन न्याय मिलने की मुझे उम्मीद नहीं है। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं आपसे (श्री चुन्नीलाल इन्दलिया) एक बात पूछता

Page No 82

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

चाहता हूं। जब कुम्भाराम जी आये और डॉक्टर हरिकिशन ठेकेदार के यहां गोष्ठी हुई तो उसमें कौन-कौन थे ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उसमें आपके कांग्रेसी आदमी थे। बी० के० डी० का कोई नहीं था और चार कांग्रेस के आदमी थे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य।

गृह मंत्रीजी।

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस घटना की इस सदन में चर्चा हो रही है इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत दुखद घटना है और इसके लिए हम सब को अफसोस है कि एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता और पुराने कार्यकर्त्ता के चोट लगी। लेकिन जो सीक्वेन्स ऑफ इवेन्ट्स हुआ और जो राज्य सरकार की तरफ से बयान दिया गया और जिस तरह से घटना हुई है उसके ऊपर भी मैं माननीय सदस्यों का खास तौर से ध्यान आकर्षित करूंगा। यह बात ठीक है और मंत्रियों के लिए बहुत जरूरी है कि जनता के अभाव अभियोगों को वह सुनें और उन्हें सुनाने का मौका दें और मैं समझता हूं कि इसकी शिकायत नहीं हो सकती कि मंत्री जनता के लोगों से मिलते नहीं हैं और उनको मिलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन जिन घटनाओं के अन्दर यह प्रदर्शन किया गया वह आप नजर अन्दाज नहीं कर सकते। यह ठीक है कि जनतंत्र के अन्दर जनता को हक है कि वह दर्शन करें, काले झण्डे दिखायें, डिमान्सट्रेशन करें और अपने ग्रिवान्सेज को रखें लेकिन यह सब कान्सटीट्यूशनल वे में और पीसफुल वे में रखने का आपको अधिकार है और इस सदन के अन्दर बार-बार जब भी चर्चा आई है इस अधिकार से किसी ने इन्कार नहीं किया है लेकिन एक बात जरूर है कि मैंने इसी सदन में कहा था उस दिन हमने एस०एस० पी० के नेता को वह बात बहुत नागवार गुजरी थी और मैं अब भी कहना चाहता हूं कि जहां तक घेराव का प्रश्न है, राजस्थान में चाहे कुछ हो घेराव की इजाजत नहीं दी जा सकती और सबको रोका जायगा।

जब 5 तारीख को मीटिंग हुई और मीटिंग के अन्दर यह ऐलान किया गया कि मुख्य मंत्रीजी को काले झण्डे दिखाये जायें-सके लिए कोई एतराज नहीं है, प्रदर्शन करें एतराज नहीं है लेकिन जब ऐलान किया गया कि मुख्य मंत्रीजी का घेराव किया जायगा तो बहुत नम्रतापूर्वक अर्ज करूंगा कि पुलिस ने इसके लिए जितने भी प्रिकाशनरी मैजर्स लिए वह वाजिब थे और यह उनको लेने ही चाहिए। थे अगर यह मैजर्स नहीं लिये जाते तो शायद वह दोषी करार दिये जाते।

अब रहा सवाल कि प्रदर्शन के लिए जनसंघ के कार्यकर्त्ता गये। स्वागत के लिए कांग्रेस के कार्यकर्त्ता गये और उसमें पुलिस ने दखल नहीं दिया और इसकी शिकायत किसी को नहीं है कि जनसंघ के कार्यकर्त्ता या कांग्रेस के कार्यकर्त्ता दोनों को ही सर्किट हाउस म प्रवेश नहीं करने दिया गया और उन्होंने जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं की। मैं अर्ज

(श्री दामोदरलाल व्यास)

करना चाहता हूं कि जहां एक तरफ मंत्रियों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वह जनता के लोगों से मिलें और उनके अभाव-अभियोगों को सुनें तो दूसरी तरफ इसको भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हमारे मंत्रियों के बंगलों में या सर्किट हाउस में या सेक्रेटेरियट में या उनके दफ्तरों के अन्दर लम्बे-चौड़े जुलूसों को जाने की इजाजत दी गयी तो लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन नहीं हो सकता। सलिए सर्किट हाउस के अन्दर जुलूस को जाने देने से रोकने की बात मैं समझता हूं कि बिल्कुल वाजिब थी और उनको रोक देना चाहिए था.....

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल : 9 आदमियों को ?

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने आपके भाषण में दखल नहीं दिया। यह आदत थोड़ी तो बदलिये। अब तो आ गये बड़े वक्त आपके।

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल :-क्या कहा ?

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने कहा कि आपमें अब तो बड़ी बुर्दबाई आ गयी है। तो मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं, जैसी जानकारी है और रिपोर्ट है, उसके लिहाज से और दूसरी बात जैसा हमने तरीका अख्तियार कर रखा है माननीय सदस्य जानते हैं कि बार बार जुलूस और प्रदर्शन इस विधान सभा के सामने आते हैं परन्तु उन प्रदर्शनों को ऊपर आने की इजाजत नहीं दी जाती है और वह प्रदर्शन या जुलूस मुख्य मंत्रीजी से या अन्य मंत्री से संबंध रखता है तो उसमें से चार-पांच आदमी आकर अपनी ग्रिवान्सेज को पेश करने के लिए बुला लिये जाते हैं और उनके डेपुटेशन से मिल लिया जाता है। यही तरीका है, चाहे सेक्रेटेरियेट में जाओ, चाहे विधान सभा में जाओ बराबर इस तरीके को फोलो किया गया है और बराबर डेपुटेशन्स को इजाजत दी गयी है मिलने के लिए। आप इसको मानेंगे कि ऐसा कभी नहीं किया कि किसी मंत्री ने उनसे मिलने से इन्कार किया हो। इसके साथ ही साथ आप इसको भी स्वीकार करेंगे कि इसको प्रोत्साहन दिया जाये कि जुलूस और प्रदर्शन दफ्तर में या सेक्रेटेरियेट में या जहां मंत्री ठहरे हुए हों वहां उन्हें घुसने दिया जाये यदि ऐसा किया गया तो लॉ एण्ड आॅडर को कायम रखना बहुत मुश्किल हो जायगा। इन तमाम बातों के ऊपर गौर करके उस रोज की घटना चाहे आपने रिपोर्ट दी हो, उसने दी हो, परन्तु जिस तरह से यह घटना हुई है वहां पर पुलिस के एडीशनल एस०पी० थे। यह कहा गया था कि वहां एस० एच० ओ० थे। मैं कहता हूं कि वहां एस० एच० ओ० नहीं थे बल्कि एडीशनल एस० पी० थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे और वहीं गेट के ऊपर सिर्फ जुलूस को अन्दर दाखिल नहीं होने देने की वजह से इस गेट को बन्द कर रखा था। जैसा कि सरकारी स्टेटमेन्ट में बताया गया कि उस गेट के ऊपर जबरदस्ती गेट तोड़कर जुलूस अन्दर जायेगा इसका एलान मुरलीधरजी ने किया और श्री रंगाने तांगे से कूदकर पुलिस के कारडन को तोड़ने की कोशिश की और उसके ऊपर पुलिस के पीछे से, जुलूस के पीछे से पत्थर भी आये और इससे पुलिस वालों को चोटें भी लगीं। मैं अर्ज करना चाहता हूं

Page No 84

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कि जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि उसको अनलॉफुल असेम्बली क्यों नहीं करार कर दिया। ज्योंही हिंसा शुरू हुई और दाखिल होने की कोशिश की और पुलिस ब्रीच ऑफ पीस की वजह से उनको गिरफ्तार करने लगी और उस स्केफल के अन्दर लोगों को चोटें लगीं। यह कहा गया है कि श्री मुरलीधर जी को निशाना बनाया गया तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह सही नहीं है। पुलिस वालों के पास बैंते थीं और मुरलीधर जी के लगी उसका अफसोस है, यह दुखद घटना है और इसकी किसी को खुशी नहीं हो सकती......

श्री दौलतराम सारण : चोट किस चीज की थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप और भी पूछना चाहेंगे तो बता दूंगा। जल्दी क्यों कर रहे हैं ?

यह जिस तरह से सीकवेन्स ऑफ इवेन्ट्स हुए हैं कम से कम मंत्रीमण्डल के सदस्य जो अन्दर थे उनके ऊपर दोषारोपण करना ठीक नहीं है। पुलिस का जुलूस को रोकना बिलकुल वाजिब था और उनको नहीं जाने देना चाहिए था। उस एडीशनल एस० पी० ने इनसे कहा कि आप चाहें तो डेपुटेशन अन्दर भेज दें और आप बात कर लें लेकिन उन्होंने इससे इन्कार कर दिया कि नहीं हम सब जायेंगे यह कोई 25 या 23 आदमी बताते हैं, बहरहाल सरकारी सूचना के आधार पर वहां पर ज्यादा आदमी थे। एक छोटा सा मदारी खेल करता है तो वहीं पर सौ, दो सौ आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और जिसमें तो मुरलीधरजी जसे आदमी जुलूस लेकर जाते हैं तो आप मानेंगे कि उसमें 15-20 आदमी ही होंगे ? मेरा अर्ज करना यह है कि हो सकता है कितने आदमी हों लेकिन यह मानने वाली बात नहीं है कि यह करीने कयास से नहीं कहता कि बीकानेर के अन्दर जुलूस तांगे में बैठकर जाये और मुख्य मंत्रीजी का घेराव करने के लिए जाये और मंत्रियों को रिप्रेजेन्टेशन पेश करने जाये और उसमें कोई कहे कि दस बारह ही आदमी थे और गोकुलप्रसादजी ने कहा था कि 15-20 आदमी ही थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी इनफर्मेशन के मताबिक कितने थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह करीने कयास नहीं है। यह आदमी यदि हिंसा पर उतारू हो जाते हैं तो इसको आप वाजिब बात नहीं कहोगे।

इसलिए मुझे आपसे अर्ज करना यह है कि यह घटना इतनी जल्दी में हुई है कि मुश्किल से एक मिनट लगा होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगा है, क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट और एस० पी० वहां पर मौजद थे। वे फौरन ही पहुंच गये। घटना इतनी जल्दी हुई कि 144 लगाने की बात पैदा ही नहीं होती है। आम तौर पे जसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक नागरिक को अधिकार है जुलस निकालने का, सभा करने का। और प्रदर्शन करने का जब तक प्रदर्शन हिन्सात्मक तरीका न अख्तायार कर लें तब तक 144 लगा का सवाल दा नहीं होता है। 144 लगाने का मौका ही नहीं मिला। एक-दो मिनट में ही सारी घटना खत्म हो गई।

अब रहा सवाल माननीय सदस्य किसी ने यह कहा कि मुरलीधरजी बेहोश रहे।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मैं नर्मतापूर्वक कहता हूं कि बेहोश नहीं रहे और एक सिम्पल इन्जरी उनके सिर पर आई है। बेहोशी के बारे में मैंने अपनी जानकारी की है सरकारी तरीके से मेडिकल डिपार्टमेंट से तो उनकी बेहोशी की बात सही नहीं है। और दूसरी यह बात कि मुरलीधरजी के साथ किसी एस०एच०ओ० ने बदला लेने की भावना से यह कार्यवाही की हैं। मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि हम इस घटना को अच्छा नहीं कहते हैं। इस घटना के लिए हमें बड़ा खेद है अफसोस है। फिर भी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि पुलिस की पैरवी मत करो। यह अच्छा नहीं है सरकार के लिए। मैं इस बात को मानता हूं, और मैं यहां पर इसलिए खड़ा नहीं हुआ हूं कि पुलिस की पैरोकारी करे, या गलत काम पुलिस वाले करते हैं तो उनकी पैरोकारी करूं, बचाव करूं। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर पुलिस गलत काम करे तो उसको सज़ा देनी चाहिए। दूसरी तरफ फर्जमनसबी की अदायगी में पुलिस अच्छा काम करती है तो यहां पर उनको प्रोटेक्शन देने का काम सरकार का है। अगर यह तरीका अख्तायर किया जाय कि पुलिस को कन्डम ही कन्डेम करेंगे ·····

श्री देवीदत्त गाड़िया : लाठी चार्ज करने वाले को स्वर्ण पदक दीजिय।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। आप सुनना नहीं चाहते तो मैं जल्दी करूं। इसलिए अर्ज किया कि पुलिस को केवल कन्डेम करने का ही जो तरीका है वह मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहूंगा कि इस तरीके को मत अपनाइये। इससे जनतंत्र को खतरा है। आप बंगाल की दुहाई देते हैं। कहते है कि राजस्थान में यह नहीं हो, तो मैं उन्हीं के शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर आपने यह कार्यवाही की और पुलिस में असन्तोष आपने ज्यादा फैलाया और ज्यादा उत्तेजना पैदा की तो मैं समझता हूं कि बंगाल वाला हाल आप करवा रहे हैं और आप करवायेंगे। मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि जहां पुलिस के ऑफिसर गलती करते हैं उनको बराबर सजा दी जाय, उनके प्रति कोई रियायत नहीं करना चाहिए, लेकिन फर्जमनसबी की अदायगी में काम करते हैं और सही काम करते हैं तो उनको फुल प्रोटेक्शन दिया जाय। उन को फुल प्रोटेक्शन देना सरकार का फर्ज है और आपका भी फर्ज है माननीय सदस्य। हमको इस तरीके को अख्त्यार करना चाहिए।

जहां तक प्रश्न इस बात का है, कुछ कानूनी मुद्दे उठाये गये कि धारा 144 क्यों नहीं लगायी गयी। पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। मैं मानता हूं कि पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार है लेकिन मारने का नहीं। अगर गिरफ्तारी के वक्त यह झगड़ा पैदा हो जाय कुछ मजाहमत और हिन्सात्मक मजाहमत हो जाय तो मैं नहीं समझता कि पुलिस क्या करे?

दूसरी तरफ यह कहा माननीय सदस्य जो अलवर से आये हुए हैं उन्होंने कि गिरफ्तार करने के बाद पीटा गया।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : तो क्या आप लोगों को लाठियों से मारेंगे?

Page No 86

श्री दामोदरलाल व्यास : आप वहीं थे आपने देखा है ? मेरे पास जो इत्तिला आई है उसके आधार पर कह रहा हूं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या जान से मार देना चाहिए था ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ?

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने उन लोगों को मरवा डाला । आप चाहते हैं कि उन लोगों को मरवा दिया जाय ताकि रास्ता साफ हो । एक आदमी को जान से मारने की साजिश की जाय और आप एन्क्वायरी करवाने को तैयार नहीं हैं और आप इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया है । उनके जुलूस में 20 आदमी थे और 20 से ज्यादा नहीं थे और आप कहते हैं कि 400-500 आदमी थे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कहा गया है कि गिरफ्तार करने के बाद मारा गया है, यह बिलकुल गलत बात है । उनको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी को अमल में लाने के सिलसिले में जब मजाहमत हुई । है और जब हिंसात्मक मजाहमत हुई है तो उसका यह फल हुआ है । इसके अन्दर बदकिस्मती से उनके चोटें आई हैं जिसका हमें खेद है ।

दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उनका डॉक्टरी मुआयना मेडीकल जूरिस्ट ने किया है और आप लाठी के प्रहार की बात बतलाते हैं तो लाठी के प्रहार की बात नहीं है केवल एक चोट सिर पर है और एक अंगूठे या अंगुली में चोट है । इसके सिवाय उनके जिस्म पर और कोई चोट नहीं है । आप चाहें तो किसी तरह से कोई चश्मदीद गवाह बनकर या गवाह बनकर कह दें, लेकिन मेडिकल जुरिस्ट ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : आपकी पुलिस भी तो झूठे गवाह तैयार करती है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : पुलिस के जो मुलाजिमान जख्मी हुए हैं उनको नहीं भूलना चाहिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उनको क्या क्या चोटें आई हैं उसको पढ़ कर बता दें पुलिस वाले 5-6 आदमियों को ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने जैसा कि आप से कहा कि जनता के जहां अधिकार हैं, मंत्रियों के जो कर्तव्य हैं उसके लिए विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने जो कहा है उसको 100 पर्सेन्ट स्वीकार करता हूं, पर जो बात मैंने कही है उसके ऊपर भी बड़ी गम्भीरता से विचार करें । इस प्रकार से प्रदर्शनकारी दफ्तर या सेक्रेटेरियेट या जहां पर मंत्री ठहरे हुए हैं वहां पर उन्हें आम सभा करने की इस तरह से इजाजत दी गई तो कानून और व्यवस्था कायम नहीं रह सकती है । इसके लिये यही तरीका ठीक है कि एक छोटा सा डपुटेशन आकर मंत्री से मिल ल । इस तरह से आव्जर्व करते रहेंगे तो कोई मौका नहीं देंगे ग्रिवान्स का । मंत्री किसी से मिलने में कोई आनाकानी नही करते हैं ।

श्री मदनसिंह : मैं मंत्री महोदय से प्रश्न पूछ लेना चाहता हूं कि जहां कांग्रेस को इस तरह का हक देते हैं तो जनता के....

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी शिकायत आपको मेरे से नहीं है। आप जानते हैं कि आप जब भी आये हैं मैंने मौका दिया है। कोई मौका ऐसा नहीं गया कि मैं नहीं मिला हूं।

श्री मदनसिंह : जैसा मौका आप कांग्रेस को देते हैं वैसा बी० के० डी० को नहीं देते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : वे भी जा सकते हैं। कांग्रेस, बी० के० डी० और काम्युनिस्ट भी। रामानन्दजी जानते हैं। कम्युनिस्टों की तरफ इशारा करने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे लायक दोस्त बद्रीप्रसादजी भी मिलते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (अश्रव्य, श्री बद्रीप्रसाद और श्री मदनसिंह के साथ-साथ बोलने के कारण)।

श्री मदनसिंह : जाते हुए मैंने आपको (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) भी देखा है। मिलते जुलते तो आपको भी देखा है और मिनिस्ट्री की ख्वाहिश करते हुए भी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पीछे बहुत घूमे हो और अब इन्कार करते हो।

श्री मदनसिंह : जब तक मैं राजनीति में काम करूंगा तो मेरे रिप्रेजेन्टेशन के लिए जाऊंगा। आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप पब्लिक को धोखा देते हैं। गवर्नमेन्ट के पास जाने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। गवर्नमेन्ट से मैं न तो आज तक दबा हूं और न आगे दबने वाला हूं। गलत बात होगी तो इनको भी कहूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप भी कहते हैं और वे भी कहते हैं। वे भी जाते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (श्री मदनसिंह से) लाठी चार्ज में कभी लाठी खाओ तो पता लगे ?

श्री मदनसिंह : किसी की हिम्मत है लाठी चलाने की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक प्रश्न इस बात का है '53 हजार, 33 हजार या 31 हजार कि थैली लेने का वह गलत है। जैसा कि गोकुलप्रसादजी कह रहे थे कि लोगों से कांग्रेस के लिये चन्दा किया है......

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपका सब्जेक्ट थोड़े ही है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री दामोदरलाल व्यास : कांग्रेस संस्था के लिये चन्दा दिया गया है तो उसके काम के लिये दिया गया है, और चन्दा हर जगह होता है, हर संस्था करती है। सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट करते हैं। हम तो देश में ही करते हैं और कुछ लोग तो विदेशों से भी करते हैं। इसलिए इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि चन्दे से ही संस्था चलती है। चन्दा करना कोई गुनाह नहीं है। यह कहना कि अकाल के मजदूरों से चन्दा किया गया है यह बिल्कुल सही नहीं है, और इसकी जानकारी रखते हैं कि इस प्रकार का कोई चन्दा नहीं किया गया है। बहरहाल यह है एक गरीब संस्था है। यहां कोई

Page No 88

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आप जैसे पैसे वालों की संस्था नहीं है। छोटे लोगों के चन्दे से चलती है। किसान, मजदूर, मामूली व्योपारी से ही चन्दा देते हैं। आपकी तरह से कहीं बाहर से तो पैसा नहीं आता है अमेरिका से या रूस से........

श्री रामकिशन : सी० आई० ए० की रिपोर्ट ने कहा है कि अमेरिका से आता है।

(2 म० प०)

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं नम्रतापूर्वक अर्ज करूंगा कि जब मुरलीधरजी व्यास के मामले को देखते हैं तो यह बात नहीं होनी चाहिए थी, परन्तु जिस तरीके से और जिन वजूहात और जिन कारणों से और सिक्वेन्स ऑफ इवेन्ट्स से हुई है उन पर विचार करें तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल ऐसी एक घटना हुई है जो एक मामूली सी घटना है जिसमें कि उनके चोट लगी है। इरादतन कोई उनको मारा हो यह बात सही नहीं है। रामानन्दजी ने जो कुछ भी कहा, मुझे ताज्जुब भी नहीं है। रहा सवाल इसका, हमने कलेक्टर और एस० पी० से फर्दन-फर्दन जानकारी की। फर्दन-फर्दन रिपोर्ट मांगी। उन्होंने पूरी जानकारी देकर सरकार को वाकिफ किया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, हम एक्सप्लेनेशन चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हम एक्सप्लेनेशन चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य। दुबारा भाषण नहीं होगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। बात यह है कि जिस सब-इंस्पेक्टर ने........

श्री उपाध्यक्ष : भाषण दे रहे हैं। आर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उस सब-इंस्पेक्टर ने जिसका नाम अर्जुनसिंह है, जिसकी रिपोर्ट उनके कम्पाउन्डर ने दी है, उसने दो कत्ल कर दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : XXX (श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल बोलते रहे)

श्री उपाध्यक्ष ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : XXX (श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल बोलते रहे)

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय.........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य। आसन अपने पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें। (विराम)

अब आप नया विषय डिबेट में ला रहे हैं। उसका वापस उत्तर देना संभव नहीं है। इसलिये अब समाप्त कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्रीजी से जो 3 प्रश्न पूछे थे। पुलिस

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मैन कितने थे ? जुलूस वाले कितने थे ? पुलिस वालों के कितनी चोटें आयीं ? इनको यह बता दें । ये रीविलिंग है तो क्या आपत्ति है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय गृह मंत्रीजी से माननीय रामानन्दजी ने क्वेरी की है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री दुर्गालाल बाढ़वार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है.....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर । यह भाषण शुरू हो जायगा ।

श्री दुर्गालाल बाढ़वार : यह बात सही है कि मुरलीधर व्यास की गिरफ्तारी हुई है । उनके चोटें आई हैं । वह अस्पताल में हैं । उन्होंने ऐसी क्या स्थिति पैदा कर दी थी कि उसके चोटें आ गई हैं ? आप के सामने यह बोन ऑफ कन्टेंशन है । यह सवाल आपके सामने है । इन कारणों को आपने भी माना है । वह तो जस्टीफियेबिल आप के स्टेटमेंट से होता है...'

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य !

श्री दुर्गालाल बाढ़वार : आपको पता नहीं होता है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री दुर्गालाल बाढ़वार : आपको सफाई देनी पड़ती है । यह बोन ऑफ कण्टेन्शन है । आप लॉ नोईंग आदमी हैं । आप इनकार नहीं कर सकते हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी मौका दिया जाये । सब बोल रहे हैं । मुझे भी मौका मिलना चाहिए । सब को मिल रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मन्त्री और हमारे बीच में आसन नहीं आये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बीच में नहीं आता मगर टाईम रेगुलेट करना है तो आसन बीच में आयेगा ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हम डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आसन बीच में नहीं आना चाहिए तो ये क्या करना चाहते हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । आसन पैरों पर है ।

साधारणतः नियम है । जो चर्चा होगी, जो भाषण होंगे, चर्चा होगी वह आसन के माध्यम से होगी । जो आसन के माध्यम से नहीं हो वह अंकित नहीं की जायेगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर में विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य.........

श्री दामोदरलाल व्यास : सवाल पूछा जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह शुरू से 3 है।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : बोलो न, क्या बात है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल पूछा था। क्या यह सही है कि राज्य मन्त्री महोदय ने बीकानेर के भूतपूर्व विधायक मुरलीधर व्यास के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है वह सरासर××× है ?

श्री उपाध्यक्ष : ××× शब्द कार्यवाही से हटाया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : असत्य है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह गलत है। आप का कहना गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि राज्य गृह मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है और उसका अनुमोदन गृह मन्त्रीजी ने किया है, वह गलत है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर आप सीरियसनेस खत्म करना चाहते हैं तो करिये। आपको इसमें मजा आता है तो you do it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गृह मन्त्रीजी सीरियसनैस आप खत्म करते हैं। आप के ही कांग्रेस पार्टी के एक मेम्बर गोकुल प्रसाद शर्मा ने खड़े होकर यह कहा था कि मुरलीधर व्यास की पिटाई साजिदशपूर्ण ढंग से की गई। और, संयुक्त सोश्यलिस्ट पार्टी के चुन्नीलाल इन्दलिया इसके चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने पिटाई होते हुए अपनी आंखों से देखा है। क्या इसको भी आप गलत मानते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज। अंकित नहीं किया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अंकित नहीं किया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, प्लीज माननीय सदस्य। सदन के समय का अतिक्रमण कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द अंकित नहीं किये गये।

श्री उपाध्यक्ष: काफी समय लेलिया ऑर्डर प्लीज । इस भावना का आदर करते हुए डेढ़-दो घण्टा समय दे दिया गया है। उसका आखिर अन्त तो होना चाहिए । मैं भी इसको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मानता हूं ।

एक माननीय सदस्य: हो रहा है न ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं समझता हूं कि गृह मन्त्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है, इससे अच्छे वक्तव्य की उनसे कोई उम्मीद नहीं थी । बेरी कमीशन की रिपोर्ट पर भी जो गलत बयानी की थी......

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

अंकित नहीं किया जाये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित न किया जाय। ऑर्डर प्लीज ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: ×××

श्री उपाध्यक्ष। अंकित नहीं हो रहा है । आप समय ले रहे हैं सदन का ।

श्री भैरोंसिह: अंकित नहीं हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, फिर आप क्यों इन्ट्रप्ट कर रहे हैं । काम चल रहा है, चलने दीजिये ।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष। सदन का समय तो जा रहा है न इसमें।

अंकित नहीं किया जाय । काफी समय हो चुका है । चर्चा समाप्त होने के बाद आप दुबारा चर्चा उठाना चाहते हैं । यह अंकित नहीं किया जा सकता ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है । आप कार्य संचालन के रूल, नियम के किस नियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही को अंकित करने से रोक सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: मैने सुना नहीं । आप थोड़ा स्पष्ट करिये ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: मैं जहां तक समझता हूं, पीठासीन अधिकारी, चेयरमैन या खुद स्पीकर महोदय हों, यह ठीक है, हमारा कोई बयान गलत हो तो आप उसको एक्सपंज कर सकते हैं, आप हमको निलम्बित कर सकते हैं, हमको उठवा कर फिकवा सकते हैं - यह आदेश आप दें। लेकिन आप एकदम बगर किसी आधार के हमें अंकित नहीं करवायें, मैं समझता हूं, यह नियम विरुद्ध है ।

श्री उपाध्यक्ष. इसमें पहले भी व्यवस्था दी जा चुकी है, पिछले सत्र में जो भाषण बिना आसन की अनुमति के, बार-बार रोके जाने के पश्चात् भी दिया जाय उसको अंकित नहीं किया जायगा । और हमारे पास कोई जरिया नहीं है । माननीय सदस्य डिबेट बार-बार चालू करते रहें उस विषय पर जो विषय समाप्त हो चुका है तो हमारे पास यही तरीका है ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बात सही है कि भाषण अंकित नहीं हो, गृह मंत्रीजी अपनी पुलिस की लाठी से हमको पिटवायेंगे उसकी लाठियों के निशान अंकित होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) माननीय सदस्य, यह नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह उत्तर तो नहीं दिलवाया कि सिपाही कितने थे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अगर मूड में होते तो उनका उत्तर दिलवाया जा सकता था। मैंने कहा था कि एक दो प्रश्न पूछ लें लेकिन आपने तो दुबारा भाषण देना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि चर्चा समाप्त नहीं हो। एक दो प्रश्न पूछना चाहते और स्पष्टीकरण चाहते तो दिया जा सकता था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने पिछली परम्पराओं के आधार पर एक्सपंज करने की बात कही, 1967 के पहले श्री रामनिवास मिर्धा का एक पेसेन्ट भी आसन ने निभाया होता तो आसन की गरिमा रहती और हममें इतना असंतोष भी नहीं होता, उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष : मैं भाषण तो परमिट नहीं करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप लिखवायें या मत लिखवायें, यह आपका अधिकार है.....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें और भी अधिकार हैं। एडजोर्न करना पड़ेगा। अगर आप हाउस की कार्यवाही रोकना चाहते हैं, कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते हैं......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप, उपाध्यक्ष महोदय, भले ही मुझे हाउस से विथाड्रा करने के लिए कह दें लेकिन मैं मेरे संवैधानिक अधिकार के अनुसार जब तक कहना चाहूंगा, कहता रहूंगा। मुझे जब सीमा के बाहर नहीं जाना होगा, मैं बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप सीमा के बाहर जा रहे हैं सीमा को पार कर रहे हैं। इसलिए बार बार ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने दो मिनिट भी नहीं बोलने दिया।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, अब इसके बाद दुबारा भाषण शुरू नहीं होगा।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है। व्यवस्था का सवाल यह है कि क्या हमारे प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के अन्तर्गत कोई सदस्य, जो बोलने के लिये खड़े होते हैं, उनको नेम करने के पहले आसन यह व्यवस्था दे सकता है कि उनका बोलना अंकित न किया जाय ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने से पहले नहीं। बोलना शुरू करा माननीय सदस्य ने तो निवेदन किया था, एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के बजाय उन्होंने भाषण शुरू कर दिया, बीच में टोका गया, उसके बाद भी नहीं माने तो उस स्थिति में

(श्री उपाध्यक्ष)

आसन के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके ।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, फाइनल व्यवस्था देने से पहले आपको चाहिये था कि प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अन्तर्गत आप माननीय सदस्य को नेम करते । आपने नेम नहीं किया, आपने नेम नहीं किया....

श्री उपाध्यक्ष : नेम करने का मतलब और होता है ।

श्री दौलतराम सारण : आप भाषण अंकित करने से मना नहीं कर सकते-यह आपत्ति है । यह मेरा व्यवस्था का सवाल है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार.....

श्री उपाध्यक्ष : नियमों के सम्बन्ध में बात हो रही है । माननीय सदस्य ! नियमों के सम्बन्ध में बात है । आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार का आदेश आपने दे दिया कि भाषण अंकित नहीं किया जाय लेकिन गृह मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, यह बिल्कुल निकम्मा है । हम पूरा उत्तर चाहते हैं, नहीं तो सदन की कार्यवाही हर्गिज नहीं चलने देंगे । हम बार-बार कहते हैं कि हम इसका उत्तर चाहते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम तो रूल जानते हैं इसलिए बैठ गये । अब आप इनको समझाइये रूल ।

श्री रामचन्द्र आर्य : जब तक 3 बातों का सही तरीके से उत्तर नहीं देंगे तब तब हम कार्यवाही नहीं चलने देंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब आप इनसे अंग्रेजी में बात करिये. मैं तो रूल पढ़ा हुआ हूं इसलिए बैठ गया । अब आप निपटिये रामचन्द्रजी से ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गृहमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, इस सदन के अन्दर वह बिल्कुल गलत है, सत्यता से परे है, अनुचित है । इससे जनतान्त्रिक परम्परायें नहीं पनपतीं । अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति को जन्म दिया गया तो राजस्थान में बड़े भयंकर इसके परिणाम होंगे । इसलिए इस तमाम चीज के विरोध में हम अपनी पार्टी के साथ सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जल्दी क्या है, बैठो ।

श्री रामकिशन : (बहिर्गमन करते हुए) नियमों का पालन कर रहे हैं ।

(संसोपा के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो एटीट्यूड गवर्नमेंट ने लिया है उसके प्रोटेस्ट में मैं वाक आउट करता हूं ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा बहिर्गमन)

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय...

Page No 94

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रोटेस्ट के साथ हम वाक आउट करते हैं। आगे आकर अभी निपटेंगे।

(जनसंघ के सदस्यों द्वारा बहिगमन)

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार सरकार की ओर से असंतोषजनक उत्तर नहीं सहा जा सकता। इससे ज्यादा लज्जा की बात क्या हो सकती है। इसलिये मैं वाकआउट करता हूं।

(श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा बहिर्गमन)

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक कैटोगोरिकल प्रश्न पूछा था कि सिपाहियों की संख्या क्या थी ? जुलूस की संख्या क्या थी ? कितने लोग थे ? लाठी चलाने का आदेश किसने दिया ? इस प्रकार मैंने कई प्रश्न पूछे उनका माननीय गृह मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया है, बार-बार निवेदन करने पर, आग्रह करने के बाद भी गृह मंत्री जी उत्तर देने को, स्पष्टीकरण करने को तैयार नहीं हैं...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! लम्बा भाषण नहीं होगा।

श्री दौलतराम सारण : हमने जो मांग की उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकार के स रुख को, इस दृष्टिकोण को हम बिल्कुल गर वाजिब समझते हैं... ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री दौलतराम सारण : ..असंवैधानिक समझते हैं। इसलिए इसके विरोध स्वरूप मैं और मेरे दल के साथी इसका बहिष्कार करते हैं।

(श्री दौलतराम सारण द्वारा बहिर्गमन)

श्री विजयसिंह : मैं एक बात पूछना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष : यों नहीं पूछ सकते हैं। पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर से पूछ सकते हैं। एक बात पूछने से आपका क्या मतलब है ?

श्री विजयसिंह : प्रश्न पूछना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा इस पर समाप्त हुई। माननीय सदस्य ! काफी समय हो गया।

श्री विजयसिंह : इसके सम्बन्ध में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। वह यह है, सबसे पहले तो यह बतायें कि कांग्रस के मिनिस्टर काले झण्डे से क्यों डरते हैं ? दूसरी चीज यह है कि जब किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की धमकी दी जाती है तो पुलिस के पास जाकर कहता है.....

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं होगा। इससे सम्बन्धित नहीं है। आडर प्लीज !

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, तो पुलिस वाले कहते हैं, जब तुम्हारे को पीटें तब आना। मंत्रियों को किसी ने धमकी दी और मंत्री पिटते तो फिर जाते पुलिस के पास कि हमें पीटा है। पहले जाने की क्या जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री मनोहर सिंह मेहता : एक निवेदन है... ...

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री मनोहरसिंह मेहता : साधारण बात का निवेदन हमने किया था कि इसकी

Page No 95

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

जांच कराई जाय। इसको अस्वीकार किया गया, और एक अधिकारी की मार्फत जांच करवायें इसे भी नहीं माना गया इसके विरोध में हम भी बहिंगमन करते हैं।

(श्री मनोहरसिंह मेहता द्वारा बहिंगमन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा! मिल मजदूरों के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो जांच की मांग की गई, वह अनुचित, मेरे ख्याल से नहीं थी माननीय गृह मंत्रीजी ने जो बात कही वह गलत नहीं है। उनके साथ मुझे सहानुभूति ह। लेकिन विरोधी पक्ष की यह मांग ठुकरा देना ठीक नहीं है। इसके प्रोटेस्ट में हम वाक आउट करते हैं।

(स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों द्वारा बहिंगमन)

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय..

श्री उपाध्यक्ष : आगे कार्यवाही चालू होने दीजिये। इसके आगे आप क्या भाषण देना चाहते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (चिकित्सा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल कालेज में प्रवेश के बारे में आने वाले कल के लिए वक्तव्य देने के लिए निवेदन किया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वक्तव्य आज देना चाहता हूं।

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री बृज सुन्दर शर्मा : यह वक्तव्य आज देना चाहता हूं, मुझे इजाजत दी जाय क्योंकि बहुत देरी हो जायगी।

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुरलीधरजी के सम्बन्ध में चर्चा हुई, उसमें एक चीज मेरी समझ में नहीं आ सकी। मैं गृह मंत्री जी से...

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते हैं कि विषय बराबर चलता रहे। अब प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक रोज पहले यह घटना हो चुकी थी कि घेराव होगा तो क्या वहां पर मजिस्ट्रेट नहीं आ सकता था?

श्री उपाध्यक्ष : मजिस्ट्रेट मौके पर थे, यह बात कह रहे हैं।

श्री मदनसिंह : मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे आप उसे प्रोसीडिंग्स में नहीं लें। जब एक रोज पहले सरकार को मालूम हो गया कि प्रसोपा के नेता घेराव करने जा रहे हैं, घेराव का मालूम था और जब यह घटना पहले हो चुकी थी तो क्या वहां मजिस्ट्रेट नहीं आ सकता था?

श्री उपाध्यक्ष : मजिस्ट्रेट मौके पर था, यह कह दिया है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव..

श्री मदनसिंह : एक रिक्वेस्ट कर दूं। डिप्टी होम मिनिस्टर स्वयं जाकर वहां जांच कर लें-यह विश्वास वह दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! मूलचन्द डागा!

(श्री मदनसिंह द्वारा बहिंगमन)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज महाराजा उम्मेद मिल, पाली के तीन हजार मजदूर हड़ताल पर हैं और उन्होंने अपनी मांग समय-समय पर अहिंसक तरीके से सरकार के सामने रखी है, सरकार का इस ओर ध्यान दिलाया है कि समाजवाद के नारे में कहां पूंजीवाद है। पूंजीवाद समाजवाद से न मिल जाय बार-बार उन्होंने यह बतलाया है कि समाजवाद का हमारा नारा है उसमें पूंजीवाद पनप रहा है। पूंजीवाद जब पनपता जाता है तो मजदूरों का शोषण होता है। आज भी तीन हजार मजदूर पाली के और पन्द्रह हजार सूती मिल मजदूर राजस्थान में अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी तनख्वाह नहीं पाते हैं। एक ओर जहां पार्लियामेंट में एम० पी० का पचास रुपया भत्ता बढ़ाया जाता है, हरियाणा में एम० एल० एज० की तनख्वाह बढ़ाई जाती है, वहां मजदूर लोग अपनी अवस्था के बारे में सन् 54 से निरन्तर कहते आ रहे हैं कि हमारी जिन्दगी का भी सवाल है, हमारे बाल-बच्चों का भी प्रश्न है, हमें भी कुछ आगे बढ़ना है। आप जानते हैं कि देश कि आजादी के समय में भी मजदूरों ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। देश के निर्माण में मजदूरों ने बड़ा काम किया है। फिर आज क्या कारण है कि मजदूरों की बात सुन कर आप टालना चाहते हैं? मजदूर देश में उत्पादन बढ़ाना चाहते है, लेकिन मजदूरों को जहां काम करना पड़ता है वहां मजदूर पीसा जा रहा है। एक ओर समाजवाद का नारा देने वाली सरकार है और हम लोग चाहते हैं कि देश के अन्दर मजदूरों की हालत सुधरे, उनकी स्थिति सुधरे, उनके तौर-तरीके रहने के सुधरें। दूसरी ओर हम पूंजीवाद की बात मानकर अभी तक मजदूरों को महंगाई भत्ता नहीं देना चाहते। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं : आज बम्बई में डी० ए० 180 रु० मिलता है, अहमदाबाद में 175, बैंगलोर में 131, बड़ोदा में 153, कोइम्बटूर में 136, दिल्ली में 153, इन्दौर में 127, नागपुर में 125 शोलापुर में 133, वेस्ट बंगाल में 106 रु०, और राजस्थान में अभी भी 70 रु० मिलता है। जब हम यह सारे आंकड़े जानते हैं, वहां वाले कह चुके हैं कि हम लोग मजदूरों को महंगाई भत्ता इतना देते हैं। वेतन मंडल की सिफारिश है कि सूती मिल में काम करने वालों को न्यूनतम 140) महंगाई मिलनी चाहिये और उसके बाद भी पहले जो वेतन मंडल की सिफारिश थी उसको आपने नहीं माना। दूसरे वेतन मंडल की सिफारिश को नहीं माना। आज सरकार बहाना कर रही है कि मुख्य मंत्री ने इन्टरविन करके कह दिया कि हम आपको 15) देंगे किस बात के 15 रुपये? यहां 70) और कहां 100) और कहां 180), वहां केवल 15) देकर आप मजदूरों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि पूंजीवाद बढ़े, मजदूरों को लाभ न पहुंचे। मजदूरों का शोषण करके पाली मिल के मालिकों ने करोड़ों की सम्पत्ति जोड़ ली है। दरबार ने जमीन मुफ्त दी, सरकार की तरफ से पानी मुफ्त दिया जाता है, जवाई तालाब का पानी वहां जाता है। जहां पर नगरपालिका 25 पैसे पर टन चुंगी लेती थी, सरकार ने मिल की सहायता कर दी और चुंगी 10 पैसे कर दी। जहां नगरपालिका 100 पैसे प्रति टन लेती थी वहां 10 पैसे कर दिया जहां हजारों रुपयों का मिल को लाभ हो

(श्री मूलचन्द डागा)

पानी से लाभ हो, चुंगी से लाभ हो, हाउस टैक्स का लाभ हो, जमीन का लाभ हो, इतना पूंजीवाद को प्रश्रय मिले और मिल मजदूर झोपड़ों में रहें, गंदे मकानों में रहें, और जो मजदूर अपनी आवाज लेकर आते हैं आप उस पर ध्यान नहीं देते ? आपका तरीका रहा है कि मरीज भी जिंदा रहे और मर्ज भी जिन्दा रहे ताकि नेता लोग कभी बीच में पड़ें। जो समझौता करवाते हैं वह इसलिए करते हैं कि हम लोग अपनी आवाज को उठाते रहें। जब हिन्दुस्तान में एक नया कदम उठाया जा रहा है। कांग्रेस ने बैंक राष्ट्रीयकरण करके एक बड़ा कदम उठाया है। हम पूंजीपतियों को नहीं रखना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, लम्बा भाषण नहीं होगा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तथ्यों पर प्रकाश डालें।

श्री मूलचन्द डागा : ध्यानाकर्षण के पीछे 15 सालों का इतिहास है। ध्यानाकर्षण करते करते 15 साल हो गए। न जाने ध्यान आकर्षित पूंजीपतियों की तरफ होता है या मजदूरों की तरफ....

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : अपने प्रस्ताव के बाहर जा रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं चाहता हूं आप स्पेशल ट्रिब्यूनल बिठाएं। 10-10 साल से स्थाई नहीं किया जाता, स्थाई आदेश नहीं, हिन्दी में काम नहीं। नोटिस अंग्रेजी में देते हैं, काम अंग्रेजी में करवाते हैं। इसलिए या तो आप जल्दी से जल्दी फैसला कराएं। 1960 में कमीशन बैठा, यहां रानावत आयोग बैठा, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें और मंहगाई भत्ते बढ़ गए लेकिन मजदूरों की खस्ता हालत हो रही है। मैं चाहता हूं कि उनको पूरा महंगाई भत्ता दें। हम चाहते हैं कि कम से कम उनको 95) और दिए जायं। आप 15 रुपये दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 13 टक्सटाइल मिल्स हैं, जिनमें दो जयपुर में, एक मदनगंज में, तीन ब्यावर में, एक पाली में, दो भीलवाड़ा में, एक भवानीमंडी में, एक कोटा में, एक गंगानगर में और एक उदयपुर में है। इन 13 मिलों में लगभग 14 हजार मजदूर काम कर रहे हैं। ये 13 मिलें राजस्थान के बहुत बड़े पूंजीपतियों की हैं और उनका राजनैतिक दृष्टि से बड़ा प्रभाव है। मजदूरों के हितों के प्रश्न आते ह तब राजनैतिक प्रभाव का उपयोग करते हैं, और अब तक राजनैतिक प्रभाव के कारण उनको सफलता मिलती रही है, मजदरों का शोषण होता रहा। सन् 1960 में मजदूरों ने जब महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की और लगातार मांग करते आये तो 1960 में पहले वेतन मंडल ने अपनी सिफारिश दी, उन सिफारिशों के आने के साथ ही मिल मालिकों ने उपद्रव शुरू किया और व्यवहारिकता को चुनौती दी। भारत सरकार ने कमेटी नियुक्त की और सरकार का आशय था कि पहले वेतन मंडल की सिफारिशों को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाय उस बारे में भारत सरकार की सलाह दें। उस कमेटी का नाम शायद बागची कमेटी था। कमेटी ने दो महीने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और रिपोट स्तत करने पर उन्होंने मोटे रूप से सिद्धांत स्वीकार किया कि हमें महंगाई को समान स्तर लाने के लिए सेंट पर्सेंट न्यूट्रैलाइजेशन का सिद्धांत स्वीकार

(श्री भैरोंसिंह)

करना चाहिए । उसके बाद भी राजस्थान के मजदूरों को महंगाई भत्ता नहीं दिया । मजदूर हमेशा इस बात की कोशिश करते रहे, आंदोलन करते रहे लेकिन मजदूरों को कुछ नहीं दिया । उस समय मजदूर को कुल 85) सारे हिन्दुस्तान के स्तर पर मिलता था एवरेज जिसमें 26) बैसिक पे और 49) महंगाई भत्ता मिलता था । प्राइस इंडेक्स 105) था लेकिन प्राइस इंडेक्स ज्यों-ज्यों बढ़ता गया तो बागची कमेटी के अनुसार सेन्ट पर्सेंट न्यूट्रेलाइजेशन जो होना चाहिए था वह मिल मालिकों ने नहीं किया । इस बीच में राजस्थान में फिर संघर्ष हुआ । मजदूरों ने अपनी मांग रखी और उसके समर्थन में आंदोलन किया, तो राजस्थान के मुख्य मंत्री को 1965 के अन्दर आरबीट्रेटर नियुक्त किया गया । मुख्य मंत्री नें मिल मालिकों और मजदरों के प्रतिनिधियों को साथ लेकर कई दिनों की हील हुज्जत के बाद 7।।) डी०ए० में वृद्धि दी, वह भी कन्डीशनल थी कि 1968 के अंदर जब दूसरे वेतन मंडल की सिफारिश आयेंगीं वह उसके अगेन्स्ट में एडजस्ट की जायेगी। इससे ऐसा लगता है कि 1960 से लेकर 1968 तक चाहे केन्द्रीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, राज्य सरकार का संबंध चाहे न हो, चाहे श्रम विभाग का हो, लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत है कि वेतन मंडल की सिफारिशों को सही रूप से एक जिम्मेदार राज्य सरकार पूरी तरह से नहीं निभाये तो उसका मतलब फिर मजदूरों के अंदर असंतोष बढ़ा और उसके कारण फिर दूसरा वेतन मंडल नियुक्त किया गया । उसने 1968 के अंदर अपनी दूसरी रिपोर्ट दी सारे देश में जो सूती मिलें हैं वहां पर मजदूरों को जो वेतन मिलता है उसके आधार पर जब दूसरे वेतन मंडल ने अपनी सिफारिश दी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मजदूरों का मिनिमम महंगाई भत्ता 140) होना चाहिए । अब राजस्थान में केवल 70) मिलता है । दूसरे प्रांतों में मजदूरों को कितना महंगाई भत्ता मिलता है, उसके आंकड़े माननीय सदस्य ने बताए। मैं उन आंकड़ों को दोहरा कर सदन का समय नहीं लेना चाहता । लेकिन सदन को यह बताना चाहता हूं कि जब सकिन्ड वेज बोर्ड ने 140) रु० की रिकमन्डेशन की उसके मुकाबले राजस्थान सूती मिल मजदूरों को 70) रु० मिलता है। न सेन्ट पर्सेंट न्यूट्रिलाइजेशन का सवाल आता है, न बढ़ाया जाय उसका सवाल आता है, सैकिन्ड वेज बोर्ड ने किस प्रकार इसको बढ़ाया जाय इसकी एक प्रक्रिया दी है, एक रिकमन्डेशन दी है कि तीन-तीन रुपये के हिसाब से 1/3 का इन्क्रीमेंट दिया जाकर 140 का टार्गेट पूरा किया जाय। मजदूरों ने हड़ताल का नोटिस दिया । वेज बोर्ड की सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया । राजस्थान सरकार भी उसके अगेन्स्ट नहीं है। मिल मालिक स्वीकार करेंगे उसको और सरकार उनको स्वीकार करायेगी । सब का समर्थन है। ट्रिपार्टाइट कान्फ्रन्स हुई, सरकार के प्रतिनिधि, इन्डस्ट्रीज के प्रतिनिधि और मजदूरों के प्रतिनिधि, आये। समझ में नहीं आता सरकार ने ट्रिपार्टाइट कान्फ्रन्स में 15) रु० की राहत देने का फैसला किया, चाहा यह गया कि मजदूर हड़ताल न करें, मैं श्रम मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि वे केटोगोरिकली सदन में कहें कि सैकिन्ड वेज बोर्ड की रिकमन्डेशन्स को भारत सरकार ने स्वीकार किया, परन्तु राजस्थान सरकार उसको

Page No 99

(श्री भैरोंसिंह)

स्वीकार नहीं करती। क्या राजस्थान सरकार पूंजीपतियों और मिल मालिकों से मजदूरों को जो मंहगाई भत्ता मिलना चाहिए वह उनको नहीं दिला सकती ? आप अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, सैकिन्ड वेज बोर्ड की रिकमन्डेशन्स को लागू नहीं कर सके, मजदूर हड़ताल न करें, टूलडाउन स्ट्राइक न करें, संघर्ष न करें, सरकार को बीच में आने की जरूरत नहीं है, मजदूर और मिल मालिक के बीच फैसला होगा और जो होना होगा सो हो जायेगा। कहीं प्रोडक्शन पर विपरीत प्रभाव न पड़े। सरकार का धर्म है कि ट्रिब्यूनल के एवार्ड को और बोर्ड के एवार्ड को माने और ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस सुनियोजित षड़यन्त्र के रूप में न बनी हो यह सोचा जाय। सरकार ने 15 रुपया स्वीकार किया है। मुझे हैरानी है कि मजदूरों के नेताओं ने किस प्रकार से इसको स्वीकार कर लिया ? उन नेताओं पर भी पूंजीपतियों का असर हो गया जो उनके लिये चौपड़ पर खड़े होकर चिल्लाते नहीं थकते हैं कि पूंजीपति मजदूरों का खून चूसने वाले हैं। उन मजदूर नेताओं का इनके साथ कोई षड़यंत्र तो नहीं है ? आज मजदूरों के नेताओं का नेतृत्व पूंजीपतियों के हाथ में बिका हुआ है। मजदूरों का कोई नेता ऐसा नहीं होगा जो 70) रुपये के स्थान पर 15) रु० की बात मान कर हस्ताक्षर करता। मजदूरों के साथ मजदूरों के प्रतिनिधियों ने, पूंजीपतियों ने और सरकार ने मिल कर षड़यन्त्र किया है और सैकिन्ड वेज बोर्ड की रिपोर्ट को ताक पर रख कर मजदूरों के पेट पर लात मारी है। यह सरकार समाजवाद की बात करती है, दूसरों पर आरोप लगाना चाहती है कि पूंजीपतियों के दलाल हैं। श्रमिक क्षेत्रों में श्रम मंत्रीजी आप काम करते हैं, आप पूंजीपतियों के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। यदि आप होते तो मजदूरों का हित आपके सामने होता। सरकार उनको मजबूर करती, अध्यक्ष महोदय, कि सरकार मजदूर 15) रु० एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मजदूरों की बात करते 2 पूंजीपतियों की बात करते हैं। ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस में बैठ कर 70 रु० के स्थान पर 15) रु० स्वीकार करके पूंजीपति, मजदूर नेताओं ने और सरकार के प्रतिनिधियों ने तीनों ने षड़यन्त्र करके मजदूरों के पेट पर लात मारी है। सकिन्ड वेज बोर्ड की पूरी सिफारिशों को लागू करिये। सरकार यह व्यवस्था नहीं कर सकती तो सदन को विश्वास में लेकर मजदूरों के साथ खड़े हो जायं ताकि मजदूर संघर्ष के लिये खड़ा होकर न्यायपूर्ण माग को स्वीकार करा सके। मजदूरों के साथ विश्वासघात न करें। मजदूरों की मांगों को स्वीकार करने के लिये मजदूरों के साथ खड़े हो जायं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रम मंत्रीजी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय... ... ...

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है इस पर वाद-विवाद नहीं होगा। आप अन्य किसी अवसर पर बोल लें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सकिन्ड वेज बोर्ड के इम्पलीमेन्टेशन का सवाल है सरकार भी और मिल मालिक भी इस बात पर सहमत हैं और थे कि सकिन्ड वेज बोर्ड की रिकमन्डेशन का इम्पलीमेन्टेशन किया जाय। सैकिन्ड वेज बोर्ड द्वारा

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

सिफारिशें की गईं वे इस बात पर आधारित हैं कि वेज बोर्ड की सिफारिशों के मुताबिक डी० ए० का मसला तय किया जाय और कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्डेक्स से डी० ए० को लिंक करके सुटबल मशीनरी से उसका निर्णय कराया जाय। जब फर्स्ट वेज बोर्ड की सिफारिशें आयीं तो सरकार ने एक बागची कमेटी की व्यवस्था की और बागची कमेटी ने उस वक्त यह मुनासिब समझा कि फिलहाल अभी 70 पर्सेन्ट न्यूट्रिलाइजेशन किया जाय और इसी आधार पर डी० ए० दिया जाय। मजदूर इस बारे में सहमत न होकर आन्दोलन कर रहे थे कि सेन्ट पर्सेंट न्यूट्रिलाइजेशन किया......

(2.38 म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)......

जाना चाहिए। इसलिए सैकिन्ड वेज बोर्ड का आधार था वह ही फस्ट वेज बोर्ड का न्यूट्रिलाइजेशन का आधार होने से सारा झगड़ा वैसा का वसा हो चल रहा था। इसलिए मंहगाई भत्ता और द्वितीय वेतन मंडल की सिफारिशों के प्रश्न को लेकर सूती कपड़ा उद्योग के मजदूरों ने 12 अगस्त, 69 से हड़ताल का नोटिस दिया। इस बात पर काफी गम्भीरता से मजदूरों के प्रतिनिधियों के बीच में और मालिकों के प्रतिनिधियों के बीच में काफी अर्से से बातचीत चल रही थी। उदयपुर में जब लेबर एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई उस वक्त भी बातचीत चली थी और आखिरकार मुख्य मंत्री महोदय ने इसमें इन्टरवीन किया और तारीख 11 अगस्त को इसके बारे में जो प्रतिनिधि हैं राजस्थान राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, राजस्थान ट्रेड यूनियन कांग्रेस, टैक्सटाइल मिल मजदूर फैडरेशन जिनसे कि यह यूनियन एफिलियेटेड हैं उनके प्रतिनिधियों के और मिल मालिकों के बीच में......

श्री भैरोंसिंह : प्रतिनिधियों के क्या क्या नाम हैं जरा बता दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह बता रहा हूं।

यह फैसला हुआ कि समझौते की शर्तें इस प्रकार से हैं। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की ओर से श्री दुर्गा शंकर दुर्गावत, पाली मिल के भंवर दिनावरा और टैक्सटाइल फैडरेशन के श्री बृजमोहनलाल शर्मा, इन्टक के प्रेसिडेन्ट श्री रमेशचन्द्र व्यास, इन्डियन ट्रेड कांग्रेस यूनियन से श्री एच० के० व्यास, श्री मोहन पूनमिया तथा उनके साथ दूसरे लोग मौजूद थे। यह समझौता मैं इस सदन में......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सब ने मंजूर कर लिया कि 15 रुपये बढ़ाये जायं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं आपको अर्ज कर दूं। विवाद ग्रस्त पक्ष है (1) राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, जयपुर, (2) राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, राजस्थान, जयपुर, (3) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, राजस्थान, जयपुर, एवं (4) राजस्थान टैक्सटाइल वर्कर्स फैडरेशन, ब्यावर। विवाद का संक्षिप्त विवरण : सूती मिल उद्योग के श्रमिकों द्वारा हड़ताल के नोटिस से उत्पन्न संकटपूर्ण स्थिति।

समझौते की शर्तें : सूती मिल उद्योग में उत्पन्न स्थिति, जिस के अनुसार श्रमिकों

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ने द्वितीय वेतन मंडल तथा महंगाई भत्ते के प्रश्न को लेकर दिनांक 12-8-69 से हड़ताल का नोटिस दिया है, मुख्य मंत्रीजी के समक्ष उद्योग एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों की दो दिवसीय वार्ता स्वरूप निम्न निर्णय लिये गये:—

(1) स्थिति को सामान्य बनाये रखने तथा आपसी वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिये उद्योग की समस्त ईकाइयां दिनांक 11-8-69 से 15 रुपये अंतरिम राहत देगी। इस राशि में 3·75 द्वितीय वेतन मंडल के द्वारा प्रस्तावित प्रथम वर्ष की राशि भी सम्मिलित है। इस राशि को दिनांक 1-1-1969 से दिया जायगा। इस प्रकार 3·75 दिनांक 1-1-1969 से तथा 11·25 दिनांक 11-8-1969 से दिया जायगा।

(2) इसके अतिरिक्त निम्न विवादों पर न्यायाधिकरण का निर्णय प्राप्त किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार तुरन्त विशेष औद्योगिक ट्रिब्यूनल को सुपुर्द करेगी :—

(अ) स्थायी महंगाई 34) रु० से बढ़ा कर 49) रु० प्रति मास होना चाहिये तथा ब्यावर के महंगाई सूचक अंक के 105 से अधिक बढ़ने के पश्चात् प्रति बढ़े हुए अंकों पर 34 पैसे प्रति पॉइन्ट के बजाय 81 पैसा मिलना चाहिये। क्या सूती मिल उद्योग के श्रमिकों की उपरोक्त मांग उचित एवं न्याय संगत है ? यदि हां, तो किस हद तक तथा किस तिथि से इसे लागू समझा जाये तथा क्या कमजोर यूनिटों के विषय में विशेष रियायत दी जाय ? यदि हां, तो किनको तथा कितनी दी जावे ?

(ब) द्वितीय वेतन मंडल, सूती वस्त्र उद्योग की सिफारिश के अनुसार सूती मिल उद्योग में ग्रेच्यूटी की स्कीम निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

[(2·42 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(3) द्वितीय वेतन मंडल की सिफारिशों, के अनुसार एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जायेगा जिसको रेशनालाइजेशन (वर्क लोड) के सभी झगड़े सुपुर्द किये जायेंगे तथा कमेटी का फैसला दोनों पक्षों को मान्य होगा। राज्य सरकार इस कमेटी का निर्माण शीघ्र करेगी।

(4) अंतरिम राहत जो पैरा 1 में दर्ज है तथा इससे पूर्व जो 7·50 रु० की जा चुकी है, ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुसार समायोजन कर क्रियान्वित की जायेगी।

(5) उक्त समझौते के लागू होने के पश्चात् यदि वेतन, महंगाई भत्ता तथा वर्क लोड ग्रेच्यूटी के विवाद औद्योगिक न्यायालय अथवा समझौता अधिकारी के समक्ष चल रहे हैं तो उन्हें समाप्त समझा जायेगा।

(6) इस समझौते के अनुसार दोनों पक्ष यह विश्वास दिलाते हैं कि न्यायाधिकरण के निर्णय के दौरान तथा एक्सपर्ट कमेटी के निर्णय तक, औद्योगिक शान्ति बनाये रखेंगे तथा कोई ऐसा कदम नहीं उठायेंगे जिससे शांति को खतरा उत्पन्न हो। उक्त निर्णय के अनुसार श्रमिक दिनांक 12-8-69 से प्रस्तावित हड़ताल का नोटिस वापिस लेते हैं। राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स ऐसोसियेशन की ओर से हस्ताक्षर हैं : बी० ओ० सोमानी, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, राजस्थान शाखा की ओर से डी० दुर्गावत

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

के हस्ताक्षर हैं, राजस्थान टैक्सटाइल वर्कर्स फैडरेशन की ओर से बृज मोहनलाल शर्मा के हस्ताक्षर हैं और एटक राजस्थान की ओर से एच० के० व्यास के हस्ताक्षर हैं। समझौता अधिकारी एवं श्रम आयुक्त हैं नरेन्द्र कुमार जोशी। गवाह हैं टी० सी० जैन, संयक्त श्रम आयुक्त और बी० आर० सिंघी।

एक माननीय सदस्य : क्या पुनमिया जी के दस्तखत नहीं हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पूनमिया जी के दस्तखतों की जरूरत नहीं है क्योंकि एच० के० व्यास जो एटक के अध्यक्ष हैं, उनके हस्ताक्षर हैं और जो दूसरी संस्था है वह इससे सम्बद्ध है।

जिस तरह से यह निर्णय हुआ है, मैं समझता हूं कि इससे यह स्पष्ट है कि जो निर्णय मजदूर लेना चाहते थे और बागची कमेटी के क्वेश्चन्स को रिओपन करना चाहते थे वह सारा मसला रिओपन कर लिया गया है। बागची कमेटी ने 70 पर्सेन्ट न्यूट्रेलाइजेशन से उनको 34 रुपये दिलाने का रखा था। इसके लिंकिंग करने पर 49 पर वह आता था। इसके ऊपर आपस में वाद-विवाद था। इस पर मजदूरों की यह मांग थी कि वास्तव में लिंकिंग के फैसले पर नये सिरे से विचार होना चाहिये और 105 से आगे इन्डेक्स आने के बाद 81 तक डी० ए० जुड़ जाना चाहिये। स्थायी भत्ता 34 से 49 होना चाहिये। ये दोनों क्वेश्चन थे। ये दोनों मसले स्पेशल ट्रिब्यूनल को सौंपे जायेंगे इससे मजदूरों को फायदा होगा और इसका फैसला जल्दी होगा। 11.75 और 3.75 जो सैकेन्ड वेजेज बोर्ड ने सिफारिश की है उसके मुताबिक ज्यादा मिलेगा। इस तरह से मजदूरों को जो चीज मिल रही है उससे 15 रुपये ज्यादा मिलेंगे और इससे सभी सदस्यों को सन्तोष है। केवल पाली के बारे में मिसअन्डरस्टेंडिंग है। पाली के मजदूर आज स्ट्राइक पर हैं। पाली के बारे में यह निर्णय लिया है कि तीसरी पाली शुरू कर दी जायेगी। मेरा मत है कि डागाजी उनको कहें, क्योंकि कुछ पार्टी के लोग उनके हैं, उनको समझावें। मैं समझता हूं कि ये सारे जो निर्णय किये हैं वे मजदूरों के हित में हैं। स्पेशल ट्रिब्यूनल महंगाई भत्ते का जो निर्णय करेगी वह सर्वमान्य होगा। दोनों पार्टियों को बाध्य होगा। इस आधार पर मैं उम्मीद करूंगा कि डागाजी अपने साथियों को टेलिफोन करके कहेंगे ताकि हड़ताल टल जाये। पाली के अलावा जो सारे यूनिट हैं, उन्होंने अपनी हड़ताल को तोड़ दिया है, हटा लिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा वह सर्वमान्य होगा। केवल पाली के लोग ही रह जाते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे हड़ताल के कदम से हट जायं और नहीं तो जो उचित कदम होगा सरकार वह उठायेगी।

श्री मूलचन्द डागा : आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। पाली मिल की हालत और मिलों से ज्यादा अच्छी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 20 पर्सेंट बोनस दिया है। औरों से वहां ज्यादा बोनस दिया जाता है। परन्तु जो प्रश्न हमारे सामने था, वह प्रश्न केवल महंगाई भत्ते का था। मंहगाई भत्ते के लिंकिंग का था। उस सवाल को स्पेशल ट्रिब्यूनल को सौंपा है। इसके अलावा ग्रेच्युटी का मामला है। वर्क

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

लोड के रेशनेलाइजेशन का है। उसके लिये एक्सपर्ट कमेटी को मुकर्रर करके हल किया जायेगा। इसके अलावा 3·75 रुपये जो पर ईयर इन्क्रीमेंट की सिफारिश की है सैकन्ड वेजेज बोर्ड ने वह वैसी की वैसी मान ली है। तो यह इम्पलीमेंट हो गयी। महंगाई का सवाल डिसाइड होने के बाद हल हो जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : क्या इम्प्लीमेंट किया है? इसके लिये क्या आधार लिया है? वेज बोर्ड की सिफारिशों को ताक में रख दिया है। पहले वेज बोर्ड की बात नहीं मानी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपको मैं यह रिपोर्ट देता हूं। आप बता दीजिये। कौनसे वेज बोर्ड की बात नहीं मानी। सैकेन्ड वेज बोर्ड की जो तीन बातें हैं, वे मान ली गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, टैक्सटाइल वर्कर्स की स्ट्राइक के संबन्ध में जो ट्रिपार्टाइट एग्रीमेन्ट हुआ है उसमें हमारे से संबन्धित एटक भी सम्मिलित है। टैक्सटाइल मजदूरों की जिस प्रकार की मांगें थीं फर्स्ट वेज बोर्ड की मांगों को जिस प्रकार से इम्पलीमेन्ट किया गया उससे सन्तुष्ट नहीं हैं। जिन हालातों में यह किया गया एटक ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया था। एटक ने दागची कमिटी की रिपोर्ट को जिसमें सत्तर प्रतिशत न्यूट्रेलाइजेशन का प्रश्न था जिससे 34 रुपया महंगाई भत्ता होता था। स्वीकार नहीं किया था। इस प्रश्न को लेकर टैक्सटाइल मजदूर बराबर संघर्ष करते रहे थे उसके फलस्वरूप 71 रुपया इन्टेरिम रिलीफ के तौर पर 65 में मिला था उसके बाद सैकण्ड वेज बोर्ड की रिकमन्डेशन आई उसमें आल इण्डिया लेवल पर मिनिमम वेजेज टैक्सटाइल वर्कर्स को देना तय किया उसमें राजस्थान में सबसे नीचे वेज थी। इस लिये मैग्जीमम के गेप को फिल अप करने के लिये पांच रुपये की वृद्धि हर साल देना तय किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार के भाषण से आप इनको क्या समझाना चाहते हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुल सदस्यों ने आक्षेप इस बात का किया है, इस प्रकार का समझौता किया गया जिसमें मजदूरों के साथ बिट्रायल हुआ है इस प्रकार का कुछ लोगों का आक्षेप है....

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह से लम्बी चर्चा हो जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : टैक्सटाइल मजदूरों के महंगाई भत्ते के न्यूट्रेलाइजेशन के प्रश्न पर पहले तय किया जाय जब तक उसके अनुसार महंगाई भत्ते का प्रश्न तय नहीं हो जाता सैकण्ड वेज बोर्ड का प्रश्न हल नहीं हो सकता यह बुनियादी मांग थी। इस मांग को लेकर तमाम टैक्सटाइल मजदूरों ने 4 जुलाई को मिलकर इकट्ठे रूप में हड़ताल की। हालांकि इस प्रकार की मांग से एटक के मजदूरों को सन्तोष नहीं था लेकिन समस्त मजदूरों की एकता को कायम रखते हुए प्रिन्सीपली इस बात को स्वीकार कर लिया लिंकिंग के फैसले को दुबारा सत्तर प ट के लिंकिंग को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं मानकर एडहाक साढ़े ग्यारह रुपये को मन्जूर किया गया ?

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ जो लोग जो मजदूर स बात के लिये लड़ रहे थे, राजस्थान भर में जो आन्दोलन चल रहा था उसको जनसंघ के नेता मजदूरों को गिरफ्तार करवाने में, उनको दमन करवाने में सरकार का साथ दे रहे थे वे अचानक आज मजदूरों की सहानुभूति प्राप्त करने खड़े हो गये, बड़े आश्चर्य की बात है। इस तरह का नकाव पहनने से जो आपका सही चेहरा है उसमें कोई फर्क नहीं आयेगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सकण्ड वेज बोड के संबन्ध में, उनकी सिफारिशों को कहां तक लागू किया जाय और कहां नक लागू नहीं किया जाय इस संबन्ध में श्रम मंत्रीजी ने सरकारी पक्ष को रखा। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि मजदूर नेताओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया इस कारण से समझौता हुआ है। मजदूरों के कौन कौन नेता थे उनके नाम भी उन्होंने बताये जिनमें कुछ कांग्रेस के नेता हैं जो सदन में हमेशा पूंजीपतियों का मुकाबला करन में अपने को असमर्थ पाते हैं वे भी उसमें हैं। इसके अलावा आइटक के नेता भी हैं। माननीय रामानन्दजी ने इस बात को स्वीकार किया है और बृजसुन्दरजी न भी स्वीकार किया है कि मिनिमम महंगाई भत्ता 140 रुपया होना चाहिये यह सैकण्ड वेज बोर्ड की रिकमण्डेशन है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : जहां तक डियरनेस अलाउन्स का प्रश्न है जहां 140 रुपये से कम हैं फर्स्ट वेज बोड की सलाह से यह तय हुआ है हर राज्य में उनकी राय से कितना होना चाहिये। दूसरे वेज बोर्ड में इसके लिये यह कहा गया है कि फर्स्ट वेज बोर्ड के अनुसार जहां लिंकिग नहीं हुआ है वहां पर लिंक कर दिया जाय। जहां 140 से कम लिंक होता है वहां तीन रुपया सालाना के हिसाब से पांच साल में जाकर इसको पूरा किया जाय। यहां पर 125 आता है पांच रुपया प्रति साल बढ़ाकर तीन साल में लिंक कर दिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : 140 से ही शुरू क्यों न किया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह आपकी समझ से परे है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ कहा है माननीय मंत्रीजी ने बागची कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार जो फार्मूला इवोल्व किया गया उसके अनुसार 70 पर्सेन्ट न्यूट्रेलाइजेशन का हुआ है जबकि मजदूरों की सेन्ट पर्सेन्ट न्यूट्रेलाइजेशन की मांग थी।

सैकण्ड वेज बोर्ड के अनुसार महंगाई भत्ता निर्धारित किया जाय इस सम्बन्ध में जो रिकमण्डेशन थी उसके अन्तर्गत टेन्टेटिवली उन्होंने उसमें इस बात को स्वीकार किया कि महंगाई भत्ता 140 हो सकता है। उसी आधार को लेकर वे इन्टक और ऐटक के नेता मिले। मुझे अफसोस है साम्यवादी मित्र जैसे मानो दुनियां से दूर रहते हैं सूती मिल मजदूरों ने आन्दोलन किया, किस समय मैंने उन पर लाठी चलाने को कहा या लाठी चार्ज का समर्थन किया। मैंने उनकी मांगों का समर्थन किया है इस बारे में जो भी अखबारों में मेरे वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं, उनसे साफ प्रतीत होगा। उनको रामानन्दजी ने पढ़ा भी होगा।

(श्री भैरोंसिंह)

प्रश्न यह है कि जब मैंने मिल मजदूरों के समर्थन में वक्तव्य दिया उसको अधिकांश माननीय सदस्यों ने पढ़ा भी है लेकिन रामानन्दजी ने भी उन अखबारों के लिये बीस पैसा भी खर्च किया होगा लेकिन उसमें मेरा वक्तव्य देखा होगा तो भी उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया होगा। मैं रामानन्द जी से पूछना चाहता हूं जो त्रिपक्षीय मजदूरों के हित की बात करते हैं वे लोग पूंजीपतियों के सामने जाकर घुटने टेक देते हैं। और जहां मजदूरों को 70 रुपया मिलना चाहिये वहां 15 रुपये दिलाकर समझौता कर लेते हैं। आप जनसंघ के लिये कहते हैं लेकिन आप अपनी तो देखिये बातें मजदूरों के हित की करते हैं लेकिन जब उनकी मांगों को लेकर पूंजीपतियों से बात करने की नौबत आती है तो उनके सामने घुटन टेककर जैसा वो डिक्टेट करते हैं उस पर दस्तखत कर देते हैं। आप अपने को मजदूरों के हितषी मानते हैं। लेकिन पूंजीपतियों के सामन जिनको आप मजदूरों का शोषण करने वाले मानते हैं उन्हीं के सामन घुटने टेक कर जो भी वे कहते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं। यह जो आपकी नीति है वह जनता के सामन आ गई है। आप इस तरह से बेनकाब हुए हैं। यह जनता जान गई है आपका रुख उनके प्रति क्या है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : बकों के राष्ट्रीयकरण के संबन्ध में प्रस्ताव। इसमें समय इस प्रकार रहेगा। प्रस्तावक सदस्यों को 25 मिनिट और बाकी को बीस-बीस मिनिट।

श्री मूलचन्द डागा : महरबानी करके पन्द्रह मिनिट ही रखिये।

श्री रामकिशन : आपकी बातों की सदन में कोई कीमत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जो प्रस्तावक हैं उनके लिये 25 मिनिट और अन्य माननीय सदस्यों को बीस मिनिट।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के साथ बहुत सी बातें उलझी हुई हैं और राजनीति को भी इसमें उलझा रहे हैं। इसलिये उलझी हुई राजनीति को साफ करने की बहुत जरूरत है। इसलिये इस पर ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"19 जुलाई, 1969 को भारत सरकार द्वारा देश के कुछ बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के फसले का यह सदन स्वागत करता है। साथ ही साथ यह सदन सिफारिश करता है कि शीघ्र शेष सभी बैंकों का राष्ट्रीय करण किया जाय।"

(3 म० प०)

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकरण के नाम से इस देश में कुछ लोग दो अर्थ लगाते हैं। एक तरह की विचारधारा तो वह है जो राष्ट्रीयकरण के नाम से पर इस प्रकार क्रोधित हैं जसे बिल्ली के डर से बच्चे क्रुद्ध होते हैं। दूसरी तरह के वे लोग हैं जो उन बच्चों की तरह हैं जो गुब्बारों को देखकर उछलते हैं और समझते हैं कि यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है।

(श्री रामकिशन)

मैं सबसे पहले उनका भ्रम दूर करने की कोशिश करूंगा जो इसे सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। यह बैंकों का राष्ट्रीयकरण अपने आप में कुछ भी नहीं है। अगर इसका कोई अर्थ है तो केवल इतना ही है कि सरकार के हाथों में उन प्राइवेट बैंकों की पूंजी को इन्वेस्ट करने की शक्ति आ गई है कि वह उसे सही दिशा में इनवेस्ट करावें, जो शक्ति पहले कुछ थोड़े से पूंजीपतियों के हाथों में केन्द्रित थी।

जहां तक इसके विरोध का प्रश्न है और यह प्रश्न है कि इससे पूंजीपतियों का कोई नुकसान होने वाला है तो खास तौर से म महारावल साहब और स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भंयकर पूंजीवादी देश हैं फ्रांस, बेल्जियम, इटली उन्होंने भी अपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। पर इसके बाद वे समाजवादी नहीं हो गये। पूंजीवाद वहां से समाप्त नहीं हो गया। आज हालत यह है कि हम एक तरफ तो राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं, हम आज इस शान्ति काल में, पर फ्रान्स जैसे देश में जब कि वह युद्ध के मैदान में था सेनाएं उसकी लड़ रही थीं तब वहां की पार्लियामेंट ने सन् 45 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और क्यों किया? इसके अलग अलग देशों में अलग अलग कारण हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं। आज हमारे देश की हालत क्या है। एक तरफ अनाज और पानी का अभाव नजर आ रहा है, जमीनें सूख रही हैं, देश की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है। गलत योजनाओं के द्वारा वेस्टफुल एक्सपेण्डीचर के द्वारा जो पूंजी का भंयकर अपव्यय हुआ है उसके परिणामस्वरूप टैक्स इतने लगा दिये गये हैं कि अब अधिक टैक्स लगाकर धन वसूल करने की गुंजाइश बाकी नहीं है। जिन वर्गों से वसूल करने की हालत बाकी है उनको सरकारी पार्टी का संरक्षण होने से उन पर टैक्सों का वजन डाला नहीं जा रहा ह। इसी प्रकार आज विदेशी कर्जों की हालत है। जिन विदेशी कर्जो के हम मोहताज थे, उनकी भी स्थिति आज बदल गई है। तो खास तौर से जो इस का समर्थन कर रहे हैं उनसे नहीं, विरोधी लोगों से कह रहा हूं कि हम तमाम बान्ध बनाना चाहते हैं, सड़कें बनाना चाहते हैं, खेतों में पानी लाना चाहते हैं, पर अब टैक्स बढ़ा नहीं, पाते, विदेशी कर्जा मिला नहीं, तो फिर आप ही तरकीब बताइये की किस प्रकार से पुनः निर्माण किया जावे। अगर इस प्रश्न को इस दृष्टिकोण से देखें तो विरोध की बहस ज्यादा नहीं चलेगी।

देश में 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो तीन आना रोज में गुजारा कर रहे हैं। देश के इन लोगों की माली हालत तीन योजनाओं के बाद भी सुधरी नहीं है। बल्कि यह पूंजी असीमित पंजी 3।। योजनाओं के बाद भी 218।। अरब के करीब पूंजी लगभग सत्तर-बहत्तर परिवारों के हाथ में जा रही है। बाकी जो खेतों में, कल कारखानों में काम करते हैं, और जो छोटे सरकारी कर्मचारी हैं उनकी हालत में विशेष फर्क नहीं आया है। जितना विदशी कर्जों से, टैक्सों से इनवेस्टमेंट हुआ उसका फायदा बड़े 2 परिवार ले गये। इसलिये इससे हम इतना चाहते हैं

(श्री रामकिशन)

कि सरकार किस क्षत्र में कितना इन्वेस्टमेंट करे, इसका दिमाग बनेगा।

फिर यह आज बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रश्न पूरे रूप में आर्थिक भी नहीं है और पूरे रूप में राजनैतिक भी नहीं है। इसके साथ कुछ राजनतिक प्रश्न भी जुड़ा हुआ है और कुछ आर्थिक भी हैं। जिन हालतों में यह राष्ट्रीयकरण किया गया उन हालतों में प्रधानमंत्री को बधाई देने जैसी कोई बात हुई हो, ऐसा नहीं है। जो कदम आज उन्होंने उठाये हैं वे कोई इस में उनकी विशेष आस्था थी, इस कारण उठाये हैं, ऐसी बात नहीं, है या कि समाजवाद में निष्ठा के कारण उठाये हैं ऐसा भी नहीं है। यह तो कांग्रेस के अन्दर दो दलों के आन्तरिक संघर्ष का परिणाम है। अगर उसूल के कारण यह कदम उठाया गया होता तो सन् 54 में यह सवाल उठाया गया था। पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिये जाने के कारण अलग पार्टी बनाने की हैसियत में लोग आय थे। तब आज के मौजदा लोगों के बहु संख्यक लोग उसमें मौजूद थे। पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले को उस समय स्वीकार नहीं किया गया।

पर बाद में देश की आर्थिक हालत बिगड़ती चली गई। कर्जा देने वाले देशों ने भी रास्ता बदलने की कोशिश की। आज देश में कुछ पार्टियां ऐसी हैं विशे तौर से स्वतंत्र और जनसंघ पार्टी जिनका विश्वास है कि हम देश का निर्माण विदेशी मदद से कर सकत हैं। विदेशी मदद लेना बुरा नहीं है। पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जो आज परिवर्तन हो रहा है उससे यह मदद ज्यादा कारगर साबित नहीं होगी। अमेरीका से अब तक हम 65 अरब रुपया कर्जा ले चुके हैं। अभी जब और कर्जा कारखानों के निर्माण के लिये लेने गये तो हमें कहा गया कि पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात ठीक करो। इसका मतलब यह है कि हम काश्मीर पाकिस्तान को दे दें तब वह ताल्लु-ठीक हो सकते हैं। क्या स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ इसको पसन्द करेंगे कि कर्जे के एवज म वे काश्मीर पाकिस्तान को दे दें?

यही स्थिति रूस की भी है। देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रूसी मदद से देश में निर्माण की बात करते हैं। पर अब यह सम्भावना भी समाप्त हो गई है। खास तौर से रूसी मदद पर ज्यादा निर्भर रहने वालों से मैं निवेदन करूंगा कि पूर्वी योरोप की स्थिति को वे अपने ध्यान म रखें खास तौर से चैकोस्लोवाकिया और अभी रूमानिया के नमूने हमारे सामने हैं। रूस ने स्पष्ट भाषा में कहा है कि हमारी मदद से इन देशों में समाजवाद की स्थापना हुई है और अब अगर इसका विनाश यहां होता है तो इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। यह स्पष्ट संकेत है कि आज स्थिति किधर जा रही है।

मैं पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार वीतनाम में जिस बात को लेकर अमेरीका दखल देना चाहता है उसी तरह से रूस या रूस के शासक किसी दिन यह भी कह सकते हैं कि हमारी मदद से रूरकेला और भिलाई का निर्माण हुआ है, हमने उसमें पसा दिया है तो अगर उनकी व्यवस्था में कोई परिवर्तन होता है तो हमें यहां की आन्तरिक राजनीति में दखल देने का अधिकार है। क्या इन दोनों के अधिकारों

(श्री रामकिशन)

को स्वीकार करने को आप तैयार हैं ? एक विचारधारा है जो हमें एटलान्टिक खेमे से बान्धना चाहती है, और दूसरी सोवियट खेमे से बांधना चाहती है। दोनों खेमे अमान्य हैं हमें हिन्दुस्तान के लिये। अगर हम दोनों में से किसी एक खेमे से बन्धे गये तो हमारी अर्थ-व्यवस्था का सत्यानाश हो जावेगा, और साथ ही राजनीति का भी सत्यानाश हो जावेगा और हमारी पूर्वी योरप की सी दशा हो जावेगी। रूमानिया और वीतनाम जैसी हमारी स्थिति हो जावेगी। आज भी वीतनाम म अमेरीका की दस्तन्दाजी कम नहीं हो रही है। तो मैं स्वतन्त्र और जनसंघ दल से निवेदन करूंगा कि विकास के लिय धन लेने के साधन बढ़ावें इसमें मुझ ऐतराज नहीं है। पर विदेशी सहायता के खतरों की तरफ भी मैंने इशारा किया है।

समय का आज हमारा तकाजा है कि हम इसे समझें। अन्यथा छः सात सालों में रूस चीन के सम्बन्धों के सम्बन्ध में भी परिवर्तन होने वाला है। इस समय इस बारे म लम्बी चर्चा में तो मैं नहीं जाऊंगा, समय नहीं है। ऐसी दशा में हमें इन दोनों खेमों की सहायता से बच सकें तो बचना चाहिये।

अब जब हम विदशी सहायता नहीं मिलती है तो टैक्सों से धन इकट्ठा करने की बात सामने आती है। बहरहाल धन तो विकास के लिये चाहिये। विकास तो करना है। विकास की गति हम रोक दें या धीमी कर दें इस सम्बन्धी स्वतन्त्र पार्टी की राय को हम नहीं मान सकते। जनसंघ की इस राय को भी नहीं मान कर चल सकते कि विकास की गति धीमी कर दी जाय या योजनाओं के आकार छोटे कर दिये जायें। ये तो पीछे रखने वाले विचार हैं। कांग्रेस को भी हम इस बात के लिये नहीं कह सकते कि वे जिस तरह से योजनाओं को चला रहे हैं उसको चलाते जायं इन योजनाओं का तो उन्होंने जिस तरह से सत्यानाश किया है और इन योजनाओं के द्वारा जिस प्रगतिशीलता और करप्शन की पिक्चर उसने देश के सामने पेश की है वह कोई अच्छी चीज नहीं हैं।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास विदेशी सहायता नहीं, टैक्स बढ़ाने के साधन नहीं, योजनाओं म कमी करें तो पिछड़ जावेंगे। एक तरफ दनिया में वे देश हैं जो चन्द्रलोक में जाते हैं जब कि हम साइकिल भी पूरी चलाने की स्थिति में नहीं हैं। चन्द्र पर दो ही देश जा रहे हैं जिनका पेट भर गया है। व्यवस्थाओं का प्रश्न वहां नहीं है। रूस अमेरिका दोनों अलग अलग व्यवस्थाओं में विश्वास रखने वाले देश हैं। दोनों देश दुनिया में शान से जिन्दा हैं क्योंकि दोनों ने अपनी जनता की रोटी का प्रबन्ध कर लिया है। पर हमारे सामन अभी एक ही प्रश्न है। हम रोजी चाहते हैं। हमारे देश की गरीबी मिटाना चाहते हैं, असमानता को दूर करना चाहते हैं। अब ऐसी हालत में प्रश्न हमारे सामने आता है कि इसके लिये पैसा कहां से आवे ?

तो मैं माननीय महारावल साहब से, व्यक्तिगत रूप से नहीं, स्वतन्त्र पार्टी के नेता की हैसियत से पूछना चाहता हूं कि आपको बैंकों के राष्ट्रीय करण से डर किस बात का है ? आप इन के राष्ट्रीयकरण से घबराते

(श्री रामकिशन)

क्यों हैं ? हिन्दुस्तान के जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं था। कांग्रेस के आन्तरिक संघर्ष और देश की अस्त-व्यस्त आर्थिक व्यवस्था में इसके अलावा कोई चारा नहीं था। यह हमारे उस संघर्ष का फल है जो हम सन 33 और 28 से देश में करते आ रहे हैं।

मैं इस राष्ट्रीयकरण का समर्थन केवल एक अंग का हो गया इससे खुश नहीं हो सकता। राष्ट्रीयकरण कोई जंजीर नहीं है कि जिसके एक एक टुकड़े को उठालिया जावे। जबतक यह सम्पूर्ण रूप में नहीं होगा देशी बैंकों का, विदेशी बैंकों का, विदेशी व्यापार का, थोक व्यापार का, बड़े कारखानों का जिनमें 15/20 से ज्यादा मजदूर लगे हों उन सबका राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तबतक समाजवाद की तरफ बढ़ने की दिशा ह नहीं। इसलिय आज जो आप घबरा रहे हैं इससे कि इससे ही पूंजीवाद समाप्त हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। हां, मैं यह कह सकता हूं कि अगर सही कोई शासक आया तो इससे मामूली बढ़िया नतीजा निकल सकता ह। आज जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उनमें देश की जनता की 72 पर्सेंट डिपॉजिट की रकम है और ये वे बड़े बड़ पूंजीपति हैं जिनको इसमें से 65 पर्सेंट एडवान्स उनके अपने बड़े-बड़े धन्धों को दिया गया ह। आखिर स्वतन्त्र पार्टी, जनसंघ और इन जसी पार्टियों के लोग इसका विरोध क्यों करते हैं ? क्या कारण ह ? उनकी कुछ हिस्सा पूंजी को छोड़कर जो जमा पूंजी है खातेदारों की पूंजी है एक तरफ से 27 अरब 42 करोड़ की थी वह 27 अरब 42 करोड़ की पूंजी सब क्षेत्रों में विकास के काम में आवे हमने यह बात रखी। किस्सा थोड़ा आगे बढ़ा। सामाजिक नियन्त्रण का मामला आया। इसको भी प्रगतिशील कदम बताया गया। स्वतन्त्र पार्टी ने और जनसंघ ने इसका भी विरोध किया, खतरनाक ट्रेण्ड बताया इसे। प्रगतिशील ट्रेण्ड बताया हो कांग्रेस में चाहे, पर इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, तय हुआ था कि जितने बैंक हैं उनको रिजर्व बैंक ने डाइरेक्शन्स दिये थे कि आप अपने जो एडवान्सेज हैं उनका 31 पर्सेन्ट छोटे उद्योगों में और 15 पर्सेन्ट खेती में लगावें। महारावल साहब का एक दृष्टिकोण स्वीकार कर लगें, यह तो एक उल्टी बात हुई। सन् 51 में 14 बैंकों ने अपनी पूंजी 9 अरब की जो डिपॉजिट थी उस समय इन बैंकों ने दो प्रतिशत खेती वाले क्षेत्र में एडवान्स किया, 57 में 0.07 प्रतिशत किया और जब अब सामाजिक मामले आ गये, सामाजिक नियंत्रण की बात आ गई, तो 0.02 प्रतिशत किया। डिपॉजिट जो 9 अरब के थे वह 30 अरब पहुंच गये। खेती के सेक्टर में तो मैं समझता हूं सामाजिक नियंत्रण था क्या ? आज जो यह कहते हैं बुरा है, वे ही कहने लग गये हैं कि नियंत्रण ठीक है।

उद्योगों के मामले में इन सारी बैंकों में बेरोजगार हो गये। हम कोशिश करना चाहते हैं बेरोजगारी को मिटाने के लिये। छोट उद्योगों को खोलना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब इन्हीं बैंको न सन् 51 में बड़े उद्योगों के लिये जब कोई नियंत्रण नहीं था, उस समय कोई कानून नहीं था उस समय भी कोई विशेष प्रतिशत नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार थी, इन्दिराजी की सरकार थी, मुरारजी की सरकार थी, उन्होंने कहा गतिशील कदम उठाया है। बिड़ला,

(श्री रामकिशन)

डालमिया, शाहू शान्ति प्रसाद को 37.5 प्रतिशत डिपॉजिट का एडवांस कर दिया। ऐसी स्थिति क्यों हुई? हमारी पूंजीपतियों से कोई जन्म-जात दुश्मनी नहीं है लेकिन जो देश की आर्थिक हालत है जिसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं—इसके अलावा चारा है क्या? जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी के लोग कहेंगे आज नहीं तो कल राष्ट्रीयकरण के समर्थक बनेंगे लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकरण का बड़ा ढोल पीटा जा रहा है। क्या वाम पंथी, क्या दक्षिण पंथी, विरोध कर रहे हैं। यह वाम पंथी, दक्षिण पंथी क्या बला है? आप अपने आपको वाम पंथी मानते हैं या दक्षिण पंथी। न कोई बाम पंथी है और न कोई दक्षिण पंथी है। विरोध करने का एक रटा रटाया नारा है इस देश में। मैं कहता हूं कि इस देश में न कोई बाम पंथी है और न ही कोई दक्षिण पंथी है। जितने राजनैतिक दल हैं कहीं वाम पंथी और दक्षिण पंथी नहीं हैं।

स्वतन्त्र पार्टी के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं—इस देश में प्रचार किया जाता है स्वतन्त्र पार्टी घोर दक्षिण पंथी पार्टी है। मेरी मान्यता है पूंजी के मामले में, सम्पत्ति के मामले में स्वतन्त्र पार्टी दक्षिण पंथी पार्टी है लेकिन राष्ट्रीयता के मामले में, हिन्दू और मुस्लिम के मामलों में, ईसाई या क्रिश्चियनों के बारे में वाम पंथी है। पूंजी के मामले में दक्षिण पंथी और राष्ट्रीयकरण के मामले में वाम पंथी। यह बिल्कुल दक्षिण पंथी हैं—सम्पति के मामले में दक्षिण पंथी, औरतों के मामलों में दक्षिण पंथी, हरिजनों के मामलों में दक्षिण पंथी दो लेकिन मामलों में ये वाम पंथी हैं—भाषा के मामले में और सीमा के मामलों में... ... ...

(एक माननीय सदस्य के बोलने का प्रयत्न करने पर आप जरा सुनिये। यह ऊंचे ज्ञान की चीज है। आप जरा ध्यान से सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था लोग यह समझते कि कम्युनिस्ट पार्टी वाम पंथी है। सीमा और पूंजी के मामले में वाम पंथी है लेकिन अन्तर्राष्ट्रीयता के मामले में दक्षिण पंथी है। जेकोस्लोवाकिया पर हमला होजाये और विदेशों में रक्त बह जाये तो आप समझते हैं कि उनका खून नहीं खोले। एक मामले में दक्षिण पंथी हैं और एक मामले में वाम पंथी हैं, यह सब इनका झूठा प्रचार है। केवल एक पार्टी है जो सम्पूण रूप से है और वह है क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी... ...

(शोरगल, अश्रव्य)

......जरा सुनिये, इस पार्टी की सीमा के मामले में, भाषा के मामले में, अर्थ के मामले में, साम्प्रदायिकता के मामले में, जाति के मामले में, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी एक ही घोषित नीति है। भले ही हम अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में धाक नहीं जमा पाये, लेकिन आप वह सबक पढ़ो, हमारा इतिहास पढ़ो—साम्प्रदायिक मामलों मे क्रान्तिकारी पार्टी कौनसी है? मुझ हंसी आती है जब कांग्रेस में वाम पंथी और दक्षिण पंथी की चर्चा करते हैं। कौन हैं आप, दक्षिण पंथी हैं या वाम पंथी हैं? 20 साल में बिड़ला की पूंजी को श्री हरिदेव जी जोशी ने और मथुरा दास जी ने कई गणा बढ़ा दी। डालमिया की पूंजी 23 करोड़ से 3 अरब की हो गई। आज तक कांग्रेस की जिम्मेदारी दक्षिण पंथ की रही है।

मान लीजिये सीमा में परिवर्तन हुआ, मुझे हंसी आती है इनमें कोई क्या कहता है

(श्री रामकिशन)

और कोई क्या कहता है । राष्ट्रीयकरण की बात आई तो पाटिल जी विरोध करते हैं, मुरारजी भाई विरोध करते हैं, गुजरात की असेम्बली पार्टी इस बात का विरोध करती है । कांग्रेस की उड़ीसा की पार्टी विरोध करती है। सही मानिये तो वाम पंथी कांग्रेस की बात अलग है । सुखाड़िया जी के अपने विचार हो सकते हैं। अगर आप आमदनी की सीमा बढ़ाना चाहते हैं, जमीन का सही बंटवारा करना चाहते हैं, राजाओं की पैन्शन बन्द करना चाहते हैं—यह सैद्धान्तिक प्रश्न है जब तक कांग्रेस टूटती नहीं है, मेरी प्रबल इच्छा है, मेरी तमन्ना है 16 तारीख के आस पास कांग्रेस टूट जायेगी तो जो आज ध्रुवी करण की चर्चा करते हैं वे नहीं करेंगे। एक तरफ ऐसे लोग हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐतिहासिक तथ्यों पर जो जानकारी है वह यह है कि एक साल में कांग्रेस टूटेगी, स्वतन्त्र पार्टी टूटेगी, आज नहीं तो कल टूटेगी। जगजीवनराम जी की चिट्ठी गई है तब टूटेगी, जनसंघ टूटेगा उनमें भी मधोक साहब एक विचार के प्रतीक हैं तो अटल बिहारी जी लिबरल एटीटयूड के हैं। कांग्रेस पार्टी तीन होगई। देश के सारे दल टूटेंगे और टूट जाने चाहियें लेकिन सिद्धान्तों के आधार पर पुनर्गठन हो जाना चाहिये जितना जल्दी देश का पुनर्गठन होगा उतने ही जल्दी देश का कल्याण होगा। माथुर साहब का स्टटमेंट पढ़ा—जनसंघ का आत्मघात कर दिया। एक बयान देकर क्रान्तिकारी बन गये। मैं तो कहता हूं कि 55 साल म भी बुद्धि आ जाय तो बुरी नहीं है। लेकिन स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ हैं क्या ? जिन नीतियों को स्वतन्त्र पार्टी चाहती है, जनसंघ चाहता हैं जो इसके मेम्बर हैं उन्होंने पूंजीवाद का समर्थन किया है। अगर कोई है तो सारे देश में कम्यूनिस्टों को छोड़ कर सबने किया है। पूंजी का कन्सन्ट्रेशन हिन्दुस्तान में हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ। फान्स, इटली घोर पूंजीवादी थे, बेल्जियम पूंजीवादी था लेकिन जितने पूंजीपति हिन्दुस्तान की सरकार में हुये उतने कहीं नहीं हुये। सारे देश पूंजीवाद को छोड़ रहे हैं। अथः मेरा कहना है कि दक्षिण पंथ और वाम पंथ की चर्चा बन्द करें। कोई दक्षिण पंथी नहीं है और न कोई वाम पंथी है। गरीब और अमीर का जो भेद है वह टूटे।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात और कहना चाहता हूं। यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बड़ी चर्चा चल रही है। मैंने अभी इसका एक राजनैतिक पक्ष सदन के समक्ष बताया और अब इसके आर्थिक हालत के संबंध में स्वतंत्र पार्टी के नेता को और जनसंघ पार्टी के श्री भरोंसिह जी से निवेदन करूंगा कि वह इसकी ओर नये संदर्भ में सोचें और उन बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ें जिनके कारण देश विनाश के कगार पर आ चुका है। मैंने अपने विवेक के अनुसार निवेदन किया है। इसका आर्थिक पक्ष क्या है ? बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद प्रधान मंत्री के यहां रिक्शे वालों के जुलूस चले गये, तांगेवालों के जा रहे हैं, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्त्ता माला लेकर जा रहे हैं, और इस मामले में प्रधान मंत्री भी अपने आपको बड़ी क्रांतिकारी दिखा रही हैं लेकिन राष्ट्रीयकरण हो गया। अभी इसके अन्दर कोई पूरी व्यवस्था नहीं आई है। कहा गया है कि आप खेती में ज्यादा पैसा इनवेस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि पैसा आपने जमीन के बंटवारे से पहले दिया तो देश में शहरी पूंजीवाद के बाद अब गांवों में पूंजीवाद पनपेगा। गांवों में आप उनको

(श्री रामकिशन)

कर्जा देंगे जिसके पास पहले ही ट्रेक्टर है और ट्रेक्कटर उसके पास है कि जिसके पास पहले ही दो सौ एकड़ जमीन है। तो दो सौ एकड़ वाली जमीन जिसके पास है उसके पास तो पहले ही कर्ज की क्षमता है और आप उन्हें और ज्यादा कर्ज दे देंगे तो आप गांवों में पूंजीवादी व्यवस्था को पनपाने जा रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीयकरण करने से पहले जमीन का बंटवारा किया जाये, जमीन की सीमाबन्दी की जाये और आज देश में आबादी बढ़ रही है। इस मामले को तो सुमित्रा जी सोचें वह आबादी को रोक रही हैं रोकें, मैं भी इसमें सहयोग देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो आबादी बढ़ रही है उसका नतीजा क्या होने वाला है ? सीलिंग से काम नहीं चलेगा। हमें एक दिन सारी जमीन को राष्ट्रीय जमीन घोषित करना पड़ेगा इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि हम सामहिक खेती कर सकें। क्योंकि आज सीमा बाघने के बाद आबादी की रफ्तार 2॥ से 2 पर्सेन्ट ले आयेंगे यह तो ठीक है लेकिन जमीन की जो क्षमता है वह उस तरह की नहीं है तो आज जरूरी यह है कि राष्ट्रीयकरण के साथ जमीन का बंटवारा हो जितने बड़े बड़े करखाने हैं कपड़े की मिलें हैं, चीनी की मिलें हैं, इस्पात के कारखाने हैं, सीमेन्ट के कारखाने हैं सब का राष्ट्रीयकरण किया जाये। अब एक आशंका स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ पार्टी को है जो वह कहते रहते हैं। जनसंघ के लोगों ने बीच का रास्ता चुना है। वह कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण के तो हम विरोधी नहीं हैं लेकिन व्यवस्था खराब हो जाती है उसके हम विरोधी हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। इम्पीरियल बैंक का भी राष्ट्रीयकरण हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया था। मैं मानता हूं कि इस सरकार ने जो भी उद्योग अपने हाथ में लिया है उनमें नुकसान ही दिया है। मैं यह भी मानता हूं कि उनमें अव्यवस्था है और उसमें सुधार करना चाहिए लेकिन आप यह कहकर चलें कि सरकार जो काम करती है वह सब गलत करती है तो मैं आपके भ्रम को दूर करना चाहता हूं। जो इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसके जो एडवान्सेज हैं, जो उसने एडवान्स दिये वह 1966 के अन्दर 36 करोड़ के एडवान्सेज ग्रामीण क्षेत्र में दिये। मैं इसमें प्रोक्योरमेन्ट के पैसे को अलग कर रहा हूं लेकिन 1968 में दिया 1 अरब 23 करोड़ रुपया। आपके प्राईवेट बैंक जो कि 58 शिड्यूल्ड बैंक थे उन्होंने पिछले वर्ष में 3 करोड़ का कर्जा दिया। तो आप कहते कैसे हैं कि सरकार के सब काम गलत होते हैं। यह मेरे आंकड़े नहीं हैं सरकार के बुलेटिन हैं उनको आप देखिये और उनका आप चिन्तन करें तो मैं मानता हूं कि सरकारी उद्योगों में जो खराबी है वह तो दूर होनी चाहिए। अब सरकारी उद्योगों में खराबियां कैसे आ गयीं? इसका कारण तो यह है कि यह अर्ध क्रांतिकारी लोगों के हाथों में पड़ गया इसलिए उन्होंने इसकी तस्वीर को बिगाड़ दिया। अगर आग कोई सही क्रांतिकारी सरकार बनी जिसका दृष्टिकोण साफ होगा तो वह इन सब घोटालों को और घपलों को नहीं होने देगी। तो जो कहते हैं कि सारी जगह गड़बड़ियां हो रही हैं उसके लिए मैंने मिसाल के तौर पर कहा है।

एक दिक्कत और है कि प्राईवेट बैंक सन् 1951 में 566 थे और दिसम्बर, 68

(श्री रामकिशन)

में वह 58 रह गये। तो जो बैंकों की संख्या थी वह संख्या तो घट गयी लेकिन जो डाइरेक्टर्स थ, मैनेजमेन्ट थे, उसमें 566 की जगह 14 लोग आ गये और उसका नतीजा यह हुआ कि महारावल साहब जो न्याय की बात कहते हैं इसलिए में उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो 58 बैंक थे इन्होंने जो एडवान्सेस दिये इसकी स्थिति में बड़ा परिवर्तन हुआ। जब 566 बैंक थे तो छोटे उद्योगों को ज्यादा कर्ज मिला और जब 58 रह गये तो कर्ज की स्थिति यह हो गयी कि 4 बकों के बड़े बड़े उद्योगपति उसके मालिक बन गये। सैन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया जिसके 4 अरब 33 करोड़ के डिपोजिट्स थे इसके चैयरमैन टाटा थे और उनके चेयरमेन बनने के बाद 4 अरब 33 करोड़ में से 3 अरब 27 करोड़ के जो एडवान्सेस थे वह उन्हीं के दो कारखानों के लिए चले गए। उपाध्यक्ष महोदय, यूनाइटेड कर्मशियल बंक के चैयरमेन बिड़ला जी बन गये और उसके डिपाजिट थे 2 अरब 41 करोड़। उसमें से बिड़ला के यहां 1 अरब 47 करोड़ एडवान्सेस के रूप में चले गए। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक जिसकी कृपा से ज्यादातर लोग यहां बैठे हैं, सब नहीं, शान्तिप्रसाद वाला बक इसके डिपाजिट्स थे 3 अरब 56 करोड़ के इसमें से उन्होंनें अपने उद्योगों के लिए 2 अरब 82 करोड़ एडवान्स के रूप में ले लिया। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं महारावल साहब और भैरोंसिंह जी से पूछना चाहता हूं कि इसको रोकने का क्या तरीका हो सकता है ? हम राजस्थान में लोगों को बिजली देना चाहते हैं पानी देना चाहते हैं और राजस्थान सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाय तो राजस्थान का बिजली बोर्ड वहां से पैसा उधार ले सकता है। आखिर इसमें ऐसा कौनसा प्रलय आ गया। स्वतंत्र और जनसंघ के लोग कहते हैं कि हम मरे, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम तो क्रांतिकारी हो गए। असली फर्क अगर आप करना चाहते हैं, असली क्रांतिकारी बनना चाहते हैं तो देश में सामाजिक रिश्तों को तोड़ो। इसके बगैर आप कभी क्रांतिकारी नहीं बन सकेंगे। मैंने अभी आर्थिक और राजनैनिक पक्ष का थोड़ा सा जिक्र किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, आप घंटी बजाकर ही तो सारी गड़बड़ी कर देते हैं। दूसरा खतरा और भी है बैंकों को। जैसा हम सरकार पर आरोप लगाते हैं, देश में असंतुलन पैदा हुआ इसमें बकों का हाथ था। महाराष्ट्र विकसित राज्य है, हमारा तामिलनाड एक विकसित राज्य है, पश्चिमी बंगाल विकसित राज्य है लेकिन जो बैंकों ने एडवान्सेस किये हैं वह 27 अरब किये और इसमें से जो विकसित राज्य थे उनमें से अकेले महाराष्ट्र पर 3 अरब 45 करोड़ के एडवांसेस होंगे। इसका मतलब यह है कि असंतुलन बढ़ा, गरीबी बढ़ी और सामाजिक नियंत्रण का जो प्रयोग किया वह भी फेल हो गया। कर्ज अमेरिका देने को तैयार नहीं, रूस को चीन के संबंधों की ज्यादा चिन्ता है और इसीलिए वह पाकिस्तान के ज्यादा नजदीक जाना चाहतें है। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो राष्ट्रीयकरण का विरोध करते हैं कि इसके अलावा हमारे पास क्या रास्ता है ? कम से

(श्री रामकिशन)

कम मुझे उसको मन्जूर करने में कोई हिचक नहीं है। लेकिन कोई बात साफ तो आये लेकिन कोई बात साफ नहीं है। इमोशनल और भावनात्मक रूप से आप कहते हैं कि तानाशाही आ रही है, डिक्टेटरशिप आ रही है राष्ट्रीयकरण हुआ, मुख्यमंत्रीजी गये। अगर गिरी जीत गये तो देश में प्रलय होने वाला है। मुझ जानकारी है कि जनसंघ के सदस्यों को डराया जा रहा है। क्योंकि वह गिरी को वोट देना चाहते हैं लेकिन उनको धमकाया जा रहा है। वह गरीब परिवार से आये हुए लोग हैं वह चाहते हैं रेडी साहब सिन्डीकेट के प्रतीक हों ऐसी बात नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, प्लीज। राष्ट्रपति के चुनाव के सम्बन्ध में यहां नहीं कहें।

श्री रामकिशन : मैं इस मामले में कुछ नहीं कह रहा हूं और मैं जो कुछ कह रहा हूं वह दूसरे संदर्भ में कह रहा हूं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of order. You must not discuss the candidates here.

श्री रामकिशन : मैं डिसकस नहीं कर रहा हूं—आप तो समझो। वह तो नहीं समझ रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : It is not proper to discuss the candidates here.

श्री रामकिशन : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि डराया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि देश में राष्ट्रपति रूल हो जायेगा और इन्दिराजी फौज के चीफ कमाण्डर से मिली हैं। लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और जो देश को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है उसे भी तोड़ने जा रहे हैं तो मैं इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रपति का चुनाव और देश की राजनीति, इन तीनों को अलग अलग करके नहीं देखता हूं। कारण उसका है यह कि वे एक दूसरे के नतीजे हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे संदर्भ में हम सब विचार करें तो देश के कल्याण और उसके पुर्ननिर्माण की गति को तेज कर सकेंगे।

(3.30 म० प्र०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति पदासीन)

जहां तक व्यवस्था का मामला है तो उसमें हर पराजित राजनीतिज्ञ को बैठा दिया जाता है इस तरह से पराजित राजनीतिज्ञों को नहीं बिढाना चाहिये लेकिन अगर कोई राजनीतिज्ञ समाजवाद में विश्वास करने वाला है तो यह जरूरी नहीं है कि उसको वोट नहीं मिले तो उसको नहीं बिठाना चाहिये। यदि वह ईमानदारी से काम करेगा तो अच्छा काम कर सकेगा। पराजित राजनीतिज्ञों को बैठा दिया जाता है, इस तरह की जो गड़बड़ियां होती हैं वे नहीं होनी चाहियें।

सभापति महोदया, हालत देश की यह है कि हम राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं लेकिन राष्ट्रीयकरण को चलाने के लिए एक केडर चाहिये जिनके हाथों में हम अपनी बैंकों को

(श्री रामकिशन)

और कारखानों को दें। लेकिन आज क्या होता है कि एक कलेक्टर को जो कि राज्य चला रहा है उसको कारखाने के संचालन की जिम्मेदारी दे रहे हैं, जिसकी समाजवाद में आस्था नहीं है, जिसकी ट्रेनिंग नहीं है राष्ट्रीय करण की, उस आई० ए० एस० को बिठा देते हैं। एक सुझाव मेरा इस सम्बन्ध में है कि जैसे जैसे हम राष्ट्रीयकरण की दिशा में बढ़ते हैं वैसे वैसे हम नये केडर की भर्ती करें, उनको ट्रेनिंग दें। मुझे अफसोस होता है, मेरी बात से कुछ भाइयों को निराशा भी होगी, माननीय सदस्यों को तकलीफ हो आज जो कलेक्टर हैं वे अमीर परिवारों के हैं, मैं ऐसा तो नहीं कहता हूं कि वे सम्पूर्ण रुप में गैर समाजवादी हैं, सम्पूर्ण रूप में गैर क्रांतिकारी हैं, लेकिन अधिकांश पूंजीवदी व्यवस्था में पले हुए लोग ह, इसलिए वे इस राष्ट्रीयकरण के काम को सफल बनायें इसमें संदह है। उसके लिए आपके पास कोई के तैयार नहीं है। सभापति महोदया, मेरा एक सुझाव है कि देश में जब एक हवा बन रही है और हम राष्ट्रीयकरण करते चले जा रहे हैं तो इसके लिए केडर ऐसा तैयार कर।

मुझे जो खतरा है उसके लिए मैं थोड़ा सा निवेदन कर देता हूं। जनसंघ, स्वतन्त्र पार्टी और जो देश के उद्योगपति हैं उनके पास में प्रेस भी है। मुझ इससे इर्ष्या नहीं है। उनके पास कला है। वे व्यवसायिक हैं और व्यवस्था का फायदा उठाते हैं। वे यह हवा नहीं बनायें कि डिपोजिट को कम कर दें। यह जो गड़बड़ की जा रही है कि राष्ट्रीयकरण होने के बाद यह हो जायगा, वह हो जायगा इससे कहीं डिपोजिट कम न हो जाय। अगर डिपोजिट कम हो गये तो आर्थिक निर्माण में गड़बड़ी हो सकती है इसके लिए कुछ करना चाहिये। उसके लिए वातावरण बनाना चाहिये। हमारे बीमा निगम की जो उपलब्धियां हैं, सैन्ट्रल बैंक की जो उपलब्धियां हैं और राष्ट्रीयकृत तीन कारखानों की जो उपलब्धियां हैं उनकी चर्चा ज्यादा जोरों पर की जानी चाहिये। गैर क्रांतिकारी, अपने कामों का बहुत हल्ला करते हैं। प्राइवेट उद्योग वाले उसके सम्बन्ध में चर्चा कर लेते हैं।

(3.35 म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

हम उसके जो सामाजिक पहलू हैं उन सब पर चर्चा नहीं करपाते ह। मैं केवल इतन ही आधार पर कहना चाहता हूं कि मूल्यों का जो इन्फलेशन हुआ है लेकिन राष्ट्रीयकरण के एक झटके से, और पहलुओं में अभी कुछ फायदा नहीं हुआ हो, लेकिन अनाज की कीमत गिर गई है। अभी तक अनाज के व्यापारी कई बैंकों से कर्जा ले लेते थे, लेकिन अब उनको एक ही बैंक से कर्जा मिलेगा। इससे कीमतें गिरी हैं, इन्फलेशन कम हो गया है।

सभापति महोदय, (अध्यक्ष महोदय) इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका स्वागत करता हूं। समाजवाद के लिए दूसरे और कदम भी उठाये जायं, राजाओं की पेन्शन बन्द करने का, बड़े बड़े कारखानों के राष्ट्रीयकरण करने का, शहर की आमदनी की सीमा निर्धारित करने का, आमदनी और खर्च की न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित करने का। यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कोई बहुत बड़ा कदम नहीं है। इस चक्कर में नहीं आना चाहिए कि कोई बड़ी दूसरी

(श्री रामकिशन)

टैक्टिक्स पैदा करना चाहते हों। यह कोई बड़ा भारी क्रान्तिकारी कदम नहीं है सारे देश के आर्थिक पुनर्निर्माण का। मैं समझता हूं कि महारावल साहब पूरी तरह से समझ गये हैं और समर्थन के साथ काम करेंगे और राजस्थान की स्वतन्त्र पार्टी उस चीज को तोड़ेगी। जनसंघ के क्रान्तिकारी साथी भी मुझे विश्वास है कि इस मामले में हमारा सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना प्रस्ताव रखता हूं।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : डिबेट समाप्त की जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे खयाल से जो इसके विपक्ष में हों वे बोलें तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : मेरे खयाल से कोई नहीं बोले तो समाप्त करदी जाय डिबट। जिनका प्रस्ताव है वे कृपया बोल लें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यहां पर वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी का कोई सवाल नहीं है। रामानन्दजी हमारे मित्र हैं वे बोलते हैं तो बोल लें। उनके विचार सुनने के बाद कहें तो ठीक रहेगा।

श्री पी० के० चौधरी : I have got a submission Sir. In this debate, one person should speak in favour and then the other point should be heard. Then the debate will be more interesting.

श्री अध्यक्ष : इस दृष्टिकोण को सामने जरूर रखूंगा, लेकिन लाग करने में कहां तक सहूलियत हो सकती है, मैं नहीं कह सकता हूं। रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत। जहां है वहीं बैठकर शुरू कर दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There is nobody to support or oppose.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कोई बोलने को तयार नहीं है। अगर बोलना है तो मैं बोल दूंगा। प्रस्ताव के समर्थक अगर कोई हैं और वे बोलते तो ठीक होता।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अब आप बोलिये।

श्री अध्यक्ष : आप समर्थन करते हैं तो आपको बोलने का हक ह उसको समाप्त कर दिया। अब आपको पूरा बोलने का हक नहीं मिलेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं इसको वापस लेता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विषय है, इसका मैं समझता हूं इस सदन से सम्बन्ध नहीं है। तदुपरान्त आपने इस संकल्प पर विचार करने की अनुमति दी है, अतएव मैं अपना यह पुनीत कर्तव्य समझता हूं कि मैं भी इस पर अपने विचार व्यक्त करूं।

मैंने मेरे मित्र श्री रामकिशनजी के विचार सुने। सबसे बड़ा प्रश्न यह है हमारे सामने कि यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है तो राष्ट्रीयकरण की परिभाषा को हमको ठीक तरह से समझना चाहिए। राष्ट्रीयकरण, मैं समझता हूं, आज की देश की परिस्थिति के अन्दर एक बुरी चीज नहीं है। लेकिन हमको राष्ट्रीयकरण को इस संदर्भ में भी देखना है कि वर्तमान शासनारूढ़ दल की प्रक्रियाएं और क्रियाएं गत 20 वर्ष तक

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कैसी हुई है। हम उनकी प्रक्रियाओं को देखते हुए, उनकी शासन-पद्धति को देखते हुए क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि उनके हाथों के अन्दर राष्ट्रीयकरण उचित रूप से हो सकेगा या नहीं। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि यह सोचने का विषय है कि इस राष्ट्रीयकरण के नाम से शुद्ध राष्ट्रीयकरण होगा या यह तथाकथित राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात् शासनारूढ दल को बल देने के लिए तरह तरह के हथकन्डे और भ्रष्टाचार और अनियमितता की शरण शासनारूढ दल लेकर के जनता के पवित्र धन का दुरुपयोग करेगा या नहीं, यह तो भविष्य ही बता सकता है। लेकिन शासनारूढ दल को हम सचेत करें, सजग करें, उसकी आलोचना करें, यह जनतन्त्र की पद्धति के अन्दर हरेक विरोधी पक्ष का पुनीत कर्तव्य होता है। इस संदर्भ में मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि जो बंगलोर में रिजोल्यूशन पास हुआ उस संबंध में 8 और 9 जुलाई को कांग्रेस की अर्थ-नीति के सम्बन्ध में अमुक मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए अपने निर्णय को फिर करीब करीब दोहराया गया है।

यह निर्णय कोई नया नहीं है। फरीदाबाद, जबलपुर में और उससे कई वर्ष पहले भी यह निर्णय शासनारूढ दल लेता आया है। मैं ऐसा समझता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने यह प्रस्ताव वापिस लाने पर 17 जुलाई को दिल्ली में यह बयान दिया था कि बैंको का राष्ट्रीयकरण निकट भविष्य में नहीं होने वाला है। उसके पश्चात् 19 तारीख को राष्ट्रीयकरण का, बैंको के नेशनलाइजेशन का आर्डिनेंस पास हुआ। और जो हमारे माननीय कार्यकारी राष्ट्रपति थे, कुछ ही समय पश्चात् वह पद त्याग देने वाले थे, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिये। उन्होंने उस को स्वीकृत कर दिया।

मेरी विचारधारा वाले कई व्यक्ति हैं, वह इस प्रक्रिया को जनतंत्र के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कह सकते हैं। खास तौर से दसरे दिन रविवार होने के कारण 20 तारीख को यह आर्डिनेंस पास हुआ। और 21 ता० को लोक सभा का सत्र आरम्भ होने वाला था। मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि यह विचार धारा हर एक को रखने की जरूरत है। लेकिन यह जो आपसी कशमकश चलती है, यह अशोभनीय है। यह चीज देश के लिये भी और सत्तारूढ दल के लिऐ भी अशोभनीय है। मैं नहीं समझता हूं कि स्वतन्त्र दल राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध है। अगर राष्ट्रीयकरण ठीक तरह से होता है तो हमें इस पर आपत्ति नहीं है। स्वतन्त्र दल यह बराबर कह चुका है। अगर समाजवाद से देश की जनता का हित होता है, जैसा कि समाजवाद से जापान में हुआ, वैस्ट जर्मनी में हुआ तो स्वतन्त्र पार्टी को उस पर आपत्ति हो ऐसा मेरा अभिमत नहीं है। यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि जो जो जो भी धन्धे राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत रखे गये हैं, उनमें भ्रष्टाचार दुर्व्यवस्था सब कुछ हुआ है। यह मेरा ही अभिमत नहीं है यह अगर आपको अच्छा लगे तो और नहीं अच्छा लगे तो भी कई विदेशी अर्थ शास्त्रियों का अभिमत है। जो विदेशी हमारे देशके मित्र और शुभ चिन्तक हैं, उनका भी यह अभिमत है कि शासनारूढ दल में यह क्षमता नहीं है कि वह ईमानदारी से शासन निभा सकता हो। भ्रष्टाचार सब जगह हो सकता है। आटे में नमक बराबर हो, इस रूप में हो तो एक बार हम क्षम्य मानें।

Page No 118

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

लेकिन जहां भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर हो, शासन की सब प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार होता है तो मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आज जब हम महात्मा गान्धी की शताब्दी उनकी जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं तो यह शासनारूढ़ दल गान्धी जी से कितना दूर जा रहा है। यह ठीक है कि शासन की प्रक्रिया पलटती रहती है। संसार परिवर्तनशील है। लेकिन वह परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जिससे देश का हित हो। लेकिन उसके विपरीत हम यह देख रहे हैं कि आज देश का हित नहीं हो रहा है। मेरी समझ के अनुसार अगर बैंकों पर सोशल कण्ट्रोल था तो 6 महीने तक आजमाइश के तौर पर देखना चाहिए था। ठीक तरह से नहीं चल रहा हो तब यह निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन एकदम तावड़तोड़ में एकाएक आप ने राष्ट्रीयकरण की योजना लागू की है। इसका मैं समर्थन करने में असमर्थ हूं।

श्री रामकिशन: दो वर्ष से देखते थे। बात कुछ नहीं है। कांग्रस वालों के लिए नया पुराना क्या ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मगर नया पुराना देखना चाहिए। वह कोई फर्क नहीं है। वह चल रहा है। वह बिगड़ते बिगड़ते इस हद तक बिगड़ेगा कि शायद कोई दूसरा शासनारूढ़ दल आये। तभी कुछ सुधार हो सकता है।

श्री रामकिशन: वह तो हमारी आप की राय एक है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता था कि उन 14 बैंकों पर जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ऊपर है, सरकार का बिल्कुल कब्जा हो जाएगा। नियंत्रण हो जाएगा। मैं समझता हूं कि शेयर होल्डर्स की पूंजी पर अगर सरकार कब्जा करे तो इन्ट्रेस्ट पर कोई लिमिट निर्धारित करें तो मैं कोई विरोध नहीं करता। लेकिन जो डिपोजिटर्स हैं और जो गरीब तबके के लाखों आदमी हैं, उनका पैसा अगर मनमाने तौर पर दे दिया गया, अनसीक्योर्ड तौर पर पैसा दे दिया गया तो अभी जैसा कि रामकिशनजी ने कहा है 27 करोड़ रुपया डिपोजिटर्स का है तो उनके अनसीक्योर्ड लोन का क्या होगा और उसके फलस्वरूप देश की क्या स्थिति होगी ? वह आप खुद देखेंगे। जैसा कि रामकिशनजी ने कहा कि देश की ऐसी स्थिति नहीं है कि उस पर और टैक्स लगाया जाये। टैक्स लगाने की देश की स्थिति नहीं है। आप ने विदेशी कर्ज ले लेकर हर तरह से अजमाइश कर ली है। आप रूस से पसा लाये। अमेरिका से पसा लाये और ऐसे देशों से भी लिया है जो क्षेत्रफल में बहुत छोटे हैं व बहुत ओछे हैं। उनके सामने भी जाकर हमने भिक्षा मांगी है। यह भारत देश के लिए सर्वथा अशोभनीय है। इस सन्दर्भ में आगे बढ़कर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे तिनिधि दूसरे देशों में भी गये हैं। जापान और रूस में भी गये हैं। लेकिन पर्याप्त रूप में आशा पूरी नहीं हुई है तब मजबर होकर यह राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया है। जब मजबूर होकर कदम उठाया है तो यह आशंका होती है। हमारे दल को भी आशंका होती है। जिस प्रकार से लाइफ इन्श्योरेंस का, जिस तरह से इस्पात का या अन्य जिस किसी का भी राष्ट्रीयकरण हुआ है उसका क्या हाल है ? पाठ्य पुस्तकों का भी हुआ है पर पाठ्य

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

पुस्तकें आज उपलब्ध भी नहीं हो सकती हैं रेलवेज का राष्ट्रीयकरण हुआ है, उसमें भी क्या है? हम यहां कह नहीं सकते हैं। जब तक स्टेट की रेलवेज थीं तब तक ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती थीं। अब तो आये दिन की घटना हो गई है। अब तो अखबरों में बराबर पढ़ पढ़ कर हम मामूली बात समझते हैं। आज पढ़ा है तो कल फिर ऐसे समाचार मिल जायेंगे। कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल में यह राष्ट्रीयकरण नहीं है, यह एक मेरे ख्याल से ऐसी दुर्व्यवस्था है कि जिसकी निन्दा और आलोचना करना परमावश्यक है। चाहे शासनारूढ़ दल कुछ सुधार कर सके या नहीं कर सके। राष्ट्रीयकरण करना देश के हित में, समाज के हित में परमावश्यक है—यह मैं मानता हूं लेकिन आखिरकार राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात् हानि तो नहीं होनी चाहिए। बहुत से राष्ट्रीयकृत धन्धे, जो आपने हाथ में लिये हैं, उनमें हानि भी हुई। एक पर्सेन्ट जहां पर हमको मुनाफा मिलता है, वह स्वस्थ प्रतियोगिता के सिद्धान्त के अनुसार तो प्राइवेट एन्टरप्राइजेज हैं, उनको आठ आठ, दस दस पर्सेन्ट मुनाफा मिलता है। तो मेरे ख्याल में आपके इन्तजाम में और व्यवस्था में फर्क है। आज सबसे बड़ी बात की जो हममें कमी हुई है वह नैतिकता की कमी हुई है। हम में नैतिकता नहीं रही है। हम देश के हित को प्राथमिकता नहीं देते, हम अपने हितों को ही प्राथमिकता देते हैं। अब मेरे ख्याल में इस प्रक्रिया में सबसे अग्रणी के रूप में शासनारूढ़ दल ही सबसे आगे रहा है। दुष्काल के अन्दर चालीस या छत्तीस मंत्रियों के मंत्रिमण्डल का गठन होना, मेरे ख्याल में, सर्वथा अशोभनीय है, यह जनतंत्र की पद्धति के लिए भी उतना ही अशोभनीय है। और दल बदलने की नीति, येन केन प्रकारेण अपनी कुर्सी को कायम रखने की नीति—यह सब चीजें ऐसी हैं कि मेरे ख्याल में महाजनो येन गतः स पन्था, जो राजा करता है वही प्रजा भी करती है—यह तो अनादि काल का सिद्धान्त है। आज मेरे ख्याल में सोशलिज्म के रूप में, समाजवाद के रूप में नारे से शासनारूढ़ दल शासन करना चाहता है, लेकिन स्वतंत्र पार्टी उसको सच्चे रूप से सोशलिज्म नहीं कहती है, उसको स्टेटिज्म कहती हैं। स्टेटिज्म का अर्थ यह है कि राज्य ही व्यापार करे, राज्य ही राज्य करे, राज्य ही खेती करे और राज्य ही सब आय के स्त्रोतों के ऊपर दमघोंट कब्जा करे। उसका सम्पूर्ण अधिकार स्वयं मंत्रियों के हाथ में नहीं रह करके कर्मचारियों के हाथ में रहे और कर्मचारियों के अन्दर आपाधापी और स्वार्थपरता इस हद तक हो जाय कि मंत्री उनको रोक नहीं पायें, बल्कि यह स्थिति हो जाय कि मंत्रियों को नौकरशाही के ऊपर निर्भर रहना पड़े। यह स्टेटिज्म जो है, यह नौकरशाही है, यह समाजवाद नहीं है। समाजवाद सच्चे रूप से, मेरे ख्याल में, आप नहीं ला सकते। इसलिए मेरे ख्याल में हर एक इन्सान का यह पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इस राष्ट्रीयकरण का विरोध करे, इस आशंका के साथ कि आपके हाथ से राष्ट्रीयकरण सफल नहीं होगा, आपके हाथ से जो धन है, डिपाजिटर्स का धन है, उसका दुरुपयोग होगा और आपके हाथ से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायगी कि राष्ट्रीयकरण के बाद आपके पास अब कोई चारा नहीं होगा कि पीछे हटकर

(**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह**)

कुछ करें। बिल्कुल तंग होकर, अन्ततोगत्वा आखिर के अन्दर आपने यह कदम उठाया है। इसमें अराजकता के सिवाय और कोई रास्ता मुझे नहीं दिखता। मैं रोजाना देखता हूं, कहीं लाठी, कहीं गोली, कहीं अश्रुगैस रोजाना समाचार पत्रों के अन्दर इस तरह की खबरें आने से यह मेरा निश्चित अभिमत है कि आपके द्वारा बीस वर्षों के अन्दर देश का कोई हित नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जरूर हुआ लेकिन हित के अनुपात में जो अहित हुआ है, जो गरीब का शोषण हुआ है वह अधिक है। आज महंगवारी, भ्रष्टाचार, पक्षपात, अनियमितता की पराकाष्ठा हो चुकी है। जनतंत्र की स्वस्थ परम्परा के अनुसार शासन को सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। आपकी इस व्यवस्था के अन्दर कोटा, लाइसेन्स, परमिट की व्यवस्था है। हम कहते हैं कि यह स्टटिज्म की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। सोशलिज्म में कोटा, परमिट, लाइसेन्स नहीं आने चाहिए, स्टेटिज्म में कोटा, परमिट, लाइसेन्स अनिवार्य हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सच्चा सोशलिज्म हो तो उसके पक्ष में हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सच्चा सोशलिज्म हो तो उसके पक्ष में हैं आप ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सच्चे सोशलिज्म के द्वारा अगर खुशहाली देश के अन्दर आती है तो अगर मैं चिल्लाऊं तो भी मेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा।

श्री रामकिशन : ठीक है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सच्चा सोशलिज्म देश के अन्दर आता है और देश का उससे हित होता है तो मेरे ख्याल में, हर एक पेट्रियोटिक, देश-भक्त का कर्त्तव्य हो जायगा कि वह उसमें हाथ बटाय।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आप सच्चा सोशलिज्म किसको कहते हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : लेकिन सोशलिज्म के नारे से सब और धोखाधड़ी और गन्दगीवाजी। बारह हाथ कड़ी तेरह—यह ऐसी बात है। बाल ड्रेसिंग और कागजी कायवाही में मैं विश्वास नहीं करता। तो, अध्यक्ष महोदय, रामकिशनजी ने अभी कहा कि करते क्या, राष्ट्रीयकरण किये बिना और कोई चारा ही नहीं था। मुझे भी दया आती है कि राष्ट्रीयकरण किये बिना और कोई चारा नहीं था। लेकिन जब अपने आपको जीवित रखने के लिए यह राष्ट्रीयकरण किया जाय—तो यह मेरा अभिमत है कि देश के हित के लिए राष्ट्रीयकरण किया हो—ऐसा मेरा अभिमत नहीं है। आपकी पहली पंचवर्षीय योजना में पांच हजार करोड़, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दस हजार करोड़, तृतीय पंचवर्षीय योजना में पन्द्रह हजार करोड़ और चतुर्थ पचवर्षीय योजना में जब गाड़ी ठप्प हुई तो कोई तो कहता है कि बीस हजार करोड़, कोई कहता है, बाइस हजार करोड़—लाला लाख, सवा लाख—यहां तो किसके बाप की बिगडती है, जनता जाय जहन्नुम में, अपने तो कागज छापना, कर्ज लेना, जनता का गाढी कमाई का पसा सब कुछ पर कब्जा करके हजम करना, और अपनी योजनाओं को चलाना। उसके उपरान्त में इलेक्शन में कोई सामना करे तो इलेक्शन रिट कर देना। धीरे धीरे उस जगह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

पर पहुंच रहे हैं कि जिस तरह से इलेक्शन काश्मीर में होते हैं, उसी तरह सब जगह होने लगें। इससे मैं समझता हूं निश्चित रूप से कि इस संविधान को खत्म किया जाय, एक पार्टी का शासन कायम कर दिया जाय तो समझूंगा कि सच्चे रूप में वही स्थिति है, जैसी यू० एस० आर० में है, चीन में है, रूस में है और कई देशों के अन्दर है, अफ्रीका के कई प्रदेशों में है। लेकिन अगर हमारे संविधान के अन्तर्गत, जनतंत्र के सिद्धान्तों के अनुसार हमारे देश के शासन को हमें चलाना है तो देश की, समाज की अमक चीजों को माना जाना चाहिए There must be some agreement over some cardinal issue. और उस सिद्धान्त के अनुसार हमको यह निर्णय लेना चाहिए कि अमुक चीजें की जायं और अमुक चीजें नहीं की जायं There are certain does and don'ts. और हमको ईमानदारी के ऊपर उनका पालन करना चाहिए तब तो मेरे ख्याल में जनतंत्र होगा, तब मेरे ख्याल में आप उसको एक हद तक समाजवाद कहेंगे समाजवाद भी मैं मानने के लिए तैयार हूं लेकिन अगर आप समाजवाद के नाम से एक भ्रष्ट अधिनायकवाद लाते हैं तो उसका विरोध हमको करना होगा और हमको करना चाहिए। आज शिक्षित लोगों की दुर्दशा है। आपकी योजनाओं के मेरे पास बहुत सारे कटिंग्स हैं लेकिन श्री रामकिशन जी की महरबानी से विषयान्तर होकर मैं बिल्कुल कन्फ्यूज्ड हो गया।

श्री रामकिशन: आप महारावल साहब, यह मत कहें, आप सत्य को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण कर लिया है। विषयान्तर तो अब हुए हैं।

श्री हंसराज आर्य (भादरा): माननीय नेता महोदय इसे सुनने से विषयान्तर हो गये, तो समाजवाद आयेगा तो क्या होगा?

(4 म० प०)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैं कम सुनता हूं आजकल। बेरोजगारी के सम्बन्ध में एक अर्थशास्त्री का अभिमत है वह आपकी आज्ञा से सदन के समक्ष पढ़कर सुनाऊंगा:

"The Communist thesis of 'from each according to his abilities, and to each according to his needs' seems to be gathering momentum in the country side, and any one with a conscience will hesitate to criticise the daily agitations and processions by the distressed and unemployed. High soundig democratic exhortations and slogans will not fill starving stomachs. What is required, on the other hand, is to tackle the unemployment problem effectively........

"As far as the educated unemployed is concerned, the problem must be tackled with even more expedition. It is estimated that by 1973-74 there will be wellover 1,00,000 graduates in all branches of engineering, seeking jobs. Today, it is nearly 50,000. These figures are over and above the B As., B. Scs. M.As. and M.Scs. in other subjects whose condition too has become desperate. The State Governments and the Union Government may usefully consider the dire consequences of delay.

"I would suggest, as a beginning that every engineer and every doctor be assured of a steady job as soon as he or she graduates, in his or her own State. If this is not possible, the present colleges that turn them in

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

their hundreds every year must be closed, and converted into small-scale industrial institutions. At least the future graduates will not then have to wander the streets, after spending the hard-earned money of their parents and wasting five or six years in the colleges."

अध्यक्ष महोदय, आज दिन-ब-दिन शिक्षित लोगों को भी कोई धंधा नहीं मिलता, कोई नौकरी नहीं मिलती। गरीब गरीब हो रहा है और मैं समझता हूं अमीर के लिहाज से बहुत सारे, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मंत्री हैं और दूसरे कांग्रेस के पिछलग्गू है, उन्होंने लाखों रुपये बनाए हैं, कोई टैक्स नहीं दिया है। ऐसी व्यवस्था के अन्दर मेरे ख्याल से 20 साल के कांग्रेस शासन के अन्दर लोगों को खाने को अनाज नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं हैं और रहने के लिए मकान नहीं हैं। वहां समाजवाद के द्वारा खुशहाली आप क्या लायेंगे। यह दिन-ब-दिन बिगड़ता हुआ रास्ता, ओपन इन्वीटेशन टू अराजकता, ओपन इन्वीटेशन टू कम्यूनिज्म, ओपन इन्वीटेशन टू सम सार्ट आफ डिक्टेटरशिप है। यह अधिनायकवाद है अधिनायकवादी प्रक्रिया को काम में ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपके बाद वाले आपके रास्ते पर चलकर कुछ न कुछ ऐसे शासन की पद्धति लायेंगे जैसे पाकिस्तान या चीन के अंदर, वर्मा या यू० ए० आर० के अंदर है। मैं कह चुका हूं कि स्टील, रोडवेज, बक्स, पावर, रेलवेज आदि का जो भी राष्ट्रीयकरण आपने किया है, जिन व्यवसायों का किया है, वहां पर भी दिन-ब-दिन दुर्दशा होती जा रही है। मैं सिर्फ एक कटिंग के कुछ शब्द पढ़कर समाप्त करूंगा, वह भी इस सम्बन्ध में और इस संदर्भ में है कि जो कुछ राष्ट्रीयकरण के नाम से किया जा रहा है वह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के खातिर, चाहे अपनी कुर्सी के खातिर चाहे सत्ता को अपने हाथ में रखने के खातिर, इन कारणों से यह राष्ट्रीयकरण इस वेग से किया जा रहा है, यह मेरा निश्चित अभिमत है। इस सम्बन्ध में कांग्रेस के एक प्रमुख पेपर के लीडिंग आर्टीकल को आपके समक्ष निवेदन करूंगा :

"Mrs. Gandhi has repeatedly stated that bank nationalisation is not a magic wand that is going to rid the country of all its problems. She has described it as just one small step in a process of change. It is intended to accelerate a number of unexceptionable social objectives previously sought to be achieved through social control of banking. She has also referred to the need for adequate follow-up measures. What are to be these measures? And how efficiently will they be implemented? This remains the Government's Achille's heel. There is yet no clear-cut programme even in terms of maximising resource mobilisation and orienting the flow of credit towards agriculture, small industries, self-employed entrepreneurs, exports and so on. Bank nationalisation is still in the realm of political philosophy and

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ideological debate. It is yet to be translated into an economic programme on the implementation of which final judgment about its merits must rest.

"Bank nationalisation has significantly enlarged the area of the public sector. It is all the more necessary, therefore, that the Government loses no time in reorganising the public sector so as to ensure autonomy and commercial efficiency. This is not a problem of ideology. Mrs. Gandhi has sought to defend the public sector against attack by arguing that it exists to fulfil certain social purposes and not necessarily to make profits. This is certainly true. But efficiency is not expendable under any circumstances and profitability is an excellent yardstick for measuring efficiency. As the public sector grows, so must its responsibility to make profits and create new wealth increase. Profits have an immensely important social purpose.

"It is entirely proper and understandable that Mrs. Gandhi should answer her critics—but she does not have to do so in their coin. What the Prime Minister says matters. It is or must normally be undersrood to reflect Government policy. It is surely not official policy, nor even Congress policy, nor presumably Mrs. Gandhi's intention to promote class war—'we and they', 'the few versus the many', 'rich versus poor' and 'ideological warfare'. It would be tempting but dangerous for her to ride the crest of political acclamation and appear to make commitments which arouse all manner of vague but high expectations that are not going to be at all easy to fulfil."

श्री अध्यक्ष : समाचार पत्र का क्या नाम है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : 'हिन्दुस्तान टाइम्स 10 अगस्त का है। रामकिशनजी ने कहा पोलराइजेशन हो और कांग्रेस टूटे। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करता हूं कि कांग्रेस जो महात्मा गांधी के जमाने की कांग्रेस है, वह एक ऐसी संस्था है जिसम तरह तरह के वर्ग के लोग हैं, जिसमें गरीब भी हैं, मालदार भी हैं, हरिजन आदिवासी सब तबके के लोग हैं। तो यह एक बहुत बड़ी संस्था है। गांधीजी ने कहा कि इसे विसर्जित होना चाहिए। देश के हित में उसका आपा रखना ओरिजिनल शेप रखना परमावश्यक है, उसके लिए और देश के लिए पोलराइजेशन हानिकारक है क्योंकि जब तक कांग्रेस में तथाकथित राइट और लेफ्ट, मैं तो राइट और लेफ्ट को नहीं मानता, मैं फारवर्ड को मानता हूं, प्रोग्रेस आपको करनी है तो राइट और लेफ्ट के संमिश्रण के साथ कर सकते हैं।

Page No 124

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अगर लेफ्ट का आदमी आकर कहेगा कि मैं लेफ्ट को आगे चलाऊं और राइट को पीछे चलाऊं तो आपका एक अंग है वह टूट जायगा। अगर आपको देश को आगे चलाना है तो आपको होश के अन्दर रह कर उदारता के साथ पोलेराइजेशन से बच कर एक संस्था जिस तरह से थी उसी तरह से एक होकर आपको निभाना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि 15 अगस्त से सबक लेकर 16 अगस्त के दिन जो कुछ करना हो वह दुरदर्शिता और अक्लबन्दी से करेंगे तो आपका नेशनेलाइजेशन भी रहेगा वरना लोकतन्त्र और सब मिट्टी में मिल जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रिवीपर्स के बारे में थोड़ा कहना चाहता था।

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल : यही कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी खत्म हो जावगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इसमें कोई नयी बात तो है नहीं हमारी किस्मत में जो कुछ लिखा है वह होगा और आपकी किस्मत में जो कुछ लिखा है वह होगा। लेकिन....

श्री रामकिशन : किस्मत की लड़ाई मत करो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप चाहेंगे कि हमारा प्रिवीपर्स छिन जाय। हम यह नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रिवीपर्स जाय। आपने हमको आश्वासन दिये, किस सन्दर्भ में दिये, उन आश्वासनों को निभाना आपका पुनीत कर्तव्य है, आप चाहते हैं उनको निभाना तो निभायें, यदि आप चाहते हैं उन आश्वासनों को निभाना अनावश्यक है तो एक तरफ कार्यवाही के द्वारा जो कुछ निर्णय लेना हो वह लीजिये। आपके पास बहुमत है। उसके लिये हम आपको रोक नहीं सकते। लेकिन मेरे ख्याल से यह एक वादाखिलाफी, अहसान फरामोशी और एक विश्वासघात होगा। आप एक आदमी को पेन्शन भी देते हैं तो आप उसको आजीवन पर्यन्त निभाते हैं। बिल्कुल वह स्वाभाविक है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि बेगम जाकिर हुसेन को भी पेन्शन दी। कम से कम आपने कोवेनेन्ट में लिखकर दिया था यह जो कुछ व्यवस्था दी है कि न तो घटेगी ही न बढ़ेगी ही किन्हीं सरकमस्टान्सेज में, will neither be increased nor decreased under any reasons whatsoever. आज तो उस कोवेनेन्ट पर दस्तखत करने वाले भी जिन्दा हैं और उनके साथ इस तरह की वादा खिलाफी करेंगे, विश्वासघात करेंगे तो, मेरे ख्याल में, विदेश में और देश में आपकी कीर्ति और सम्मान को ठेस पहुंचेगी और यदि हम लोगों से यह कहते हैं तो उतना ही अधिकार है मुझे यह कहने का कि यह बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं यह तो कांग्रेस के द्वारा बैंकों को चट्ट करना है। इस पैसे को भी आप खा जावेंगे और जब तक आप अपनी जिन्दगी को निभायेंगे बेईमानी की सौदागिरी से निभायेंगे, उसका स्वागत तो म नहीं कर सकता, उसकी तो मैं भर्त्सना ही करूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : एक प्रश्न है। प्रिवीपर्स पर वादा नहीं रखते हैं तो आप अपना वादा दूर करग ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह हाईपोथेटिकल क्वैश्चन है। प्रिवीपर्स बन्द होंगी तो भी हम को देश में रहना है जिम्मेदार नागरिक के रूप से तो हम जिम्मेदार नागरिक के रूप से रहेंगे बहादुरी से मुकाबला करेंगे, देश भक्त बन कर रहेंगे और समाज को भी यह बता सकेंगे कि त्याग सच्चे रूप से क्या हो सकता है। उनसे त्याग नहीं हो सकता। इनको त्याग में क्या माद्दा है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत (भीमा) : अभी विरोधी दल के नेता महोदय ने फरमाया। आपके विचार हैं ठीक हैं। एक शब्द पर मुझे आपत्ति है। आपने यह फरमाया कि बेगम जाकिर हुसेन को भी पेंशन मिलती है। आपने तुलना विधवा शाहजहां बेगम से की।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं माननीय सदस्या से बहुत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि एक नागरिक के तौर पर सिद्धान्त का प्रश्न है। बेगम जाकिर हुसैन भूतपूर्व नरेशों से विशेष सम्मानित व्यक्ति हैं यह निर्विवादित बात है। उनके प्रति देश ने इज्जत का भाव प्रदर्शित किया उसके मुकाबले में थोड़ी बहुत हमारे प्रति इज्जत की बात हो तो उसमें अतिशयोक्ति तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री रामकिशन जी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि और जैसा कि इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है वह तो स्वागत योग्य कदम है ही, परन्तु यदि राष्ट्रीयकरण का वास्तविक लाभ हमारे राष्ट्र को मिले इस रूप में बैंक के राष्ट्रीयकरण के कदम को पूरा उठाना है तो जसा कि इस प्रस्ताव में कहा गया है कि न केवल यह 14 बैंक बल्कि और भी बाकी देशी बैंक हैं चाहे उनकी डिपोजिट्स 50 करोड़ से कम क्यों न हो और उन तमाम विदेशी बैंकों का रुपया जो हमारे देश में जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है उनका भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं इससे और भी एक कदम आगे जाता हूं और वह यह है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण अपने आप में एक आर्थिक कदम इस रूप का नहीं है कि जिस बीमारी में हमारी अर्थ व्यवस्था देश की आज पड़ी हुई है उसको आगे निकालने के लिये, उसको आगे बढ़ाने के लिये न केवल राष्ट्रीयकरण बैंकों का ही आवश्यक है बल्कि यदि हमें इस अर्थ व्यवस्था को सुधारना है, गति देनी है, विकास मय बनाना है तो इसके साथ साथ और भी कदम लाजमी तौर से उठाने पड़ेंगे कि जो इजारेदारी, पूंजीपति, मौनोपोली केपिटीलिज्म है उस पर पूरी तरह से न केवल रोक लगायें बल्कि उसको पूरी तरह से लिक्विडेट कर दें उस मोनोपोली केपेटिलिज्म को जो हमारे देश में एक भूत की तरह खड़ा हो गया है उसको समाप्त कर दें। देश के और पैदावार के जो साधन हैं उनका राष्ट्रीयकरण करदें और देश की आमदनी के जो साधन हैं, जैसे आयात-निर्यात व्यापार, उसका राष्ट्रीयकरण कर दें और भूमि का वितरण इस प्रकार से हो जो भूमि जोतने वाले हैं उनको भूमि मिले और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

राजाओं के जो प्रिवी पर्सेज हैं, उनके जो अधिकार हैं विशेष उनको समाप्त किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि जिस प्रकार किसी बीमारी में एन्टीबायोटिक्स की एक डोज या एक दो गोली काम नहीं दे सकती, आप डाक्टर बुलाते हैं तो वह आपको एक हफ्ते तक तीन तीन गोली आठ 2 घंटे के फासले के बाद लेने के लिये कहता है उस क्रम को यदि छोड़ दिया गया तो शरीर को लाभ नहीं मिलेगा और उस बीमारी से छुटकारा नहीं पायेंगे। उसी प्रकार हमारी अर्थ व्यवस्था पहुंच गई है, उससे निकलने के लिये हमें केवल बैंकों का ही राष्ट्रीयकरण नहीं बल्कि एक के बाद दूसरे लाजिमी तौर से कदम उठाने पड़ेंगे, अध्यक्ष महोदय, यह मेरी मान्यता है इस रूप में।

अध्यक्ष महोदय, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जहां मैं इसका स्वागत करता हूं, अपने आप में केवल यह नहीं मानता कि यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने से समाजवाद हो गया, या समाजवाद आ गया। कुछ भाइयों ने खासतौर से रूलिंग पार्टी के कांग्रेस जनों ने यह नारा लगाया है कि देख लो कांग्रेस सशक्त है समाजवाद लाने के लिये। यह राष्ट्रीयकरण बैंकों का कर दिया है और समाजवाद की तरफ हम बढ़ गये हैं। मैं समझता हूं, गंभीरता से मेरे य दोस्त विचार करेंगे कि वे भूल में हैं और इसकी जो महत्ता है उसको सही रूप म आंक नहीं रहे हैं। इस रूप में, अध्यक्ष महोदय, मैं इन साथियों से सहमत नहीं हूं कि राष्ट्रीयकरण का जो पहला कदम उठाया गया है उस कदम का इतना लाभदायक नतीजा यदि नहीं रहा या किन्हीं में कुछ नुकसान वगराह हुआ, उनसे घबरा कर, उनके अनुभव के आधार पर, उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीयकरण के बारे में क सन्देहात्मक रूप में है कि पहले कुछ किया था उससे क्या हुआ ? अब यह कर दिया तो उससे कुछ होने वाला नहीं है और हम देख लेते हैं कि दूर खड़े हम देखते हैं कि क्या इसके नतीजे निकलते हैं। इस प्रकार का एक दृष्टिकोण इसके अंदर सामने आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इन लोगों के इरादे से अलग हूं, जो इसका डट कर विरोध करें, चाहे वह स्वतंत्र पार्टी हो, जनसंघ पार्टी हो और चाहे वह कांग्रेस के लोग हों जो कि खलकर, कोई छिप कर इसका विरोध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं महारावल साहब को इस बात के लिये बधाई दूंगा कि शायद वे अपनी पार्टी की नीति से परे जाकर, चाहे तो रामकिशन जी के भाषा के इस्तेमाल की वजह से, चाहे उनके उकसाने पर, उनका यह कनवरसन आया है कि बुनियादी तौर से वे राष्ट्रीयकरण के विरोध में नहीं हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : रामकिशन जी ने मझे प्रोत्साहन दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन्होंने जिस तरीके से तारीफ की है, वह तरीका एक ऐसे वकील, एडवोकेट का था, जो एक हारे हुए केस को बहुत योग्यता के साथ प्लीड कर चलता है और उसे लेते वक्त भी वह मुवक्किल को कह देता है कि केस खराब है, हारोगे परन्तु मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जहां पालियामेन्ट में उनकी पार्टी का एग्रेसिव रुख था, वहां अपने स्वभाव की तरह यहां बचाव का रुख अपनाया है। मसानी साहब ने प्राइम मिनिस्टर को यह कहा बैंकों का राष्ट्रीयकरण

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करने वालों का वही हाल होगा जो घाना में एन्क्रूमा का हुआ और ईरान में मुसद्दीक का हुआ है। मतलब साफ था। मोनोपोली केपिटिलिज्म के जो एजेन्टस् हैं, रिप्रिजेन्टिव्ज हैं पार्लियामेन्ट के अन्दर, उनकी तरफ से बहुत सीधे यह थ्रेट था कि आप जो यह कदम उठा रही हैं, उसके नतीजे भयंकर पोलिटिकल रूप में निकलेंगे। इस बात को आप आंक कर चलें। लेकिन महारावल साहब ने अपने तरीके से वह रास्ता नहीं पकड़ा और अलबत्ता अपने को, पार्टी को डिफेन्ड करने का प्रयत्न किया है। उनको छोड़कर जो इसके विरोध में हैं या इसका पक्ष भी कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, उनके सम्बन्ध में दो श्रेणी में अज कर रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि आज बैंकों के राष्ट्रीयकरण का केवल हम एक आर्थिक मेजर के रूप में इसके महत्व को आंकने की कोशिश करेंगे तो उसे सही रूप से नहीं समझ पायेंगे। इसी प्रकार हम केवल राजनैतिक तौर से इसका मूल्यांकन करगे और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को हम एक तरफ रख देंगे तो भी इसके महत्व को नहीं आंक पायेंगे। म निवेदन करूंगा कि जिस पृष्ठभूमि में आज बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, उसका सामान्य तौर से अधिक राजनैतिक और आर्थिक महत्व है। तो वह पृष्ठभूमि क्या है? अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से आज तीन चवर्षीय योजनाएं समाप्त होने के बाद और चौथी पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष (तीसरा साल चल रहा है) गुजरने के बाद भी चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं बन सकी है। यह एक तथ्य है। श्रीमन् रूलिंग ऊपाटी' सत्ताधारी दल के सामने यह प्रश्न खड़ा हो गया कि देश के विकास की गति अवरुद्ध हो गयी है। हमारी अर्थ-व्यवस्था ऐसी जगह पर पहुंच गई है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इसी वजह से राजस्थान सरकार को घोषणा करनी पड़ी कि हम नये स्कूल नहीं खोलेंगे, प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल नहीं बनायेंगे, हाई स्कूल नहीं बनायेंगे, और नये कॉलेज नहीं खोलेंगे। सो एण्ड सो। इतना ही नहीं जो थे उनका ज्यादा विकास नहीं कर पायेंगे यह स्थिति भी नहीं रही। विकास की ऐसी स्थिति में पहुंच गये थे कि उसमें भी कट करना पड़ा। तमाम एस० टी० सीज० (मेल) बन्द कर दी गयी हैं। मेडिकल कॉलेज की स्ट्रेंथ को घटा दिया है। पोलीटेक्निक तोड़ दिये गये हैं। यह तो एक शिक्षा विभाग का हाल है और दूसरे विभाग को देखें तो उनका भी यही हाल है। जब बजट पेश हुआ था तो वित्त मन्त्रीजी ने एक ही पैरेग्राफ में उसे निचौड़ दिया था कि अब हम आगे विकास को ज्यादा बढ़ाने की बजाय कन्सोलिडेशन की तरफ ध्यान देंगे। मतलब विकास करने के लिये आगे पैसा नहीं है। यह स्थिति आज न केवल राजस्थान की है बल्कि सारे हिन्दुस्तान की अर्थ-व्यवस्था में यह संकट पैदा हो गया था। अध्यक्ष महोदय, यह संकट कोई अनायास, अचानक ही दिखायी नहीं दिया। जब गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने और कांग्रेस पार्टी ने प्लानिंग हा -में लिया और जो आर्थिक नीतियों की घोषणाएं कीं, उस समय जो देश के अन्दर समाजवादी शक्तियां थीं, कांग्रेस के अन्दर जो प्रोग्रेसिव लोग थे, उन्होंने शंकाएं व्यक्त की थीं और साफ कहा था कि जिस तरह से प्लानिंग किया ह, जिस तरह से रिसोर्सेज

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जुटाने और जो विकास का लाभ है, उसके वितरण की नीति है, उससे आप जो नेशनल इन्कम इन्क्रीज करेंगे, उस नेशनल इन्कम के डिस्ट्रीब्युशन के बारे में आपका ध्यान नहीं है। यह विकास देश के अन्दर इजारेदारी कायम करेगा और यह इजारेदारी ऐसी परिस्थिति कायम करेगा कि आपके लिए आगे जाना असम्भव हो जायेगा, प्रोडैक्शन क्षमता खड़ी रह जायेगी, भयंकर मंहगाई, बेकारी की प्रोब्लम खड़ी हो जायेगी और एक तरफ आपके पास साधन नहीं रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, य बातें जो कि समाजवादी शक्तियां, जो प्रोग्रेसिव लोग प्लानिंग के बारे में कहते थे, तीसरी पंचवर्षिय योजना के अन्तिम चरण में सही सिद्ध हो गई थी और आज इस चरम सीमा में हिन्दस्तान की इकोनोमी पहुँच गई जिसमें रूलिंग पार्टी को, सत्ताधारी दल को भी इस बात पर मजबूर होकर विचार करना पड़ा कि हमें नीतियों के अन्दर परिवर्तन करना पड़ेगा। बगैर परिवर्तन किय साधन मिलना मुश्किल है और नये टैक्स के लिये जनता तैयार नहीं है। बाहर से कर्जा मिलता नहीं, डेफीसिट फाइनेन्सिंग करने से मंहगाई बढ़ती है और उससे जनता में—मध्यवर्गीय जनता में—किसान मजदूरों में असन्तोष बढ़ता है। यह स्थिति आज सरकार के सामने आ गई। इसका नतीजा यह हुआ पुरानी नीतियों के जरिये, दमन के जरिये, गोलियों के जरिय ट्रेड यूनियनों की आजादी को छीना नहीं जा सकता। ऐसी हालत में सरकार के सामने यह सवाल आया कि किस तरह से आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाया जाय, इससे प्रेरित होकर डेमोक्रेटिक रास्ता अपनाया और यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मार्ग अपनाया जिससे देश को धन की उपलब्धी जनकार्य के लिये मिल सके, देश का विकास हो सके और इसी तरीके से देश को आगे बढ़ा सकते हैं।

इस तरह की बातें अपने देश में पिछले कई वर्षों से चल रहीं थीं यह टेन पोइन्ट प्रोग्राम तो 67 के बाद आया। इसके कारण कन्जरवेटिव लोगों को संकट पैदा हो गया और यह मांग उठी कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये हम अपने रिसोर्सेज के आधार पर प्रोग्राम बनायेंगे, और यह स्थिति नहीं होने देंगे जिसमें अर्थ एक जगह मोनोपोलाइज हो जाय। इसलिये यह उचित समझा गया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय और जो इससे रिसोर्सेज मिल सकें उनका उपयोग किया जाय। देश के विकास में देश के ही धन द्वारा सहायता मिल सकती है वरना देश का विकास नहीं हो पायगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्राइम मिनिस्टर को इस बात के लिये बधाई नहीं देता कि देश को इस आर्थिक संकट में बैंकों के इस राष्ट्रीयकरण के नारे को देकर और बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कदम उठाकर उन्होंने आर्थिक समस्याओं को हल करने का एक सोर्स निकाला है; मैं इस रूप में भी उनको धन्यवाद नहीं देता कि हिन्दुस्तान की जनता इस प्रगतिशील कदम के लिये आन्दोलन और संघर्ष करती रही है और कांग्रेस में भी दक्षिण पन्थियों की नीतियों के खिलाफ एक वर्ग संघर्ष करता रहा है। प्राइम मिनिस्टर इस नीति को अंगीकार करने के लिय बधाई की पात्र है क्योंकि वह इस बात के लिये संघर्ष रत थी। या तो वे फ्री ट्रेड की नीति अख्तियार करतीं जैसा कि महारावल साहब न और जनसंघ पार्टी ने वकालात की और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जिसको कांग्रेस दल का सिन्डीकेट चाहता है या तो वह इस दिशा में जाय या दस पोइन्ट प्रोग्राम जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि का बंटवारा, भूमिसुधार आदि के प्रोग्राम अपनाये या दक्षिण पन्थी प्रोग्राम अपनाये यह कशमकश थी। उस कशमकश में प्राइम मिनिस्टर ने स प्रोग्राम को पसन्द किया और जो तैयारी दिखाई, जिस प्रोग्राम के लिये आम जनता का समर्थन प्राप्त हैं, उस प्रोग्राम को पूरा करने की ओर जो संकेत जाहिर किया, एक प्रोग्राम को पकड़कर जो आगे बढ़ने जा रही है इसे महत्वपूर्ण मोड़ मैं मानता हूं। मैं यह नहीं मानता कि इस दिशा में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उससे देश की समस्याओं का हल हो गया। इससे यह जरूर प्रतीत होता कि यह देश को प्रगति की ओर लेजाने का कदम है। इसके बाद राजाओं का प्रिवि पर्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड का राष्ट्रीयकरण, अरबन प्रोपर्टी पर सीलिंग ये सारे के सारे कदम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जो एक के बाद दूसरे उठन चाहियें तभी यह देश आगे बढ़ सकेगा। इस कदम में प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में जो कदम उठाया है वह इस दिशा का संकेत है, वह भी इतन दिनों के संघर्ष के वाद। कांग्रेस के अन्दर आपस में झगड़े थे, और आज भी हैं वह सत्ता लड़ाई है उस लड़ाई को आर्थिक संकट से अलग करके नहीं देख सकते। वहां सत्ता की लड़ाई सिर्फ आर्थिक कट के रूप में ही नहीं राजनैतिक संकट के रूप में भी हो रही है।

दूसरी पृष्ठभूमि बैंकों के नेशनेलाइजेशन के पीछे है मध्यावधि चुनावों के नतीजे। यह अब कांग्रेस को दिखने लग गया कि 72 के चुनावों में मौजदा स्ट्रेन्थ के रूप में कांग्रेस नहीं आ सकती। ऐसी हालत में दो सवाल पैदा हो गये या तो संयुक्त मोर्चा बनाया जाय या फिर कुछ पार्टियों को मिलाकर सत्ता हथियाई जाय। अब कौन किस के साथ जाय यह बात सामने आयी। कुछ लोग जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी के साथ मिलकर हकूमत बनाने की कल्पना करते हैं, वह किस प्रोग्राम के आधार पर बने इसी बात को लेकर रूलिंग पार्टी में आपस में लड़ाई चल रही है, यही एक मुख्य आधार बन गया है। इसी पृष्ठभूमि में बैंकों का राष्ट्रीयकरण आया। और इस नीति पर चल कर देश को आगे बढ़ाने का यह जो स्वप्न है वह उन नीतियों का फल है जो अब तक देश की समस्याओं का हल करने में असमर्थ रही है, देश में जो भयंकर गत्याविरोध पैदा हो गया था उसको किसी हद तक बैंकों का राष्ट्रीयकरण स्वीकार करके मिटाया जा सकेगा, उसमें कुछ गति आयगी लेकिन इससे कोई यह उम्मीद करे कि गरीब की स्थिति ज्यादा सुधर जायगी यह असंभव है। उसके लिये तो और जो प्रोग्राम हैं उनके लिय भी कदम उठाने पड़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस रूप में मैं समझता हूं यह जनवादी आन्दोलन की कामयाबी है। मजदर, किसान, मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदार, अध्यापक इन तमाम लोगों को जो हमेशा नये प्रोग्राम के समर्थक रह हैं, जो हमेशा से स वारे मे लड़ते आये हैं जो संगठन के जरिये हमेशा इस वात को मनवाने पर जोर देते रहे हैं। यह आज उनकी विजय है। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने यह कदम उठाया है, उसको बड़ा व्यापक समर्थन देश की जनता से मिला है। इस कदम से गरीबों की गरीबी दूर हो जायगी, या बेकारी खत्म हो जायगी, या महंगाई खत्म हो जायगी यह मानना भूल है। यह दिशा परिवर्तन का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

संकेत अवश्य है अगर इसी प्रकार से कदम उठाते रहे तो देश में बदलाव होगा और वह आम जनता के लिये शुभ संकेत होगा।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कदम से अब लोगों में यह विश्वास पैदा होगा कि हमने अपनी शक्ति के जरिये बैंकों के राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाने के लिये मजबूर किया, अब इस नीति को सही दिशा में लेजाने के लिये उस पैसे का बटवारा गरीब और सामान्य धन्धे वाले लोगों में लगाने के लिये प्रेरित करें और यह अब संभव भी है इसलिये मैं मानता हूं कि जो तमाम प्रोग्रेसिव शक्तियां हैं उनको इस कदम को इस रूप में, दिशा में परिवर्तन मानकर, तमाम शक्तियां इकट्ठी होकर प्राइम मिनिस्टर माने या न माने आगे चलकर हो सकता है उनमें कमजोरी भी आजाय, हमें आम जनता की ताकत को बनाये रखना है ताकि हम देश को उस मंजिल तक पहुंचा सकें जिसके लिये हमेशा से संघर्ष करते आये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में जो कन्जरवेटिव ख्यालात हैं जैसे महारावल साहब ने कहा डिपोजिटर्स का क्या होगा, उनका पैसा यदि ऐसे लोगों को दे दिया जायगा जिनकी कोई सिक्यूरिटी नहीं तो वह पैसा डूब जायगा। मैं समझता हूं आज भी बैंकों को गवर्नमेंट की गारन्टी है। इन्डीवीज्युअल्स को सरकार द्वारा बड़ी बड़ी गारन्टी दी हुई है। मुझे आज आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि जब एक इण्डस्ट्रियलिस्ट मोनोपेलिस्ट की गारन्टी का सवाल आता है तो उसके लिये गवर्नमेन्ट की गारन्टी होती है और उस बिना पर वह अपने शेयर की केपीटल वेल्यू बढ़ाता है। और जब वे सारी की सारी चीजें गवर्नमेन्ट के हाथ में जावें तो डिपोजिटरों को डराने के लिये कहने लगें कि तुम्हारा पैसा खतरे में है। मसानी की भाषा में और महारावल साहब की भाषा में बुनियादी रूप में अन्तर नहीं वह कहने लगे कि गवर्नमेन्ट के हाथ में पैसा आगया तो वे ऐसों को देदेंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पैसा मारा जावेगा। इसलिये तुम अपना पैसा निकाल लो।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट हाथों में बैंक आये तो बैंक फेल हुए कई और वे इसलिए नहीं हुए कि पैसा किन्हीं गरीबों को दे दिया बल्कि इसलिए हुए कि बड़े बड़े इजारेदारों ने अपने स्वार्थ के लिये बैंक के डिपोजिट को अपने काम में इस्तेमाल किया। बिरलाजी के कुछ बैंक हैं, कुछ बीमा कम्पनियां है, न्यू एशियाटिक इन्श्योरेन्स कम्पनी है, रूबी कम्पनी है। एक टैक्सटाइल मिल में कुछ सामान इन्श्योरेन्स कराया हुआ था अपनी ही बीमा कम्पनियों में यह कह कर कि इसमें हजार बैल हैं और बैल एक भी नहीं। उस गोदाम को आग लगा दी जाती है। दस लाख का इन्श्योरेन्स था। न्यू एशियाटिक कम्पनी में रूबी कम्पनी में एक जगह जी० डी० बिरला बैठे हैं और दूसरी टैक्सटाइल मिल में दूसरे बिरला बैठे हैं। एक बिरला क्लेम करता है और दूसरा उसे मंजूर करता है। इस तरह से लोगों के फण्ड के साथ धोखा धड़ी हुई है। तो असली दर्द तो इन लोगों को यह है कि वह धोखा धड़ी अब नहीं हो सकेगी। जो 420 की बात थी, उनके पैसे पर कब्जा करके उसे लूटा जाता था वह अब सम्भव नहीं हो सकेगा।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक बहुत परटीनेन्ट क्वेश्चन रामकिशन जी ने पोज किया था। महारावल साहब ने जवाब नहीं दिया था और हमारे जनसंघ के नेता भैरोंसिहजी जब जवाब देंगे तो जैसी उनकी आदत है फेन्स पर चलने की, वह वही करेंगे। मुख्य बात तो यह है कि इकोनोमिक कण्डीशन देश की ऐसी है कि जो विकास चाहती है। दूसरे देशों के मुक़ाबले में हम भी खड़े होना चाहते हैं इण्डस्ट्री, डिफ़ेन्स, एग्रीकल्चर और एजूकेशन सब मानों में और दूसरी तरफ अनएम्पलोयमेन्ट को खतम करना चाहते हैं। आपकी क्या योजनाएँ हैं ? आप इसके लिये क्या रिसोर्सेज मोबिलाइज करेंगे। कहां से ये सारे रिसोर्सेज आवेंगे ? कैसे यह सारी महंगाई दूर होगी, अनएम्पलोयमेन्ट दूर होगा। केवल भ्रष्टाचार के पीछे पड़ने से ही यह सारी बातें दूर नहीं हो सकतीं। भ्रष्टाचार भी दूर करना जरूरी है। पर अगर आपके पास बुनियादी प्लान नहीं हैं, आर्थिक बुनियादी चीज ही नहीं पकड़ेंगे तब तक इन सारी बुराईयों को दूर नहीं कर सकते।

तो मेरी मान्यता है कि जो नेशनेलाइजेशन के खिलाफ़ कहने वाले लोग हैं चाहे वे डिपोजिटर्स की आड़ में कहें चाहे इस नाम से कहें कि देश में भ्रष्टाचार फैल जावेगा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो यह बैंकों के पास पैसा था, डिपोजिट था 27 अरब वह किस तरह से इस्तेमाल किया। कुछ लोगों ने इस सारे पैसे का अपने स्वार्थ के लिये इस्तेमाल किया। इससे बड़ा शोषण और भ्रष्टाचार और क्या होगा। चाहे आप उसे ब्लैक मार्केट कह दो, चाहे तस्कर व्यापार कह दो, चाहे मुनाफा कह दो। जो भी अनअर्न्ड इन्कम है—बगर मेहनत का कमाया पैसा है वह सारा का सारा भ्रष्टाचार है—ब्लैक मार्केट है। इसकी शक्ल दूसरी हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि जो पब्लिक सैक्टर और नेशनेलाइजेशन बैंकों के बारे में कहा गया उस पर भी निवेदन करूंगा। उनकी सफलता और असफलता को उनकी बैलेन्स शीट से नहीं आंकना चाहिये कि एक साल के आखिर में देख कि कितने रुपयों का नैट प्रोफिट रहा। अगर सोशियल एम आप सामने लेकर चलते हैं और गांवों तक बैंकों को ले जाना चाहते हैं सामान्य से सामान्य आदमी को, रिक्शा वालों को रिक्शा चलाने के लिये, खरीदने के लिये पैसा थोड़ा मिल जाय और 250 रुपया उसको महीने का इन्वेस्टर को देना न पड़े, छोटे से किसान को पैसा मिले जो दूसरों की जमीन लेकर काश्त करते हैं उन किसानों को पैसा मिले, सस्ते ब्याज पर मिले तो हमारा उद्देश्य सफल हो सकेगा। इसमें यह भी हो सकता कि हमारा कुछ रुपया डूब जावे। पर आखिर जनता की सरकार के कुछ सोशियल ओब्जेक्टिव्ज होंगे। आपको नैट प्रोफिट कम भी आवे या कभी थोड़ा बहुत लौस भी आवे तो चिन्ता नहीं करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमेशा से फोरलोर्न रहा है और समाज का सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग है जो प्रोडक्शन कर सकता है उनको नीग्लेक्ट करके कुछ लोगों को शोषण के साधन जुटाने का रास्ता देते हैं तो उनको बन्द करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो महत्वपूर्ण बात इन बैंकों के नेशनेलाइजेशन ने राजनैतिक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
ग्रुपों में की है, देश में राजनैतिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया उसने शुरू करदी है वह ठोस रूप में सामने आई है। जो लोग कोई न कोई किसी न किसी किस्म का परदा उठाकर किसी भी प्रगतिशीलता की बात कहते थे आज उनका मुखोटा (चेहरा) सामने आने लगा है। और मैं समझता हूं जो ऐसे लोगों में कांग्रेस में उनको ज्यादा खुलकर दिल खोलकर इस बात के बारे में निर्णय करना पड़ेगा। जैसे महारावल साहब ने कहा कि देश में राजनैतिक पोलेराइजेशन से बहुत खतरा होगा। कांग्रेस में पोलेराइजेशन नहीं होना चाहिये। तो मैं समझता हूं कि यह पोलेराइजेशन की प्रक्रिया हुई है उससे आज मोनोपोली कैपिटल वाले घबरा गये हैं। आज उनको कांग्रेस अपने साथ में नजर आ रही है, कांग्रेस उनको आज बढ़िया लग रही है कि उसमें सोशलिज्म का नारा ऊपर से लगाते रहेंगे पर मुरारजी भाई उसमें रहें वे अमल उस पर नहीं होने दें। ऐसी कांग्रेस अमर हो यह महारावल साहब कहना चाहते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं किसी व्यक्ति के लिये नहीं कहता हूं। मेरी तरफ से मुरारजी भाई रहें या न रहें। मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुछ मोनोपोली कैपिटल से कम्प्रोमाइज करके चल सकें ऐसे आदमी मोरारजी भाई से उनको दिक्कत नहीं है। जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बदले सोशल कन्ट्रोल तक जा सकते हैं। उसका आप भी समर्थन कर सकते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने राष्ट्रीयकरण का सैद्धान्तिक रूप से विरोध नहीं किया है।

श्री रामकिशन : समर्थन किया है आपने तो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : समर्थन भी नहीं किया। पर मैं तटस्थ नीति मध्यम मार्ग अपनाता हूं। या तो ऐसा कदम आगे बढ़ावें कि उससे नुकसान न हो। अगर वह सफल होता है तो उसका स्वागत है। पर अगर उसमें आपाधापी होती है और डिपोजिटर का पैसा मन्त्री और कांग्रेसी नेता मिलकर खा जाते हैं तो दिक्कत है।

श्री रामकिशन : उनका इलाज तो हम कर देंगे।

श्री हीराभाई : आप अपने आप बनने की कोशिश करें। हिम्मत से आगे बढ़ें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं महारावल साहब की इस राय से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं कि इस प्रणाली में परिवर्तन से या कांग्रेस में पोलेराइजेशन से या देश में जो हो रहा है उससे खतरा बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि देश की कांग्रेस में आज वे सब लक्षण मौजूद हैं जो सड़ांध में फंसी है। एक इन्सेफ्किट पोजीशन में फंसी हैं। जिससे निकालने से ही देश आगे बढ़ सकेगा। मैं आज कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप अगर सीरियस हैं तो इस बैंकों के नेशनेलाइजेशन के साथ साथ आप इसको मजबूत करने के लिये और भी इस बारह कदम उठावें। आज आपको यह देखना होगा। आप अपने चेहरों को देखें। टटोलें। जो बकों की सोशियलाइजेशन की स्थिति

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बनी वही यहां सीलिंग की स्थिति है। काफी अरसे से सीलिंग के लिये आपके भी लोग चिल्ला रहे हैं। सत्याग्रह की भी धमकी दी और कांग्रेस ने भी फौरन घोषणा की कि हम इसे लागू करेंगे। 90 स्टेण्डर्ड एकड़ से इसे लागू करेंगे। वही सोशल कन्ट्रोल वाली बात इसमें भी आपने कही। वही धोखा देने वाली बात आपने की। अगर जमीन बढ़ती है तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को पैसे वालों को, अगर रुपया बढ़ता है तो बड़े बड़े लोगों को। बिजली बटती है तो बड़े बड़े लोगों को, डी० सी० एम० को आप तीन पैसे में देंगे और हमारे लिये 25 पैसा होगा। आज अगर बड़ा सिंडीकेट दिल्ली में बैठा है तो छोटे छोटे सिंडीकेट सारे राज्यों में बैठे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : आपका तीस मिनट हो चुका।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जैसे रामकिशन जी ने कहा कि हमें पुराने सामाजिक सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। तै करना पड़ेगा कि देश बढ़ा है या दौलत बढ़ी है। तो इन सारे मामलों में ईमानदारी से कदम बढ़ाने पड़ेंगे। मुरारजी देसाई को निकाला जा सकता है जो कन्ट्रोल की बात कहकर इस रिफार्म को रोकते थे। आप उनको पकड़कर निकालिये जो सीलिंग लागू नहीं करने देते हैं, जो लन्ड रिफ़ार्म को रोकते हैं, जिनमे बकाया है उनसे वसूली नहीं होती है। महाराजा जोधपुर में 7 लाख बाकी रह गये—वसूली नहीं कर पाये, सीमेंट फैक्टरी से बकाया वसूल नहीं कर पाये, बिड़लाजी को सहूलियतें दें। अब चिकनी-चुपड़ी बातें नहीं होंगी इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा—पीछे हटेगा। सैन्टर में कालोनाइजेशन की बात हुई अभी मुख्य मंत्री जी नहीं हैं। भैरोंसिह जी ने कहा वर्किंग कमेटी में नहीं गये—को ही शायद साईन करना पड़े। वह तो अवसरवादी हैं... ......

श्री रामकिशन : बगैर नीति वाले हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस को सिन्सयरली इस प्रोग्राम में चलना है, कोलोनाइजेशन करना होगा जो सिन्डीकेट के साथ हैं वह सिन्डीकेट के साथ रहें और जो सोशलिज्म को खुले रूप में लाना चाहते हैं वह लाय......

(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मेरा भी नाम है, मेरा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम ले लिया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मेरा प्रस्ताव पहले है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, लोगों ने कांग्रेस की प्रशंसा की मैंने कई बार कहा हमने यह कदम उठाया है तो यह नहीं समझ लिया है कि हम समाजवाद की ओर पूरे पहुंच गये हैं। हमारी प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि राष्ट्रीयकरण करके यह नहीं समझ लिया है कि हम रुक गये हैं। हम तो बराबर चलते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो बराबर राष्ट्रीयकरण की बात करके जो बहाना ले रहे हैं कांग्रेस ने

(श्री मूलचन्द डागा)

जो कदम उठाया है यह उन पार्टियों पर तमाचा है । जो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस को हटावो और देश को बचावो उन्हें मालूम होना चाहिये कि आने वाले समय में कांग्रेस हिन्दस्तान से अलग होती है तो हिन्दुस्तान और पीछे चला जायगा । 20 साल में हिन्दुस्तान योजनाओं के आधार पर, अपनी नीतियों के आधार पर, अपने सिद्धान्तों के आधार पर आगे बढ़ा है । योजनायें जैसे जैसे आगे बढ़ी हैं वसे वैसे देश आगे बढ़ा है, कांग्रेस आगे बढ़ी है । जो प्रिविपर्स का सवाल ले रखा है, उसको भी कांग्रेस को हल करना है । कांग्रेस ने जागीरदारी खत्म की, राजा-महाराजाओं को खत्म किया और भी जो क्रान्तिकारी कदम कांग्रेस ने उठाये हैं उनकी सराहना करनी चाहिये थी । राष्ट्रीयकरण के नाम पर प्रस्ताव लाकर कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना जरूरी है, कांग्रस ने अपने 10 सूची कार्यक्रम में पहले ही योजना रखी थी । किसान को ऊंचा उठाना है, मजदूरों को ऊंचा उठाना है और इन सबको एक मजबूती से कदम उठाकर करना है । हमने पुंजीपतियों को खत्म किया है या नहीं किया है लेकिन उन भाइयों से पूछो जो प्रिवि पर्स के आने पर चुप रहे । हिन्दुस्तान में कांग्रेस वालों ने यह कब चाहा था कि पूंजीवाद को खत्म करना है । गान्धी जी ने कहा था कि पूंजी-पतियों को ट्रस्टी के रूप में रखना चाहते हैं । जो लोग ऊपर मीनार पर उठ हुये थे, उनको नीचे की ओर धकेलने के बजाय, उनका परा हृदय परिवर्तन करके हम लाये हैं, ऐसे ही नहीं लाये हैं । हमें मालूम नहीं है कि इस प्रकार कोई पार्टी नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करें । कई बार लोग सूरमा बनना चाहते हैं, काम कोई ओर करें और कहें कि हमने इस प्रकार की परिस्थितियां बनाई थीं । केरल प्रदेश का सत्तारूढ़ दल देश के अन्दर नया संविधान बनाना चाहता है । आप बनाने से पहले अपने दिल को टटोलें । राष्ट्रीयकरण का कदम कोई उठाये और कहते हैं हमने ऐसी परिस्थितियां पैदा की । बंगाल में पुलिस के लोग एम० एलएज० पर हमला करने आये । देश का संविधान कहीं रखा है कहते हैं मजदूरों की शक्ति है ।

(4.55 म० प०)

(श्री रामनायण चौधरी, सभापति-पदासीन)

कांग्रेस का मजबूत कदम इस बात को बर्दाश्त नहीं करता । कांग्रेस तटस्थ नीति लेकर संसार में हिन्दुस्तान का एक नक्शा बनाना चाहती है । हिन्दुस्तान संसार में अपना स्थान रखता है । कांग्रेस न कभी अमेरिका के पीछे रही और न कभी रूस के पीछे रही । कांग्रेस ने तटस्थ रहकर अपने देश को आगे बढ़ाया है ।

(श्री विजयसिंह के खड़े होने पर)

आप घबरायें नहीं । 20 साल हो गये, जमाना बदल गया और बदलना चाहते हैं । 20 साल में राजा-महाराजाओं का हृदय परिवर्तन हो जाय और कहने लगें हम प्रिवि-पर्स नहीं चाहते । राजा-महाराजाओं को हम अपने तरीके से, अपने सुझावों से समझायगे । लेकिन इस प्रकार की बातें कांग्रेस नहीं करना चाहती है जो कि दूसरी पार्टियां सबक दें । क्या हालत हुई है बिहार में ? कहां गई भोला पासवान की सरकार ? देश में नई बातें पैदा कर दीं । देश के लिये संकट की घड़ियां पैदा कर दीं । कांग्रेस

(श्री मूलचन्द डागा)

एक ऐसी संस्था है जो देश को आगे बढ़ा सकती है। राष्ट्रीयकरण का कदम हमने रखा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया उसका एक कारण है लाजमी तौर पर हमको यह कदम उठाना चाहिये था, लेकिन आपके दिमाग में कई बातें आईं। कभी आप कुछ बातें कहना चाहते हैं और कभी कुछ। इसके बहाने चुनाव की बात करनी शुरू कर दी। राष्ट्रपति का चुनाव एक चीज है और राष्ट्रीयकरण क अलग चीज है। लेकिन लोगों ने एक दूसरे के साथ इसको जोड़ दिया है यह गलत बात है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने यह कदम उठाया, राष्ट्रीयकरण किया जो जरूरी है और मैं खुद इसको जरूरी मानता हूं मेरे पास आंकड़े हैं वह बताना चाहता हुं। ऋण नीति में हम परिवर्तन लाना चाहते हैं और ऋण नीति के कारण जो पहले थी उसके आधार पर...

श्री रामकिशन : कौनसा अखबार है ?

श्री मूलचन्द डागा : यह आपका अखबार है, आपको मुफीद है।

श्री रामकिशन : पूछ रहा हूं कौनसा है ?

श्री मूलचन्द डागा : यह सर्वेक्षण से मालूम हुआ है कि किसान को जो पूंजी दी जाती थी उन्होंने बताया इसमें कई गड़बड़िया हैं....

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : इस सम्बन्ध में जो आंकड़े हैं वे सारे आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार सारी पूंजी का उपयोग होता था। उन्होंने यहां तक बताया कि कृषि को जो पूंजी मिलती थी वह ठीक नहीं थी। जब यह राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव आया तो जनसंघ ने, स्वतन्त्र पार्टी ने डटकर विरोध किया। पार्लियामेंट में काफी विवाद चला। अखबारों में भी विवरण आया। आप जानते हैं कांग्रेस द्वारा जो कदम उठाया जाता है वह उससे पीछे नहीं जाती है।

(अश्रव्य)

स्वतन्त्र पार्टी का तो अब सवाल ही नहीं रहा..........

(5 म० प०)

जनसंघ के भाईयों ने, मसानीजी ने, सुप्रिम कोर्ट के दरवाजे खटखटाये और न जाने वह क्या करना चाहते थे। वह चाहते थे कि पूंजीवाद कायम रहे हिन्दुस्तान में। कांग्रेस का पहला ध्येय था कि हम समाजवाद ऐसा लाना चाहते हैं जिसमें देश की सारी दौलत का बंटवारा उपयोगी ढग से किया जाये और देश को गरीबी से ऊंचा लाया जाये और आज वह ऊंचे आये हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तजी से कदम उठाया जाये। पाकिस्तान और चीन के हमले, देश में और प्रकार की बातें उनको देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण का काम कांग्रेस का कोई पहला या अंतिम कदम नहीं है। यह कांग्रस रुकी नहीं है, अभी और भी कदम उठगे। कांग्रेस प्रिविपर्स के मामले में जागरूक है, दूसरे मामलों म जागरूक है और हम चाहते हैं कि जो आई० ए० एस० आफिसर्स हैं उनकी आयु भी नहीं बढ़ाई जाये और उनको भी 55 पर सेवा मुक्त किया

(श्री मूलचन्द डागा)

जाये। तो कांग्रेस ने जो कदम बढ़ाया है वह आगे बढ़ रहा है लेकिन हमारी योजनाओं में गलत ढंग से खर्च हुआ। मैं कहता हूं कि आप दावे के साथ कहें कि आपकी सरकारें बनीं उनका क्या फैसला हुआ। तो जो कांग्रेस ने राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया और जो विरोधी भाईयों ने स्वागत किया है मेरा इतना कहना है कि वह कहीं और बात न कहने लग जायें, कहीं हमारे ही घर को फोड़ने की कोशिश न करें......

श्री विजयसिंह (मकराना) : शीशमहल है आपका।

श्री मूलचन्द डागा : जो राष्ट्रीयकरण हुआ वह अच्छा कदम है लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस नहीं मानती है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से ही हमारा आखिरी कदम हो गया, बल्कि जो बहुत से कदम उठाने हैं उनमें से यह एक है...

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : ज्यादा कदम नहीं रखें क्योंकि यह ठीक नहीं है। बहुत अच्छे कदम रखे हैं यही रख दें तो अच्छा है नहीं तो बहुत बुरा नतीजा निकलेगा।

श्री मूलचन्द डागा : अभी तो गंगानगर में भूमि है उसका भी आयगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : सीलिंग लागू कीजिए। आपकी क्या ताकत है कि आप सीलिंग लागू करें।

श्री मूलचन्द डागा : तो हमें एक बात करनी है, सभापति महोदय, कि जो मोशन रखा है उसका यह मतलब नहीं लिया जावे कि कांग्रेस का यह एक कदम है। हम तो इसके और भी आगे जायेंगे – बैंक के बोर्ड बनेंगे उसमें किसानों का प्रतिनिधित्व होगा, मजदूरों का प्रतिनिधित्व होगा, छोटे छोटे कुओं वालों का प्रतिनिधित्व होगा। यह बड़े बड़े सेठ, जमींदार इन लोगों के गलों पर क्या बीत रही है यह जानें। इनको हमने बहुत समय दिया था। 20 साल का समय दिया था कि तुम गांधीजी की नीति को समझ लो लेकिन इन्होंने नहीं समझा और कांग्रेस की सही नीति का दुरुपयोग करने की कोशिश की। कांग्रेस सही मार्ग पर चलने वाली है। देश में कांग्रेस रहती है तो देश रहता है अन्यथा दूसरी पार्टियों से कोई आशा और उम्मीद नहीं कि वह देश को आगे बढ़ा सकें। देश को वे आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): सभापति महोदय, बैंक के राष्ट्रीयकरण करने का जो कदम उठाया गया है उसका हम स्वागत करते हैं और जिस साहस के साथ प्रधान मंत्रीजी इसको अमल में लाई उसके लिए मैं उनकी बहादुरी की सराहना करती हूं और एक इतने आवश्यक मुद्दे को और मौजूदा हालत में जिस तरह से उन्होंने रखा—हमारी महिला प्रधान मंत्री ने रखा, एक महिला होने के नाते, मैं अपने आपको गौरवान्वित भी महसूस करती हूं।

सभापति महोदय, जैसा अभी विरोधी दल के नेता ने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ मानो अचानक बिजली गिर गयी हो। यह बिजली गिरने वाली बात नहीं है। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि सन् 1933 में जब करांची में कांग्रेस का

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

अधिवेशन हुआ तो उसमें यह पास किया गया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। बल्कि इसके साथ में यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि गांधीजी का कहना था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये और उनका मुआवजा भी नहीं दिया जाये। उस समय यह मुआवजा नहीं देने की बात भी थी लेकिन अब मुआवजे के साथ कांग्रेस ने राष्ट्रीयकरण किया है। चाहे आप गांधीजी के सिद्धान्तों से दूर हटना कह दीजिए या फिर मौजूदा सरकार की कमजोरी समझें। आप चाहें जो भी समझें लेकिन यह बिजली गिरने वाली बात नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी इससे कमिटेड थी। हम कह सकते हैं कि इसको लागू करने में बहुत ज्यादा समय लगाया गया है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता इसलिए और भी ज्यादा हो गयी कि जब हमने पहली योजना ली तो वह तेजी के साथ चली। उसके बाद में दूसरी योजना आई और उसकी गति बराबर धीमी पड़ती चली गयी। इस योजना में हमारे विकास के बहुत से कार्य रुक गये। सरकार को सोचना पड़ा कि इन कार्यों के रुकने का क्या कारण है। उन्होंने उसके बाद में अपनी अर्थ नीति के ऊपर विचार किया। कई कमेटियां बैठाने के बाद सरकार की समझ में आया और उसने सोचा कि धन जो हमारा है वह कुछ ही परिवारों में पहुंच गया है। देश में मोनोपोलिस्ट्स बढ़ गये हैं, जिस तरीके से लाइसेन्स दिये जाते रहे हैं उसमें नीतियों में गलतियां रही हैं। इन सारी बातों को देखते हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया गया क्योंकि हमारे देश में इन बैंकों के नीचे करीब 27 अरब रुपयों की धनराशि जमा थी। आज हमें देश का विकास करना है, हमें उद्योग खोलने हैं, उद्योगों को आगे बढ़ाना है, किसानों को रोटी देनी है, मजदूरों की गरीबी को दूर करना है और देश को मंजिल-ब-मंजिल आगे बढ़ाना है और उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है और जब बैंकों के पास इतनी बड़ी राशि 27 अरब रुपये की थी तो उस राशि को हमारे अपने विकास के कामों में, देश की गति को आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं खर्च किया जाये। अभी तक इतनी बड़ी विशाल धनराशि जो बैंकों में जमा थी वह कुछ थोड़े से परिवारों के हाथ में थी उसका उपयोग किस प्रकार से होता था वह आप सब जानते हैं। वह राष्ट्र के हित में नहीं होता था. देश की आम जनता को इसका फायदा नहीं पहुंचता था और यह रकम सट्टे में लगती थी और उससे उन चन्द परिवारों की आमदनी बढ़ती थी और दूसरा सबसे बड़ा हमारे देश के अहित में एक काम हो रहा था कि बैंकों से रुपया लेकर व्यापारी लोग उन चीजों का स्टाक करते थे और उसकी वजह से हमारे देश में मंहगाई बढ़ती थी और मंहगाई खास करके खाने के पदार्थों में इतनी बढ़ी कि हम सब जानते हैं। वैसे सभी चीजों में मंहगाई बढ़ी है पर खास करके खाने की चीजों में इतनी मंहगाई बढ़ी कि उन्होंने अनुचित लाभ उठाया और उसकी सारी जिम्मेदारी बैंकों पर थी। अगर बैंक रुपया उधार नहीं देते और उनको पैसा नहीं मिलता तो वह स्टाक में चीजों को नहीं रखते और मंहगाई नहीं बढ़ती और इतनी देर तक खाद्य सामग्री को रोककर रखना उनके बूते की बात नहीं थी। हालांकि जनता की डिपोजिट का रुपया था और जनता के अहित में लगाया जा रहा था इसे जनता ही से

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

खोसा जा रहा था और उसी को लूटा जा रहा था। एक तो बैंक से सबसे बड़ा नुकसान इसलिए हो रहा है। इसलिए इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो जो कृत्रिम मंहगाई बढ़ी है वह नहीं बढ़ेगी।

बीच में जब सामाजीकरण किया गया तो यह नियम लागू किया गया था कि बैंक खाने की चीजों पर या अनाज के लिए रुपया नहीं देगी ताकि व्यापारी लोग खाने की चीजों को इकट्ठी करके अनुचित लाभ न कमा सकें। लेकिन हुआ क्या कि जैसे शक्कर है, डालडा है उनके ऊपर बैंकों से रुपया लेकर व्यापारियों ने उनका स्टाक कर लिया और उसके कारण मंहगाई दिन-ब-दिन बढ़ती गयी। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने से हमें एक फायदा यह मिला कि इस तरह से उनके पास सामान स्टाक करने की बात नहीं रहेगी और बाजार में सामान सस्ता होगा। इसी तरह से जब सामाजीकरण किया गया तो एक शर्त यह भी रखी गयी कि कम से कम दो परसेन्ट रुपया उन किसानों को दिया जाना चाहिए जिससे कि उनकी खेती की आमदनी बढ़ाई जा सके, उनको बीज मिल सके, खाद मिल सके और छोटे किसानों को फायदा पहुंचाया जाये। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि बैंकों के प्राइवेट लोगों के हाथों में जाने की वजह से उन्होंने आंकड़े तो पेश कर दिये कि 2 परसेन्ट रुपया किसानों के लिए खर्च किया गया लेकिन जब व्यवहारिक रूप से देखते हैं तो सामने वही तस्वीर नजर आती है कि यह रुपया छोटे किसानों को नहीं दिया गया और उन किसानों को नहीं दिया गया जिनको रुपये की जरूरत थी और वह जो 2 परसेन्ट रुपया था वह उन लोगों को मिला जिनके पास पैसा पहले ही था, बड़े बड़े फार्म थे, उन्हीं लोगों को मिला जो कि पूंजीपति वर्ग के थे। आज बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने की वजह से हमारा उद्देश्य यह रहेगा कि यह रुपया खेती की उन्नति के लिए लगाया जाये, छोटे छोटे व्यापारियों को दिया जाये ताकि वह रुपया लेकर उद्योग करें और उस उद्योग को आगे बढ़ाये और हमारे समाज में जो बेकारी फैल रही है, उन बेकारों को रोजी मिल सके, यह हमारा उद्देश्य रहेगा।

दूसरे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने में सबसे बड़ी सफलता तब मिलती है कि जब सरकार इस नजर से देखे कि हम लोग किस कारखाने को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, देश को इस समय किस चीज से क्या मिलता है। जब तक प्राइवेट बैंक में रुपया था वह इस नजर से नहीं सोचते थे कि आज हमको स्कूटर बनाने के कारखाने की जरूरत है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को रुपया दिया जाये जो कि स्कूटर बनाये या ऐसी चीजों का उत्पादन किया जाये जिससे कि आम जनता की तकलीफों को दूर किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद इस तरह से रुपया दिया गया जिससे यह नहीं पनप सके। इस तरह से रुपया लगाया जाना चाहिये था जिससे कि अन्न का उत्पादन बढ़ता लेकिन बैंक वाले अपनी ही नजर से सोचते थे। उनका तरीका अपने बैंकों की आमदनी अधिक से अधिक बढ़ाने का होता था। उनको जनता के लाभ और नुकसान की परवाह नहीं थी। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य यह है कि रुपया किस चीज में खर्च किया जाना चाहिये, कौन सी चीज को प्रायोरिटी दी जानी चाहिये जिससे कि अधिक से अधिक जनता का हित हो तभी उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने में

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

हमें सफलता मिल सकती है और असली लाभ हमें तभी मिल सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो कई तरह के एतराज उठाये गये। उनमें से कोई कोई एतराज ठीक भी है। कई ऐसे हैं कि जब किसी व्यक्ति के अपने स्वार्थ के ऊपर, अपने नफे के ऊपर चोट लगती है तो कुदरती बात है कि इन्सान तिलमिला उठता है। जब किसी के पास से रुपया निकलता है तो उसको चोट लगती है और खास तौर से जो बैंकों के लिए एतराज किया जा रहा है वह दो तीन इन विरोध करने वाले लोगों के एतराज हैं। एक तो यह है कि जैसा कि अभी विरोधी दल के नेता ने कहा था कि यह जो डिपोजिटर्स के रुपये हैं, जो बैंक में जमा हैं सरकार इनको किस तरह से इनवेस्ट करे। यह रुपया डूब जायगा और डिपोजिटर्स को नुकसान उठाना पड़ेगा। सभापति महोदय, इसका उत्तर तो बहुत ही साधारण है। किसी रुपये की जिम्मेदारी एक मामूली सा सेठ लेता है वह ज्यादा भरोसेमन्द है या एक मुल्क की सरकार ज्यादा भरोसेमन्द है? यह जो छोटे छोटे बैंक हैं जो कि प्राईवेट सैक्टर में थे क्या हमने इन बैंकों का दिवाला निकलते नहीं देखा? मैंने देखा है। लेकिन क्या राज्य सरकार ने छोटे छोटे बोण्ड्स में हो या दूसरी स्कीम हो आज तक क्या कभी उन लोगों को रुपया देने से मना किया है? यह तो रिजर्व बैंक का नियन्त्रण होने के बाद पिछले कुछ वर्षों में बैंकों ने दिवाला नहीं निकाला, नहीं तो पहले सी उद्देश्य को लेकर बैंकों की स्थापना होती थी कि रुपया इकट्ठा करो और दिवाला निकालो। इसलिए जो डिपोजिटर्स की बात कही जाती है वह गलत बात है। यह तो आम जनता में भ्रम फैलाने की बात है। इस तरह के भ्रामक प्रचार करके उनके दिमाग में इस तरह की बात बैठाई जाती हैं, यह गलत है।

दूसरी दलील जो दी है उसमें वजन है कि बैंकों का काम सुचारु रूप से नहीं चलेगा क्योंकि आज तक जितने भी स्टेट अण्डरटेकिंग्स हैं वह इतने अच्छे ढंग से नहीं चलाये जा रहे हैं। एल० आई० सी० में भी जो फायदा होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। उनके इस एतराज में मैं मानती हूं निस्संदेह कुछ वजन है। आज तक हमें यह मानने में संकोच नहीं है कि जो हमारे पब्लिक अण्डरटेकिंग्स चल रहे हैं उनमें हमें पूरी सफलता नहीं मिली है, लेकिन, सभापति महोदय, इसके साथ-साथ यह भी है कि यदि ये सफलतापूर्वक नहीं चले तो क्या प्राईवेट सेक्टर की जो संस्थाएं हैं उनमें खराबियां नहीं हैं? अगर उनमें अपने तरह की खराबियां हैं तो प्राईवेट सेक्टर में अपनी तरह की खराबियां हैं।

दूसरा सवाल यह है कि जब स्टेट अण्डरटेकिंग्स में इस तरह की चीजें ली जायेंगी तो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में ऐसी संस्थाओं को हानि होगी तो सरकार इसके लिए खुद सोचेगी कि इनके नियमों में रद्दोबदल किये जायें। अगर सरकार नहीं करेगी तो आम जनता के साथ इनका सीधा तअल्लुक होने की वजह से जनता का दबाव पड़ेगा और जनता आवाज उठायगी....

श्री जयनारायण सालोदिया: जनता का डंडा पड़ेगा।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत: तो आगे जाकर उनको रद्दोबदल और तब्दीलियां

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

करनी पड़ेगी। लेकिन इससे प्राइवेट सेक्टर की जो पूंजी थी कुछ लोगों के हाथ में वह उन लोगों के हाथ से निकलकर आज जनता की सम्पत्ति बन गई है। यह ठीक है कि इसका सुचारू रूप से काम होना चाहिए और यह जरूरी भी है। हमें इसमें सुधार करना चाहिये। अगर डरते रहे तो कैसे काम चलेगा। पानी में उतरने से कोई आदमी यदि डरता रहे तो वह तैरना नहीं सीख सकता है। हां सकता है कि उसमें गलतियां होंगी तो उनमें सुधार किया जा सकता है। इसके साथ-साथ हमें यह सोचना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वे उसको फेल्योर करने के लिए, उसको असफल करने के लिए तरह तरह की चालबाजियां करेंगे। उनको शिकस्त देने के लिए तरह तरह की बातें की जायेंगी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरोध में जो मशीनरी है वह काफी काबिल है, होशियार हैं, सक्षम हैं, साधन सम्पन्न हैं। उनके द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। वे इस प्रकार का प्रचार कर सकते हैं कि जो रुपया डिपोजिट में रखा है उसको निकाल लिया जाय, और उस रुपये को निकालकर जो छोटी छोटी बैंकें हैं जिनका कि 50 करोड़ के नीचे की होने का वजह से राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है उनमें जमा करा दें, और बहुत मुमकिन है कि विदेशी बैंकों को जो खुला रखा है उनमें वह रुपया लगा दें। यह लेखे जोखे का मामला है वह कुछ ऐसा है कि जो लोग व्यवसायिक हैं वे इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि एक कलम के हेरफेर से लाखों का वारा न्यारा कर सकते हैं। अभी तक नहीं किया हो ऐसी बात नहीं है। स्टे ऑर्डर मिला था उसके बाद भी बहुत कुछ घोटाले हुए हैं। आगे जाकर इन संस्थाओं को फेल्यार करने के लिए ये लोग कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। सभापति महोदय, सरकार और देश की जनता के जागरूक आदमियों का यह फर्ज हो जाता है कि इनकी चालबाजियों से सावधान रहे। जिस रास्ते को हमने पकड़ा है उस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा।

दूसरी बात यह है कि अगर हमको राष्ट्रीयकरण के बाद जनता का सहयोग मिलता है, कर्मचारियों का सहयोग मिलता है, हमारे जन-नेताओं का सहयोग मिलता है, और गवर्नमेंट अपने कार्यों में सुधार करती है तो मैं सोचती हूं कि हमारे विफल होने में, अच्छी तरह से नहीं चल सकने में मुझे शंका की बात नजर नहीं आती है। आज जिस तरह से इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने की वजह से जनता में उत्साह आया है, मैं यह मानती हूं कि आम जनता इसकी बारीकियों को नहीं जानती है कि इसके पीछे क्या कायदा है, लेकिन आम हवा यह है कि यह जनता के हित में कदम उठाया गया है और जनता इससे बहुत खुश है कि जो इजारेदार बनकर बैठे थे उनको झटका लग रहा है। आज इस तरह की व्यवस्था हो चुकी है, आज जनता इस तरीके की तारीफ करती है, जनता चाहे इसकी बारीकियों को समझती है या नहीं, लेकिन वह सोचती है कि जो कुछ कदम उठाया गया है वह उनके हित में है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चूंकि आपने घंटी दे दी है इसलिए मैं ज्यादा निवेदन नहीं करके निवेदन करूंगी कि जो कदम प्रधान मंत्री ने उठाया है उसके लिए हम एक धन्यवाद प्रस्ताव पास करें।

श्री जुझारसिंह : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव बैंकों के राष्ट्रीयकरण का है उसका मैं स्वागत करता हूं, पर मूल प्रस्ताव पर मेरा निम्नांकित संशोधन है दूसरे वाक्य में शब्द "शीघ्र ही शेष बैंकों....किया जाय" के स्थान पर शब्द "शेष बैंकों का राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्य सफलता को देख कर ही किया जाय" । अभी जो मौजूदा राष्ट्रीयकरण हुआ है उसके वर्किंग को देखने के बाद व इसकी कामयाबी को देखते हुए आपको आगे का कदम उठाना चाहिए ।

यह जो राष्ट्रीयकरण किया गया है यह वास्तव में स्वागत योग्य चीज है, क्योंकि यह 1955 से जब से अवाड़ी अधिवेशन के बाद से सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का प्रस्ताव कांग्रेस ने एडोप्ट किया था उसका परिणाम है। सन् 1955 के बाद से उसका इतने सालों से अमल नहीं हो रहा था। किसी भी पार्टी के प्रोग्राम को चलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके आर्थिक साधन उस पार्टी के प्रोग्राम के अनुकूल हों। कांग्रेस ने वर्षों से, 18 वर्ष पहले से, अपनी नीति को सोशयेलिस्टिक पैटर्न घोषित किया है। लेकिन उनका रवैया जो है वह चन्द केपिटेलिस्ट मोनोपोलिस्ट लोगों के हाथ में हो गया है। जिसके लिए जिम्मेदार भी वही पार्टी है जो वर्षों से सोशयेलिस्टिक पैटर्न की दुहाई देती आ रही है ।

: सभापति महोदय, बैंक नेशनेलाइजेशन के बारे में तो तारीफ हो रही है। कई लोग उत्साह महसूस कर रहे हैं। उसमें हमारी पार्टी भी इस पालिसी से सहमत है। लेकिन सोचने की बात यह है व हमारा एक्सपीरिएन्स है कि जिस पार्टी ने राष्ट्रीयकरण किया है वह एकचुअल में क्या करेंगे इस पर सन्देह होने लगता है । यह सही है कि राष्ट्रीयकरण होने से इस सत्ताधारी पार्टी के हाथ में वे साधन आ जायेंगे जिनको यह पार्टी चलाने हेतु अपनी नीतियों को चाहती है । अगर इन पालिसीज को जारी किया गया तो जिन लोगों को, काश्तकारों को लोन लेने में दिक्कतें आ रही हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे वर्ग के आदमी हैं, जिन में उत्साह और लगन है, और जो फाइनेंशियल डिफीकल्टी की वजह से लोन नहीं ले पाते हैं उन्हें धन उपलब्ध हो सकेगा और वे अपनी तरक्की कर सकते हैं। उनके साधन खुलेंगे जिससे कि वह तरक्की कर सकेंगे । लेकिन देखने की बात यह है कि यह सब साधन खुल जाने के बाद में आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनके कार्यकाल में, हिन्दुस्तान आजाद हुआ है और जो पार्टी पिछले कई वर्षों से सत्ता में बैठी हुई है। जो सोशयेलिस्टिक पैटर्न की बात करती आ रही है । उनके कार्यकाल में जो मोनोपोलाइट ट्रेन्ड डेवलप हुए हैं वह उन्हीं के कारण हुआ है । उन्हीं के सत्ता में बैठे रहते हुए यह क्या गारंटी है कि अब यह ठीक हो जायगा। सभापति महोदय, राजस्थान में मेरा अनुभव है और हिन्दुस्तान का भी लोगों को अनुभव है कि कांग्रेस के कार्यकाल में इकोनोमिक इम्बैलेंस हुआ है । बहुत कुछ हमको भी उनके साथ बैठने का मौका मिला है। इन्होंने छोटे छोटे प्रोग्राम इनके चलाये हैं । करीब 8 करोड़ रुपया राजस्थान में, छोटे कामों में खर्च हुआ है। लेकिन उनमें से 604 लाख रुपया केवल उदयपुर डिवीजन में खर्च किया गया है । जितनी सारी दूसरी जगह खर्च नहीं हुआ है । इसी तरह से पावर की पोजीशन है । जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनका यह ट्रेन्ड है कि अपना अपना फायदा उठायेंगे जनता का फायदा होगा या नहीं

(श्री जुझारसिंह)

रीजन का ज्यादा फायदा होना चाहिए यह इनकी नीति रही है।

मैं निवेदन करूं कि मेरे क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई योजना है। जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा पावर देने की आवश्यकता है। आसानी से सिंचाई प्रोग्राम डेवलप किया जा सकता है। परन्तु जो 33 लिफ्ट योजनाएं राजस्थान में पावर से चलाई जा रही हैं जिनमें से 30 केवल उदयपुर में चल रही हैं। बाकी 3 योजनाएं बाकी पूरे राजस्थान में चल रही हैं। इन लिफ्ट योजनाओं को पावर से कनेक्ट कर दिया जाये तो लोगों को पूरा लाभ हो सकेगा। राजस्थान सरकार को प्रार्थना करने पर कि उसमें कोई न कोई कारण या अड़चन खड़ी हो जाती है। जहां पर मन्त्री का सवाल आता है, वहां हर प्रकार की सुविधा हो जाती है। उदयपुर का सवाल आता है वहां पर कोई अड़चन नहीं आती है। कोई सवाल नहीं आता है। वहां पर पावर भी दे देते हैं सिंचाई भी कर देते हैं। एक मील का डिस्टेंस वहां नहीं रहता है। स्कीम दस मील पर भी हो तो पावर दे देते हैं। वहां पर कोई नियम आपरेट नहीं होते। तो जब उनके हाथ में 27 सौ करोड़ का साधन उपलब्ध हो जाएगा। सभापति महोदय तो इन साधनों का यो क्या करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। हिन्दुस्तान के बैंकों से जो साधन हैं, उनका ईमानदारी से प्रोडक्शन बढ़ाने में, देश की तरक्की करने में, लोगों की तरक्की करने में ही काम में लेंगे तो हमें आपत्ति नहीं होगी लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? रोडवेज का नेशनलाइजेशन किया है। स्टील प्लान्ट का नेशनलाइजेशन या है और जो चीजें फायदे में चल रही थीं उनको भी घाटे में चलाना शुरू कर दिया है। इस बैंक-ग्राउन्ड में हर सैन्सेबिल आदमी को सोचने की जरूरत पड़ जाती है कि इस बात की क्या सुरक्षा है कि यह पर्टीक्यूलर पार्टी अपने सेल्फ इन्ट्रेस्ट में उसका उपयोग नहीं करने लगेगी।

सभापति महोदय, आपने सुना होगा कि लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी का नेशनेलाइजेशन किया था। और मूंदडा जैसा काण्ड हुआ। यह क्या मालूम है कि नेशनालाइजेशन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में भी यह नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी है? इसलिये मेरा यह संशोधन है इसमें थोड़ा सा, हालांकि मैं चाहता हूं कि यह प्रोग्राम कामयाब हो। इससे देश की तरक्की होगी, लोगों को फायदा होगा लेकिन इसके साथ साथ यह इन लोगों पर जिम्मेदारी है, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है कि ये इस प्रोग्राम को कामयाब बनायें और नेशनेलाइज्ड बैंकों की कामयाबी को देखने के बाद में बाकी के पन्द्रह पर्सेन्ट और नेशनेलाइजेशन से रह गये हैं उनका नेशनेलाइजेशन किया जाय लेकिन वह इस नेशनेलाइजेशन का परिणाम देख कर और इसको सफल बना कर ही किया जाय—इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री कृष्ण कुमार गोयल ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदय....

श्री शिवचरण माथुर : जल्दी ही होगा ?

श्री जुझार सिंह : खुद मत बांध लेना, यह है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सभापति महोदय, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर यहां एक एकेडेमिक बहस इस सदन में चल रही है। भिन्न भिन्न दलों ने इस प्रश्न पर अपने दलों के विचार रखे हैं। मैं भी अपने दल की ओर से, जो आज की परिस्थिति में जिस प्रकार से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति जी, आज की बीसवीं शताब्दी में यह नारे देना कि सब मर्जों का इलाज केवल राष्ट्रीयकरण है, अथवा आज के आर्थिक ढांचे में राष्ट्रीयकरण कतई नहीं होना चाहिए-यह दोनों नारे अपनी जगह पर बहुत पुराने और घिसे पिटे नारे हैं। आज हम जहां पर अपने देश की गरीबी को मिटाने के बारे में सोच रहे हैं, जहां पर भूखे, मरते हुए इन्सान को अन्न देने का रोटी देने का सवाल पैदा होता है, वहां हमें आर्थिक नीतियों में आमूल परिवर्तन करना होगा। हमारा दल इसका हामी है लेकिन केवल यह कह देना कि इसका एकमात्र हल है राष्ट्रीयकरण, इसका एकमात्र हल है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण यह सर्वथा एक निरर्थक नारा है। इस राष्ट्रीयकरण के पीछे कोई राष्ट्र की भलाई या राष्ट्रीय चिन्तन नहीं है—इसके अन्दर तो केवल एक नारा है जिसका सीधा मतलब एक सरकारीकरण होता है। मैं समझता नहीं हूं कि जब राष्ट्रीयकरण के नाम पर कहा जाता है कि सरकारीकरण है तो इसमें झिझक क्यों पैदा होती है। समाजवाद जो कि राष्ट्रीयकरण पर आधारित है, इस सिद्धान्त को लेकर चलता है कि उत्पादन के जितने स्रोत हैं, चाहे वह भूमि हो, चाहे वह श्रम हो, चाहे पूंजी हो, चाहे वह वितरण हो- जितनी भी व्यवस्थायें हैं उन्हें सरकार अपने हाथ में ले। जब इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार अपने हाथ में ले तो वह एक सरकारीकरण है और मैं तो आश्चर्य करता हूं कि इस राष्ट्रीयकरण के नारे को कम से कम देशों ने, जिन्होंने कि साम्यवाद को पनपाया, जो इस नारे के जन्मदाता माने जाते हैं, इस नेशनल कन्सेप्ट को कब से स्वीकार कर लिया। साम्यवाद और नेशन! एक साम्यवादी देश और नेशनल कन्सेप्ट—मैं समझता हूं, यह दोनों एक दूसरे के विरोध में है। साम्यवादी देशों ने नेशनेलाइजेशन को इम्पीरियलिज्म की ओर जाते हुए कह कर गाली दी है। राष्ट्रीयकरण की ओर जाते हुए कदम को निश्चित रूप से साम्राज्यवाद की ओर जाते हुए सोचा गया, वह देश राष्ट्रीयकरण के नाम पर अपना प्रचार करना चाहते हैं—मैं समझता हूं यह अनुचित है, यह राष्ट्रीयकरण नहीं है बल्कि सीधे शब्दों में यह एक सरकारीकरण है। जो इसके पक्ष में हैं या इसके विपक्ष में हैं उन्हें हिम्मत से कहना चाहिए कि यह सरकारीकरण है। इसके पक्ष अलग अलग हो सकते हैं, सरकारीकरण के पक्ष में हो सकते हैं, विपक्ष में भी हो सकते हैं लेकिन यह तर्क सर्वमान्य है कि राष्ट्रीयकरण केवल नारा है, नारा है और तथ्य यह है कि यह एक सरकारीकरण है। आज मेरा दल यह मान कर चलता है कि सब बीमारियों की दवा और रामबाण दवा केवल राष्ट्रीयकरण है यह गलत है। उचित स्थितियों के अन्दर आवश्यकता आने पर हमें राष्ट्रीयकरण करना होगा, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना होगा लेकिन इस काम को हम किसी सरकार की स्वतंत्रता पर नहीं छोड़ना चाहते। राष्ट्रीयकरण किस स्टेज पर, किस स्थिति में आये? जब देश की सारी स्थिति डगमगा जाय और यह लगे कि अमुक चीज का राष्ट्रीयकरण किये बिना पार नहीं पड़ सकता है तब भी हम सरकार को यह अधिकार नहीं देना चाहते कि वह राष्ट्रीयकरण करले। भारतीय जन संघ की यह मान्यता है कि राष्ट्रीयकरण करने के मामले में, सारे

Page No 144

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

मामले में एक हाई पावर जुडिशियल कमीशन हो जिसको राष्ट्रीयकरण का मामला सौंपा जाय, एक परमानेन्ट रूप में उसको सौंपा जाय, जिसको सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन सुनना चाहिए और सुन कर जो यह निर्णय दे कि अमुक उद्योग का यह अमुक बैंक का राष्ट्रीयकरण हो या नहीं हो। यह उस पर छोड़ना पड़ेगा। इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो राष्ट्रीयकरण के नारे से जो राजनैतिक हथकंडे खेले जाते हैं वह समाप्त हो जायेंगे। जब बिड़ला, टाटा और शाहू जैन के लिए सोचेंगे कि हमारे हाथ उनकी जेब में हैं और जब तक वह सरकार बनाने में सहयोग देते रहेंगे, कन्धा देते रहेंगे तब तक तो राष्ट्रीयकरण का प्रश्न पैदा नहीं होगा लेकिन जिस रोज वह अलग जाकर खड़े होंगे उस दिन राजनैतिक वे में निर्णय लिया जायगा कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाय, अमुक धन्धे का राष्ट्रीयकरण किया जाय। इस पर रोक लगाने के लिए और लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार का निर्णय सरकार पर नहीं छोड़ा जाय, एक राजनैतिक आधार पर लेने के लिए नहीं छोड़ा जाय बल्कि एक हाई पावर जुडिशियल कमीशन पर छोड़ा जाय, जो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करके अपना निर्णय दे। राष्ट्रीयकरण का भारतीय जनसंघ एक सिद्धान्त लेकर चलता है, भारतीय जनसंघ की यह मान्यता है कि हम किसी भी स्थिति में निजी उद्योग को निरंकुश रूप में नहीं छोड़ सकते उनको किसी प्रकार कानून से मुक्त नहीं छोड़ा जा सकता, उनको निरंकुश नहीं रख सकते। उनके ऊपर हर प्रकार का अंकुश लगाना होगा। देश के हित के अन्दर, राष्ट्र के हित के अन्दर और छोटे और बड़े, गरीब और अमीर के भेद को मिटाने के लिए निजी उद्योग पर अंकुश लगाना होगा, कानूनी व्यवस्थायें करनी होंगी। चन्द लोगों के हाथ में पूंजी जाकर सिमट जाय—इस पर रोक लगाने के लिए कानूनी व्यवस्थायें और अंकुश लगाने होंगे। इस प्रकार दोनों सिद्धान्तों को अपने सामने रख कर भारतीय जनसंघ अपनी अर्थ नीति बनाता है। भारतीय जनसंघ निश्चित रूप से इस नारे का हामी है। भारतीय जनसंघ डिसेन्ट्रलाइजेशन में विश्वास रखता है। आज जिस प्रकार सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है वह देश के लिए घातक है। उसी प्रकार आर्थिक तंत्र भी सरकार के हाथ में आकर उलझ गया तो वह लोकतंत्र के लिए घातक होगा। एक ओर जो सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो जाय, दूसरी ओर आर्थिक तंत्र सरकार के हाथ में आकर उलझ जाय—तो यह दोनों स्थिति देश के लिए घातक होंगी। भारतीय जनसंघ एक ओर सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात करता है तो दूसरी ओर आर्थिक विकेन्द्रीकरण की बात करके भी चलता है। आज बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर भिन्न भिन्न नारे दिये जा रहे हैं देश के अन्दर। मैं नहीं चाहता कि इस प्रश्न को कोई राजनैतिक आधार पर, सभापति महोदय, सदन के सामने रखूं। लेकिन आज की स्थिति में जिस समय के ऊपर यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया गया है, मैं समझता हूं कि उस भूमिका को सामने रखना होगा। जैसा कि साम्यवादी सदस्य ने कहा, वह इस समय बोलने की बात नहीं है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय केवल आर्थिक आधार पर लिया गया है, इस निर्णय के पीछे राजनैतिक आधार भी है। यह स्पष्ट रूप से बंगलौर के अन्दर जिस समय पार्लियामेन्ट्री बोर्ड ने निर्णय लिया, उसके साथ राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस के जिस व्यक्ति के नाम का निर्णय

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

लिया गया, उसके बाद जिस प्रकार वित्त मंत्रालय छीना गया, उसके बाद जो स्थिति पैदा हुई है, उसको आधारभूत मान कर, उसके बकग्राउन्ड के अन्दर लिया गया है। राष्ट्रीयकरण का नारा कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, 1954 से दोहराती रही है। आज नहीं, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दो चार दफा निर्णय लिया गया लेकिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। इसलिए आज जो कानून बनाया गया है उसके पीछे आर्थिक स्थितियां या आर्थिक कारण बहुत कम हैं, उसके पीछे मूलभूत कारण राजनैतिक है। राजनैतिक रूप से सत्ता बनाना ही इसका कारण है। सभापति जी, आज बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में एक तर्क दिया जाता है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के जितने सिद्धान्त दिये जा रहे हैं उनके पीछे एक चीज है कि चन्द पूंजीपति लोग हैं वह अपने पैसे को अपनी इच्छा के अनुसार बिना देश की चिन्ता किये हुए, अपने देश के अन्दर लगाते चले जा रहे हैं— उन पर अंकुश लगाना आवश्यक था इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे केवल इस नारे के आधार पर इस देश की जनता को किस प्रकार आप तसल्ली देना चाहते हैं? देश की जनता इसे अच्छी प्रकार से जानती है। यही सरकार थी जिसके बाइस साल के शासन के अन्दर चन्द पूंजीपति, करोड़पति इस देश के अन्दर अरबपति बने हैं इस काल के अंदर पूंजीपति पैसा लेकर अमीर होते रहे और गरीब गरीब होते रहे। मैं राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार से पूछना चाहूंगा कि बिरला को लाइसेन्स दिए गए, जो मोनोपोली देश के अंदर बनाई गई, उसके पीछे क्या और कोई दल था, क्या जितने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेन्स दिए जाते हैं उसके पीछे कोई और दल था? क्या यह सरकार नहीं थी? केवल चंद पूंजीपतियों को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेन्स और परमिट जारी किए। स्वयं सरकार ने अपनी व्यवस्था से, नीति से, जो आरम्भ से समाजवाद का नारा देश को दिया है, गरीब और अमीर का भेद मिटाने की बात करते आए हैं, उसने अपनी नीतियों के आधार पर सारी व्यवस्था देश के अंदर बनाई है। मैं आज पूछना चाहता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने स्थान पर बना रहेगा? राष्ट्रीयकरण के बाद केवल बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की तबदीली की जायगी, बाकी सारी की सारी व्यवस्था नौकरशाही के हाथ में रहेगी, राजनैतिक नेताओं के हाथ में रहेगी। उन अफसरों, मंत्रियों पर या निर्णय लेने वाले राजनैतिक नेताओं पर क्या रोक होगी? आज अरबपति हैं उसको पैसा बैंक से अपने उद्योगों के लिए लेने में कौन रोकेगा? अगर रुकेगा तो साधरण व्यक्ति, छोटा व्यापारी और किसान जिसको आज तक छोटे 2 उद्योग लगाने की आज्ञा नहीं दी गई, आज तक जिसको पैसा नहीं दिया गया व्यापार के लिए।

राजनैतिक आधार पर सौदे होते हैं, नियुक्तियां होती हैं केवल अंतर इतना पड़ेगा कि जो लोग व्यापारी हैं जो बैंकों पर बैठे हैं, उनके स्थान पर चंद दूसरे लोग आकर बैठ जायेंगे। राष्ट्रीयकरण के नाम पर क्या हो रहा है? राजस्थान में रोडवेज नेशनेलाइज किया, चेयरमैन कौन है? आज वही कांग्रेसी उम्मीदवार जो अजमेर से चुनाव हारकर आते हैं उनको आपने चेयरमैन नियुक्त किया है, सारी व्यवस्थायें इसी आधार पर की जायेंगी कि किनको चेयरमैन बनाया जाय। वह बल्ब जो फ्यूज हो चुका, जिसकी आज

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

कोई कीमत नहीं जो वोटों से हार गए हैं, किस प्रकार उनका संरक्षण कर लाया जाय, वह व्यवस्था की जायगी। बाकी करोड़पतियों को, अरबपतियों को पैसा लेने से रोका जाय, यह व्यवस्था उनको नहीं रोक पायेगी।

जब बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल, 1968 आपके साम था, आपने सोशियल कन्ट्रोल ऑफ बैंक्स किया, तो क्या उस आधार पर व्यवस्था नहीं कर सकते थे? क्या उस एक्ट के आधार पर आप रिजर्व बैंक को अधिकार नहीं दे सकते थे? आज समाजवादी और साम्यवादी सदस्य प्रश्न उठाते हैं कि हमारे सामने देश का विकास करना है। उद्योगीकरण योजना के आधार पर करना है, उसके लिए पैसा कहां से लायेंगे? मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पैसा आयेगा। आज रिजर्व बैंक को उक्त एक्ट के तहत अधिकार दिए जायं कि वह बैंकों की व्यवस्था करेगी, कौन शयर होल्डर्स होंगे, किन किन लोगों को हम डाइरेक्टर्स बनाने से वंचित करते हैं। सारी व्यवस्थायें आ सकती हैं उस एक्ट के अधीन कि कितना पैसा किसान और लघु उद्योगों में डालना चाहिए, कितना पैसा बड़े उद्योगों में डालना चाहिए, कितना पैसा मजदूर और दूसरे तबके में डालना चाहिए। क्या रिजर्व बैंक आज जो एक्ट है उसके अधीन बल प्रयोग नहीं कर सकती, कौन उसको उस अधिकार से प्रयोग करने से रोकता था लेकिन एक अधिकार का प्रयोग न किया जाय, उसकी चिंता नहीं, एक ही नारा है जनता को गुमराह करने का कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है जिसके द्वारा हम गरीबी मिटायेंगे। पैसा छोटे आदमी, किसान और व्यापारी को मिलेगा यह नारे मात्र हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है लेकिन देश के अंदर जो विदेशी बैंक्स हैं जो खुलकर अपने पैसे के आधार पर देश की एकता को खंड खंड करने पर तुली हुई हैं जिससे मिशनरियां पल रही हैं, उनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया? जो दलीलें दी हैं विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण को रोकने की, वह लचीली नहीं हैं? केवल कहना कि सीमा बिगड़ जायगी....

(5.45 म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

अपने आप में लचीला तर्क है। विदेशी बैंक्स काम करती रहेंगी और पूंजीपति जिनके नाम राष्ट्रीयकरण का नारा देकर समर्थन चाहा जा रहा है, इन विदेशी बैंकों में आज पूंजीपति पैसा नहीं लगायेंगे, इसको कौन रोकेगा। वह पैसा विदेशी बैंकों का देश में न रहकर देश की सीमाओं से बाहर जाकर काम करेगा। यह बैंक राष्ट्रीयकरण का धोखे का नारा है, राजनैतिक आधार पर नारा दिया गया है, राष्ट्रीयकरण के नाम पर अधिनायकवाद चलेगा। कुछ पार्टियां इस नारे को लेकर समर्थन दे रही हैं वे चाहती हैं कि अराजकता रहे, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाये। वह इंतजार कर रही हैं उन लोगों की जो सीमा के पार जन क्रांति की प्रेरणा दे रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि आपने जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उन्होंने देश के लिए क्या किया? गरीब तबके के लिए क्या किया? जो स्टेट बैंक का पैसा है, इस पैसे से क्या लाभ पहुंचाया गया? जो जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण किया उस पैसे से कितने गरीबों को कर्जा बांटा? मेरे पास आंकड़े हैं, जीवन बीमा निगम ने जो कर्जा दिया है

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

आज से 10 साल पहले उसका 40 प्रतिशत केवल बिरला कन्सर्न्स को दिया गया वही पैसा बढ़ते बढ़ते अपनी सीमा तक जा रहा है। जीवन बीमा निगम और स्टेट बैंक में आपका पैसा है, वित्त निगम में आपका पैसा है, जितना भी आपने नेशनलाइज्ड किया है उससे साधारण व्यक्ति को दश के अंदर कितना लाभ पहुंचा पाये? आज केवल नारा दे देना कि राष्ट्र के उत्थान के लिए पैसा चाहिए, यह कह देना ही काफी नहीं है। देश के अंदर जो संस्थान राष्ट्रीयकरण के अंदर चल रहे हें, उनका आउटपुट क्या है? देश की आमदनी बढ़ने में कितना सहयोग दे रहे हैं? अगर इस पर आंख मींची तो आशंका करना कि सब उद्योगों पर राष्ट्रीयकरण हो जायगा, हमारे पास पैसा आयेगा, हम राष्ट्र को आगे बढायेंगे, गरीब तबके को, तो वह गलत होगा।

अभी भी सार्वजनिक क्षत्र के अंदर उद्योग काम कर रहे हैं। उनमें 2200 करोड़ रुपए उलझे हुए हैं लेकिन आंकड़ा बताता है कि केवल एक वर्ष के अंदर 1967-68 के अंदर इसमें 84.16 करोड़ का नुकसान हुआ है। और बड़े बड़े उद्योगों में 8-9 करोड़ का नुकसान है। अपने आप में यह नुकसान कहां जायगा? क्या इस आधार पर हम चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण किया जाय, क्या देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर राष्ट्रीयकरण किया गया तो पैसा मिलेगा और गरीबी मिटाने के अंदर काम आएगा। जब तक आंकड़े जनता के सामने हैं तब तक आंख मींचकर चलने से काम नहीं चलेगा।

राजस्थान सरकार ने होटल निगम का निर्माण किस आधार पर किया? कौनसे आधार पर राष्ट्रीयकरण किया? केवल एक तर्क था कि अगर होटल निगम बनता है तो समुचित व्यवस्था के लिए हम पैसा और स्थानों से ले पायेंगे। राज्य सरकार: स स्थिति पर चलती थी कि कन्सोलीडेटेड फंड से पैसा नहीं दे सकते, ठीक प्रकार से नहीं चलाया जा सकता लेकिन हालत क्या है? क्या राज्य सरकार कह सकती है कि किसी भी एजेन्सी से होटेल निगम को एक पैसा भी कर्जा मिला है? कोई कर्जा देने को तैयार नहीं है। जैसी व्यवस्था है राष्ट्रीयकरण के आधार पर चल रही है उस व्यवस्था के आधार पर आज कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। तो केवल इस नारे के आधार पर राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, राष्ट्रीयकरण ही रामबाण दवा है। तो इस नारे को छोड़कर हमारे सामने देश का हित होना चाहिए। मेरा देश सुरक्षित हो गरीबी मिटे, गरीब और अमीर का भेद मिटे, इस सिद्धांत से इनकार नहीं किया जा सकता। इस भेद को मिटाने के लिए आर्थिक नीतियों में आमूल परिवर्तन लाया जाय?

श्री रामानंद अग्रवाल : परिवर्तन कैसा?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं नहीं कहता कि निजी उद्योगों को आजाद छोड़ दिया जाय, उद्योगों को लाभ की इन्डेक्स पर लाया जा सकता है। मैनेजमेंट के अंदर मजदूरों को भागीदार बनाया जा सकता है, उस लाभ के मुनाफे का हकदार मजदूरों को बनाया जा सकता है। बैंक राष्ट्रीयकरण के आधार पर जो आप चाहते हैं कि पैसा हमें मिले, हम हामी हैं। पैसा राष्ट्र के काम आए। इसलिए रिजर्व बैंक को सारे अधिकार देने चाहिए। वह चाहे शेयर होल्डर्स के संबंध में, चाहे डाइरेक्टर्स के संबंध में, चाहे फंड्स के एलोकेशन के संबंध में, सारी व्यवस्था को कानून के आधार पर किया जाय। 1968 में

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

बैंक कानून बनाया गया, सारे अधिकार रिजर्व बैंक को दिए गए, उन अधिकारों को काम में लेकर अर्थ व्यवस्था को टाइट करने की कोशिश करें। केवल 48 घंटे के अंदर नारा लगाया जाय कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके, हम देश की गरीबी मिटा रहे हैं मैं समझता हू यह नारा राजनैतिक नारा है। इससे आगाह होना पड़ेगा और देश की जनता को इस प्रश्न पर मोबीलाइज करना होगा। आज समाजवादी दल ने किस आधार पर अपने प्रारम्भिक कदम को बदला है। आरम्भ में जो प्रधान मंत्री के स्वागत में तैयार होते थ, डपुटेशन में, जुलुसों में जाते थे, आज उनको किसने रोका है। बकों के राष्ट्रीयकरण के पीछ असली प्रधान मंत्री का नारा है, वह राजनैतिक नारा है, घरेलू लड़ाई के आधार पर नारा है। उसको यह मान रहे हैं। नीतियों की बात कहां है? समाजवादी नता न कहा कि दल टूट रहे हैं। पोलोराइजशन का नारा है। जनसंघ में मधोकजी और वाजपेयीजी को लेकर एक प्रश्न पैदा हो गया है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न पैदा होगा जब देखा जायगा। आप अपनी ओर झांक कर देखें। हम परेशान हैं कि आखिर समाजवादी हैं कौन? समाजवाद की स्टेज है ही नहीं। हम समाजवाद को समझते हैं। दूसरे साम्यवादी दल का नारा लेकर चल रहे हैं, साम्यवादी दूसरे साम्यवादी का नारा लेकर चल रहे हैं। क्रान्तिकारी कांग्रेस समाजवाद का नारा लेकर चल रही है। एक दल दूसरे दल को रिएक्शनरी कहता है। यह झगड़ पहले अपने आप में मिटायें। साम्यवाद क्या है? समाजवाद क्या है? मैं कहना चाहता हूं कि जनसंघ दल तो बंटेगा या नहीं लेकिन यह देश की जनता जानती है अच्छी तरह से कि जयप्रकाशजी कौन हैं, थानू पिल्ले कौन हैं, अशोक मेहता कौन हैं? यह सारे के सारे इस संस्था से निकले हैं। सिद्धान्त पर, नजरिया पर समाजवाद की व्याख्यायें करते चल रहे हैं। काल मार्क्स के सिद्धान्त अपनी जगह पर रह गये। इसलिये मेरे दल के नारे के पीछे न दौड़ें। राष्ट्रीयकरण हो या न हो इसको छोड़िये, मेरा दल तो देश का जिसमें हित होता है वह काम करता है। राष्ट्रीयकरण की जो कमियां हैं इसको मेरा दल अच्छी तरह से समझता है। इससे नौकरशाही पनपती है, इससे लालफीताशाही पनपती है, इससे राजनीति पनपती है, यह दुर्गण लोकतन्त्र के लिये घातक है। उत्पादन के सारे साधन सरकार के हाथ में आजावेंगे तो क्या लोकतन्त्र को जिन्दा रख सकेंग? नहीं। य सारे के सारे लोकतन्त्र के लिये घातक हैं। इसलिय लोकतन्त्र को स्वीकार करो। राजनैतिक दलों न समाजवाद की परिभाषाओं में परिवर्तन किया है, संशोधन किया है। समाजवाद नाम से मत चिपको। राष्ट्रीयकरण नाम से मत चिपको। चिपकना है तो देश की गरीबी मिटाने के लिये चिपको। यह जनसंघ की स्पष्ट नीति है।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री विजयसिंह मकराना : अध्यक्ष महोदय, जब हम धरने पर थे तो कांग्रेस वालों ने सारा समय ले लिया और अब समय हम को ही मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : A very pertinent and a very pregnant at the same time.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय रामकिशनजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है उसकी प्रतिक्रियायें देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह बुरा हुआ और कुछ लोग उसके समर्थन में प्रदर्शन करते हैं। सदन में सात माननीय सदस्यों ने भाषण दिये। अलग अलग पक्ष की तरफ से भाषण हुए लेकिन राष्ट्रीयकरण खराब है, बुरा है यह बात किसी ने नहीं कही। साथ ही साथ किसी ने यह भी नहीं बताया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया वह बुरा है। किसी ने यह नहीं बताया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया वह गलत किया। यह किसी ने नहीं कहा। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो जे० आर० डी० टाटा और बड़े बड़े उद्योगपतियों का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि यह गलत हुआ। यह नहीं कहा कि किस प्रकार से इकोनोमी में इससे नुकसान पहुंचेगा, गतिरोध होगा। यह कोई नहीं कहता। अर्थव्यवस्था खराब हो जावेगी, काम ठप्प हो जावेगा। लेकिन क्यों होगा और कैसे होगा यह कोई नहीं कहता। बैंकों के नेशनेलाइजेशन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि कोटा से आये माननीय सदस्य ने कहा कि यह एक नारा है। कांग्रेस के लिये बैंकों का नेशनेलाइजेशन कोई नारा नहीं है। नारा दिया नहीं है और न नारे की वजह से किया है। बल्कि यह कहना चाहूंगा कि बैंकों का नेशनेलाइजेशन हुआ वह क्यों हुआ। इसकी जड़ में जाना चाहिये। यह कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण हुआ यह तो सरकारीकरण हो गया। सरकार के हाथ में जाय। कल आपकी सरकार बन सकती है और किसी की बन सकती है। जिस किसी की सरकार बनेगी लोगों की चुनी हुई होगी और लोगों के हाथ में अधिकार होगा। सरकारीकरण कहां हुआ ? यह तो लोगों के हाथ में है। जनप्रतिनिधियों के हाथ में ही रहा है। बीस पच्चीस पूंजीपतियों के बजाय जनता के हाथ में यह आया है। हमारी पूंजी कुछ केपेटेलिस्ट आदमियों के हाथ में क्यों हो। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है, हमारी सेविंग है, 85 प्रतिशत इन 14 बैंकों में सेविंग है हमारी। मैं पूछना चाहता हूं कि 85 प्रतिशत सेविंग्स कुछ व्यक्तियों के हाथ में क्यों रहे ? उनके हाथ में रहे वह तो अच्छा लेकिन सरकार के हाथ में वह चली जाय, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, तो वह बुरा ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

सदन की सम्मति से सदन का समय आध घंटे के लिए और बढ़ाया जाय।

(6 म० प०)

आपकी सम्मति से जब तक यह सम्पन्न न हो जाये तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाता है। मैं माननीय सदस्यों से विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि अब मैं समय पर नियन्त्रण करूंगा। अधिक समय नहीं दे सकूंगा।

श्री पी० के० चौधरी : सबसे पहले आज बैंकों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ कई दलीलें, आरगुमेंट्स माननीय गोयल साहब और महारावल साहब ने यहां दिये हैं उनके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय म यह कहना चाहता हूं कि

(श्री पी० के० चौधरी)

यहां जो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया है, उनमें हमारे जो डिपोजिटर्स हैं उनकी 2,741 करोड़ की जो पूंजी है, वह दिसम्बर 68 तक की है। लेकिन यह जो नेशनेलाइजेशन हमने किया है, यह कोई 2,741 करोड़ रुपये का नहीं किया है। यह हमने सिर्फ 94 करोड़ रुपये का किया है। जो उनकी पेड अप केपिटल है, रिजर्व है। दूसरे जो 2,741 करोड़ रुपया है, उस पर कन्ट्रोल वे करते थे, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेन्ट में कहा था We have gained the commending heights of economy. आज हमारे देश की इकोनोमी क्या है ? इस देश का विकास किस प्रकार चले। यह तभी हो सकता है जब हमारा सारा देश सजग हो और यह मुल्क टाटा, बिड़ला का ही न हो। बैंकों में जो रुपया है, वह एक का ही नहीं है। वह 1,000, 2,000, 5,000 इस तरह से सब लोगों का है और इस प्रकार से वह 2,741 करोड़ रुपया हुआ है। वह अकेले टाटा के नाम का नहीं है। बिड़ला के नाम का नहीं है। 500, 100, 200 रुपये जमा होकर यह जमा हुआ है। हजार, पांच हजार, दस हजार, इस प्रकार से लोगों की कमाई जमा हुई है और उस केपिटल को 25,30 व्यक्ति ही कन्ट्रोल करें और अपनी इन्डस्ट्रीज में इसको इन्वेस्ट करें। 94 करोड़ के जो शेयर होल्डर्स हैं, उस केपिटल को रिजर्व करके, 20,25 पर्सेन्ट का शेयर कन्ट्रीब्यूट करके, पांच करोड़, बीस करोड़ के शेयर होल्डर होकर वे 2,741 करोड़ रुपये को काम में लें, इस प्रकार काम में लें They are holding at their mercy. आज देश की इकोनोमी इनकी मेहरबानी पर थी। जहां चाहें वहां उसको हिलावें। मुझे बराबर याद है कि जब फूडग्रेन्स की डिफिकल्टी आयी थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह डाइरेक्शन सब बैंकों को दी थी कि फूडग्रेन्स के अगेन्स्ट में 75 पर्सेन्ट के बजाय 50 पर्सेन्ट एडवान्स वे करेंगे। फूडग्रेन्स कमोडिटीज के नाम पर नहीं। क्या हुआ ? दूसरी कमोडीटीज के नाम पर फूडग्रेन्स कमोडीटीज रख कर रुपया एडवान्स बैंक्स ने किया है। यह सब बात जब 20,25 व्यक्तियों के हाथ में रहती है तो नुकसान होता है। और उनमें से 1,743 करोड़ रुपये एडवान्स हुआ करते थे। यह रुपया 20,25 बिग हाऊसेज अपनी इन्डस्ट्री में ले जाते थे। तो फिर क्या जस्टीफिकेशन आप बताते हैं। क्या देश की इकोनोमी इन 20,25 लोगों के हाथ में चली जाये ? जब सरकार इसे अपने हाथ में ले सकती है और डिपोजिटर्स को गारन्टी देती है तो क्या नुकसान है ? प्राइवेट बैंकों की क्या पोजीशन थी ? आज उनकी भी गवर्नमेन्ट की गारंटी रहती है। गवर्नमेंन्ट भी उनके प्रति रेस्पांसिबल है। आज देश के जो बड़े बैंक हैं और उनमें गवर्नमेन्ट की डिपोजिट हैं। और भी जिनकी डिपोजिट्स हैं उनकी डिपोजिट सेफ रहेगी, यह गवर्नमेंट ने गारंटी दी है। शिड्यूल बक की लाइबिलीटी गवर्नमेंट की रहेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज देश में दो तरह की बातें चल रही हैं। एक बात रामानन्दजी ने यहां कही कि उनके एजीटेशन से हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस की पालिसी थी और उससे यह हुआ ? नेशनेलाइजेशन की पालिसी 19 जुलाई को ही तय नहीं की गयी है। इसके लिये ग्राउन्ड प्रिपेयर करते रहे हैं।

Page No 151

(श्री पी० के० चौधरी)

Congress has started as a national policy. कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और उसी रूप में पैदा हुई है और उसका नतीजा यह रहा है कि हमारे अन्दर हर तरह के व्यूज रहे हैं। हमारी यह स्पेशिलिटी रही है कि हर तरह के व्यूज हमारे यहां रहते आये हैं। हम ओपिनियन क्रियेट करते रहे हैं और मेजोरिटी व्यूज से फैसला करके उस पर अमल करते आये हैं। नेशनल पार्टी का जो करेक्टर होना चाहिये वह कांग्रेस में है। पार्टी डिसीजन होने के बाद मेम्बर बाउन्ड हो जाता है कि वह उसको माने यह हमारा रेजीमेन्टेशन है। कम्युनिस्ट पार्टी की तरह नहीं है। अब नेशनेलाइजेशन होने के बाद वे क्रेडिट लेना चाहते हैं। यह लीड कम्युनिस्ट पार्टी लेना चाहती है। एवरीबोडी नोज इट। एक एक बच्चे को यह मालूम है कि रामानन्दजी की कम्युनिस्ट पार्टी के डिमान्स्ट्रेशन से ही यह नहीं हुआ है। यह हुआ है कांग्रेस के प्रस्ताव की वजह से। यह मैं मानता हूं।

दूसरी बात यह है कि It was a necessity. आज हमारे देश के ऊपर मुसीबत है। इन्डस्ट्रीज के डेवलपमेंट के बारें में तकलीफ आ रही है उनको हल करने के लिये देश को आज सोचना है जिससे कि इकोनोमी डेवलप कर सकें। इसके ऊपर सरकार का हाथ न रहे और किसी के मार्फत करावे। एक अमेंडमेंट करके यह कर सकते हैं तो जब अपने हाथ में लेकर कर सकते हैं तो आपको क्यों रिक्वेस्ट करें। जब अपने हाथ में ले सकते हैं तो दूसरे की मार्फत क्यों करें? दलाल क्यों रखें? दलाल के मार्फत डिलीवरी क्यों लें? इसका लौजिक समझ में नहीं आता। (घन्टी)।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय यह कहना चाहता हूं, एक आरगुमेंट नेशनेलाइजेशन के लिये यह दिया गया है Mismanagement in public undertakings. लेकिन आज तक यह बात नहीं कही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितनी फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, पब्लिक सेक्टर में चाहे मिसमेनेजमेंट हो, किन्तु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दस साल से काम चला रहा है, एल० आई० सी० 7-8 साल से काम कर रही है और वे फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन हैं। इनके मेनेजमेंट में किसी प्रकार की कोई शिकायत पाइन्ट आउट नहीं हुई है। पब्लिक सेक्टर में मिसमेनेजमेंट है। यह मिसमेनेजमेंट हुआ है तो हमारें बैड प्लानिंग से हुआ है। भिलाई में यह क्यों हुआ? क्योंकि इसके साथ साथ जो सबसीडरी इन्डस्ट्री लगानी चाहिये थी, वह नहीं लगाई गई Because of some other difficulties beyond our control. यानि दूसरी इन्डस्ट्रीज नहीं लगा पाये इसलिये हमारी कुछ इन्डस्ट्रीज की खपत पूरी नहीं हुई है। फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन में एक रुपये का भी मिसयूज नहीं हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया बिगेस्ट बैंक है। यह इन सारे बैंकों से बड़ा है। क्या इन दस सालों में किसी प्रकार का मिसमेनेजमेंट हुआ है? अभी महारावल साहब ने कहा बैंकों का पैसा सब कांग्रेस वाले खाजायेंगे। बैंक ऑफ इण्डिया जो राष्ट्रीयकृत बैंक है क्या उसका एक भी पैसा कांग्रेस वालों ने खाया है? जो फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स का भार सरकार ने अपने हाथ में लिया है क्या उनमें आज तक कोई गलती पायी गई है? तो केवल बिना आधार के धारणा बना लेना उचित नहीं है।

राष्ट्रीयकरण के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उसके लिये यह कहा जा रहा है

Page No 152

(श्री पी० के० चौधरी)

एक साथ सभी चीजों का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये, एक बात यह भी कही गई कि भूमि का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, जहां तक भारत में जमीन के राष्ट्रीयकरण का सवाल है, हम जमीन का राष्ट्रीयकरण नहीं कर पायेंगे। केवल नारा देने से काम नहीं चलता। आज सोशलिज्म भी अलग अलग देशों में अलग अलग तरह का है चाइना में एक प्रकार का समाजवाद है, रसिया में दूसरी प्रकार का समाजवाद है, यूगोस्लावाया में समाजवाद और ही तरह का है लेकिन ओब्जेक्टिव सबका एक है समाजवाद की ओर अग्रसर होना। People should have it and they must have इसलिये हम केवल नारा नहीं देते हैं। आम समाज के विकास के लिये, उनकी आर्थिक अवस्था सुधारने के लिये, उनकी तकलीफों को मिटाने के लिये हमने यह कदम उठाया है। ताकि भारत की इकोनोमी पर हमारा कन्ट्रोल रहे, राष्ट्र के हाथ में रहे किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहे यही हमारा उद्देश्य है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित प्रस्ताव दिया है मैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा उठाये गये इस कदम की सराहना करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह समाजवाद की तरफ एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है।

अध्यक्ष महोदय, देश ने राजनैतिक रूप से आजादी प्राप्त की लेकिन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों–आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र–के अन्दर अभी तक वांछित प्रगति नहीं हो पायी है। देश में हमने प्रजातन्त्र कायम किया है और डेमोक्रेसी बगैर समाजवाद के टिक नहीं सकती। जहां तक आर्थिक क्षेत्र का सवाल है जब तक उस पर राष्ट्र का नियन्त्रण नहीं होगा, आजादी बेकार है। इस दृष्टि से जिस देश में सरकार का आर्थिक स्थिति पर अधिकार नहीं होता वह देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसी दिशा में हमारी भारत सरकार ने एक कदम उठाया है। प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को माना है कि यह एक छोटा सा कदम है इससे भी बहुत बड़े कदम उठाने वाले हैं। इसी एक छोटे से कदम से देश में तूफान आ गया। देश में पाकिस्तान के आक्रमण के समय लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जिस प्रकार की नीति अपनायी गई उसका देश के लोगों ने जितना स्वागत किया, उनका देश में उसके कारण जितना आदर हो गया था आज प्राइम मिनिस्टर के इस कदम से देश के कौने कौने से उनकी प्रशंसा की ध्वनि उठ रही है। मैं उनके इस कदम की सराहना करते हुए उनको बधाई देना चाहता हूं यह एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम है।

अध्यक्ष महोदय, आज हमने जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया है वह देश की इकोनोमी में एक महत्वपूर्ण टर्न लायेगा। बैंकों में जो बहुत बड़ी धनराशि जमा है, जो बैंक्स जनता की भलाई के लिये पैसा खर्च नहीं करते थे जिस पैसे के लाभ से 85 प्रतिशत जनता वंचित रहती थी, आज इस राष्ट्रीयकरण से जनता को फायदा होने वाला है। जो राष्ट्रीयकरण की आलोचना करते हैं, आलोचना मात्र केवल इसका हल नहीं है। लेकिन यह बात निश्चित है कि जब तक आर्थिक स्थिति

(श्री रामनारायण चौधरी)

पर समाज का नियन्त्रण नहीं होगा तब तक सीमित साधनों से हम उन्नति नहीं कर पायेंगे। आज तक हम इस जमाने के अन्दर उन लोगों के मुकाबले काफी पिछड़ रहे हैं जिनके पास अतुल साधन हैं। उदाहरण की तौर पर निवेदन करूं कि जिन देशों ने डेमोक्रेसी को स्वीकार किया है, उन देशों में जिन लोगों के पास अतुल साधन हैं उन्होंने भी नेशनेलाइजेशन की और कदम बढ़ाया है। आज हमारे देश में इस डेमोक्रेसी में हम साधारण आदमी उन अतुल सम्पत्ति वालों के मुकाबले में ठहर नहीं सकते। ऐसी हालत में आर्थिक स्थिति पर राष्ट्र का नियन्त्रण होना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : संशोधन श्री जुझारसिंह। (अनुपस्थित)।

श्री मनोहरसिंह मेहता : (मांडलगढ़) अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है :— शब्द "शीघ्र ही......किया जाय के स्थान पर शब्द "शेष बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक वर्ष तक नहीं किया जाय"।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने संशोधन में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का स्वागत किया है उसके साथ साथ मैंने यह भी निवेदन किया है कि एक साल तक छोटे बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाय। पहली बात यह है कि राष्ट्रीयकरण तभी सफल हो सकता है जब हर व्यक्ति के दिल में राष्ट्रीयता उतरे। मन में जब तक राष्ट्रीयता नहीं उतरती केवल मात्र नारों से काम नहीं चलेगा। जिन सरकम्सटान्सेज में राष्ट्रीयकरण किया गया है वह अपने आप में सब चीजें कर देगा यह मानना ठीक नहीं है। इसके लिये जो अध्यादेश लाया गया है वह जनतन्त्र की परम्पराओं के प्रतिकूल है। अगर उनको राष्ट्रीयकरण करना ही था तो पालियामेंट में बिल लाकर किया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। और पालियामेन्ट में यह सर्वसम्मति से पास होता तो वह भगवान का फैसला होता और वह बहुत अच्छी तरह से चलता।

दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीयकरण के मामले पर विचार करने से पहले सोचना होगा जिन जिन चीजों का अभी तक राष्ट्रीयकरण किया गया है उनकी क्या हालत हो रही है? बहुत अच्छा है यदि हम अपने आपमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझकर इसको सच्चाई के साथ अपनाते लेकिन अब तक जो कुछ हुआ है उसको देखकर लगता है जैसे मोटरों का राष्ट्रीयकरण किया गया आज हम देखते हैं रास्ते में गाड़ियां खड़ी मिलती हैं, किसी गाड़ी के टायर नहीं तो किसी के ट्यूब नहीं यही क्या राष्ट्रीयकरण करने का मकसद था? यह स्थिति देखकर हमें हैरानी होती है क्या यही हमारा राष्ट्रीयकरण है? आज व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये, जातिवाद को प्रोत्साहन देने के लिए जो कार्य किये जाते हैं अगर यही हाल इसमें भी रहा तो राष्ट्रीयकरण कभी भी सफल होने वाला नहीं है।

इस संबंध में प्राइम मिनिस्टर ने गांधी जी के एक वाक्य को कोट किया है गांधीजी ने कहा था "बिना मुआवजे के राष्ट्रीयकरण करो"। उन्होंने तो यह भी कहा था कि यदि एक घंटे के लिए मुझे डिक्टेटर बना दिया जाता तो शराब को बन्द कर देता। अगर गरीबों के मन से ऊपर उठाने की बात है तो करोड़ों परिवार जो आज इस शराब के कारण बरबाद हो रहे हैं। इस बीस बरस

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

की अवधि में प्राइम मिनिस्टर ने इस शराब खोरी को बन्द करने का नाम नहीं लिया। उन्होंने तो इस शराब की इज्जत बढ़ा दी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपका अधिक वक्त नहीं लेते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपा करके इस पर सोचें और इसको ठीक तरह से चलने दें। राज्याधिकारियों और कर्मचारियों की हालत आपसे छिपी नहीं है। आज तो लोग यह कहते हैं कि कुए में राई गिर जावे तो ढूंढना आसान है पर अगर हाथ से कागज छूट जावे तो उसे कचहरी में पकड़ पाना मुमकिन नहीं है।

राई नांकर कूप में, खोजो तो मिल जाय।
कर सूं छूट्यो राज में, कागद हाथ न आय।

आज यह स्थिति है। इसलिये कृपा करके आप ध्यान दीजियेगा कि राष्ट्रीयकरण कहीं असफल न हो जावे इसलिये जितने चौदह बैंकों का आपने राष्ट्रीयकरण किया है, उसको सफल बनाइये और इसके बाद आगे की बात सोचिये।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिवल्लभ (अनुपस्थित)

श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है और वह इतना निर्दोष है कि सदन में वाद-विवाद की उस पर आवश्यकता नहीं रहेगी। सदन में जो वाद-विवाद चला उसको मानते हुए उस पर क्या आपत्ति उठाई जावेगी उसका निराकरण के लिये मेरा यह संशोधन प्रस्तुत है:- शब्द "सिफारिश करता है" के पश्चात् शब्द "राष्ट्रीयकरण की अनुपालनार्थ उचित कार्यवाही शीघ्र की जाय तथा" जोड़े जायें।

सदन में जितना वाद-विवाद हुआ उससे प्रश्न सामने आया यह कहा गया कि हमारी आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और राजनैतिक दायें और बायें हम कहां लेकर जावेंगे। इन प्रश्नों पर तो मैं नहीं जाना चाहूंगा।

पर भारत में सन् 47 में आजादी के पहले जो देश की अवस्था थी उसके संबंध में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। हमें यह मालूम है कि हमारे देश में पहले न तो हमें खाने की इजाजत थी, न पहनने की इजाजत थी। गांवों में सबसे बड़ा घर राजा या जागीरदार का माना जाता था। और उसके घर के समान दूसरों का घर बनाने की इजाजत नहीं थी। सोना पहनने की इजाजत केवल राजा के द्वारा दी गई इजाजत के द्वारा थी। बल्कि वाइल्ड और नीची कौम के लिये हमारे यहां पर गहना पहनने की भी इजाजत नहीं थी चांदी के गहने भी वे नहीं पहन सकते थे। मुझे सन् 47 की एक कथा याद है। उसमें एक हरिजन ने चांदी के जेवर पहन लिये और एक हरिजन के यहां पर मोसर में उसने 70 मण के मालपुए बना लिये। मैं भी हरिजन मण्डल का मेम्बर था जिसमें प्रश्न उपस्थित हुआ। चांदी के कड़े जिसने पहने थे उसके पैर काट लिये गये। मुझे यह भी मालूम है कि जिसने 70 मण के मालपुए बनाये उसके हाथ काट लिये गये। यह इतिहास विरासत में कांग्रेस को मिला था। 47 के बाद 52 की कुछ कथाऐं रक्खूंगा। एक मित्र ने बताई थीं।

सन् 52 के चुनावों में एक मेरे मित्र कांग्रेसी और जागीरदार के विपक्ष में चुनाव

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

लड़ने गांव में पहुंचे। एक गूजर का मकान था। उसके मकान पर जिस समय वे पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि न मैं कांग्रेस को अपना मत दूंगा और न जागीरदार को दूंगा। मैं तो आपको मत दूंगा। उस आदमी ने देखा कि यह गांव मिला है जहां कांग्रेस और जागीरदार के विरोध में कहीं न कहीं सफलता मिलने की सम्भावना है। उसने कहा कि मुझे पानी पीने को चाहिये। बस गूजर ने बेटे को कहा कि घर से जाकर एक चरी ले आ और उसको लाकर साफ कर मांज कर कुए से पानी लाकर आप को पिला। जब उसने कहा कि मैं तो आपके घर का पानी पी लूंगा। आप तो गूजर हैं। उजली जाति के हैं। तो उस गूजर ने चट से जवाब दिया कि तब मैं आपको अपना मत नहीं दूंगा। तुम तो बिगड़े हुए कांग्रेसी हो। तो कहने का मतलब यह कि उस समय यह समाज की अवस्था थी।

श्री मदनसिंह : यह किसकी बात है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : तो उस समय यह स्थिति थी जिस समय कांग्रेस ने सत्ता हाथ में ली। फिर सन् 48 में समाजवादी पार्टी अलग हुई। सन् 54 में कांग्रेस ने समाज के बहुमत का ध्यान और हित सामने रखते हुए एक प्रस्ताव उस कांग्रेस में पेश किया जहां पर समाजवादी थे, तो समाजवाद के विरोधी भी थे, पूंजीपति थे, जागीरदार थे उन सबके बीच में प्रस्ताव सामने आया सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसायटी का। वह फेल हुआ।

इसके आधार पर एक्ट आये, कम्पनीज एक्ट आये, इन्स्योरेन्स कम्पनीज एक्ट आये। इन एक्ट्स के तहत परिवर्तन लाये गये कि बैंक ऑफ डाइरेक्टर्स को अधिक से अधिक उद्योग न दिये जावें। यह कानून लाया गया। यह सबके सामने है कि वह भी फेल हुआ। इसके बाद बैंकों का सोशियल कन्ट्रोल आया। आप हम जानते हैं कि उसकी क्या हालत हुई।

श्री अध्यक्ष : अब तो आप राष्ट्रीयकरण पर आ जायें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: इसी के लिये मैं इसका पिछला इतिहास बता रहा हूं। मुझे यह कहा गया इस सदन में कि यह क्रान्तिकारी कदम नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि अपोलो 11 जब 21 जुलाई को चन्द्रमा पर उतरा था तो उसके कुछ दिन पूर्व उठाया गया यह इतना बड़ा कदम था जिसे मैं यह मानता हूं कि भारत के इतिहास में बैंकों का यह राष्ट्रीयकरण भी उतना ही महत्व रखता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आज की अवस्था में जो समाज का रूप हमारे सामने है उसको लेकर जो कदम उठाये गये हैं वे क्रान्तिकारी हैं। मैं यह नहीं कहता कि इस कदम से कोई जादू के एक डंडे से गरीबी दूर हो जावेगी। इन्स्योरेन्स कम्पनीज का राष्ट्रीयकरण हुआ, उस पर यद्यपि मैं मानता हूं आज भी कि कुछ हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उन्होंने ही इसके रुपये का अधिकतर उपयोग किया है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। पर समाज के बहुमत के लिये भी कुछ उपयोग हुआ है। जो सामने है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, हमारे जितने पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं उनके लिये भी इससे पैसा लेने का प्रयत्न किया जा रहा है, लिया भी गया है। हाउसिंग लोन की प्लान इसका प्रमाण है।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

इन सब अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मैं यह सजेशन देना चाहूंगा कि इससे हमारी गरीबी कैसे दूर हो। पहली बात तो यह है जो रामकिशनजी ने भी कही और मैं भी मानता हूं कि हमारी यह नौकरशाही मशीनरी इस समाजवाद के लिए उचित नहीं है। यह पूंजीवाद की पक्षपाती है। आपको इसके लिये एक अलग से कैडर तैयार करना चाहिये जो इस समाजवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाला हो और राष्ट्रीयकृत संस्थाओं का मैनेजमेंट कर सके।

दूसरा मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो जितना राष्ट्रीयकरण हो रहा है उसके लिये स्पेशल कानून तैयार होना चाहिये और उसके अधीन नियम इतने स्पष्ट हो जाने चाहियें कि जिस तरह से प्राइवेट कम्पनीज में छोटे अधिकारियों को पावर्स हैं कोई भी कदम उठाने के वैसे पावर्स राष्ट्रीयकृत संस्थाओं के कर्मचारियों को भी मिल जाने चाहिएं। मैं इस में विशेष जाना नहीं चाहता। केवल एक निवेदन कर देना चाहता हूं। रूरकेला की कहानी याद है।

श्री अध्यक्ष : कहानी में मत पढ़ियेगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कुछ कागज जनरल मैनेजर की टेबिल से उठकर पड़ौसी की टेबिल पर पहुंचते हैं तो इसमें छः दिन लग जाते हैं। यह आज की हालत है। इसे बदलना पड़ेगा। उन अधिकारियों पर विश्वास करके चलना पड़ेगा। उन पर जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी ताकि वे स्वयं तुरन्त निर्णय लेकर काम को तुरन्त पूरा कर सकें अगर कोई तुरन्त करने का काम हो तो।

तीसरा, यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीयकरण तभी सफल होगा जब उसमें काम करने वाले अधिकारियों को और कर्मचारियों को सबको काफी प्रतिनिधित्व मिलेगा उनके संचालन बोर्डों में और प्रोफिट में भी उनकी साझेदारी होगी। यह करेंगे तो यह राष्ट्रीयकरण सफल हो सकेगा।

इसके साथ साथ राज्य सरकार से भी कुछ निवेदन करूंगा कि इस राष्ट्रीयकरण के बाद इस मनी का उपयोग करने के लिये हमें हैव नाट्स के पास जाना होगा, जिनके पास हम अभी तक नहीं जा पाये हैं। न म्युनिसिपल बोर्डों और स्वायत्त शासी संस्थाओं के पास गये हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज कुछ कानून ऐसे हैं जिनमें बहुत कुछ रद्दोबदल हमें करना होगा। जैसे स्टाम्प एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है जिससे छोटे उद्योगों को और कम पूंजीवालों के लिये साधन उपलब्ध जल्दी कराये जा सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और इसी के साथ निवेदन है कि मेरी जो तरमीम है केवल इसलिये दी है उसे स्वीकार किया जावे।

श्री अध्यक्ष: श्री विजयसिंह।

एक माननीय सदस्य : (खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : आपको इसके बाद दे दूंगा।

श्री विजयसिंह : Thank you Sir.

श्री अध्यक्ष : I never crave.

श्री विजयसिंह (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीयकरण क्या हुआ इसका मूल कारण एक है। वह कारण यह है

(श्री विजय सिंह)

कि यह मुरारजी भाई और इन्दिराजी बहिन की आपसी लड़ाई। इस वजह से राष्ट्रीयकरण किया गया....

श्री अध्यक्ष : जो आपके पास आई।

श्री विजयसिंह : और अपनी बात गंवाई। तो अध्यक्ष महोदय इन्दिराजी को यह पता हो गया था कि मुरारजी ज्यादा पोपुलर होते जा रहे हैं और जब ज्यादा पोपुलर होते गये...

श्री रामकिशन : अखबारों में आपने देखा होगा...

(शोर गुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह : तो अध्यक्ष महोदय मैं यह अर्ज करना चाहता हूं जब इन्दिराजी को पता लगा कि मुरारजी ज्यादा पोपुलर होते जा रहे हैं और अगर मुरारजी की प्रतिष्ठा को कम न कर पायेंगे, जिस प्रकार उनके पिता ने कामराज योजना बनाकर उनकी प्रतिष्ठा उस समय कम थी, उसी प्रकार इन्दिराजी ने मुरारजी से वित्त विभाग लेकर अपनी पापुलेरेटि को कायम किया। अध्यक्ष महोदय, डालडा सबसे खराब चीज है और उसका सबसे ज्यादा एडवरटाईजमेंट होता है इसलिये कांग्रेस सबसे ज्यादा एडवरटाईजमेंट करने के लिये जैसे कि डालडा विटामिनयुक्त है सबसे ज्यादा खावो उसी प्रकार कांग्रेस कहती है अबके हमने राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया इसलिये कांग्रेस मजबूत होती जा रही है। यह सब एडवरटाईजमेंट है और कुछ नहीं है राष्ट्रीयकरण। राजस्थान के जो कांग्रेसी माननीय सदस्य यह कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण अच्छा है वे पहले मुझे एक बात का जवाब दे दें। राजस्थान के अन्दर एक दुग्ध वितरण योजना चल रही है उसको ही भलीभांति नहीं चला सकती हैं उसके अन्दर कौन कौन से जानवरों का दूध आता है और बोतलों में कांच के टुकड़े निकलते हैं और पूरी सप्लाई भी नहीं हो पाती है, बूथ पर कई लोग खड़े रहकर वापिस चले आते हैं—

अध्यक्ष महोदय, धक्के खाकर वे वापिस आते हैं। एक मामूली बात को राजस्थान की सरकार नहीं सम्भाल पाई तो बैंकों का काम सम्भालना तो बहुत कठिन होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कहते हैं समाजवाद आया है, परन्तु पर्सनली मैं यह फील करता हूं कि समाजवाद आ कहां रहा है? कांग्रेस के मंत्री और विधायकों में 800–800 रुपयों की तनख्वाहों का फरक है। समाजवाद होता तो यह फरक नहीं होता। यह समाजवाद का कोरा ढोंग है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस ने क्या किया? जगह जगह भ्रष्टाचार हर ब्रान्च में फैला दिया। अब बैंक ऐसी चीज है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। प्राम्प्ट काम होता है, पेमेन्ट फौरन हो जाता है, सुचारू रूप से काम चलता है इसलिये इसमें क्या होगा? राष्ट्रीयकरण करने से भ्रष्टाचार फैल जायगा क्योंकि जो लोग रहेंगे वे किसी की परवाह नहीं करेंगे और मिनिस्टरों के भाई–भतीजे रहेंगे। न तो वें प्रोम्प्ट काम करेंगे और न ही पेमेन्ट ठीक होगा। क्या होगा फिर? रिश्वत चलेगी। इस तरह की रिश्वत चलने लग जायगी, जिस प्रकार पंचायत समिति में लोन के वितरण में हुआ करती है। किसान वर्ग को, मजदूर वर्ग को किस प्रकार पैसे

(श्री विजयसिंह)

मिल सकें उनकी मदद की जाय । परन्तु वास्तव में ऐसे कौन कौन से लोगों को मदद मिली है जिनकी उन्नति हुई है । आज दिन तक राजस्थान के किसान का न जाने कितना हित हो जाना चाहिये था लेकिन हुआ नहीं है। होता यह है कि जो प्रधान बना उन्होंने अपने भाई-भतीजों को लोन दिया और पैसे का खुलकर दुरुपयोग किया । मोसर शादी हुये उसमें खर्च कर दिया, जिससे क्या हुआ कि किसान तबका पनप न सका । राष्ट्रीयकरण करने से यह कोई सही बात नहीं है कि किसान को, मजदूरों को पैसे मिलेंगे और अगर पैसे मिलेंगे तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे शराब भी बहुत ज्यादा पीने लग जायेंगे । जब गरीबों के पास पैसा आ जाता है तो वे शराब पीते हैं । माननीय सदस्य श्री मनोहरसिंहजी इसकी ताईद करेंगे । क्योंकि ज्यादा पैसे मिलने से गरीब शराब पीने लगेंगे । यह अच्छी बात नहीं है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : आर्डर । आर्डर । समाप्त करियेगा ।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अधिक नहीं कहूंगा । एक- दो मिनट में समाप्त कर लूंगा । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीयकरण करने से सरकार भी अपना वायदा न निभा पायेगी । अभी जब राजा-महाराजाओं के प्रिवी पर्स का सवाल आता है तो वायदा खिलाफी हो रही है । अभी अगर सरदार पटेल जिन्दा होते और कांग्रेस इस तरह वायदा खिलाफी करती तो वे उन पर मकराना के पत्थर फिकवाते ।

श्री अध्यक्ष : मारते ।

श्री विजयसिंह : परन्तु जब ये वायदा खिलाफी करते हैं तो क्या गारन्टी की बैंक को हाथ में लेकर सुचारू रूप से चलायगी और उन पैसों की कोई वे यू रहेगी । इसलिये अध्यक्ष महोदय अधिक न कहकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण करने का जो तरीका है वह गलत है । मैं यह नहीं कहता राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिये । राष्ट्रीयकरण होना चाहिये परन्तु ऐसे ढंग से होना चाहिये जिससे वास्तव में किसान को, गरीबों को पैसे मिलें । परन्तु इस राष्ट्रीयकरण से कोई फायदा नहीं हो सकेगा । बैंकों से जो ज्यादा जरूरी है जिनका राष्ट्रीयकरण करना चाहिये उनका तो नहीं करते । बैंकों की तो मामूली बात है किसी भी समय कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहकर मेरा भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन सिंह ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है इसके पीछे क्या सोशलिज्म है हमें यह देखना है। समाजवाद आखिर आया कहां से ? रसिया से आया या अन्य देश से आया इसमें नई नीतियां अपनानी पड़ेंगी । समाजवाद की नीति इस असेम्बली में डिसकस हो रही है, जनतन्त्र में डिसकस हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, जनसंघ पार्टी आज तक जनता में अपने सिद्धान्तों को स्पष्ट रूप से नहीं रख सकी । 20 साल से अनिश्चितता की लहर दौड़ रही थी । नारे लगाकर जनता कह रही थी किन्तु जनता के सामने कोई विकल्प नहीं था । अगर जनता को सही ढंग से समाजवाद बताया जाता और अपने अपने सिद्धान्त बताये जाते और समाजवाद की सबसे पहली जो

(श्री मदनसिंह)

जो विचारधारा है वह तो कहना चाहिये कि रूस से आई है और जब तक हम वे सिद्धान्त नहीं अपनायेंगे तबतक वह समाजवाद न कांग्रेस से आयगा और न जनसंघ से आयेगा। किसी पार्टी को यह देखना है कि जनतन्त्र से समाजवाद चल सकता है या और किसी तन्त्र से इसे चलाना है तो मैं समझता हूं उन पार्टियों को तब तक इन्तजार करना चाहिये जब तक समाजवाद का नारा पूरा न हो जाय।

आज कम्युनिस्ट पार्टी के चाहे 20 टुकड़े हो गये हैं पर कम्युनिस्टों की जो नीति है वह न कांग्रेस की है और न जनसंघ की है। अगर धर्म और सिद्धान्त को छोड़कर समाजवाद की नीति भारतवर्ष में आ सकती है तो वह कम्युनिस्टों से ही आ सकती है, औरों से नहीं। यह दूसरी बात है कि भारत के कम्युनिस्टों में कमी है जैसी कांग्रेस में कमी है। भारत में जनसंघ राष्ट्रीय सिद्धान्तों पर राज्य करना चाहता है। वह पार्टी निकम्मी है जो अपनी चीज नहीं कह सकती। आज राजस्थान में एक साइकोलोजी चल रही है। जो बहुत बड़ी सत्ता से लड़े थे वे लोग जानते हैं और उन्हीं की यह बताई हुई चीज है। जब तक भारतवर्ष में अनिश्चितता है तब तक प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री एक शिगूफा छोड़ दिया करें उससे सब खुश हो जायेंगे। 500 अवगुण कर 1 गुण कर दें तो सारे अवगुण छिप जाते हैं। जैसे शास्त्री जी आये तो वे जानते थे जनसंघ के लोगों को कैसे खुश करना है, दूसरे लोगों को कैसे खुश करना है। इससे हिन्दुस्तान के लोग खुश हो गये। शास्त्रीजी बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही हमारे पंडितजी ने एक नारा लगा दिया और इसी तरह से देश की आंतरिक स्थिति खराब थी तो इंदिराजी ने भी एक तीर से दो शिकार मारे हैं। इंदिराजी को मालूम था कि कम्युनिज्म बढ़ रहा है, उन को मालूम है कि वह कम्युनिस्टों के कारण कलकत्ता में नहीं जा सकतीं और पूंजीपति भी कलकत्ता में है और पूंजीपतियों को दबाने के लिए उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसलिए कांग्रेस वह वस्तु है जो सर्वज्ञ है। एक आदमी चाहे कि मैं घोड़ा बन जाऊं तो वह घोड़े का मुंह बना ले, ऊंट बनना चाहे तो ऊंट का सा पेट हो जाये, बकरी बनना चाहे तो बकरी की सी टांग हो जाये तो वह हालत कांग्रेस की है। इसलिए देश को खुश करने के लिए, रूस को खुश करने के लिए इन्दिराजी खड़ी हो गयी और अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे वित्त मंत्रीजी हो गए और यहां पर पार्टी जैसे घूम रही है कि इन्दिराजी ने बहुत अच्छा कर दिया और देसाईजी की तारीफ हो रही है जनसंघ की तरफ से और इन्दिराजी की तारीफ हो रही है कम्युनिस्टों की तरफ से क्या इस तरह से पार्टी देश को सही चलाने के लिए तैयार है? क्या पार्टियों ने जो प्रोग्राम दिया उसको अपने जीवन में घटित करने के लिए तैयार है? रामानन्दजी को हमने जयपुर महारानी के झण्डे के नीचे देखा है और आज इन्दिराजी के झण्डे के नीचे देखते हैं। इसलिए आज पार्टी अपना स्वरूप बताये, आज पार्टी बताये कि वह क्या चाहती है। अपना प्रोग्राम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, एक तरफ मैं कांग्रेस को कांग्रेचुलेशन्स दूंगा। एक चीज देख रहे हैं कि राजाओं की सत्ता बढ़ रही है तो कश्मीर महाराजा की तारीफ कर देते हैं और कहते हैं कि हम तो राजाओं के साथ हैं। तो एक तीर में दो निशाने...

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

कुछ बुरा लगा?

श्री अध्यक्ष : मुझको यह लगा कि आप संदर्भ से परे जा रहे हैं।

श्री मदनसिंह : इसलिए बैंको का राष्ट्रीयकरण हो। भाषा का राष्ट्रीयकरण नहीं, प्रान्तों का राष्ट्रीयकरण नहीं। आज भी प्रान्त टूट रहे हैं। भाषा को आप एक नहीं कर सके, प्रान्तों को एक नहीं कर सके। आज ताकत पैसे में है पैसे का राष्ट्रीयकरण कर लिया और ताकत हमें देदी। आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं। आज कुछ आन्दोलन होगा तो दो चार औरतें मंत्रिमंडल में बैठा लेंगें इसलिए जब तक इतिहास नहीं देखा जाये कि इस संस्था से काम हो सकता है या नहीं तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रीयकरण हो। अगर समाजवाद से राष्ट्रीयकरण हो तो उनका स्वरूप बदलो। आज राजाओं से यह कांग्रेस पनपी हुई है। कांग्रेस समाजवाद का नारा देती है। मुझको 20 साल का अनुभव है, न जनता न स्पस्टीकरण दिया है। आज विधान सभा में मौका मिल गया नीतियों पर प्रकाश डालने के लिए। इसलिए आज जैसी पार्टियों की स्थिति है वैसी ही देश की स्थिति है। देश आज तक नहीं समझ पाया है कि यह पार्टियां क्या करना चाहती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जितनी भी पार्टियां हैं, मेरा ख्याल है कि इसके लिए एक संगठन होगा। इन पार्टियों को समाप्त करके अगर सही राष्ट्रीयकरण हो सकता है तो डिक्टेटरशिप से हो सकता है। अगर देश का उत्थान हो सकता है तो हमारा निर्णय है कि कोई न कोई डिक्टेटर हो, वह डिक्टेटर कम्युनिस्ट भी हो सकता है और कोई राजा भी हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीयकरण की नीति दो के ही दिमाग से हो सकती है। यह बीच में जो खिचड़ी है वह हमें स्वाद नहीं देगी आज पब्लिक को पता नहीं है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है। इसलिए ऊपर के जो लोग हैं वह हालात को एक्सप्लाइट कर रहे हैं, वह डींग मारते है कि हम पब्लिक के प्रतिनिधि है, वह खुद सोचें कि क्या वह ईमानदारी से जीवन में यह बात करते हैं। समाजवाद का क्या मतलब है, राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब है। समाजवाद की दुहाई देने वाले आपके आदमी कम होते हुए आप अपना राज्य जमा सकते हैं। इसलिए समाजवाद लाने के लिए तो आप अपने दिलों को सुधारो, अपनी आदतों को सुधारो। वही समाजवाद ला सकता है जो कि अपने आपको बराबर की स्थिति में लाकर सही ढंग से न्याय में, शिक्षा में, भाषा में, समानता ला सकता और राष्ट्र को एक करके चल सकता है, वही राष्ट्रीयकरण कर सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इन पार्टियों में विश्वास नहीं रहा है और यह जितने भी नारे हैं यह धोखे के है, गलत है और यह समाजवाद को नष्ट करने के हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरा दल, भारतीय क्रान्ति दल, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करता है....

एक माननीय सदस्य : और स्वागत करता है।

श्री दौलतराम सारण : स्वागत तो तब करेंगे जब करेंगे। और जितना सा कदम उठाया है उसका स्वागत करता है। परन्तु हम इस कदम को अपर्याप्त मानते हैं। इसलिए

(श्री दौलतराम सारण)

श्री रामकशिन जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता, समूल बैंकों का राष्ट्रीय-करण होना चाहिए था और बहुत पहले हो जाना चाहिए था । यदि हम योजनाबद्ध विकास के आधार पर देश का नव-निर्माण करना चाहते हैं, भूख और गरीबी से जनता का पिण्ड छुड़ाना चाहते हैं, देश के जीवन-स्तर को उन्नत करना चाहते हैं, तो जैसा कि इन्दिरा जी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में कहा है कि राष्ट्रीयकरण का केवल मकसद यह है कि गरीबों के लिए, साधनहीनों के लिए कुछ साधन उपलब्ध हो सकें। जिन पूंजीपतियों के हाथों में देश के धन का दुरुपयोग हो रहा था, उसका केन्द्रीयकरण हो रहा था, उस धन का राष्ट्रीयकरण करना जरूरी था । यह बात सही है, लेकिन इन्दिराजी को 22 वर्षों के बाद में यह होश आया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, और वह भी पूरा नहीं आया । 14 बैंकों तक ही वे पहुंच सकी हैं । विदेशी बैंकों और अन्य छोटे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की तरफ अब भी उनका ध्यान नहीं गया है । अब भी उनको छूट देकर रखी है । इस प्रकार आधे मन से काम किया गया है । आधे मन से काम करने का ही परिणाम है कि देश में आर्थिक भीषणता है, आर्थिक अराजकता है । कांग्रेस का आर्थिक मामलों में कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, उसकी नीति स्पष्ट नहीं है। वह एक तरफ तो सब लोगों को खुश करना चाहती है और एक तरफ प्रगति का दम भरती है । एक तरफ तो वह गरीबों को भलावे में रखकर उनको खुश करना चाहती है और अन्य सब लोगों को भी खुश करके चलना चाहती है। इस प्रकार से नहीं चला जा सकता है। एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा । अगर वाकई में समाजवाद की ओर जाना चाहते हैं, अगर वाकई में साधनहीन लोगों का साधन देना चाहते हैं, अगर आज यह स्थिति होती, यह मान्यता होती, तो कभी का बैंकों का राष्ट्रीय-करण पहले हो गया होता । जब योजनाबद्ध विकास का निश्चय किया गया था उस समय ही यह हो जाना चाहिए था । यदि आप योजनाबद्ध विकास के आधार पर चलना चाहते हैं तो उत्पादन, उपभोग, विनियम और वितरण पर निश्चित तौर पर नियन्त्रण करना पड़ेगा, उसका नियमन करना पड़ेगा, उसका सही तरीके से राष्ट्र के साधन के रूप में संचालन करना पड़ेगा । बिना इसके योजनाबद्ध विकास सही तरीके से नहीं चल सकता है । उसका परिणाम आया है, उस तरह से नहीं देखने का नतीजा यह आया है कि हमारी योजनाएं फेल हो गईं । आज चतुर्थ योजना चर्चा में है, जब बनेगी तब बनेगी । हम अस्थिर हैं । हमारे सामने स्थिति स्पष्ट नहीं है । इसका कारण....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जल्दी ही लागू हो जायगी ।

श्री दौलतराम सारण : अच्छी बात है अगर होती है तो ।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये ।

श्री दौलतराम सारण : मैं भी यह आशा रखता हूं । अभी जैसी समाजवाद की बात कही गई, योजनाबद्ध विकास की बात कही गई और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को इसीलिये एक अच्छा कदम इन्दिराजी ने बताया है कि हम समाजवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं इसलिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमने किया है । आज पूंजी जिन चन्द लोगों के

(श्री दौलतराम सारण)

हाथों में थी उसको देश के साधनहीन लोगों को देने के लिए हमने यह कदम बढ़ाया है। इसके लिये तो हम इस कदम का स्वागत करते हैं। इसके लिए तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन यह कहना चाहते हैं इसके साथ साथ कि केवल बैंकों के राष्ट्रीयकरण मात्र से ही पूंजी गरीबों तक नहीं पहुंच जायगी। केवल बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने मात्र से ही साधनहीन आदमियों के पास साधन नहीं पहुंच जायेंगे। यह शासन की नीति और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अभी तक आपकी नीति यह रही है कि जिसके पास साधन ज्यादा हैं वह उतना ही ज्यादा ऋण बैंकों से, सरकार से या और अन्य संस्थाओं से ले सकता है, लेकिन जिसके पास साधन नहीं हैं, जो बिल्कुल साधनहीन है, जिसके पास रोजगार का जरिया नहीं है वह आज आपके नियम और कानून के मुताबिक कोई भी साधन प्राप्त नहीं कर सकता है। आज आप पूंजी को आधार मानकर चल रहे हैं। आज आप नागरिक को, इन्सान को, आधार मानकर नहीं चल रहे हैं। आपकी इस नीति की वजह से पूंजी का केन्द्रीयकरण हो रहा है न कि इस वजह से कन्द्रीयकरण हो रहा है जैसी कि आप दलील दे रहे हैं। यदि बिरलाजी आज 500 करोड़ के मालिक बन गये हैं तो आपका राज्य आने के पहले वे 20-25 करोड़ के मालिक थे। उन्होंने इस तरह से देश के धन का उपयोग किया है। आप औद्योगिकरण के नाम पर कितनी रियायतों के साथ पैसे वालों को पैसा देते हैं और बदले में चन्दा लेते हैं। यह जो आपका कहना है, यह जो नीति है आपकी वह इस तरह की है जो पैसे वालों को बढ़ाती है। पहले से जो मोटा है उसको और ज्यादा मोटा कर रही है, लेकिन जो साधनहीन है, जिनको जरूरत है शासन के समर्थन की उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं। हरिजनों का जहां सवाल आयेगा, पिछड़े वर्ग का सवाल आयेगा वहां पर आप उन लोगों के लिए मामूली सहायता रखेंगे। उनको घर बनाने के लिये आपने 750 रुपये की सहायता दी, फिर 1,100 कर दिये और अबकी बार ऋण का छोटा सा प्रावधान रखकर 5 हजार रुपयों का ऋण देकर उनके आवास की समस्या को हल करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 2500 या 3000 रु० महीना पाने वाले को आप 50,000 रु० तक का ऋण देते हैं और 30 साल की किश्तों पर ऋण देते हैं, लेकिन भूमिहीनों को जब भूमि देते हैं तब 10 किश्तों पर देते हैं और हरिजनों से 5 पर्सेन्ट एडवान्स कीमत का मांगते हैं और दूसरे भूमिहीनों से साढे बारह पर्सेन्ट कीमत का एडवान्स मांगते हैं, और 10 किश्तों में उनसे मूल्य वसूल करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या ये साधनहीन आदमी यह सब देने के लिए क्षम्य हैं? नहीं हैं, लेकिन क्षमता से कोई आपका मतलब नहीं है। केवल नीलाम में जमीन देकर दूसरे लोगों को जो पहले से ही मोटे हैं उनको और मोटा बनाना चाहते हैं। इसलिये आपकी नीति समाजवाद की तरफ नहीं है। आपकी नीति जो पहले से ही मोटा है उसका मोटा करने की है। मुझे खुशी होती अगर आपकी नीति समाजवाद की नीति होती। समाजवाद का बुनियादी आधार यह है कि साधनहीनों को साधन दिये जायें, पिछड़ों को ऊंचा उठाया जाय, जीवन-स्तर ऊंचा बढ़ाया जाय, रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जायें। क्या रोजगार के साधन, आपने इतनी पूंजी खर्च की है, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है

Page No 163

(श्री दौलतराम सारण)

उससे आप पैदा कर सके हैं ? आप नहीं कर सके हैं । इसका नतीजा यह है कि आज पढ़े-लिखे और अपढ़ लोगों की फौज बेकारों की बढ़ती जा रही है । बेकारी बढ़ती जा रही है तो उसके लिए आपने एक इलाज निकाला है । शिक्षितों की बेकारी रोकने के लिए आपने पढ़ाई पर पाबन्दी लगा दी है, भरती बन्द करदी है । जब आप टैक्निकल एज्युकेशन का नारा लगा रहे थे दो साल पहले तो दो साल पहले जब बजट अधिवेशन पर मैंने कहा था कि टेक्निकल एज्युकेशन का दीवाला निकलने वाला है तो मुख्य मंत्रीजी बड़े नाराज हुए थे, लेकिन अब सब जगह सीटें कम की जा रही हैं । मेडिकल कालेज में सीटें कम की जा रही हैं, एग्रीकलचर कालेज में सीटें कम की जा रही हैं और दूसरी दूसरी जगहों पर भी सीटें कम की जा रही हैं । पढ़ाई नहीं होती तो नौकरी नहीं मांगेंगे और इधर पैदा नहीं होंगे तो नौकरी नहीं मांगेंगे इसलिए परिवार नियोजन की बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में सब जगह मोटरें दौड़ रही हैं ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

परिवार नियोजन की चाहे आवश्यकता हो या न हो । अभी तक बिना परिस्थिति और बिना कारणों को देखते हुए नीतियों को संचालित किया जा रहा है । उसका परिणाम यह आया है कि आज देश के अन्दर असंतुलन पैदा हो रहा है । खैर, देर आयद दुरूस्त आयद । आपने इसको महसूस किया है और बैंकों के राष्ट्रीयकरण की तरफ छोटा सा कदम बढ़ाया है और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है । हम आशा करते हैं कि आप इस बात को भी महसूस करेंगे और देशी-विदेशी बाकी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण करेंगे, केवल जीवन-बीमा ही नहीं बाकी के सारे बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करेंगे । यही नहीं जो उपभोग सामग्री पैदा करने वाली चीनी की मिलें हैं और दूसरी तरह की मिलें हैं और बड़े उद्योग हैं उनका राष्ट्रीयकरण भी करेंगे । मेरी पार्टी यह मानती है कि जो बड़े उद्योग हैं, जिनके ऊपर ज्यादा पूंजी केन्द्रीकृत है वे केवल स्टेट सेक्टर में होने चाहिएं या स्टेट द्वारा कन्ट्रोल्ड होने चाहिएं । बाकी छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, छोटे - छोटे उद्योगों का प्रसार करना चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

....उनको उसके लिए पूंजी देनी चाहिए और टैक्निकल मदद देनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं 2-5 मिनट लेना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : काफी समय हो गया है ।

श्री दौलतराम सारण : आपकी आज्ञा हो तो 2-5 मिनट में समाप्त कर दूं ।

श्री अध्यक्ष : ले लीजिये, आरम्भ रखिये।

श्री दौलतराम सारण : आप घन्टी बजा देते हैं तो मरा मामला बिखर जाता है ।

श्री अध्यक्ष : आज आप बड़े संतुलित हैं।

श्री दौलतराम सारण : (ऊर्ध्व घोष में) तो अध्यक्ष महोदय,..

(विराम)

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये ।

कई माननिय सदस्य : आप जोर से बोले थे इस कारण यह है ।

श्री दौलतराम सरण : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने मात्र से ही राष्ट्र में जीवन, राष्ट्र में जिन्दगी नहीं आयेगी, उससे ही केवल लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा नहीं हो जायगा, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो जायेंगे, उससे योजनाबद्ध विकास एकदम उन्नति का रास्ता नहीं पकड़ लेगा, और उससे लोगों की हालत और हैसियत नहीं बदल जायगी। यह आपकी नीतियों और उनकी क्रियान्विति से सम्बन्धित है । अगर आपकी नीतियां सही आधार पर हैं और उनके क्रियान्विति का दृष्टिकोण सही होगा, आपके कार्य करने का तरीका सुनियोजित, सुव्यवस्थित होगा, तब इसका परिणाम आयेगा ।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप रोटी-रोजी की समानता की बात सोचते हैं और करते हैं, अगर आप चन्द पूंजीपतियों के हाथ में से साढे पच्चीस अरब की संपत्ति थी उसको निकाल कर गरीबों की उन्नति तक या साधनहीनों के रोजगार तक पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे इससे बड़ी खुशी होगी । लेकिन कहीं ऐसा न हो कि फिर उसी माया-जाल में रह जायं और वही बात लागू कर दें कि जिसके पास जितने साधन होंगे उसको उतना ही लोन दिया जायगा, सहयोग दिया जायगा । अगर यह बात होगी तो सारी पूंजी नये पूंजीपतियों के पास चली जायगी । इस खतरे से सम्हलकर चलना चाहिए । खेती के नाम पर बिरला, टाटा और मफतलाल ने टयूब वैल के नाम पर मुफ्त में जमीन ले ली । एक रुपया 10 वर्ष तक टोकन लगान लगेगा और 10 साल के बाद खातेदारी दे दी जायगी । यह भी आपने चालू कर दिया है। नये पूंजीपति खेती के क्षेत्र में महरबानी करके नहीं घुसायें, और आर्थिक क्षेत्रों में मुसीबतें हैं उनको खेती के क्षेत्रों में खड़ी न कीजिये ।

इसलिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण से एक नई जिन्दगी पैदा करने वाला राष्ट्र के अन्दर जो वातावरण बना है सरकार के दृष्टिकोण में जो मोड़ हुआ है उसमें जो कठिनाइयां पैदा हो रही हैं उनके निराकरण का क्या विचार है, हमारी क्या गलतियां हैं, उनको दूर करने की तरफ मोड़ होगा तो मैं और मेरा दल इसके आभारी होंगे और धन्यवाद प्रकट करेंगे और इसका स्वागत करेंगे । लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उस तरह से जैसा कि इधर के लोग कह रहे हैं कि इससे राजकीय पूंजीवाद बन जायगा और जैसा कि उधर के लोगों को आपत्ति है उसमें सरकार पड़ जायगी तो क्या होगा कि सरकार सही दिशा की ओर दृष्टिकोण नहीं रख सकेगी। इसलिए अगर आप गरीबों को उठाना चाहते हैं, अगर आप भूखों को आह्वान करना चाहते हैं तो छोटा सा ही सही पर सही दिशा में कदम उठाया है तो आप पुराने नियमों को बदलें और कानूनों को बदलें और पूंजी की सुरक्षा के स्थान पर इन्सान की सुरक्षा की गारन्टी दें । अगर यह आप करेंगे तो शासन सही दिशा में चलेगा, लेकिन अगर पूंजी पति की सुरक्षा करके चला जायगा और इन्सान की सुरक्षा का प्रावधान है वह आपके पास नहीं है इसलिए पूंजीवाद बढ़ रहा है और साधन सम्पन्न लोग और अधिक साधन-सम्पन्न बनते जा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे । इन्हीं शब्दों के साथ चूंकि घंटी बज रही है मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(7 म० प०)

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा है, उस मूल प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर इस सदन में, इसके पक्ष में और विपक्ष में कुछ बातें कही गई। इस विषय पर सदन के बाहर एक अजीब प्रकार की फ़िज़ा इस देश में बनी हुई है। काफी लोग उत्साह पूर्वक इस प्रतिक्रिया का, इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। लाखों लोग यह सोचते हैं कि एक सही दिशा में कदम उठाया गया है। जब कि कुछ लोग, जो कांग्रेस के लोग हैं और जो कांग्रेस विरोधी हैं, इसको लेकर अजीब प्रकार की बातें करते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिससे ऐसा लगता था अध्यक्ष महोदय, बैंकों के राष्ट्रीय करण पर चर्चा नहीं किसी दूसरे विषय पर ही चर्चा चली आ रही है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ अगर कोई सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण नहीं है तो वह राष्ट्रीयकरण अपने आप में कोई अच्छी चीज नहीं है। छोटी चीज रह जाती है। इसलिए राष्ट्रीय-करण एक जरिया है, जिस जरिये को अपनाकर एक लक्ष्य की ओर पहुंचा जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष, बंगलौर अधिवेशन में भारत के गृहमन्त्री, श्री चव्हाण ने, अपनी बात कहते हुए कहा था कि अगर नेशनलाइजेशन के साथ में कोई सोशल आब्जेक्टिव नहीं है तो नेशनलाइजेशन एक फ्राड है। और यह सही है कि अगर नेशनलाइजेशन का अर्थ लोग यह समझते हैं कि नेशनलाइजेशन के आधार पर उस पूंजी को सरकार अपने हाथों में कर लेना चाहती है तो यह भ्रम है। यह सही नहीं है। अगर हम यह सोचते हैं कि बैंकों का नेशनलाइजेशन करके जैसा पूंजी का विनियोग होता चला आ रहा है, उसी तरह से हम करेंगे तो नेशनलाइजेशन के लक्ष्य को कभी पूरा नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया है कि नेशनालाइजेशन के पीछे राजनीति है। जिस माने में यहां कहा गया है उस रूप में तो नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी कोई राजनैतिक आधार लिये बगैर नहीं चल सकती है। नेशनोलाइजेशन के पीछे अगर कोई राजनीति है तो वह यही है कि इस देश में व्यवस्था कायम रखी जाये जो जनतन्त्र के आधार पर हो। पूंजी का वितरण इस प्रकार से हो कि वह किसी एक स्थान पर न हो। अध्यक्ष महोदय, मोटे तोर पर कुछ पोलिटिकल पार्टीज-स्वन्तत्र पार्टी और जनसंघ, तथा कुछ दूसरी पार्टियों यहां एक प्रकार से इसका विरोध करती हैं। स्वतन्त्र पार्टी के नेता जिस प्रकार बात यहां पर कह कर गये हैं, वह दरअसल में उनकी पार्टी को रिफ्लैक्ट नहीं करती। स्वतन्त्र पार्टी के लोग ऐसा मानते हैं कि वह इस में विश्वास नहीं करते हैं राष्ट्रीयकरण के अन्दर बल्कि वह राष्ट्रीयकरण को एक प्रकार से टोटली-टैरियन स्टेप मानते हैं। और, वह मूल रूप में इसके विरुद्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र राजस्थान जनसंघ के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार गोयल, जिन्होंने जनसंघ पार्टी की ओर से अपने

(श्री हरिदेव जोशी)]

विचार व्यक्त किये, उन्होंने कहा कि वह देश में अर्थ व्यवस्था को विकेन्द्रित रूप में देखना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आखिर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बैंक है क्या? बैंक कुछ शेयर होल्डर्स के द्वारा कायम की गई कम्पनी है। जिसमें उनका पैसा और डिपोजीटर्स का पैसा रखे हुए हैं। वह कहते हैं कि देश की विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था में वह विश्वास रखते हैं। 20 वर्षों से बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। इसलिए हम यह नहीं कहते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे। आज क्या अवस्था थी ? बैंकों की पूंजी का उपयोग देश के कुछ अमुक घराने ही करें, तो उस उपयोग को जनसंघ विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था मानता है। अध्यक्ष महोदय, इस पूंजी के उपयोग से जो लाभ आता है वह किस प्रकार से उपयोग में आयेगा वह कैपिटल जनरेटेड है। उसका मुनाफा कुछ अमुक लोगों तक ही सीमित है। वह विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था नहीं है। वह केंद्रित अर्थ व्यवस्था है। वह एकदम सीमित, सीमित लोगों में है। इसके लिए मैं कहूं कि वह एक दो बड़े पूंजीपति वर्ग के पास रहे। कुछ पूंजीपतियों में जो दूसरें लोग हैं, उनके पास भी नहीं जाती है तो यह वाजिब बात नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, बैंकों के नेशनालाइजेशन को लेकर बहुत ऊहापोह हो रहा है। एक तरफ यह कहा जाता है कि कांग्रेस कम्युनिज्म की तरफ जा रही है। प्राइम मिनिस्टर कम्युनिस्ट हो रही है। यह कहा जा रहा है कि प्रजातन्त्र खतरे में है। कहा जा रहा है कि देश में स्टेटिज्म आ रहा है। डेमोक्रेसी खतरे में है। अध्यक्ष महोदय, यह मुख्य सन्दर्भ में कुछ गढ़े हुए शब्द हैं।

आज डेमोक्रेसी, आज जैसी कि भारत में डेमोक्रेसी है,. की सर्वोच्च सत्ता किसी एक पार्टी के हाथ में नहीं है। आज इस देश की सर्वोच्च सत्ता पालियामेन्ट के अन्दर निहित है जिसके प्रति मेजोरिटी पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, वह उत्तरदायी है। अगर हम यह कहते हैं कि यहां पर एक सार्थक शब्द ले लिया जाय कि स्टेटिज्म आ रहा है, तब भारत के अन्दर कोई नियंत्रण होता है तो नियंत्रण किसका होगा? भारत की लोकसभा का होगा। भारत की पालियामेन्ट का होगा। इसके मायने क्या हैं? बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अन्दर? अराष्ट्रीयकृत बैंक थीं, वह बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के नियंत्रण के अन्दर थीं। वह बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर कितने घरानों के इन्फ्लूएन्स में था? वह बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स किनके द्वारा सचालित था? वह बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स कितने लोगों को पूंजी देता था? वहां विनियोग कैसे होता है? किनके लिए होता है? वह लाभ किनको पहुंचाता था? अगर यह अराष्ट्रीयकृत बैंक इस राष्ट्रीयकरण के बाद में अगर किसी के नियंत्रण में आती है तो बीस घरानों के, पच्चीस घरानों के, पचास घरानों के, सौ घरानों के, हजार घरानों के नियंत्रण में नहीं रह कर भारत की पचास करोड़ जनता के नियंत्रण में रहेंगी, जो बालिग मताधिकार से मत देकर संसद को चुनती है, जो निर्णय करती है जो पार्टी शासन के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए यह स्टेटिज्म आ रहा है? डेमोक्रेसी खत्म हो रही है? किस बात पर डेमोक्रेसी खत्म हो रही है? क्या बालिग मताधिकार को समाप्त किया गया है? क्या देश के अन्दर चुनी हुई धारा सभाओं को खत्म कर दिया गया है? क्या पालियामेन्ट को भंग कर दिया गया है? क्या संविधान को

(श्री हरिदेव जोशी)

तोड़ा गया है ? यह कहा जाय कि संविधान में विश्वास नहीं करते हैं और भीतर घुस कर संविधान को खत्म करना चाहते हैं—तो यह किया गया है क्या ? नेशनेलाइजेशन एक प्रकार से जब राज्य के पास आता है तो देखना यह होगा कि राज्य है कौन ? यहां प्रजातंत्र के आधार पर भारत के अन्दर उसके संविधान के तहत, डेमोक्रेसी के अन्दर लोकसभा के तहत राज्य काम करता है तो डेमोक्रेसी एक व्यापक पैमाने पर काम करती है। देश में एक प्रकार की सरकार है, आप पसन्द करते हैं, अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो कान्स्टीट्यूशन वहां पर है। तो कल दूसरी प्रकार की सरकार आ सकती है। महारावल साहब ने कहा, विरोधी दल के नेता ने कहा कि यह सरकार है, यह नहीं चला सकेंगे। इसलिए मैं विरोध करता हूं। वह चले गये, मैं माननीय सदस्यों से, स्वतंत्र पार्टी के मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि वह यह प्रस्ताव तो स्वीकार कर दें कि स्वतंत्र पार्टी जब तक कांग्रेस हुकूमत में है तब तक नेशनेलाइजेशन नहीं चाहती, और जैसे ही स्वतंत्र पार्टी की हुकूमत आयेगी, वह नेशनेलाइजेशन को पसन्द करेगी...

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : इस प्रकार का प्रस्ताव आप पास कर दें।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे इसमें एतराज नहीं है, आप पसन्द कर सकते हैं, आप नापसन्द कर सकते हैं, एक हुकूमत को। परन्तु मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ मूल मुद्दे हैं, उन कुछ मूल मुद्दों के ऊपर राजनैतिक दलों को अपना दिमाग साफ रखना चाहिए। देश की अर्थ नीति है उसके बावत देश के लोगों का दिमाग साफ होना चाहिए....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): सिंडीकेट का ही दिमाग साफ नहीं है अभी तो।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे खुशी है कि जनसंघ ने जो उनकी निर्धारित नीति थी, उसके ऊपर यहां कहा। आखिर आप किसी कमीशन के जरिये यह तय करवाना चाहते हैं कि नेशनेलाइजेशन हो अथवा नहीं हो। संसद क्या है ? संसद तो किसी भी कमीशन से ऊपर है। वह संसद जब तय करती है तब फिर आखिर क्या जरूरत है हमको वहां पर जाकर फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अन्दर यह कहने की कि हम स्वीकार नहीं करते...

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : आपके सामने मजबूरी है इसलिए आप चाहते हैं। नहीं तो बीस वर्षों से नेशनेलाइजेशन क्यों नहीं किया ? आपके सामने मजबूरी है। आप डूबें नहीं, इसलिए आपने यह कदम उठाया है। नहीं तो बीस वर्ष पहले यह क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। आरम्भ रखिये।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर एतराज किया कि ओवर नाइट नेशनेलाइजेशन हो गया। अमुक तारीख को कांग्रेस ने, सरकार ने, गांधीजी ने यह कहा, कांग्रेस प्रेसीडेंट ने यह कहा था, यह बात यह थी। मैं एक निवेदन करूं, कांग्रेस का प्रोग्राम, कांग्रेस का आर्थिक दृष्टिकोण है क्या, यह एक बार नहीं अनेक बार चर्चा का विषय रहा है। आप हमको यह कह सकते हैं कि हम धीमे रहे हैं। आप यह कह सकते हैं कि देरी की है। मगर देश को यह बात नहीं कह सकते कि देश यह नहीं जानता था। कांग्रेस का ध्येय तो बैंक

(श्री हरिदेव जोशी)

राष्ट्रीयकरण का नहीं था लेकिन कांग्रेस ने राष्ट्रीयकरण कर दिया–यह आप नहीं कह सकते । आप यह कह सकते हैं कि आपने आर्डीनेन्स क्यों निकाला ? अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि कोई भी नेशनेलाइजेशन हो और खास कर बैंकों का नेशनेलाइजेशन इसी प्रकार ओवर नाइट आर्डीनेन्स लाकर ही करना पड़ेगा । अगर कोई यह सोचता हो कि पन्द्रह दिन तक, बीस दिन तक इस प्रकार से चर्चायें करके और आप किसी तरह से कोई बहुत बड़ी चीज कर सकते हैं तो मुझे उसमें शंका दिखाई देती है ? एक प्रकार से वोट देकर एक पोलिटिकल पार्टी के अन्दर आप विश्वास व्यक्त करते हैं आपके प्रोग्राम ऊपर और उसके की बहुत बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर, तो फिर चाहे वह बैंक नेशनेलाइजेशन हो, चाहे लाइफ इन्स्योरेन्स कारपोरेशन हो, अथवा इसी प्रकार दूसरी प्रकार की चीजों का नेशनेलाइजेशन हो–उसको आपको रातों रात आर्डीनेन्स तैयार करके ही करना पड़ेगा वरना समाज के अन्दर ऐसे तत्व हैं जो सेबोटेज करके आपके कदम को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर देंगे । इसलिए मैं यह भी कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर का यह कदम आर्डीनेन्स के जरिये, चाहे वह अड़तालीस घंटे पहले ही किया हो, संसद के अधिवेशन के, यह वाजिब था, आवश्यक था, अनिवार्य था । अगर ऐसा नहीं किया जाता, तो मैं ऐसा समझता हूं, इसके मार्ग में कई प्रकार के रोड़े आते, कई प्रकार की अड़चनें आती...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी स्टेट कांग्रेस के अध्यक्ष ने तो इस बात की आलोचना की है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री): कांग्रेस ने तो प्रस्ताव पास किया है उदयपुर में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान कांग्रेस तो पावर के साथ है, कांग्रेस के प्रेसीडेंट के साथ नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं एक बात कहूं, जहां आप एक प्रकार की बात कहते हैं, आपके दूसरे दूसरे साथी दूसरी प्रकार की बात कहते हैं, राष्ट्रीय, अराष्ट्रीय चीजों के बारे में कई प्रकार की बातें कहते हैं । मेरे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने दूसरी बात कही होगी , लेकिन मैं कहता हूं, आर्डीनेन्स के जरिये राष्ट्रीयकरण किया है तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई गुनाह नहीं किया है, उचित कदम उठाया है । अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग ऐसा कहते हैं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You are with the Prime Minister and not the Syndicate.

श्री हरिदेव जोशी : कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कम्यनिस्ट होती चली जा रही हैं, और देश में कम्यूनिज्म आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, कम्यूनिज्म, सोशलिज्म यह इज्म हैं क्या ? मैं कुछ मुद्दों को जानता हूं..

श्री मदनसिंह : विदेशों की गुलामी है।

श्री हरिदेव जोशी : आज इस देश में आपने यह जो सविधान स्वीकार किया है, देश के प्रतिनिधियों ने यह संविधान स्वीकार किया है, इसके अनुसार अगर निष्ठापूर्वक जो लोग इस देश को अपनी पितृ भूमि, पुण्य भूमि मानते हैं, इसकी अखण्डता के अन्दर विश्वास करते हैं और दूसरे विदेशों के जरिये इस देश के ऊपर कुदृष्टि नहीं रखना चाहते हैं, वह कम्यूनिस्ट, सोशलिस्ट, पी० एस० पी०, जनसंघ, एस० एस० पी० के लोग होवें, स्वतंत्र पार्टी के लोग होवें–मैं उनको दुश्मन नहीं कहता । मेरे उनके साथ आइडियोलोजिकल

(श्री हरिदेव जोशी)

डिफरेन्सेज हो सकते हैं, एप्रोचेज डिफरेन्ट हो सकते हैं, मगर जब हमने डेमोक्रेसी को स्वीकार किया है तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि वोट के जरिये जो लोग चुन कर आये हैं चाहे स्वतंत्र पार्टी के लोग हों, चाहे जनसंघ के लोग हों, चाहे कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग हों—वह अपनी राय को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरा उनसे कतई मेल नहीं बैठ सकता है जो लोग यह सोचते हैं कि वह कान्स्टीट्यूशन के जामे के अन्दर विधान सभा में, सरकार में चुन कर आकर, जो विदेशी ताकत है उनको मजबूत करने की बात करें—उनके साथ हमारा कोई मेल नहीं हो सकता। हमारी अगर किसी के साथ तकरार है तो उनके साथ में है, दूसरे किन्हीं लोगों के साथ नहीं हो सकती। अलबत्ता हमारा विचार भेद उनसे हो सकता है, हमारा मतभेद उनसे हो सकता है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, आखिर हम इस प्रकार संतुलन खोकर के किस चीज के लिए यह करना चाहते हैं? क्या देश में फिजा बनाना चाहते हैं? बैंक का नेशनेलाइजेशन हो गया तो न जाने क्या प्रलय हो गई? यह सब क्या फिजा पैदा की जा रही है। देश के अन्दर एक प्रकार के अखबार हैं—महारावल साहब यहां है नहीं, उन्होंने कहा, कांग्रेसी अखबार की कटिंग पढ़ कर सुनाई और कांग्रेसी अखबार था—हिन्दुस्तान टाइम्स। वह हिन्दुस्तान टाइम्स कि जिसने नेशनेलाइजेशन का एक प्रकार से विरोध किया, वह हिन्दुस्तान टाइम्स कि जिसने पिछले आम चुनाव में राजस्थान कांग्रेस का विरोध किया और स्वतंत्र पार्टी और दूसरे लोगों का समर्थन किया। उस हिन्दुस्तान टाइम्स के लिए कहते हैं कि वह कांग्रेस का अखबार है। अगर इस जानकारी के आधार पर हम देश की चीजों के बारें में कुछ असेसमेंट करना कहते हैं...

श्री मदनसिंह : बाद में समझौता हो गया था।

श्री हरिदेव जोशी : तो निश्चित रूप से गलत नतीजे पर पहुचेंगे। आज, अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा किया जाय, डेमोक्रेसी खतरे में नेशनेलाइजेशन के कारण नहीं आने वाली है, डेमोक्रेसी खतरे में, जो अमीर और गरीब का भेद है, वह नहीं मिटा तो आने वाली है। हमें जी तोड़ कर प्रयत्न करना है इस बात के लिए कि एक तरफ पूंजी का केन्द्रीकरण हो रहा है दूसरी तरफ साधारण से साधारण आदमी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन नहीं मिल रहे हैं। जो लोग डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं वे ईश्वर के लिए समझें कि गरीब की हालत क्या है। आवश्यकता इस बात की है कि देश के गरीब और मजदूर लोगों को ऊंचा उठाने के लिए गंभीरता से सोचा जाय। एक नारा बुलंद किया जाय कि जो लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं वे इस बारे में सोचें। मगर डेमोक्रेसी शब्द का कितना दुरुपयोग किया जाता है। जहां इस प्रकार के विचारधारा के लोग हैं, वे ठीक उसी प्रकार काम करते हैं जो टोटलीटेरियन स्टेट में काम करते हैं। फिर भी कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप उद्योग मंत्री हैं। आप बतायें कि कितने गरीब और कितने उद्योगपतियों को कर्जा दिया है? इम्पोर्ट लाइसेन्स कितनों को दिए हैं?

श्री हरिदेव जोशी : आप शालीनता बरतें । आपके पार्टी के सदस्य जब बोल रहे थे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था । तो मैं निवेदन कर रहा था कि डेमोक्रेसी तब खतरे में आएगी जब डेमोक्रेसी के तहत आदमी का धैर्य समाप्त हो जायगा; डेमोक्रेसी तब खतरे में आएगी जब हम कामन मैन की फिक्र नहीं करके कुछ हैव्ज का सोचेंगे । किस प्रकार हैव्ज बैंकों पर अधिकार करके बैठे हैं, उनकी चिन्ता करें और साधारण आदमी की नहीं, तब डेमोक्रेसी खतरे में आएगी ।

आज कहा जाता है कि डिपाजिटर्स की पूंजी पर बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ट्रस्टी के रूप में काम करते आ रहे थे, वह तो ट्रस्ट है, इस सेक्रेड मनी को सरकार को लेने का अधिकार है । सेक्रेड मनी किसकी ? ट्रस्टी कौन ? ट्रस्टी देश की संसद है या देश के चंद लोग ? सबसे बड़ा ट्रस्टी है तो देश की संसद है । इसलिये यह सेक्रेड मनी आखिर किसको दी गई ? विदेशों से जो पूंजी कर्ज के रूप म आज आती है देश के अंदर वह भी कर्जे के रूप में दूसरे लोगों को वितरित की जाती है, उसकी गारंटी भारत सरकार देती है । यह डिपाजिटर्स की जो पूंजी है, क्या माननीय सदस्य समझते हैं जो यह सोच हैं कि डिपाजिटर्स की पूंजी खतरे में पड़ जायगी क्या उनका तात्पर्य यह है कि डिपाजिटर्स को पैसा वापस नहीं मिलेगा, जो ब्याज है वह नहीं मिलेगा, जो डिबेन्चर्स हैं वे नहीं मिलेंगे ? यह मतलब है ? यह तो गैरन्टीड अमाउंट है । जब भारत सरकार ने टेकोवर किया तो गैरन्टीड है । जिस प्रकार से हमें विदेशों को अपना कर्जा चुकाना है, उसी प्रकार भारत सरकार हर शेयर होल्डर, हर डिपाजिटर के पैसे के बाबत में उसी प्रकार से वचनबद्ध है उस पैसे को जब भी चाहे वापस देने को । इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि डिपाजिटर्स की पूंजी कहीं खतरे में है । जो बड़े लोग कहते हैं कि अगर डिपाजिटर्स के पैसे का इल-इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे जो रिटर्न आनी चाहिए वह नहीं आएगी । इस प्रकार से पूंजी डूब जायगी । तो जब मिनीमम गैरंटी है वह तो उनको मिलती ही है, उसके बाद डूबने का खतरा नहीं है । अलबत्ता यह बात होगी कि जिस प्रकार मर्जी माफिक कुछ लोगों को कर्जा दे देते थे, सट्टा होता था तेल पर, अनाज पर, तिलहन पर, उस प्रकार के एडवान्सेज अब नहीं होंगे । अब जो एडवान्सेज होंगे वे अमुक अमुक सेक्टर्स में नियंत्रित होंगे । इसलिए जरूरत इस बात की है कि आज जो कानून है, हमारा जो नियंत्रण है उसको ढीला करके जो नीडी आदमी हैं, जरूरतमंद हैं, उनको दिया जाय ।

एक उद्योगपति यदि कोई कर्जा लेता है बैंक से तो उसको 9 प्रतिशत ब्याज पर मिलता है । किन्तु मान लिया जाय कई लोनिंग एजेन्सीज होती हैं, ट्रक्स पर, बसेज पर या दूसरी चीजों पर एडवान्सेज देती हैं तो 20, 22, 25 या 33 प्रतिशत ब्याज पर देती है । मतलब क्या है ? मतलब यह है कि छोटे आदमियों को ज्यादा सुविधायें मिलें और जो पूंजी है एक ही जगह एक्यूमुलेट होती है वह न हो और जो मुनाफा है, उसका वितरण इस प्रकार से हो कि जो अधिक से अधिक नीचे तबके के लोग हैं उनको अधिक से अधिक लाभ मिले ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कहा कि इसका सरकारीकरण होने से नौकरशाही इस पर हावी हो जायगी और ठीक से काम नहीं कर सकेंगे । यह कहना सही नहीं

(श्री हरिदेव जोशी)

है कि बैंक राष्ट्रीयकरण पिछली 19 तारीख को हुआ है। जो सबसे बड़ी बैंक है, जैसे मेरे साथी ने कहा, भारत की इम्पीरियल बैंक थी, उसे स्टेट बैंक के रूप में किया गया। क्या जो स्टेट बैंक है उसमें बड़े बड़े पैसे वालों का जिनकी अपनी बैंक्स हैं, उनका पैसा जमा नहीं है? उनका भी उनके अंदर पैसा जमा है। आज बिरला, जे० आर० डी० टाटा और दूसरे लोगों के पैसे स्टेट बैंक के अंदर हैं। उन्होंने क्यों जमा किया? बहुत बड़ा अमाउंट है। उन्होंने इसलिए रखा कि अपने बैंकों के साथ साथ स्टेट बैंक में भी उनका विश्वास है। अगर स्टेट बैंक के पीछे सरकार की ताकत नहीं होती, गैरंटी नहीं होती तो कोई भी आदमी चाहे पैसे वाला हो, चाहे दूसरे लोग हों, किसी भी बैंक में पैसा जमा नहीं कराते।

हमारे देश के अन्दर गांवों के अन्दर आम तौर से पैसा जमीन में गाड़ने का रिवाज था। क्योंकि आदमी यह समझता था कि तीसरे आदमी के पास पैसा रखेगा जिसको वह जानता नहीं है तो वह पैसा रहेगा या नहीं। सरकार की गारन्टी है तो 80।85 प्रतिशत सेविंग्स डिपोजिट हुई हैं। हिन्दुस्तान में अज्ञानता है, शिक्षण की कमी है फिर भी इतना पैसा जमा हुआ वह कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो भ्रम है......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह दूर हो गया है।

श्री हरिदेव जोशी : विरोधी दल के नेता महोदय ने जो बुजुर्ग हैं कहा कि वह पैसा मिनिस्टरों के पास चला जावेगा, भाई-भतीजों में चला जावेगा.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और कहीं चला जावेगा।

श्री हरिदेव जोशी : स्टेट बैंक के पास आया है तो वह पैसा कैसे दूसरी जगह चला जावेगा? इस प्रकार की धारणायें, इस प्रकार का अज्ञान यह बताता है कि हमारी जानकारी नहीं है अथवा यह बताता है कि हम चाहते क्या हैं जो सोचते हैं वह कहते नहीं। दरअसल में जो हम सोचते हैं वह साफ साफ कहें तो हिन्दुस्तान का आम अवाम समझ ले कि उनका कहना कितने सीमित दायरे में और छोटे लोगों के लिये है।

अध्यक्ष महोदय, एडवान्सेज देश म हुए हैं। दस हजार से अधिक इण्डस्ट्रीज को नहीं हुए हैं—छोटी और बड़ी। पचास करोड़ लोग देश के हैं लेकिन लगभग बीस करोड़ आदमी भी ऐसे हैं जो किसी न किसी काम पर लगे होंगे, चार पांच व्यक्तियों की एक फेमिली को मान लें तो लगभग दस करोड़ लोग ऐसे हो जाते हैं जिनके पास हमारे बैंक पहुंच सके हैं। पिछले दिनों एग्रीकल्चर में एडवान्सेज बतलाये गये, कल्टीवेटर्स, चाय बागान को पैसा दिया गया उसको अलग कर दिया जाय तो जो परसेंन्टेज आज आता है, वह नहीं आवेगा। छोटी इन्डस्ट्रीज के पास ये बैंक नहीं पहुंच सके हैं। इस सामाजिक दृष्टिकोण से यह राष्ट्रीकरण है। देश के उन गरीब लोगों के पास यह बैंक्स पहुंच सकें और जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसके इम्प्लीमेन्टेशन म यह साधन काम में आवें।

अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर यह भी कहा गया है कि केवल इतना ही नहीं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। चोदह का ही, और ज्यादा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। मैंने पूरे प्रस्ताव का समर्थन

(श्री हरिदेव जोशी)

किया है। इम्प्लीमेन्टेशन करने की जिम्मेदारी गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया की है। एक नीति का निर्धारण हम अपनी तौर से चाहते हैं। वे जिस क्षण भी कदम उठायें और दूसरे बैंकों को नेशनेलाइज करें...

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): विदेशी बैंकों का क्या होगा ?

श्री हरिदेव जोशी: वे जब चाहें नेशनेलाइज करें। मैं समझता हूं कि इस बात से सब सहमत हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण से ही सब बातें हो जावेंगीं यह बात नहीं है। आयात निर्यात का राष्ट्रीयकरण, विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण आदि और भी हैं। विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा कि नेशनेलाइजेशन कर दिया लेकिन प्रोग्राम क्या है यह नहीं कहा। कांग्रेस का टेन पोइन्ट प्रोग्राम है और हम यह चाहते हैं कि उस टेन पोइन्ट प्रोग्राम को अमली जामा पहिनाया जाय। जब आवश्यक हो तब पहनाया जाय।

यहां यह भी कहा गया कि वादा खिलाफी है। बंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिये नहीं किया जाना चाहिये कि राजाओं के साथ वादा किया था प्रिवी पर्स का कि उसको टच नहीं किया जावेगा। अध्यक्ष महोदय, एक पोलिटिकल डिसिजन का पोलिटिकली हल किया गया। राजाओं के प्रिवीपर्स पर पांच करोड़ रुपया खर्च होता है। भारत जैसा देश चार पांच करोड़ रुपयों को उतना महत्व नहीं देता। मैं अपने दृष्टिकोण से कहता हूं कि दो प्रकार की नागरिकतायें इस देश में नहीं चल सकतीं। दो प्रकार के सामान्य नागरिक हों, कोई गुनाह करे उसको पुलिस कटघरे में पकड़ कर रखे और दूसरा नागरिक जिसको न अदालत पूछ सकती है और न पुलिस पूछ सकती है। अध्यक्ष महोदय, हमारा कन्सेप्ट रहा होगा कोई राजाओं के बारे में। अब वह कन्सेप्ट बदल गया है। वे स्वयम् चाहते हैं कि आम लोगों में मिक्स हों। लेकिन जिस किसी के साथ पूर्वाग्रह चिपक जाता है वह छूटता नहीं है। राजा-महाराजाओं के साथ यह पूर्वाग्रह चिपका हुआ है। जितना जल्दी उनका इससे पिण्ड छूटे उतना ही अच्छा है। एक तरफ महाराजा और राजा कहा जाता है और दूसरी तरफ एक साधारण नागरिक समझा जाता है। विविध प्रकार के झंडे रखे जाते हैं, भारत का एक ही ध्वज है, पूर्व की राजाशाही की शान शौकत की दृष्टि से अलग अलग ध्वज फहराये जाते हैं, लाल प्लेट की अलग तरीके की गाड़ियां चलती हैं दो प्रकार की नागरिकता का भ्रम अब इस देश में नहीं चल सकता।

श्री मदनसिंह दांता: इस व्यवस्था का समर्थन कौन बदमाश कर रहा है ?

श्री हरिदेव जोशी: जैसा कि कहा गया कि कांग्रेस का टेन पांइन्ट प्रोग्राम जब भी समय होगा उस पर अमल करना चाहिये।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: कश्मीर पर क्यों रखा है फिर आपने ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): यह हमारी कमजोरी की निशानी है।

श्री हरिदेव जोशी: अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव रखा है उसको मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामकिशनजी।

श्री रामकिशन: अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि सदन के अधिकांश सदस्यों ने और दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

(श्री रामकिशन)

और मैं यह समझता हूं कि जैसा जोशी जी ने कहा, महारावल साहब का अपना दृष्टिकोण है उन्होंने भी यहां तक कहा कि आज की परिस्थितियों में राष्ट्रीयकरण बुरा नहीं है। स्वतन्त्र पार्टी की नीति क्या है और महारावल साहब की नीति क्या है वह तो वही जानें। स्वतन्त्र पार्टी टूट कर समाजवादी पार्टी राजस्थान में बन सकती है। जनसंघ के माननीय श्री कृष्णकुमारजी ने, औरों न न तो समर्थन किया किन्तु एक दो प्रश्न पूछे। उनके लिये जबाब क्या दूं। उनके दल का घोषणा पत्र क्या है ? दो बातें कहते हैं। हम गरीबी मिटाना चाहते हैं, विकेन्द्रीकरण चाहते हैं गरीब अमीर का भेद मिटाना चाहते हैं। ऊपर के वर्ग की आमदनी की सीमा को बांधे बगैर नीचे के आदमी की हालत कैसे सुधरेगी अगर ऐसा जादू मंतर भैरोंसिंहजी और कृष्णकुमारजी के पास हो तो सात दिन तक उनके बंगले का चक्कर लगाने के लिये तैयार हूं।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास खिलाने पिलाने को नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह तो मौके की तलाश में थे।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, जनसंघ में भी अन्तर्द्वन्द है। बारह पन्द्रह साल से जनसंघ की आर्थिक नीतियों में मामूली तब्दिली हो रही है और कोई दिशा पकड़ना चाहता है। मल रूप में कह दिया उन्होंने कि वे इस प्रस्ताव के विरोध में खड़े हुए हैं। स्वतन्त्र पार्टी के अधिकांश सदस्य और जनसंघ के अलावा दूसरों ने इसका समर्थन किया है। मुझे अब इसमें भ्रम नहीं रहा है, दो एक बातों के बारे में भ्रम था, वह जोशी जी के भाषण से स्पष्ट हो गया है। यह समझा जाने लगा था कि राष्ट्रीयकरण से जिन लोगों की जमा पूंजी है उसको भी सरकार अपने हाथ में ले लेगी और उनका अधिकार समाप्त हो जावेगा। किन्तु इन्वेस्टमेन्ट की दिशा बदलने के लिये सरकार ने उसको अपने हाथ में लिया। यह अच्छी बात है क्योंकि कोई भी सरकार है, कांग्रेस की सरकार कोई हमेशा रहने वाली नहीं है और मौजूदा कांग्रेस भी टूटे बगैर नहीं रह सकती वैसी सूरत में सरकार के हाथ में यह रहे तो कोइ अनुचित बात नहीं है।

श्री मदनसिंह : यह तो यही कांग्रेस रहेगी और आपको नचाती रहेगी।

श्री रामकिशन : सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तो विरोध करने का सवाल कहां है देश के हालात में एक वर्ग ने स्थिति पैदा की पब्लिक सेक्टर के विरोध में लेकिन यह जानबूझ कर किया गया। 45 साल की वादा खिलाफी के बाद भी सही रास्ते पर आये तो मैं इस कदम का स्वागत करूगा।

माननीय डागाजी ने एक बात कही और चौधरी साहब ने कहा कि आपके जलूसों से राष्ट्रीयकरण नहीं किया। अगर आप सच्चे कांग्रेसी हैं, मैं जानता हूं पुराने क्रान्तिकारी हैं, जोशीजी भी कांग्रेस में रहे हैं, जानते हैं कि कराची कांग्रेस का प्रस्ताव था। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट सब उस कांग्रेस में थे और उस समय सबने बहुमत से प्रस्ताव पास किया था कि स्वतन्त्रता के बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जावेगा। उन भाषणों को यदि पढ़े तो सन् 47 में ही राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये। बीस वर्ष की आजादी के बाद, इतनी देर से इसको लाये

(श्री रामकिशन)

तब भी हम उसका स्वागत करेंगे प्रगतिशील कदम के लिये। लेकिन जो मजबूरियां हैं और जिसके कारण से यह हुआ है उसको भी हम जानते हैं। इन्दिराजी को भी हम जानते हैं प्रधान मंत्री की हैसियत से भी और बिना प्रधानमंत्री की हैसियत से भी। कांग्रेस की अन्तरंग असन्तोष के कारण यह कदम उठाया है या चाह किसी कारण से उठाया है लेकिन भले कारण से उठाया है तो हम उसका स्वागत करते हैं। एक दूसरी बात बार बार सदन में उठायी जाती है खास तौर से जनसंघ के लोग कहते हैं कि लोकतन्त्र नहीं रहेगा। काफी सफाई जोशीजी ने दी। आप समझते हैं कि लोकतन्त्र को तोड़ने वाले हैं? जनसंघ की बुनियाद नहीं थी तब भी हम जनतन्त्र को तोड़ने वाले लोग नहीं थे? आप यह समझते हैं कि कम्युनिस्टों की तरह हम बरदाश्त करेंगे। यह रास्ता हमें पसन्द था, आर्थिक नीतियों के मामले में हम नजदीक हैं। लोकतन्त्र के ज्यादा आस्थावान हैं। समाजवाद बिना राष्ट्रीयकरण के नहीं हो सकता। कुछ मेरे साथी कहते हैं कि लोकतन्त्र और समाजवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते है। आप किसी विदेशी संघर्ष की मिसाल देकर देख डाले। मैं आपको बताऊं जहां समाजवाद है, वहां लोकतन्त्र भी चल रहा। नार्वे, स्वीडन और डेन्मार्क इसके उदाहरण हैं। जनसंघ के निहित स्वार्थ के लोग और जो छोटे और कमजोर सदस्य हैं, उनमें भ्रम फैलाना चाहते हैं। उनका भ्रम तोड़ने के लिये ही यह रखा है। केवल प्रश्न तो यह है कि गरीबी मिटे और इस राष्ट्रीयकरण के पीछे यही उद्देश्य था। अब इससे भी बड़े उद्देश्य के लिये आपको तैयारी करनी है। एक कमीशन सरकार को बनाना चाहिये। यह कमीशन अर्थ शास्त्रियों का हो सकता है, जो यह बतावे कि राष्ट्रीयकरण के लिये क्या परिस्थिति हो गई और आज देश की जो आर्थिक स्थिति है, उसकी तस्वीर सामने रखदे तो कमीशन भी इसके अलावा और कोई फैसला नहीं देगा। रूस, अमेरिका हमें कर्जा देने को तैयार नहीं हैं। विकास की गति रुक गयी है, इसलिये कोई कमीशन चाहे वह अर्थ-शास्त्रियों का हो, इस रास्ते को गलत बता दे, ऐसा नहीं होगा। महज राजनीतिज्ञों का अखाड़ा ही यह कह सकता है। राष्ट्रीयकरण सभी पब्लिक सैक्टर का होना चाहिये। पी० के० साहब जमीन के राष्ट्रीयकरण की बात ले आये। मैंने कहा था कि आज जो जमीन के सीलिंग की बात है, बंटवारे की बात है, आजादी के बाद हमारी आबादी बढ़ रही है, तो हम हर दिन बैठे नहीं रह सकते। तब हमारे सामने ऐसी स्थिति आ सकती है कि हमें इस कदम पर भी विचार करना पड़े। जो संशोधन इस संकल्प पर रखे हैं, उनको मैं अस्वीकार करता हूं और मैं यह निवेदन करता हूं उनको वापिस लें और जो मूल प्रस्ताव है, वह बहुत ही व्यवहारिक है और उसको ध्यान में रखते हुए इसको सारा सदन स्वीकार करेगा और इस स्पष्टीकरण के बाद जनसंघ जो अपने आर्थिक मामले में दक्षिणपंथी रुख रखता है, उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या श्री जुझारसिंह को अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा दी जाय?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन वापिस लिया गया।

श्री मनोहरसिंह मेहता !

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं अपने संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या श्री मनोहरसिंह मेहता को अपने संशोधन को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(आज्ञा प्रदान की गई।)

श्री मनोहर सिंह मेहता: मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : संशोधन वापिस लिया गया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या श्री यशवन्तसिंह नाहर को संशोधन वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : संशोधन वापिस लिया गया।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री रामकिशन, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, श्री रामनारायण चौधरी, श्री मूलचंद डागा, श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया है कि 19 जुलाई, 1969 को भारत सरकार द्वारा देश के कुछ बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के फैसले का यह सदन स्वागत करता है। साथ ही साथ यह सदन सिफारिश करता है कि शीघ्र ही शेष सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जायें, उसे स्वीकार कया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थागित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक रात्रि के 7 बजकर 45 मिनिट पर दिनांक 14-8-69 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट संख्या 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 28 की सूची)

Statement of suspended amount on the basis of the information received from Collectors

S. No.	Name of District	Amount in Rupees
1.	Ajmer	36,97,971
2.	Alwar	98,548
3.	Banswara	18,06,480
4.	Barmer	30,60,664
5.	Bharatpur	2,520
6.	Bhilwara	28,21,251
7.	Bikaner	14,66,751
8.	Bundi	4,36,340
9.	Chittorgarh	13,03,515
10.	Churu	22,03,304
11.	Dungarpur	7,77,886
12.	Ganganagar	35,40,946
13.	Jaipur	86,83,309
14.	Jaisalmer	3,20,337
15.	Jalore	39,32,524
16.	Jhalawar	2,59,718
17.	Jhunjhunu	29,64,497
18.	Jodhpur	39,00,552
19.	Kota	7,14,003
20.	Nagaur	2,52,074
21.	Pali	63,36,340
22.	Sawaimadhopur	8,28,723
23.	Sikar	24,51,834
24.	Sirohi	9,51,990
25.	Tonk	27,96,015
26.	Udaipur	19,90,040
	TOTAL	5,85,98,132

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग) विभाग

जयपुर, दिनांक 18 नवम्बर, 67

आज्ञा

क्रमांक एफ० 7 (86) रज० (ग) 67 :— राज्य सरकार ने राजस्थान में अकालग्रस्त इलाकों में लगान, तकावी आदि की वसूली हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी :—

(1) राज्य के किसी भी क्षेत्र में लगान की वसूली किसी अच्छी फसल के वर्ष में इस प्रकार की जायेगी कि किसी भी कृषक से दो वर्ष से अधिक का लगान एक साथ वसूल न हो।

(2) यदि किसी क्षेत्र में दो वर्ष लगातार अकाल की स्थिति रहे तथा उसके कारण लगान की वसूली स्थगित होने के पश्चात् तीसरे वर्ष अच्छी फसल हो तो वसूली निम्न प्रकार से होगी :—

(क) लगातार दो वर्षों तक अकाल की स्थिति होकर तीसरे वर्ष फसल अच्छी होने की अवस्था में तीसरे वर्ष का लगान यथावत् वसूल होगा।

(ख) तीसरे वर्ष की लगान वसूली के साथ अकाल के दूसरे वर्ष के लगान की भी वसूली की जावेगी।

(ग) अकाल के पहले वर्ष के लगान की वसूली माफ करने के संबंध में संबंधित जिलाधीश जांच करके नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(3) यदि किसी क्षेत्र में तीन वर्ष अकाल रहा हो और उनके कारण लगान की वसूली स्थगित होने के पश्चात् चौथे वर्ष में अच्छी फसल हुई हो तो वसूली निम्न प्रकार से होगी :—

(क) लगातार तीन वर्ष तक अकाल की स्थिति होकर चौथे वर्ष फसल अच्छी होने की अवस्था में चौथे वर्ष का लगान यथावत् वसूल होगा।

(ख) चौथे वर्ष के लगान वसूली के साथ अकाल के तीसरे वर्ष के लगान की भी वसूली की जायेगी।

(ग) अकाल के दूसरे वर्ष के लगान की वसूली माफ करने के संबंध में संबंधित जिलाधीश जांच करके नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(घ) शेष अकाल के प्रथम वर्ष के लगान की वसूली स्वतः (Automatic) माफ मानी जावेगी।

(4) तकावी की वसूली के संबंध में निम्नलिखित पद्धति का अनुसरण किया जावेगा :—

(क) किसी भी अच्छे वर्ष में कृषक से एक साथ दो से अधिक किस्तें वसूल नहीं की जायेंगी। यदि वह स्वेच्छा से किस्त देना चाहे तो उसे राज्य सरकार स्वीकृति करेगी।

Page No 178

इन व्यक्तियों से दाण्डिक ब्याज (Penal Interest) वसूल नहीं किया जायेगा ।

(ख) जिन लोगों में पुरानी तकावी की वसूली बाकी हो और जिन्होंने बीच में अच्छी फसल आने पर भी उसकी अदायगी नियमानुसार नहीं की हो, उनसे अधिक से अधिक तीन किस्तों की वसूली एक साथ की जावे। ऐसे व्यक्तियों से दाण्डिक ब्याज एकमुश्त वसूल किया जावे।

आज्ञा से,

ह०

(नारायणचन्द भटनागर)

राजस्व सचिव ।

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

मांडलगढ़ में कमाण्ड एरिया की भूमि का अलॉटमेंट

45. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ) :—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ के श्री भंवरलाल खटोड, श्री सुगनचन्द जैन तथा श्री राधाकृष्ण खाती को राजस्व विभाग से बाला बाला पन्द्रह पन्द्रह बीघा जमीन कमान्ड एरिया की हर व्यक्ति को अलॉट की गई है ?

(2) यदि हां, तो क्यों ? क्या यह राजनीतिक पीड़ित हैं और कभी जेल में गये हैं ?

(3) यदि जेल में गये हैं, तो कब ?

(4) एक एक बीघा जमीन का दो दो हजार देने वाली जमीन को इस प्रकार अलोट करने के क्या क्या कारण हैं ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में विचाराधीन मामले

46. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास किस किस वर्ष के कितने कितने मामले विचाराधीन हैं जिनमें काबिल दस्तन्दाजी पुलिस होते हुए भी एफ० आई० आर० पेश नहीं की गई ?

(ख) इसके प्रत्येक में क्या कारण हैं ? कृपया जिनके विरुद्ध जांच चल रही है उनके नाम सहित तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ।

उत्तर

(क) ऐसे 887 केसेज हैं । सालवार संख्या की सूची संलग्न है ।

(ख) चूंकि राज्य कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही है अतः उनके विषय में उल्लेख करना जनहित में नहीं होगा।

वर्षवार विचाराधीन प्राथमिक जांचों का विवरण

1960	1
1961	1
1962	5
1963	6
1964	9
1965	24
1966	44
1967	130
1968	365
1969	302
टोटल :	887

ग्राम सांडपुर में भूमि का अलॉटमेंट

47. **श्री जभारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सांडपुर, तहसील रामगंज मंडी में किसी शहरी व्यक्ति

(श्री जुझारसिंह)

के नाम ऐसी जमीन अलॉट की गई है जिसमें गांव के शमशान व मवेशियों के बैठने की भूमि शामिल है ?

(2) क्या यह सही है कि यह भूमि ऐसे व्यक्ति के नाम अलॉट हुई है जिसके मकान में तहसीलदारान अमूमन रहते आए हैं और जिसके पास दूसरे गांवों में भूमि मोजूद है ?

(3) क्या इस भूमि के अलाटमेंट को निरस्त करवाने व गांव के सार्वजनिक स्थानों को गांव के उपयोग हेतु काम म लाने देन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गांव वालों ने व जन प्रतिनिधियों ने सरकार को लिखा हुआ है ? यदि हां, तो अब तक इस पर कार्यवाही नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

मकराना में प्लॉटों का बेचान

48. **श्री विजय सिंह** (मकराना): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना नगरपालिका के पीर की दरगाह मौहल्ले में सोलह खेजड़ियों के पास एक नाले की भूमि को समतल कर प्लाट बनाये गये थे ?

(2) जहां यह प्लॉट बने उस भूमि की लम्बाई चौड़ाई कितनी है व कितने प्लॉट किस किस नाप के बने व किन किन व्यक्तियों को कितने कितने रुपयों में किस हिसाब से दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) इन प्लॉटों को बनाने में कुल कितना रुपया खर्च किया गया व कुल कितनी आमदनी हुई ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) कुल क्षेत्र 21,300 वर्ग गज है जिसमें चैयरमेन, नगरपालिका ने 28 प्लाट बनाये ।

(1)	14 प्लॉट	40′ × 60′
(2)	9 प्लॉट	45′ × 80′
(3)	1 प्लॉट	80 × 60
(4)	4 प्लॉट	60 × 60

प्लॉट देने सम्बन्धी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) अब तक बेचे गये 20 प्लॉटों के विक्रय से 13,900) रुपयों की आय हुई है । व्यय 9,034.05 हुआ है ।

8 प्लाट विक्रय होना शेष है ।

नाम प्रार्थी		प्लॉट नं०	लम्बाई. चौड़ाई टोटल	राशि	डवलपमेन्ट खर्च राशि	योग	रसीद सं०	दिनांक	सेल सर्टिफिकेट	दि०	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	श्री अब्दुल सलाम पुत्र ईसाजी रान्दड	11 ए	60–0×60'–0=900	675.00	135.0	810.0	1,110	26-11-63	172	4-5-64	
2.	श्री अब्दुल गफार पुत्र ईसाजी रान्दड	12 ए	60–0×60'–0=900	675.00	135.0	810.0	475	31-10-63	173	,,	
3.	श्री अब्दुल रजाक पुत्र ईसाजी रान्दड	13 ए	60–0×60'–0=900	675.00	135.0	810.0	1,111	26-11-63	174	,,	
4.	श्री न्याज मोहम्मद पुत्र ईसाजी रान्दड	14 ए	60–0×60'–0=900	675.00	135.0	810.0	176	31-10-63	175	,,	
5.	श्री हाजी मोहम्मद पुत्र घोलूजी चौधरी	10 ए	80–0×45'–0=900	675.00	135.0	810.0	479	31-10-63	177	,,	
6.	श्री घोलू पुत्र निजाम जी चौधरी	9 ए	80–0×45'–0=900	675.00	135.0	810.0	480	31-10-63	178	,,	
7.	श्री करीम शाह गीगा शाह	7 ए	80–0×45'–0=900	675.00	135.0	810.0	487	31-10-63	180	,,	
8.	श्री फकीर मोहम्मद छोटू शाह	6 ए	80–0×45'–0=900	675.00	135.0	810.0	488 494	31-10-63	180	,,	
9.	श्री मोहम्मद शफी तरयबजी	8 ए	80–0×45'–0=900	675.00	135.0	810.0	482 1,119	31-10-63 30-11-63	181		

10. श्री इमामुद्दीन फकीरमोहिम्मद	4ए	80–0×45'–0=900	675.0	135.0	810.0	492 1,106	31-10-63 14-11-63	182	"
11. श्री निजामुदीन अब्दुल वहीद वगैरा	5ए	80–0×60'–0=1200	900.0	180.0	1080.0	1,122 1,127 1,131	30-11-63 10-12-63 11-12-63	183	"
12. श्री हाजी हाफज अब्दुल्ला	1बी	60–0×40'–0=600	450.0	90.0	540.0	489 414	31-10-63 27-11-63	184	"
13. श्री अब्दुल कादर अब्दुल करीम	5बी	60–0×40'–0=600	450.0	90.0	540.0	481 414	31-10-63 27-11-63	185	"
14. श्री अब्दुल करीम मौलाबक्ष	30बी	60–0×40'–0=600	450.0	90.0	540.0	481 1,115	31-10-63 27-11-63	186	"
15. श्री हा० मो० सय्यद जान मोहम्मद	6बी	60–0×40'–0=600	450.0	90.0	540.0	478	31-10-63	187	"
16. श्री मोहम्मद रमजान पुत्र जुम्मा	7बी	60–0×40'–0=600	450-0	90.0	540.0	491	31-10-63	188	"
17. श्री नथूअली	8बी	60–0×40'–0=600	450.0	90.0	540.0	496 1,116	4-11-63 30-11-63	189	"
18. श्री मोहम्मद याकूब अल्ला हरख	11बी	60–0×40'–0=600	450.0	40.0	490.0	1,129 1,130	10-12-63	190	"
19. श्री रहीमबक्ष नूर मोहम्मद	2बी	60–0×40'–0=600	450.0	90.0	540.0	1,126	10-12-63	191	"
20. श्री ईरशाद अली विलालुदीन	14बी	60–0×40'–0=600	200.0	90.0	200.0 250.0	1,128 6,112	10-12-63 27-4-64 28-8-64	223	" सेल सर्टी-फिकेट जारी नहीं किया गया।

कस्बा नोहर में समाजवादी कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध दर्ज मामले

49. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा नोहर के समाजवादी कार्यकर्त्ताओं पर दिनांक 10-10-67 को श्री मनफूलसिंह, राज्य मंत्री के नोहर दौरे पर काले झण्डे दिखाये जाने के कारण डाके व चोरी के मुकद्दमें पुलिस में दर्ज हुए थे ?

(2) क्या यह सही है कि नोहर में 10-10-67 को कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध डाके का मुकद्दमा नगरपालिका के कर्मचारियों की तरफ से किया गया था ? यदि हां, तो किस कर्मचारी ने किन किन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकद्दमा थाना पुलिस नोहर में कब कब व कितने रुपयों के डाके को दर्ज कराया और उस मुकद्दमे का क्या हुआ ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त मामले की जांच करवा कर दोषी कर्मचारियों को सजा दिलवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । मुकद्दमें काले झण्डे दिखाने के कारण नहीं किन्तु वहां स्वागतार्थ बनाये गये गेट व कपड़े फाड़कर व पोल उखाड़ कर सरका कर ले जाने के कारण 2 केसेज दर्ज कराये गये थे ।

(2) नगरपालिका कर्मचारियों की ओर से एक रिर्पोट थाना नोहर पर दिनांक 11-10-67 को करीब 60 मीटर छींट, 34 मीटर टूल व कुछ बांस चोरी कर ले जाने की इत्तला पर केस नं० 102/67 ह० द० 379, आई० पी० सी० बखिलाफ लादूराम, महावीर प्रसाद, केदारनाथ, शिवशंकर, मोडूराम, मित्रसेन, पन्नालाल व नूरमोहम्मद दर्ज किया गया था। इस केस में दि० 28-12-67 को फाईनल रिर्पोट अदमपता माल व मुल्जिमान दी जा चुकी है ।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

नगरपालिका देशनोक के अध्यक्ष का त्याग-पत्र

50. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्री नेमीचन्द गुलगुलिया नाम के कोई व्यक्ति देशनोक नगरपालिका के अध्यक्ष थे ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या उपरोक्त श्री गुलगुलिया ने कभी अपने पद से त्याग-पत्र किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिया था ? वह मजिस्ट्रेट कौन थे ? क्या वह त्याग-पत्र मंजूर हो गया था ?

(3) क्या बाद में उक्त श्री गुलगुलिया ने यह कथन किया था कि मैंने कभी त्याग-पत्र नहीं दिया ? यदि हां, तो क्या श्री गुलगुलिया के इस कथन पर मजिस्ट्रेट का जवाब प्राप्त किया गया ? यदि हां, तो उस पर संबंधित मजिस्ट्रेट ने क्या जवाब दिया ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

आर. ए. सी. से सिविल पुलिस में तबादले

51. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की पुलिस चार विभागों में सिवाल, आर्म्ड, आर० ए० सी० और वायरलेस में बंटी हुई है ?

(श्री श्रवणलाल)

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त चारों विभागों में सिलेक्शन और ट्रेनिंग के तरीके अलग अलग हैं और इसके कारण एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तर नहीं होता है ?

(3) गत पांच सालों में किन किन को कब कब आर० ए० सी० के प्लाटून कमांडर से सिविल पुलिस में किन परिस्थितियों में तबादला किया गया और इस समय ऐसे कितने लोग वहां पर किस किस पद पर नियुक्त हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त तबादले पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों के रिश्तेदारों के किये गये हैं ?

(5) क्या इस सम्बन्ध में असन्तोष है ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । चारों विभागों में नियुक्ति तथा प्रशिक्षण का तरीका अलग 2 हैं । आर० ए० सी० को छोड़ कर एक विभाग से दूसरे विभाग में विशेष परिस्थितियों में ही राज्य सरकार की अनुमति से सबआर्डिनेट पुलिस सर्विस रूल्स के नियम 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरण हो सकते हैं ।

(3) गत पांच वर्ष में आर० ए० सी० के प्लाटून कमान्डर से सिविल पुलिस में ट्रान्सफर्स होना पाये जाते हैं । इनके वैधता के विषय में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाकर उपयुक्त निर्णय लिया जावेगा ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं ।

शार्दुलगंज बीकानेर में प्लॉट्स की निलामी

52. **श्री ओम दत्त भाटी** (सरदापुरा, जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बीकानेर में नगर सुधार न्यास द्वारा शार्दूलगंज में दिसम्बर, 65 में कुछ प्लॉट्स नीलाम किये गये थे तथा उस भूमि के विकास हेतु सड़कों इत्यादि का भी निर्माण किया गया था ?

(2) क्या यह सत्य है कि नीलाम किये गये कई प्लॉट अभी तक खाली नहीं कराये गये तथा उन पर पहले की बनी हुई झोंपड़ियां मौजूद हैं तथा उनका कब्जा बना हुआ है ?

(3) बिना भूमि मुक्त कराये भूमि का विक्रय अन्य लोगों को नीलाम नगर सुधार न्यास द्वारा क्यों किया गया ?

(4) भूमि के विकास हेतु नगर सुधार न्यास ने शार्दुलगंज में कितना धन व्यय किया ?

(5) क्या सरकार नीलाम द्वारा जिन व्यक्तियों ने प्लॉट क्रय किये हैं उनको कब्जा दिलाने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो क्रयाकर्त्ताओं को कब तक कब्जा सुपुर्द करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) नीलाम किये गये 16 भूखन्डों के कुछ मार्गो पर अनाधिकृत कब्जे किये हुए हैं तथा उन्हें हटाने की कार्यवाही जेर तजवीज है ।

(3) अनाधिकृत आवासियों को बसाने की योजना बनाकर ही नजूल भूखंड न्यास द्वारा बेचे गये थे ।

(4) रु 71,985) ।

(5) जी हां । अनाधिकृत कब्जे जिन जिन लोगों ने किये हैं उन्हें हटाने की कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

भूतपूर्व जागीरदारों को गंगानगर जिले में भूमि

53. **श्री हरजी राम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जागीरदारों को, जो भूमिहीन थे, गंगानगर जिले में कोई जमीनें राज्य सरकार ने दे दी हैं ? यदि हां, तो नागौर जिले के किन व्यक्तियों को कब कब कितने कितने बीघा भूमि किस किस गांव में दी है ? सूची मय पूरे पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) भूतपूर्व जागीरदारों को भूमिहीन भूतपूर्व जागीरदार होने का प्रमाण-पत्र किस अधिकारी द्वारा दिया जाता है और जिनको उक्त जमीन दी गई है क्या उन सबका प्रमाण-पत्र लिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि नागौर जिले के उक्त व्यक्तियों में से जिन्हे जमीन दी गई है, कई लोग ऐसे हैं जो भूतपूर्व जागीरदार नहीं थे ? यदि हां, तो कौन कौन से ? और नहीं, तो जिनको जमीन दी गई है उनकी सूची में यह भी बताया जाये कि उन्होंने जागीर के मुआवजे के कितने कितने रुपये किस किस नाम से कब कब लिये ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी है ।

(2) संबंधित तहसीलदार द्वारा दिया जाता ह । प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही आवंटन किया जाता है ।

(3) जी हां, वह निम्न आठ व्यक्ति हैं :–

1 श्री	द्वारकादास	डूंगरावास
2 श्री	राजेशकुमार	"
3 श्री	घनश्यामलाल	सूर्यावास
4 श्री	करणपुरी	रामधना
5 श्री	तेजसिंह	सिरसा
6 श्री	गोपीनाथ	रोहिया
7 श्री	गुलाबसिंह	रूणाजी
8 श्री	उम्मेदसिंह	नायला

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

टोंक जिले में वृद्ध व्यक्तियों को पेन्शन

54. **श्री जय नारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1966-67 व 1967-68 में टोंक जिले से कितने बूढ़े व अपाहिज व्यक्तियों ने पेंशन पाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिये थे और उनमें से कितने व्यक्तियों को पेंशन दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि अर्थाभाव के कारण इस जिले में दो दो वर्षों से प्रार्थना-पत्र पेंडिग पड़े हैं ?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) संख्या इस प्रकार है:-

	वर्ष 1966-67		वर्ष 1967-68	
	संख्या आवेदन पत्र प्राप्त	संख्या स्वीकृत	संख्या आवेदन पत्र प्राप्त	संख्या स्वीकृत
वृद्धों के	109	42	46	35
अपाहिजों के	27	9	9	8
योग	136	51	55	43

(2) जी नहीं। अर्थाभाव के कारण कोई प्रार्थना-पत्र पेन्डिंग नहीं है।

तहसील हिन्डोली में भूमी की रजिस्ट्री का मामला

55. **श्री केशरी सिंह हाडा (हिन्डोली)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि दिनांक 8-9-67 को तहसील हिन्डौली में बूंदी जिला प्रमुख, श्री भैरव प्रकाश ने जंगलात की जमीन बून्दी के काजी चिमन कादरी की बतला कर जागीरसिंह को 10,000) में बेचान करा के तहसीलदार से रजिस्ट्री करादी है?

(2) यह जमीन कितने बीघा है और इसके खसरा नम्बर क्या हैं? यह जमीन सरकारी खाते कब से है और क्या जमीन गुढ़ा कमान्ड एरिया की है?

(3) क्या डी० एफ० ओ०, बून्दी ने तहसीलदार को इस जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराने को भी लिखा था?

(4) क्या यह सत्य है की इबारत में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जमीन जंगलात के विवाद ग्रहस्त है? यदि हां, तो फिर तहसीलदार ने इस भमि की जिस्ट्री क्यों की?

उत्तर

(1) दिनांक 8-9-67 को तहसील हिन्डौली में बून्दी जिला प्रमुख, श्री भैरव प्रकाश द्वारा जंगलात की जमीन बून्दी के काजी चिमन कादरी की बतलाकर जागीरसिंह को 10,000) रु० में बेचान करके रजिस्ट्री कराने का कोई रेकार्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। यद्यपि दिनांक 8-9-67 को काजी अब्दुल गफूर चिमन कादरी, बून्दी ने सर्व श्री उजागर सिंह, जागीरसिंह एवं जागीरसिंह आत्मज हरनामसिंह को ग्राम बढ़ा नयागांव बोरदाकी 550)3 बीघा सरकारी भूमि (जंगलात विभाग की भूमि को छोड़कर) की रजिस्ट्री कराने हेतु आवेदन-पत्र तहसील हिंडोली में पेश किया जिस पर रजिस्ट्री करने की समस्त प्रक्रिया करदी गई थी। किन्तु रजिस्टर नम्बर 1 में पंजीबद्ध नहीं किया गया एवंम् मल दस्तावेज रजिस्ट्री रद्द किये जानें हेतु तहसीलदार, हिन्डोली द्वारा दिनांक 9-9-67 को जिलाधीश, बून्दी को भेज दिया गया। रजिस्ट्री के कागजात के अवलोकन से यह नहीं पाया जाता कि रजिस्ट्री श्री भैरव प्रकाश, जिला प्रमुख द्वारा कराई गई हो।

(2) यह जमीन 550)3 बीघा है जिसके खसरा नम्बरान 29।59) 4,30/64), 31।46) 1,32।24,33।40), 34।60),35।36), 36।45।) 1,44।48) 49।2-124।) तथा 49।2 क-3)2 है। यह जमीन बून्दी रियासत में किये गये बन्दोबस्त

(राजस्व मंत्री)

के समय से ही सरकारी खाते में दर्ज है जमीन गुढा कमान्ड की है ।

(3) जी हां, मन्डल वन अधिकारी, बून्दी ने अपने पत्र संख्या विविध 8551, दिनांक 8-9-67 द्वारा तहसीलदार हिन्डोली को चिमन कादरी को बेची जाने वाली भूमि की रजिस्ट्री नहीं करने के सम्बन्ध में लिखा था।

(4) मन्डल वन अधिकारी, बून्दी ने जो पत्र तहसीलदार को दिनांक 8-9-67 को लिखा उसमें यह स्पष्ट अंकित कर दिया था कि चिमन कादरी जिस भूमि का बेचान कर रहा है वह भूमि वन विभाग की है एवं इसका विवाद चल रहा है अतः तातसफिया श्री चिमन कादरी द्वारा बेची गई भूमि की रजिस्ट्री न की जावे। तहसीलदार हिन्डोली ने मन्डल वन अधिकारी के पत्र का यह उत्तर भेजा था कि मन्डल वन अधिकारी बून्दी का पत्र रजिस्ट्री की कार्यवाही करने के पश्चात अर्थात दिनांक 8-9-67 को सांय 6.30 बजे प्राप्त हुआ जबकि रजिस्ट्री की कार्यवाही 11-15 बजे करदी गई थी ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा सड़कों की मरम्मत के लिए धनराशि

56. **श्री गंगा सहाय कोली** (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार से फ्लड एन्ड फमीन रिलीफ हुड के अन्तर्गत सड़कों की मरम्मत हेतु कितनी धनराशि मिली है? इसमें से प्रत्येक जिले को कितनी 2 राशि दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन व पथ को प्राप्त धनराशी का विवरण सदन की मेज कर प्रस्तुत है।

राजस्थान राज्य को केन्द्रीय सरकार से सन 68-69 में फ्लड फैमीन रिलीफ हैड के अन्तर्गत सड़कों की मरम्मत हेतु 50 लाख रुपया की धनराशि मिली है जिसका जिलेवार आंवटन इस प्रकार है :-

नाम जिला	धनराशि
1 उदयपुर	3,90,000
2 भीलवाड़ा	2,00,000
3 चित्तौड़गढ़	1,85,000
4 डूंगरपुर	50,000
5 बांसवाड़ा	75,000

6 टोंक	2,20,000
7 सवाई माधोपुर	9,00,000
8 कोटा	30,000
9 अजमेर	3,00,000
10 जयपुर	1,50,000
11 सीकर	3,00,000
12 झुंझुनू	3,00,000
13 भरतपुर	50,000
14 अलवर	30,000
15 नागौर	10,00,000
16 पाली	2,50,000
17 गंगानगर	5,70,000
	50,00,000

परिशिष्ट 3

(अ० प्रश्न सं० 41 की सूची)

साल	संख्या काश्तकारान	तावान की रकम
1955	537	9,56-00
1956	630	1,949-00
1957	538	3,127-00
1958	265	4,535-00
1959	380	7,031-00
1960	266	8,438-00
1961	336	15,530-00
1962	470	18,655-00
1963	901	26,535-00
1964	652	47,363-00
1965	730	1,87,805-00
1966	563	57,897-00
1967	714	1,26,334-00
कुल योग:—	6,982	5,06,155-00

परिशिष्ट 4

(अ० प्रश्न सं० 42 की सूची)

नं० शु०	नाम आसामी	खसरा नं०	रकबा जिस पर अतिक्रमण हैं	सम्बत
1	देवीराम मीणा कुन्डालिया	15	61) 4	2023
2	लाला बोला	,,	7	,,
3	नन्दा	,,	5ll)	,,
4	देवा मीना	,,	10ll) 3	,,
5	लाडू मीना रुघनाथपुरा	,,	27)	,,
6	लाखा तेली	16	4lll) 1	2022
7	रामा तेली	,,	9)	,,
8	गोपाल तेली	,,	15ll) 2	,,
9	रगलाल मीना	20मि०	7lll) 2	2021
10	लाला बलाई	,,	7) 4	2023
11	फून्दा गूजर	26मि०	16)	,,
12	छोटा नाई	25	13ll) 2	,,
13	रामलाल सिन्धी	,,	10) 4	,,
14	भंवरलाल गूजर	,,	25ll)	,,
15	बाला गूजर	,,	23lll) 1	,,
			190) 3 योग भूमि	

परिशिष्ट (ब)

नाम ग्राम	मिसल नं०	आवंटन ग्रहिता या अन्तिम बोली लगाने वाले का नाम मय वल्दियत एवं सकूनत	खसरा न०	रकबा	आरक्षित मूल्य	अन्तिम बोली
जावठी कलां	160	श्री राधाकिशन आ० बृजलाल रूंगटा झुन्झुनू	26 मि	22)	1980)	3501)
	161	श्री लक्ष्मी निवास आ० बृजलाल	25	9211)	8325)	18501)
	162	श्री नरेन्द्र कुमार अ० राधा किशन	18	68111)4	6205-50	10001)
	163	श्री श्यामसुन्दर आ० राधा किशन	20 मि	20)		
			24 मि	30)	4500)	7501)
"	164	श्री मनमोहन आ० लक्ष्मी निवास महाजन रूंगटा सा० बागड़ जि० झुन्झुनू	16	301)4		
			15	39111)1	6322-50	11601)
			7	30311)4	27333)	51105)

परिशिष्ट 5

(अ० प्र० स० 43 की सूची)

सूची भूमिहीन किसान जिन्होंने ग्राम रामनगर ढोसी में एक साल के लिए आवंटन करवाया सन् 1967.

क्रम सं०	नाम ग्राम	नाम आसामी जिन्होंने प्रार्थना-पत्र पेश किया	नं० खसरा	रकबा	किस्म जमीन		जमीन जो आवंटन की गई	
1	2	3	4	5	6		7	
1.	रामनगर ढोसी	कंचन पुत्र नाथ्या चमार सा० डेट	144	2)	गै०मु०	2)	एडवाईजरी कमेटी द्वारा स्वीकृति हुई।	
2.	"	सांवलिया पुत्र पांचा चमार सा० डेट	144	3)	"	2)	"	"
3.	"	रामकुमार पुत्र गेंदिया माली	144	3)	"	3)	"	"
4.	"	रामजीलाल पुत्र भंवरा माली	144	2)	"	2)	"	"
5.	"	गोपी पुत्र तेजा माली	144	2)	"	2)	"	"
6.	"	नाथ्या पुत्र चन्द्रा चमार	144	2)	"	2)	"	"
7.	"	रामदेवा पुत्र नानगा चमार	144	2)	"	2)	"	"
8.	"	झबू पुत्र गोपाल चमार	144	2)	"	2)	"	"
9.	"	बसन्ता पुत्र गोपाला चमार	144	2)	"	2)	"	"
10.	"	किशोरीलाल पुत्र घूडया जागा	144	2)	"	2)	"	"
11.	"	मदन पुत्र प्रभु जागा	144	2)	"	2)	"	"
12.		रामचन्द्र पुत्र संन्या चमार	144	3)	"	3)	"	"
13.	"	भोरया पुत्र सोन्या चमार	144	2)	"	2)	"	"
14.	"	भैरू पुत्र सोन्या जागा	144	3)	"	3)	"	"

15.	”	सावत्री स्त्री शम्भु दयाल	144	5)	”	5)	सरपंच की राय न होने के कारण स्वीकृति।
16.	”	रामेश्वर प्रसाद पुत्र गोविन्दा ब्राह्मण	144	5)	”	5)	जिलाधीश महोदय प्राप्त की मंजूरी देर से आने के कारण रकबा काश्त नहीं हुआ।
17.	”	प्रहलाद पुत्र पुरुषोत्तम ब्राह्मण	144	5)	”	5)	” ”
18.	”	चतरी देवी स्त्री रामजीलाल	144	5)	”	5)	” ”
19.	”	गिर्राज प्रसाद अध्यापक रिटायर्ड	144	5)	”	5)	सरपंच की राय न होने के कारण स्वीकृति जिलाधीश महोदय से प्राप्त की मंजूरी देर से आने के कारण रकबा काश्त न हो सका।
20.	”	गीता पत्नि केदार प्रसाद ब्राह्मण पटी बामनवास	144	5)	”	5)	” ”
21.	”	ओमप्रकाश पुत्र गैन्दीलाल ब्रा० लालसोट	144	5)	”	5)	” ”
22.	”	नाथ्या पुत्र मोरया बगरया	144	5)	”	5)	एडवाईजरी कमेटी द्वारा स्वीकृति हुई।
23.	”	रामकिशन पुत्र दया किशन गुजर	144	5)	”	5)	” ”
24.	”	गफूर पुत्र सैंड्या फकीर	144	2)	”	2)	” ”
25.	”	दयाचन्द पुत्र बलराम फकीर	144	2)	”	2)	” ”
26.	”	घूडमल पुत्र रामदेव जागा	144	2)	”	2)	” ”
27.	”	गोपी पुत्र रामदेव जागा	144	2)	”	2)	” ”
28.	”	भूरसिंह सूबेदार नादोती	144	5)	”	5)	सरपंच की राय न होने के कारण स्वीकृति जिलाधीश महोदय से प्राप्त की–किन्तु मंजूरी देर से आने के कारण काश्त न हो सका।

1	2	3	4	5		6	7
29.	राम नगर ठोसी	कदमसिंह पुत्र सूबेदारसिंह तैसागांव	144	5)	„	5)	सरपंच की राय न होने के कारण स्वीकृति जिलाधीश महोदय से प्राप्त की किन्तु मंजूरी देर से आने के कारण काश्त न हो सका।
30.	„	बदरी पुत्र रंगा चमार	144	अस्वीकार			
31.	„	हीरा पुत्र मोंत्या चमार	144	„			
32.	„	राध्या पुत्र पांचा चमार	144	„			
33.	„	भूरया पुत्र चन्द्रा चमार	144	„			
34.	„	जोहरा पुत्र तानगा चमार	144	„			
35.	„	दयाकिशन वगैरा	144	„			
36.	„	रामगोपाल वगैरा	144	,			

परिशिष्ट 6

(अ० प्र० सं० 56 की सूची)

दिनांक 19-9-68 को केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा काम रोको हड़ताल के सम्बन्ध में एसेन्शियल सर्विसेज मेन्टेनेन्स आरडीनेन्स के तहत गिरफ्तार हुए केन्द्रीय कर्मचारियों की जिलेवार संख्या:—

क्र०सं०	नाम जिला	जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुए केन्द्रीय कर्मचारियों की संख्या
1.	बीकानेर	49
2.	बाड़मेर	64
3.	चित्तौड़गढ़	24
4.	भीलवाड़ा	5
5.	डूंगरपुर	13
6.	झालावाड़	15
7.	बून्दी	17
8.	अजमेर	1
9.	चूरु	477
10.	उदयपुर	11
11.	बांसवाड़ा	9
12.	सीकर	27
13.	गंगानगर	115
14.	कोटा	86
15.	झुन्झुनू	19
16.	टोंक	13
17.	पाली	68
18.	जयपुर	225
	योग	1238

जी० आर० पी० द्वारा

क्र०सं०	नाम	संख्या
1.	बीकानेर	46
2.	हनुमानगढ़	413
3,	मेड़तारोड	21
4.	रतनगढ़	34
5.	जयपुर	78
6.	सवाई माधोपुर	2
7.	कोटा	2
8.	जोधपुर	3
9.	मारवाड़ जंक्शन	1
10.	बाड़मेर	3
11.	भीलवाड़ा	5
	योग	608

परिशिष्ट 7

(अ० प्र० सं० 59 की सूची)

नगर विकास न्यास की स्थापना के बाद अध्यक्ष महोदय जी को दिये गये भत्ते व औनेरेरियम का विवरण ।

क्रम सं०	अध्यक्ष महोदय का नाम		अवधि		दिया गया भत्ता		राशि
1	श्री देवीशंकर तिवाड़ी	...	27-12-60 से	19-7-62	दर 500.00	प्रति माह	9,374.84
2	श्री जे० एम० लालवानी	...	19-7-62 से	9-1-63	दर 200.00	प्रति माह	1,143.93
3	श्री जी० एल० मेहता	...	10-1-63 से	12-1-64	दर 200.00	प्रति माह	2,419.36
4	श्री रामकिशोरजी व्यास	...	13-1-64 से	5-1-67	दर 500.00	प्रति माह	17,806.45
5	श्री सरदारमल सांघी	...	6-1-67 से	31-7-69	दर 500.00	...	15,403.23
						कुल योग ...	46,147.81

श्री रामकिशोर, अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास के निवास स्थान पर लगे टेलीफोन के बिलों के व्यय का विवरण :—

टेलिफोन नं० 72411

वर्ष		
66-67	16-5-66 से 21-2-67 तक	1,777.75

श्री सरदारमलजी सांघी, अध्यक्ष के निवास स्थान पर लगे टेलीफोन के बिलों के व्यय का विवरण :—

टेलिफोन नं० 62042

वर्ष	समय	
67-68	दिनांक 1-5-67 से 1-2-68	1,421.95
68-69	1-5-69 तक	1,973.95

परिशिष्ट 8

(अ० प्र० सं० 69 की सूची)

Statement showing the yearwise original income of the Rajasthan Board of Muslim Wakfs, Jaipur.

S. No.	Head of income	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	Remarks
1.	Court fees application	29.65	106.65	234.87	210.79	313.33	380.10	
2.	Rent of Wakf property	12,378.70	5,232.48	4,153.92	3,125.90	3,614.49	6,713.72	
3.	Interest of Bank	..	1,469.27	1,211.81	404.04	1,546.76	2,102.27	
4.	Registration fee	..	..	1,903.00	1,497.00	1,130.50	3,246.55	
5.	Contribution fee	..	..	12,807.14	14,093.20	14,636.36	19,382.60	
6.	Recovery over-payment	..	..	67.43	277.22	..	35.65	
7.	Miscellaneous	..	492.00	..	165.70	362.14	69.52	
8.	Sale of plots of land	..	..	..	..	2,120.00	..	
	TOTAL	12,408.35	7,300.40	20,378.17	19,773.85	23,723.58	31,930.41	

Sd/—
Secretary,
Rajasthan Board of Muslim Wakfs,
Jaipur.

परिशिष्ट 9

(ता० प्र० सं० 71 की सूची)

List of Consumers Categorywise and townwise

Sl. No.	Name of Town	Dom. Light	Com. Light	Dom. Power	Com. Power	Indust. Power	Medium Indust.	Rail-way	Central Govt.	Water Works	State Govt.	M. Board	Agricul-ture
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Ladnun	1,022	195	14	21	86	1	1	1	6	19	1	2
2.	Jaswantgarh	130	14	3	—	5	—	—	—	—	3	—	—
3.	Ladi	16	1	—	—	2	—	—	—	—	1	1	1
4.	Kashumbi	13	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1
5.	Mithari	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

103 (4)

The details of the lines are as under:—

32 KV lines

1.	Kasumbi to Ledi	3½ miles
2.	Kasumbi to Tehsil Sujangarh	3½ miles
3.	Ledi to Tehsil border Deedwana	11 miles

Total length of 33 KV in Ladnun Tehsil — 18 miles

11 KV lines

1.	Ladnun to Jaswantgarh	6 miles
2.	Jaswantgarh to Tehsil Border	1 miles
3.	Ledi to Mithri	11 miles
4.	Sobhasar to T point (Mithri-Ledi)	6 miles
5.	Mithri to Bagasar and Sobhasar	14 miles

Total length of 11 KV line in Ladnun Tehsil — 38 miles

440 Volts.

Length of 440 Volts line 20 miles

परिशिष्ट 10

(अ० प्र० सं० 74 की सूची)

OFFICE OF THE COLLECTOR & D. M., ALWAR

No. 2435/R.S. *December 26/27, 1966.*

To,

The Legal Remembrancer-cum-Law,
Secretary to the Government,
Rajasthan, Jaipur

Sub:— Appointment of a Notary Public
Ref:— Your No. F. 39 (4) Jud./66, dt. 1-10-66

The appointment of an Additional Notary at Alwar will be useful. From the return submitted by the present Notary Shri Omprakash Sharma to you under rule 14 for the years 1964 and 1965, it appears that there is a scope for appointment of a Additional Notary. These returns which were received with your letter No. F. 39 (4) Jud./66 dated, 10-11-1966 are returned herewith in original. Action for appointment on the new post will be taken in accordance with the provisions of the Notary Rules. The application of Shri Jagan Prasad Bhargava is also sent herewith.

Sd/— Rajeshwar Jain,
Collector & Distt. Magistrate,
Alwar.

शुद्धि-पत्र

(दिनांक 13 अगस्त, 1969)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
1	2	3	4
1	अन्तिम से 6	बाड़मर	बाड़मेर
5	,, 11	शक्ति	सख्ती
7	5	पूर्वपेक्षा	पूर्वापेक्षा
7	10	म	में
7	14	नलकुपो	नलकूपों
8	अन्तिम	गय	गये
9	अन्तिम से 12	म	में
12	5	नक विल अलट	नाकाविल अलॉट
12	16	श्री ंगाराम	गंगाराम
13	अन्तिम से 2	करन	करने
15	1	श्रणी	श्रेणी
15	अन्तिम से 10	श्री वृद्धिचन्द	श्री वृद्धिचन्द्र
16	,, 3	थ	थे
18	,, 3 व 12	ै	है
18	अन्तिम	ए	ऐसी
22	अन्तिम से 2	किरत	किश्त
25	,, 12	शॉट	सॉट
26	,, 12	पसा	पसा
27	अन्तिम	म	में
30	14	स्टटस	स्टेटस
	अन्तिम से 5	स ापित	स्थापित
33	,, 8	करग	करगे
34	,, 17	उप-राजस्व मंत्री	उपमंत्री, राजस्व
35	अन्तिम से 6	मकवूल	मकवूजा
37	8	इम्पोटेड	इम्पोर्टेड
39	अन्तिम से 8	आगु मेन्टस	आर्गुमेन्ट्स
39	,, 3	त्रिपल	ट्रिपल
41	,, 14	किशाखापट्टम	विशाखापट्टम

1	2	3	4
47	अन्तिम से 12	डढ़	डेढ़
47	,, 6	तना	इतना
49	,, 3	तका	तक
51	,, 6	सं ंघ	संबंध
51	,, 9	वष	वर्ष
54	11	अन्तगत	अन्तर्गत
54	अन्तिम से 8	स्थागित किया	स्थगित किया
61	,, 3	अवध	अवैध
65	,, 7	स्व	राजस्व
66	,, 12	ऋ	ऋण
66	अन्तिम	स्वणकार	स्वणकार
69	12	म रेवेन्य	में रेवेन्यू
72	अन्तिम से 6	क	के
72	,, 14	कृप	कृपा
78	,, 13	सुची	सूची
79	,, 2	खच	खर्च
86	अन्तिम से 5	ीवानी	दीवानी
90	2	चाल	चालू
94	1	लाडन	लंडन
105	अन्तिम से 5	सचना	सूचना
110	,, 10	बलाकर	बताकर
118	16	परअ सन्तोष	पर असन्तोष
121	12	साकिट	सर्किट
139	4	बैठ	बैठे
142	अन्तिम	चल	चलें
143	अन्तिम से 18	करना	करवा
149	,, 12	चाहत	चाहते
149	,, 6	मुझ	मुझे
154	,, 2	नमान्दा	नुमाइन्दा
155	4	मुझ	मुझे
160	अन्तिम से 7	जसे	जसे
171	,, 8	अज	अज
176	,, 2	अध्यक्ष पाठ	अध्यक्ष पीठ

1	2	3	4
182	अन्तिम से 12	बगर	बगैर
184	5	विथाडा	विथड्रा
184	15	वोलन	वोलने
186	अन्तिम से 12	वहिगमन	बहिगमन
187	„ 9	स	इस
194	अन्तिम से 4	स्तत	प्रस्तुत
214	„ 6	रूरकेल	रूरकेला
227	13	रेडी साहब	रेड्डी साहब
255	1	झुटाने	जुटाने
257	अन्तिम से 14	उठन	उठने
257	„ 10	इतन	इतने
257	„ 6	ंकट	संकट
265	10	पसे	पैसे
266	अन्तिम से 3	आग	आगे
267	„ 2	पाटी	पार्टी
270	„ 6	कांग्रस	कांग्रेस
272	10	सम्झा	समझा
273	अन्तिम से 13	गय	गये
278	„ 11	व्यरोक्रेसी	ब्योरोक्रसी
278	„ 6	होन	होने
295	„ 5	वाग्रस	कांग्रेस
295	„ 16	नता	नेता
301	2	policy	party
301	7	आय	आये
316	4	वे यू	वेल्यू
347	अन्तिम से 5	झुझारसिह	जुझारसिंह
353	अन्तिम	स्वीकृति	स्वीकृत
357	15	वर्षवारा	वर्षवार
357	अन्तिम से 4	जझारसिंह	जुझारसिंह
358	10	हतु काम म लाने देन	हेतु काम में लाने देने
369	19	हिहोली	हिन्डोली
371	9	फमीन	फेमीन
375	5	मनमेहन	मनमोहन